लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 12.2.84
Parliament Library

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 20 सोमवार 11 दिसम्बर 1972/20 अग्रहायण, 1894 (शक)
No. 20 Monday, December 11, 1972/Agrahayana 20, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या/S. Q. No.		
382 ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात	Doctor—Population ratio in rural areas	1—3
383. नये शिपयार्ड बनाने, जहाज निर्माण के लिए 'केन्द्रीय डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र' स्थापित करने और विदेशी सहयोग के लिए प्रस्ताव	Proposal to build new Shipyards, establishment of Central Design and Research Centre for Ship Building and Foreign collaboration ..	4—5
385. कानपुर में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए वित्तीय सहायता	Financial aid for the removal of slums in Kanpur ..	5—6
386. राज्यों में वन्य पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध की क्रियान्विति में प्रगति	Progress in implementation of Ban on hunting of wild life in States ..	6—10
388. गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर तथा बेल्लारी में सूखे की स्थिति	Drought conditions in Gulbarga, Bidar, Bijapur and Bellary ..	10—13
389. जयंती शिपिंग कारपोरेशन का भारतीय नौवहन निगम में विलय	Merger of Jayanti Shipping Corporation with Shipping Corporation of India ..	13—14
390. मंगलौर अथवा गारवार में शिपयार्ड का निर्माण करने के लिए मैसूर सरकार का अनुरोध	Mysore Government's request for building Shipyard at Mangalore or Karwer ..	14—15
391. विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में समानता	Uniformity in standard of Education at University and Secondary Stage ..	15—19
393. आयोजना और आवास के लिए पूर्व—क्षेत्रीय संगठन की बैठक	Meeting of the Eastern Regional Organisation for Planning and Housing ..	19—20

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या/S. Q. No.		
381. 28 अक्तूबर, 1972 के टाइम्स आफ इंडिया में "आफीशियल्स मेक हे इन ड्राउट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News item captioned 'OFFICIALS MAKE HAY IN DROUGHT' appearing in Times of India dated the 28th October, 1972. ..	21
384. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड देने के बारे में नियम	Rules for grant of Selection Grade to Lecturers of Delhi University ..	21—22
387. गृह निर्माण योजना के लिए राज्यों में बनाये गये खण्डों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for zones in States for Housing Schemes ..	23
392. दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण महामारी फैलना	Spread of Epidemics in Delhi as a result of strike by Sweepers ..	23
394. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना हेतु कर्मचारियों का चयन	Selection of staff for National Health Scheme for Rural areas ..	24
395. केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में निर्यात गृह स्थापित किया जाना	Opening of Export House by Central Warehousing Corporation in Public Sector ..	24
396. दिल्ली पालिटेक्निक्स, टेक्निकल स्कूलों और दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Staff of Delhi Polytechnics, Technical School and Delhi College of Engineering ..	25—27
397. नेहरु स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लायब्रेरी) के कर्मचारियों की सेवा के नियम	Service Rules for Employees of Nehru Memorial Museum and Library ..	27
398. केरल में चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें	Mobile Soil Testing Laboratories in Kerala ..	27—28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या/S. Q. No.		
399. गावों में भूमिहीनों और कृषि मजदूरों के आवास के लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था	Rs. 7 crores for Housing for the landless and Agricultural Labourers in Villages..	28
400. 'निरोध' की बिक्री में वृद्धि	Increase in Sale of Nirodh ..	28
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.		
3725. राज्य फार्म विकास निगम के अधीन केरल में बनाये जा रहे फार्म	Farms under construction in Kerala under State Farms Development Corporation ..	29
3726. राज्यों में भूमिहीन व्यक्तियों को प्लाटों का वितरण	Distribution of sites to Siteless persons in the States ..	29—30
3727. स्वास्थ्य और आवास मंत्रियों की विदेश यात्रा	Visit of Health and Housing Ministers to Foreign Countries ..	31
3728. सोनीपत के एक गांव में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार	Social Boycot of Harijans in a village of Sonepat ..	31—32
3729. ग्रेटर कैलाश–2 में प्लाटों की रजिस्ट्री	Registration of Plots in greater Kailash II ..	32
3730. दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष की परिसम्पत्ति की जांच	Enquiry into Assets of Ex-chairman, Delhi Milk Scheme ..	32—33
3731. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध का वितरण और दूध के टोकन जारी करने के लिए प्राप्त आवेदन–पत्र	Distribution of milk by D.M.S. and applications received for issue of Milk Tokens ..	33—34
3732. मालवाहक जहाज 'दामोदर मांडवी' के कर्मचारियों का पता लगाने के लिए किये गये प्रयास	Efforts made to trace the officials of Cargo Ship "Damodar Mandovi" ..	34
3733. दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्धचर्ण का चोर बाजार में बेचा जाना	D.M.S. Milk Powder Sold in Black Market	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.		
3734. नगरीय भूमि पर दबाव को कम करने के लिए कृषि उद्योग की स्थापना	Establishment of Agro-Industries to relieve pressure on land ..	34—36
3735. कृषि श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्यवाही	Step to provide employment to agricultural labour ..	36—37
3736. शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना	Making moral education compulsory in Educational Institutions	37
3737. डाक्टरी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित विद्यार्थी	Students denied Medical education Facilities ..	37—38
3738. खेतियार जिला कांगड़ा में स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of School in Khatiar, District Kangra ..	38
3739. हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के निकट खटियारसेहोली पेय-जल सम्भरण योजना को पूरा करना	Execution of Khatiar - Seholi drinking water Supply Scheme near Pong Dam in Himachal Pradesh ..	39
3740 उत्तर इटली में ट्रीस्टी में गंदगी फैलाने के कारण इंडियन टैकर 'बरौनी' का जब्त किया जाना	Confiscation of Indian Tanker 'Barauni' at Trieste North Italy for causing pollution ..	39—40
3741. केरल में दूध की प्रति व्यक्ति उपलबधता और उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Per-capita availability of milk in Kerala and Central aid therefor ..	40—41
3742. जहाज बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के बारे में कोचिन विश्वविद्यालय के सुझाव	Suggestion by Cochin University for training in ship building ..	41
3743. लेडी हार्डिगं मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of accommodation to the employees of Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi. ..	41—42

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3744.	नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल में कुछ श्रेणीयों के कर्मचारियों के संबंध में दूसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन मान	Grades of pay recommended by second Pay Commission for certain category of staff in Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi ..	42
3745.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, नई दिल्ली में पदों का भरा जाना	Filling up of posts in the Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi	43
3746.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, नई दिल्ली के श्रेणी एक तथा दो के कर्मचारियों की तुलना में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों को लाभ	Benefits to Class III and IV employees of the Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi vis a vis Class I and II Employees ..	43—44
3747.	बाढों पर नियंत्रण	Control of floods ..	44—45
3748.	जनकपुरी, नई दिल्ली में मध्य आय वर्ग के दो मंजिले फलैट	Double storey M.I.G. Fláts, Janak Puri, New Delhi ..	45
3749.	दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी जनकपुरी में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of medical facilities in Janak Puri, a D.D.A. Colony ..	46
3750.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डिप्लोमा धारियों की पदोन्नति	Promotion of diploma-holders in C.P.W.D. ..	46—47
3751.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना डिस्पैंसरी, मोतीनगर, दिल्ली के डाक्टरों का व्यवहार	Behaviour of Doctors of C.G.H.S. Dispensary, Moti Nagar, Delhi. ..	47—48
3752.	'एशिया', 72 के मेले के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा देरी	Delay by C.P.W.D. Re: Asia, 72 Fair ..	48
3753.	श्रेणी-एक के अधिकारियों को सरकारी आवास का आंवंटन	Allotment of Government accommodation to Class I Officers ..	49—50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.		
3754. गया, जिला बिहार में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के एक दल का दौरा	Visit of Central Team to Gaya District of Bihar Central Scheme to sink tubewells there ..	50
3755. विदेशों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनकी परिलब्धियों की अदायगी विदेशी मुद्रा में करने पर रोक	Restriction on payments of Emoluments in Foreign Currency to persons working Abroad ..	51
3756. ग्रामीण रोजगार के बारे में अनुसन्धान	Research on Rural Employment	51—52
3757. मध्य प्रदेश में एक उर्वरक किस्म नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of a fertilizer quality control Laboratory in M.P. ..	52—53
3758. दिल्ली प्रबन्धक ऐसोसियेशन से आई० आई० टी० के प्राध्यापक द्वारा लिया गया परामर्श शुल्क	Consultation fee received by I.I.T. Professor from Delhi Management Association ..	53
3759. दिल्ली में आई० आई० टी० के कैम्पस में अमरीकी गुप्तचर एजेंसी (सी० आई० ए०) की घुसपैठ और गतिविधियां	Infiltration and activities of American C.I.A. in I.I.T. Campus, Delhi. ..	54
3760. विदेशी धन के लिए दिल्ली आई० आई० टी० के एक प्रोफेसर द्वारा ब्रिटेन सूत्र के साथ कथित बातचीत के बारे में जांच	Enquiry into an alleged negotiation by Delhi I.I.T. Professor with a U.K. source for Foreign Funds ..	54—55
3761. कलकत्ता में चीनी का उपलब्ध न होना	Non-availability of sugar in Calcutta..	55
3762. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संख्या 3, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Doctor of Government Higher Secondary School, No. 3, Sarojini Nagar, New Delhi.	55—56

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3763.	देश में ग्रामीण पेयजल सप्लाई में तेजी लाने की योजना	Scheme for acceleration of rural water supply in the country ..	56
3764.	प्रबन्ध विकास संस्थान	Management Development Institute	56—57
3765.	आई० आई० टी०, दिल्ली में कनिष्ठ अधीक्षक की नियुक्ति तथा सहायक रेजीडेन्ट इंजीनियर का वेतनमान	Appointment of Junior Superintendent and pay scale of Assistant Resident Engineer in I.I.T. Delhi ..	57—58
3766.	केरल में राज्य कृषि निगम के लिये फार्म	Agricultural Farms of State Agriculture Farms Corporation in Kerala ..	59
3767.	कृषि सुधारों और ग्रामीण विकास के लिए एशियाई केन्द्र की स्थापना	Setting up of an Asian Centre for agrarian reforms and rural development ..	59—60
3768.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्ति	Appointments on daily wages in Indian Council of Agricultural Research ..	60—62
3769.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के एक डाक्टर द्वारा सन्तोष कुमार गर्ग के बाये फेफड़े के हटाये जाने के विरुद्ध शिकायत	Complaint against the removal of left lung of Santosh Kumar Garg by a Doctor of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi ..	62—63
3770.	भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान को विफल करने के लिए नलकूप लगाना	Installation of Tube well on land to defeat land ceiling legislation ..	63—64
3771.	अधिक उर्वरक की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुरोध	Request of U.P. Government for supply of more fertiliser ..	64
3772.	नलकूल लगाने के लिये हरियाणा सरकार को अनुदान	Grant to Haryana Government for installation of Tube wells ..	64—65

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.		
3773. पूर्वी राज्यों में लधु सिंचाई के लिए वित्त देने के बारे में जिला स्तर पर केन्द्रीय एजेन्सियां	Central Agencies at District level to Finance minor irrigation in Eastern States	65
3774. चौथी योजना में लधु सिंचाई योजनाओं पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on minor irrigation schemes during Fourth Plan	65
3775. गंगा के बेसिन में सिंचाई के लिये भूमि जल का उपयोग	Utilisation of ground water for irrigation in Gangetic Basin	65
3776. कृषि प्रयोजनों हेतु जल-समस्या हल करने के लिए भूमिगत जलाशय बनाना	Underground reservoirs for tackling water problem for agricultural purposes	66
3777. छोटे किसानों को ऋण	Advances to small farmers	66—67
3778. 'छोटे किसान' विकास योजना की प्रगति	Progress of small Farmers' Development Scheme	67—68
3779. त्रिपुरा में आदिवासी छात्रों के लिये शिक्षा का माध्यम	Medium of instruction for tribal students in Tripura	68—69
3780. छात्रों को उनकी खोज करने की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये सहायता	Assistance to encourage students in their inventive talents	69
3781. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को लागू न करना	Non-implementation of Untouchability (Offences) Act	69—70
3782. राजस्थान के आवास बोर्ड को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L.I.C. loans for Housing Board in Rajasthan	70—71
3784. 'यनेस्को' के लिये 11.99 करोड़ डालर के बजट आवंटन का समृद्ध देशों द्वारा विरोध	Opposition by rich countries to $119.9 million budget allocation to UNESCO	71—72
3785. इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के छात्रो से ज्ञापन	Memorandum from students of Indian School of Mines, Dhanbad	72

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3786.	1971-72 में रुई के उत्पादन में कमी	Fall in production of cotton during 1971-72	72
3787.	वन्यजीवों वाले क्षेत्रों के प्रशासन के लिये राज्य सरकारों द्वारा विशेष 'विंग' बनाने में हुई प्रगति	Progress in setting up special wings by State Governments to administer wild life areas	73
3788.	मैसूर, तमिलनाडु, और केरल में वन्यजीवों के नये रक्षित स्थानों का विकास	Development of new game sanctuaries in Mysore, Tamil Nadu and Kerala	74
3789.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा गेहूँ, मक्का, पटसन, धान और सब्जियों के बीजों का निर्यात	Export of seeds of Wheat, Maize, Jute, Paddy and Vegetables by National Seeds Corporation	74
3790.	दिल्ली में पिछले चार महीनों में गेहूँ, चावल और चीनी के खुदरा मूल्य	Retail prices of Wheat, Rice and Sugar during last four months in Delhi	75
3791.	खाद्य उत्पादन के द्रुत कार्यक्रम के लिये निधियों का उपयोग	Utilisation of Funds for crash programme on Food Production	75
3792.	राष्ट्रीय राजपथ संगठन	National Highways Organisation	76
3793.	रबी मौसम के लिये उर्वरकों की सप्लाई	Fertiliser supply for Rabi season	76—77
3794.	देश में निर्मित ट्रैक्टरों की मांग में कमी	Fall in the demand of Indigenous Tractor	77—78
3795.	'यूनेस्को' के पूजीनिवेश को नई दिशा प्रदान करना	New Orientation to UNESCO Investment	78—79
3796.	दिल्ली/नई दिल्ली में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना	Enforcement of Rent Control Act in Delhi/New Delhi	79—80
3797.	राज्यों द्वारा उर्वरकों की मांग और इनका आयात	Demand of fertiliser from State and in its Import	80

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3798.	देश में पांच सौ शैया वाले अस्पतालों के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grant for the 500 beds Hospitals in the Country	81—82
3799.	जल पूर्ति योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश को ऋण	Loan to Madhya Pradesh for Water-Supply Scheme	82—83
3800.	पन्ना नगर (मध्य प्रदेश) में आन्त्र शोध अक्रामक बीमारी का प्रकोप	Outbreak of Gastro-enteritis in Panna (Madhya Pradesh)	83
3801.	खिलाड़ियों का चयन और म्यूनिख ओलम्पिक पर हुआ व्यय	Selection of players and amount spent for Munich Olympics	83—84
3802.	म्यूनिख में खिलाड़ियों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ डाक्टरों का व्यवहार	Attitude of Doctors towards players and others at Munich Olympics	84—85
3803.	पांचवी योजना में कृषि इंजीनियरों की आवश्यकता	Requirement of Agricultural Engineers during Fifth Plan	85
3804.	राष्ट्रीय राजपथों के मार्गों पर सुविधायें बढ़ाने के लिये एक केन्द्रीय निधि बनाने के बारे में अध्ययन दल की सिफारिश	Recommendation of Study group re: Creation of a Central Fund for Promotion of wayside Amenities along National Highways	86
3805.	संसद् भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के 'दुग्धबार' से मक्खन की चोरी	Theft of butter from Milk Bar of D.M.S. in Parliament	86
3806.	भूमिहीनों को आवास स्थल देने हेतु प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक गांव के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Development of Village in each development Block for Housing sites to Landless	86—87
3807.	स्वास्थ्य सेवा नियमों का संशेधन	Amendment to Health Services Rules	87—88
3808	दिल्ली में "चल शिशु सदन"	"Mobile Creches" in Delhi	88

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3809.	देश में फार्मेसी अधिनियम, 1948 लागू करना	Enforcement of Pharmacy Act, 1948 in the Country	89
3810.	मध्य प्रदेश में भूमिगत जल की सतह	Level of sub-soil water in Madhya Pradesh.	89
3811.	दिल्ली में क्राफ्ट टीचरों और वर्कशाप इंस्ट्रक्टरों के वेतनमान	Scales of Craft Teachers and Workshop Instructors in Delhi	89—90
3812.	मन्नाम चीनी मिल, केरल, सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Group on Mannam Sugar Mills, Kerala	90
3813.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिये आयुक्त के 19वें प्रतिवेदन पर कार्यवाही	Action on Nineteenth Report of Commissioner for S.C. & S.T.	90—91
3814.	उच्चतर काव्य अध्ययन के लिये कुमारन असन	Kumaran Asian centre for advancec study in Poetry	91
3816.	"एफ० सी० आई० गोडाउन रैकेट नौबाडीज कन्सर्न" 5 नवम्बर, 1972 के 'इंडियन नेशन' के प्रातः संस्करण में (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में हुई जालसाजी की किसी को चिन्ता नहीं) शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार	News item captioned "F.C.I. Godown Racket Nobody's Concern" appearing in the Morning Edition of the "Indian Nation" dated 5th November, 1972	91—92
3817.	नवम्बर, 1972 में भोपाल में हुआ अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन	All India Whips Conference held at Bhopal during November, 1972.	92
3818.	दिल्ली में सामाजिक तथा धर्मार्थ संगठनों को स्थानों का आवंटन	Allotment of accommodation to Social and Charitable Organisations in Delhi	92—93
3819.	वाणिज्यि ब्लड बैंकों पर कानूनी प्रतिबंध	Legal ban on commercial blood banks	93

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3820.	म्यूनिख को भेजे गये खिलाड़ी दल पर हुआ व्यय	Expenditure involved in sending contingent to Munich	94
3821.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बिना बारी के क्वार्टरों का आवंटन	Out of turn allotment of Quarters to the Central Government Employees	94—95
3822.	खाद्य पदार्थों में मिलावट कि रोकथाम हेतु नये सुझाव	New Suggestions to check adulteration in Food Articles	95—96
3823.	चिकित्सा शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम के बारे में नीति	Policy in regard to the present syllabus of medical education	96—97
3824.	चौथी योजना में दूध के उत्पादन के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central aid to States for milk production during Fourth Plan	97
3825.	प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के क्षेत्र कार्यक्रम की प्रगति	Progress in drought prone programmes	97
3826.	उड़ीसा में ग्रामीण विकास के द्रुत कार्यक्रम में प्रगति	Progress of crash programme for rural employment in Orissa	98
3827.	उड़ीसा में आदिवासी विकास खण्ड	Tribal development blocks in Orissa	98—99
3828.	हुगली पर दूसरे पुल के लिये विदेशी मुद्रा के बारे में केन्द्रीय सरकार और हुगली नदी पुल——आयुक्तों के बीच विवाद का समाचार	Reported controversy between Union Government and Hooghly river bridge commissioners regarding foreign Exchange for second bridge across Hooghly	99—100
3829.	उड़ीसा में पारादीप में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों की प्रगति	Progress of Fishing Harbours at Paradeep, Orissa	100
3830.	नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति	Statue of Mahatma Gandhi at New Delhi	101
3831.	राज्यों में प्राथमिक शिक्षा	Primary education in States	101
3832.	राज्यों में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता	Need of chemical fertilisers in States	101—102

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3833.	मैसूर में नेहरु युवक केन्द्र की स्थापना	Establishment of Nehru Yuvak Kendras in Mysore ..	102—103
3834.	बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में दम्पत्तियों के विचार	Views of the couple on limit of children	104—105
3835.	दिल्ली विश्वविद्यालय के रोहों से पीड़ित छात्र	Trachoma among University Students in Delhi ..	105
3836.	पंजाब और हरियाणा से उड़ीसा को भेजे गये गेहूँ के वैगनों का लापता हो जाना	Missing wagons of wheat sent from Punjab and Haryana to Orissa ..	106
3837.	खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी	Shortfall in production of foodgrains	106—107
3838.	जहाजरानी उद्योग के संवर्धन के बारे में यूगोस्लाविया और मिश्र के साथ नई दिल्ली में हुई बातचीत	Discussion at New Delhi with Yugoslavia and Egypt Re: promotion of Shipping Industry ..	107—108
3839.	प्रधान मंत्री को भेंट स्वरूप मिली वस्तुओं का विक्रय	Sale of P.M.'s Gifts	108
3840.	विदेशी मिशनरी संगठनों द्वारा वित्तपोषित शिक्षा संस्थायें	Educational Institutions financed by Foreign Missionary Organisations ..	108
3841.	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये खरीफ की वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to reach Kharif procurement targets recommended by A.P.C.	109
3842.	चीनी का रक्षित भंडार और चीनी सम्बन्धी नीति	Buffer stock of sugar and sugar policy	109—110
3843.	सहकारी क्षेत्र में नये कृषि परिस्करण (प्रोसेसिंग) एकक	New Agricultural Processing Units in Co-operative Sector	110

3844. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री — Material used for construction of National Highway No. 6 .. 111

3845. साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त आधुनिक भारतीय साहित्यिक भाषायें — Modern Indian Literary Languages recognised by Sahitya Akademi .. 111

3846. चौथी योजना में राष्ट्रीय राजपथ में बदली जाने वाली सड़कें — Roads as National Highways during IV Plan .. 112

3847. साहित्य अकादमी द्वारा देवनागरी लिपि में प्रकाशित पुस्तकें — Books published in Devanagari Script by Sahitya Akademi .. 112—113

3848. हरिजन विधवाओं और अपंगों को अनुदान — Grant to Harijan widows and Handicapped .. 113

3849. पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना — Punjab University as Central University .. 113

3850. देश में अतिथि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन — Violation of Guest Control Order in the country .. 114

3851. विकास कार्यक्रम के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा दी गई सहायता — Aid from Food and Agriculture Organisation for Development Programme 114—115

3852. राजस्थान में फसन अनुसंधान संस्थान की स्थापना — Setting up an Institute for research in crop in Rajasthan .. 115

3853. पंजाब से मक्का के निर्यात पर रोक और उसका खाद्यान्नों के मूल्यों पर प्रभाव — Ban on Export of Maize from Punjab and its effect on price of foodgrains .. 116

3854. आवास और नगरीय विकास परिषद् द्वारा गृहों के निर्माण हेतु राज्यों को ऋण — Loan to States for constructing Houses by Housing and Urban Development Council .. 116—117

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3855.	कांडला पत्तन	Kandla Port	117
3856.	मरमागोग्रा पत्तन के लिये विकास कार्यक्रम	Development Programme of Mormugao Port ..	117—118
3858.	सूरजमूखी और सोयाबीन की काश्त	Cultivation of Sunflower and Soyabean ..	119
3859.	एक ही जाति में विवाह पर रोक	Prohibition of marriages within same caste ..	120
3860.	उर्दू समिति का प्रतिवेदन	Report of Urdu Committee	120
3861.	दिल्ली में हरिजन बस्तियों के सुधार के लिये धनराशि का उपयोग	Utilisation of money for improvement of Harijan Basties in Delhi ..	120—121
3862.	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ को अन्तर्राष्ट्रीय जहाजमालिक संघ से सम्बध्द करना	Affiliation of Indian National Ship-owners Association to International Shipowners Association ..	121
3863.	दिल्ली तथा अन्य नगरीय क्षेत्रों में मकानों की निर्माण लागत में वृद्धि	Rise in construction cost of Houses in Delhi and other Urban Areas ..	121—122
3864.	फसल की उपज से आय	Income from crop production ..	122—123
3865.	नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में अन्य पुस्तकालयों से पुस्तकें	Books from other Libraries in Nehru Memorial Museum and Library ..	123—124
3866.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दूसरी पारी चलाना	Second shift in Maulana Azad Medical College, New Delhi. ..	124—125
3867.	राष्ट्रीय फिटनैस कोर के निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का मनमाने ढ़ग से बन्द किया जाना	Arbitrary closure of Directorate and Regional Offices of N.F. Corps ..	125—126
3868.	राष्ट्रीय फिटनैस कोर के कर्मचारियों को स्थायिवत् घोषित करना	Declaration of quasi-Permanency to employees of National Fitness Corps ..	126

अता० प्रा० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3869.	दिल्ली के नजफगढ़ कस्बे के लिये अस्पताल	Hospital for Najafgarh town, Delhi	126—127
3870.	केन्द्रीय विद्यालयों में हरिजन विद्यार्थी	Harijan students in Central Schools	127
3871.	ला डिग्री के लिये प्राइवेट पत्राचार पाठ्य–क्रम	Private/Correspondence Courses for Law Degree	127
3872.	दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण	Construction of Hospital in Trans-Yamuna Area of Delhi	127—128
3873.	संसदीय सौध, नई दिल्ली का निर्माण कार्य	Construction work of Sansadiya Soudha, New Delhi.	128
3874.	बंगलादेश शरणार्थियों को सप्लाई की गई औषधियों की लागत	Cost of medicines supplied to Bangladesh refugees	128
3875.	सेवानिवृत्त रेलवे पेशंनभोगियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधा देने की अनुमति	Permission to retired Railway Pensioners to avail of C.G.H.S. facility	129
3876.	मैसूर को उर्वरक की सप्लाई	Supply of fertilizers to Mysore	129—130
3877.	जनजाति विकास खण्डों में खरीफ की फसल पर यूरिया उर्वरक का छिड़काव	Spray of Urea fertilizer on Kharif crop in Tribal development Blocks	130
3878.	छोटे नगरों तथा कस्बों में मकानों के निर्माण हेतु सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता	Financial aid to Government employees for the construction of houses in small cities and towns	130—131
3879.	दालों के उत्पादन में कमी	Decline in production of pulses	131
3880.	कपास की प्रति एकड़ उपज में कमी	Decline in per acre Yield of cotton	131—132

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3881.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाले भोजन व्यवस्था सम्बन्धी अनुदानों में वृध्दि	Enhancement of boarding grants to scheduled castes and Scheduled Tribes ..	132
3882.	विभिन्न जातियों में साक्षरता	Literacy among various castes	132—133
3883.	आर्थिक विकास का कार्य करने वाली पंचायतें	Panchayats entrusted with work of economic development ..	133
3884.	अनुसूचित जातियों के लिये भूमि की निम्नतम सीमा	Minimum land holding for Scheduled Castes ..	133—134
3885.	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जनजाति कल्याण के लिये धनराशि	Funds for Tribal welfare to Madhya Pradesh and Maharashtra ..	134—135
3886.	माडर्न स्कूलों के लिये ग्रामीण छात्रवृत्तियां देने हेतु विद्यार्थियों का चयन	Selection of students for rural Scholarships for Modern Schools ..	135
3887.	कृषि मंत्रालय में हिन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की हुई बैठक	Meetings of Hindi Programme implementation Committee held in Ministry of Agriculture ..	135—136
3888.	कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिये जापान में प्रशिक्षण के लिये भेजे गये कर्मचारी तथा उनका उचित उपयोग	Persons sent to Japan for Training for Cochin Shipyard Project and their proper utilisation ..	136—137
3889.	देश की कृषि परियोजनाओं में कार्य कर रहे खाद्य और कृषि संगठन विशेषज्ञ	F.A.O. Experts working on Agricultural Projects of the Country	137
3890.	ग्राम सेवकों की काम की शर्तें	Working conditions of village level Workers ..	137—138
3891.	रबी उत्पादन के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा	Break-up of Central Assistance to States for Rabi production ..	138

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3892.	बसों को हुई क्षति के परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मुआवजे की वसूली	Realisation of compensation by D.T.C. due to damage to Buses ..	138—139
3893.	फसल बीमा के बारे में विधेयक तथा उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Bill on crop insurance and Central Assistance therefor ..	139
3894.	लेखकों के गिल्ड की स्थापना	Setting up of guild of Authors	139—140
3895.	बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये योजना	Scheme to encourage Science talent among children ..	140—141
3896.	वनों के लिये राष्ट्रीय योजना	National plan for forestry ..	141
3897.	अनाज व्यापार को अधिकार में लेने में कठिनाई	Difficulty in Grain Trade take over ..	141—142
3898.	विभिन्न क्षेत्रों में मोटे अनाज के मूल्य	Price of coarse grains in different Regions ..	142
3899.	सूखे के कारण 1973-74 में अनाज तथा दालों के उत्पादन में कमी तथा उसको पूरा करने सम्बन्धी योजना	Shortfall in production of Cereals and Pulses in 1973-74 due to Drought and Plans to meet shortage ..	142—143
3900.	मूंगफली और सोयाबीन के उत्पादन की संभावनायें तथा वनस्पति व्यापार का अधिग्रहण	Prospects of production of groundnut and Soyabean and taking over of Vanaspati Trade ..	143—144
3901.	टूटीकोरिन बंदरगाह पर एक सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal to construct a road at Tuticorin Port ..	144—145
3902.	दिल्ली में प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच बेरोजगारी कम करने के लिये शिक्षकों के पदों का नियतन	Allocation of posts of Teachers to minimise unemployment among trained teachers in Delhi ..	145

अतां० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3903.	मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना	Project for development of tribal Areas in M.P.	.. 145—146
3904.	चेचक के उन्मलन के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की गोष्ठी	W.H.O. Seminar to tackle small pox	.. 146
3905.	रबी उत्पादन के लिये द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति की समीक्षा	Review of implementation of crash programme for Rabi production	.. 146—147
3906.	दिल्ली के मैडिकल कालिज में छात्रों के दाखिले	Admission of students to the Medical Colleges of Delhi	.. 147—148
3907.	बिहार में पेयजल के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for drinking water in Bihar	.. 148—149
3908.	बिहार के लिये उर्वरकों की आवश्यकता	Fertilizer requirement for Bihar	.. 149
3909.	जम्मू और काश्मीर को भारतीय खाद्य निगम के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत लाना	Extension of operation of F.C.I. to J. & K.	.. 149
3910.	कोचीन पत्तन पर स्थान प्रदान न करने के लिये 'कान्फ्रेंस लाइन्स' के बारे में कथित शिकायतें	Reported complaints about conference Lines' for not providing space on Cochin Port	.. 150
3913.	चीनी के व्यापार सम्बन्धी दोहरी नीति	Dual market in Sugar trade	.. 150
3914.	उर्वरक के संतुलित उपयोग के बारे में लखनऊ में हुई गोष्टी	Seminar at Lucknow regarding balanced use of fertilizers	.. 150—151
3915.	आने वाली पिराई की फसल के दोरान चीनी का अनुमानित उत्पादन	Expected Sugar production during next crushing season	.. 151—152

अता० प्र० संख्या/U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3916.	अपंजीकृत चिकित्सकों की ओर से अभ्यावेदन	Representation from unregistered Medical Professioners ..	152
3917.	देश में अधिक मैडिकल स्कूलों और कालेजों की स्थापना	Opening of more Medical Schools and Colleges in the country ..	152—154
3918.	मोटर गाड़ियों की नम्बर पलेटें हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी में भी लिखा जाना	Use of English Numerals on Vehicles along with Hindi or Regional Numerals	154—155
3919.	राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम पटों का अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना	Writing of Name Plates of National Highways in English along with Hindi or regional languages ..	155
3920.	ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की आलोचना	Criticism of rural Health Scheme	155—156
3921.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के बारे में ब्रिटिश सलाहकारों की रिपोर्ट	Report of British consultants on the expansion of Hindustan Shipyard ..	156
3922.	वन विकास के लिये द्रुत कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय कृषि आयोग का दृष्टिकोण	View of National Commission on Agriculture regarding crash plan to develop Forests ..	156—157
3923.	तुंगभद्रा परियोजना के लिये 'क्षेत्र विकास कार्यक्रम'	Area Development Programme for Tungabhadra Project ..	157
3924.	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम का अनुमान	Assessment of crash Programme for Rural Employment ..	157—158
	दिल्ली में डी० डी० टी० फैक्ट्री के अवशिष्ट द्रवों द्वारा मछलियों की मृत्यु के बारे 15 में नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to USQ No. 40 dated 15-11-71 re: Mortality of Fish by D.D.T. Factory in Delhi ..	158—159

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भारतीय खाद्य निगम से दालें खरीदने की अनुमति हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकार से की गई कथित प्रार्थना	Reported requests by West Bengal Government to the Central Government for permission to purchase Dals from Food Corporation of India..	159—165
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	.. 159,160–161 164
श्री फखरुदीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	.. 159—160. 162,163,164,165
विविध विषय	Miscellaneous Matters	.. 165—166
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	166—169
राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	169
समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) विधेयक–सभा पटल पर रखा गया	Seaward Artillery Practice (Amendment) Bill—Laid on the Table ..	169
संसद् भवन में जलपान गृहों को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की पूरी मात्रा में सप्लाई के बारे में दिनांक 29 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 1030 के उत्तर में शुद्धि करना	Correction of Answer to S.Q. No. 1030 dated 29th May, 1972 Re. Supply of Full quantity of Milk by DMS to catering Establishments in Parliament House ..	169
राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक–पुनः स्थापित	State Financial Corporations (Amendment) Bill—*Introduced* ..	170
सभा के कार्य के बारे में	*Re.* Business of the House	171
भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक	Indian Railways (Amendment) Bill ..	171—176
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	171—175
श्री अम्बेश	Shri Ambesh	171—172
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar ..	172
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	.. 173-174,175
खंड 2 और खंड 1	Clauses 2 and 1 ..	175—176
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	176
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai ..	176

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक—	Industrial Development Bank of India (Amendment) Bill—		176—181
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	176—181
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	..	176—178
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	..	178
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	..	178—180
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	..	180
श्री के० बालदण्डायुतम	Shri K. Baladhandautham	..	180—181
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	..	181
भारतीय राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Working of the State Trading Corporation of India	..	182—198
श्री पी० एम० मेहता	Shri P .M. Mehta	..	182—183, 188—189
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapur	..	183—184
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	..	184—185
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	..	187—188
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	..	188
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia	..	188
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	..	190—191
श्री विद्याधर बाजपेयी	Shri Vidya Dhar Bajpai	..	191
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandey	..	191—192
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	..	192—193
श्री तुलमोहन राम	Shri Tulmohan Ram	..	193
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	..	193
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	..	193—194, 195,196 197,198

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 11 दिसम्बर, 1972/20 अग्रहायण 1894 (शक)
Monday, December 11, 1972/Agrahayana 20, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Doctor-population Ratio Rural Areas

*382. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

SHRI M. C. DAGA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) the present doctor-population ratio in rural areas in the country;

(b) the total number of villages where there is no doctor;

(c) whether about 20,000 doctors are unemployed in the country; and

(d) the reaction of Government thereto and the action taken in this regard?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKER DIKSHIT): (a) On the basis of a study conducted by the Institute of Applied Manpower Research it has been estimated that the doctor-population ratio in the rural areas, at present, works out to 1 : 11,000 approximately.

(b) Information regarding number of doctors practising the modern system of medicines in different villages is not available. However, there were 140 primary health centres without doctors as on 30-6-1972.

(c) There were 2,497 and 3,953 doctors in 1970 and 1971 respectively who were registered in the live registers of the Employment Exchange.

(d) Generally doctors are not inclined to accept employment in rural areas. However, both the Central and the State Governments are doing their best to offer incentives to attract doctors to work in the rural areas. A statement in this regard is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The Central Government gives 100 per cent assistance to the States to enable them to pay and allowance of Rs. 150 per month to the doctors who work in 400 specified areas considered to be distant, backward and difficult.

Following steps are being taken by States/Union Territory Governments to attract the doctors to rural areas:—

1. Formation of unified cadre of doctors working in rural as well as urban areas.
2. Provision of total package of incentives such as grant of rural allowance, transport facilities, free furnished quarters, protected water supply, electricity etc.
3. Improvement of physical facilities of Primary Health Centres particularly in respect of buildings, residential quarters, etc.
4. Re-employment of retired doctors willing to serve in rural areas.
5. Grant of advance increments.
6. Provision of large amounts of medicines and equipment in Primary Health Centres. Some States have also offered scholarships/stipends to medical students for binding them for service in rural areas for a certain number of years.
7. Efforts are being made to strengthen the medical and health care facilities in the rural areas by the utilisation of the available manpower under the various systems of medicines.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The Hon. Minister has just now said that generally the doctors are not inclined to accept employment in rural areas. It is clear from the statement laid on the Table of the House that both Central and State Governments are providing sufficient incentives to them but still they are not prepared to work in the villages. Is it because of the fact that education in medicine is so expensive and full of glamour that, after passing the examination, the student does not feel inclined to work in rural areas? If that is so do the Government propose to bring a radical change in the medical education system by restarting of L.M.P. course?

SHRI UMA SHANKER DIKSHIT : We do not propose to bring a radical change and it is not practicable also. If L.M.P. course is restarted even then the education policy will not change. I concede that the modern education system has altogether changed the mentality and standard of living of the trained doctors and they do not like to work in the rural areas and if we follow the old policy even then it will not make any differenee they will not be prepared to work permanently in the villages where the modern facilities of living are not available.

There are two ways to tackle the situation; one is we should prepare those doctors, who have been trained in indigenous system of medicine to accept employment in rural areas where there is shortage of doctors, the other which is under consideration is to prescribe a short duration course so that the doctors may be able to cover largest possible areas to improve the conditions.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Has the Government considered the proposal that service in the rural areas should be made compulsory for student doctors before they are conferred degrees.

SHRI SHANKER DIKSHIT: Almost all the State Governments have agreed to this proposal and I don't know if any one of the States has any objection to it. As some legal complications were involved the Government of India has made a rule that the students will have to execute a bond for two years after passing the M.B.B.S. examination whereby they will be bound to work in rural areas for two years. At present I am not having full details about each State and if the Hon. Member is interested I will communicate to him the details in writing.

SHRI M. C. DAGA: May I know the amount of allowances advanced to the doctors of each State.

SHRI UMA SHANKER DIKSHIT: I don't have the Statewise information about the allowances. The question of allowance is a matter of detail. If the Hon. Member asks in writing I will intimate to him the different allowances that are being given.

SHRI M. C. DAGA: Central Government is prepared to give allowances to those doctors who are ready to accept employment in rural areas. I want to know the amount that has already been paid to such doctors and the amount to be paid this year.

SHRI UMA SHANKER DIKSHIT: It has been decided to pay a special allowance of Rs. 50 per month for D stations. At present I am not in a position to state the names and number of the States. I will certainly inform the Member if he gives a notice.

DR. GOVIND DAS RICHARIA: Is the doctor population ratio in densely populated areas like U.P. and Bihar and in hilly areas like Bundelkhand and Himalaya region the same as it is in other States of the country.

The doctors are being paid less by the Central and State Governments and that is why they are not prepared to work in rural areas. Do Government propose to pay them adequate salary so that they can live comfortably in villages.

SHRI UMA SHANKER DIKSHI : The ratio is not the same in all parts of the country. It is more in the developed areas like Maharashtra, Gujerat and Tamilnadu in comparison to the hilly areas like Bundelkhand and Himalaya Region. So far as this pay scales are concerned they are not low and the officers belonging to Primary Health Centre Services get a cumulative starting salary of six to seven hundred rupees per month.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकार उन ग्रामों में जहां हस्पताल ग्रथवा डिसपैंसरी नहीं है प्रशिक्षित डाक्टरों वाली चले डिसपैंसरी चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ताकि ग्रामीण जनता को भी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह ग्रत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव है। मैंने स्वयं इस मामले की जांच कराई है ग्रभी यह वित्त मंत्रालय ग्रौर योजना ग्रायोग इत्यादि तक नहीं गया है ग्रापका सुझाव बहुत बढ़िया है पर साथ साथ हमें कई ग्रन्य पहलुग्रों जैसे मोटर गाड़ी के रख रखाव तथा उसकी मरम्मत इत्यादि को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

नये शिपयार्ड बनाने, जहाज निर्माण के लिए केन्द्रीय डिजाइन और अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने और विदेशी सहयोग के लिए प्रस्ताव

†383. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार जहाज बनाने हेतु दो नये शिपयार्ड बनायेगी और एक केन्द्रीय डिजाइन और अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो नये शिपयार्ड किस-किस स्थान पर बनाये जायेंगे ;

(ग) क्या ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी के जहाज-निर्माताओं ने, दो नये शिपयार्ड बनाने में सहयोग करने के लिये भारत के अवस्थाओं में रुचि दिखाई है ; और

(घ) यदि हां, तो यह दोनों देश कैसी तथा कितनी सहायता देंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) देश में और शिपयार्ड स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। एक केन्द्रीय समुद्री अभिकल्प और अनुसंधान संगठन बनाने का भी प्रस्ताव है।

(ख) नये शिपयार्ड के स्थान के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) और (घ). जी, हां। सहयोग की संभावनाओं की जांच की जा रही है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : [सौराष्ट्र के समुद्रतट के प्राकृतिक लाभों और अच्छी बन्दरगाहों को ध्यान में रखते हुए क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में एक शिपयार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि हां तो यह नया शिपयार्ड कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है और यादि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

श्री ओम मेहता : गुजरात सरकार ने नया शिपयार्ड पोरबन्दर में स्थापित करने की सिफारिश की है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि विभिन्न राज्य से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं। निर्णय पांचवी योजना के दौरान ही लिया जाएगा।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार ने भारत में वृध्द समुद्री जहाज बनाने के डिजाइनों तकनीकी और प्रबन्धकीय सामर्थ्य का कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्री ओम मेहता : अभी तक विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में डिजाइन केन्द्र खोला जायगा और पौलेंड इस उद्देश्य के लिए सहायता देने हेतु पहले ही तैयार हो गया है। बातचीत चल रही है। इसके बाद ही पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। इस समय विदेशों से तकनीकी सहायता प्राप्त की जा रही है।

श्री पी० आर० शिनोय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैसूर राज्य में शिपयार्ड स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

श्री ओम मेहता : जैसाकि मैंने पहले बताया प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है। इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार में मैसूर राज्य से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एक संसद सदस्य ने इस बारे में लिखा है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या प्रदीप पत्तन में शिपयार्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है?

श्री ओम मेहता : जी हां, अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के समान इस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : कोचीन शिपयार्ड में धीमी गति से चल रहे कार्य को देखते हुए समुद्री जहाज के तैयार होने की कब तक आशा है?

श्री ओम मेहता : कोचीन शिपयार्ड में निर्माण कार्य 1974 में शुरु हो जाएगा। आशा है कि 1976 तक जहाज तैयार हो जाएगा।

कानपुर में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए वित्तीय सहायता

*385. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के महापौर हाल ही में उनसे मिले थे और उन्होंने कानपुर में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या 1972 में कोई वित्तीय सहायता दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). जी, हां। कानपुर के महापौर कानपुर नगर निगम की गन्दी बस्तियों के पुनः बसाने की योजना के लिए वित्तीय सहायता लेना चाहते थे। क्योंकि गन्दी बस्तियों को पुनः बसाना योजना के राज्य क्षेत्र में है, महापौर को यह सलाह दी गई कि इस उद्देश्य के लिए वे उत्तर-प्रदेश सरकार से सम्पर्क करें।

तथापि, केन्द्रीय सरकार ने कानपुर की गन्दी बस्तियों के वातावरण संबंधी सुधार के लिए 146.9 लाख रुपए के अनुदान की स्वीकृति दे दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : पांच शहरों जिनमें कानपुर भी शामिल है, की गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु दीर्घावधि और अल्पावधि योजनाए बनाने के लिए एक सदस्पोय आयोग बनाया गया था और इसके अध्यक्ष माननीय सदस्य श्री अशोक सेन थे। कानपुर की गन्दी बस्तियों के लिए दीर्घावधि एव अल्पावधि योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है या चौथी योजना के दौरान दिए जाने की संभावना है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने पहले बताया, गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए 146 लाख रुपये दिए गये हैं। दूसरे मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षिजत करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय के माध्यम से ही 70 प्रतिशत खंड ऋण तथा खंड अनुदान ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकारों को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए दिया जाता है। और राज्य सरकारें महत्वपूर्ण प्राथमिकता और आवश्यकता अनुसार धनराशि का उपयोग करती हैं। अत: हो सकता है इस शीर्ष के अंतर्गत उन्हें ऋण दिया गया हो किन्तु मुझे सही आंकड़े ज्ञात नहीं है। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों को हटाने और सुधार के लिए भी कानपुर को अतिरिक्त धनराशि दी गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक आवासीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के ऋण से कई गृहों का निर्माण किया गया था और उनमें चार पांच हजार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रह रहा है। माननीय मंत्री ने वचन दिया था कि वह राज्य सरकार से मामले पर बातचीत करेंगे ताकि अभिगृहीत मकानों के कब्जे को नियमित किया जा सके और कर्मचारियों को वहां से न निकाला जाए। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या प्रगति हुई है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह एक अलग प्रश्न है और मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है अगर वह इस प्रश्न के लिए अलग से नोटिस देंगे तो उसका उत्तर दे दिया जाएगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न अतारांकित नहीं, तारांकित है। अत: इसका उत्तर अभी दिया जाना चाहिए।

Progress in Implementation of Ban on Huting of Wild Life in States

*386. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have issued direction to the States to impose total ban on the hunting of wild life; and if so, the names of the States which have complied with the direction;

(b) the progress achieved so far in this regard; and

(c) names of the States where ban on hunting of wild life has not been imposed so far;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं। तथापि राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें सलाह दी गई थी और प्रेरित किया गया था कि चीतों के शिकार पर कम से कम 5 वर्ष के लिए रोक लगा दी जाये। पंद्रह राज्य जिनमें चीते अधिक संख्या में पाये जाते हैं, इस पशु के शिकार पर रोक लगाने के लिए सहमत हो गये थे।

हाल ही में सितम्बर, 1972 में पास किये गये वन्य (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जिसका अनुसरण करने के लिए 11 राज्य सहमत हो गये हैं, के भाग 2 की अनुसूची 1 और 2 में अनेक स्तनधारी, जलस्थलीय, रेंगने वाले पशुओं और पक्षियों को सम्मिलित किया गया है जिनका शिकार करना वर्जित है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का अनुसरण करने के लिए अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया जा रहा है। जिससे वे इस किस्म के जानवरों को सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे जो संरक्षित माने जाते हैं अथवा देश में जिनकी बहुत कमी है।

SHRI DHAN SHAH PRADHAN: May I know the Statewise figures of the wild life and the names of the States where hunting of wild life is banned?

May I also know whether the Government are aware of the restriction imposed where prohibitary orders are in force and whether in view of the fact that wild life is vanishing there is any plan under consideration to protect the wild life in protected forests?

PROF. SHER SINGH: I have already said that we passed the Wild Life (Protection) Act in September 1972. It has been incorporated in its Schedule No. I and Schedule II that such and such birds, reptiles are banned from hunting.

It is difficult for me, at this time to tell the Statewise number of wild life, but it is evident that the number of wild animals will go up as a result of the ban on hunting and the measures to protect wild life. The wild life will have protection and the number of wild animals will go up with the adoption of Wild Life (Protection) Act by all the States.

SHRI DHANSHAH PRADHAN: Is the Hon. Minister aware of the fact that the animals are poisoned and killed in the forests?

PROF. SHER SINGH: I have got no such information with me.

श्री पी० के० देव : सुन्दर वन्यजन्तुओं की घटती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या काला हिरण अथवा गैंडा अथवा गीर के सिंह अथवा देश में दुर्लभता से पाये जाने वाले सारस जाति के पक्षियों का पारिस्थितिक अध्ययन किया गया है।

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने जिन जन्तुओं का संदर्भ दिया है उनके शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। काला हिरण, गैंडा तथा अन्य दूसरे जन्तु जो दुर्लभता से पाये जाते हैं उनके सामान्य रूप से शिकार करने पर प्रतिबन्ध है।

श्री पी० के० देव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा कि क्या हाल ही में कोई पारिस्थितिक अध्ययन किया गया है।

प्रो० शेर सिंह : जी हां। पारिस्थितिक अध्ययन के आधार पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है।

SHRI BIBHUTI MISHRA: May I know the names of the States in which lion, panther, bear and rhinoceros are found and whether it is also a fact that besides guns certain poisons are put in the forests which serves the purpose of guns because the animals die after eating them and the skins of the dead animals are exported to foreign countries *via* Nepal; and if so whether the strict measures are being taken to impose a ban?

PROF. SHER SINGH: The villagers sometime, put poisonous substances for the wild animals which kill their cattles and who die after eating these substances. In the 15 States referred to by the Hon. Member which are implementing these recommendations, hunting of the tigers and the rhinoceros is banned since July 1970.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गैंडे के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाय जाने के उपरान्त भी वर्ष 1971 के दौरान एक वर्ष में जलदा पाडा, पश्चिमबंगाल, कूचबिहार तथा अन्य आखेटवर्जित क्षेत्रों से चोर शिकारियों ने 29 गैंडों को मारा है और बात सार्वजनिक रूप से मान ली गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में वर्तमान मुख्य वन परिरक्षक की उपेक्षा की आलोचना की है और क्या मुख्य परिक्षक को वन महानिरीक्षक के पद के लिए चुना जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वन्य जन्तुओं के हित में इन प्रश्नों की अनुमति दे रहा हूं।

प्रो० शेर सिंह : राज्यों में पश्चिम बंगाल वन्य जीवन अधिनियम को सबसे अधिक दृढ़ता से कार्यान्वित कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या जलदापाड़ा में 29 गैंडे मारे गये थे। मंत्री महोदय को या तो यह बताना चाहिए कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है अथवा यह बताना चाहिए कि वह जानकारी एकत्र करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमें भी पता चला था कि एक गैंडा 10,000 रुपये में बेचा गया था। इस बात की सभी को जानकारी है। प्रत्येक समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ था।

प्रो० शेर सिंह : गैंडों को मारे जाने के बारे में कोई समाचार प्रकाशित हुआ था। पश्चिमबंगाल अधिनियम को कार्यरूप देने में पीछे नहीं है। आन्ध्रप्रदेश तथा पश्चिमबंगाल ने हमसे अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है जिससे कि वे इस अधिनियम को तुरन्त लागू कर सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि वह जानकारी एकत्र करेंगे। मैं सामान्य जानकारी नहीं चाहता। मैंने पूछा था कि क्या जलदापाड़ा आखेट वार्जेत में 29 गैंडे मारे गये। मंत्री महोदय को हां या ना में उत्तर देना चाहिए।

कृषि मंत्री (फखरुद्दीन अली अहमद) : जहाँ तक इन जानवरों का चोरी से शिकार करने की बात है, यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था परन्तु हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या ऐसा वास्तव में हुआ था, हमें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस मामल में कौन-कौन अधिकारी अन्तर्गस्त हैं। (**व्यवधान**) मैंने यह समाचार समाचार पत्रों में पढ़ा था परन्तु हमें यह जानकारी नहीं है इस त्रुटि के लिए कौन–कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं।

श्री रणबहादुर सिंह : यह बात सामान्य रूप से ज्ञात है कि दिल्ली में बाघ की खालें तथा सर के आकार सहित उनका गलीचे के तरह की खालें खुलेआम बिक रही है। ये विदेशियों के लिए विशेष आकर्षण की वस्तुयें हैं। यदि ऐसी चीज़ चलती रहेंगी तो मुझे भय है कि हमारा वन्य जीवन कम होता जायेगा। यह सब इसलिए होता है कि खालों तथा गलीचों से ऊंचे मूल्य प्राप्त होते हैं। क्या सरकार वन्य जीवन परिरक्षण की दृष्टि से ऐसी बिक्री को बन्द करने का विचार कर रही है?

प्रो० शेर सिंह : हमने बाघ की खालों तथा अन्य खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा बाघ के शिकार पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया हैं।

श्री रणबहादुर सिंह : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या बाघ की खालें खुले रुप से बेची जा रही हैं।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR: The number of wild animals is decreasing in Gir National Sanctuary and Kanha Kesali National Sanctuary. May I know whether it is due to the fact that the animals are killed through poisoning?

MR. SPEAKER : What is this question is about?

SHRI BHAGIRATH BHANWAR: I wanted to know as to why the number of wild animals is decreasing after the ban on hunting was enforced? May I know whether any provision has been made to check the violation of the Act? I would also like to know the efforts made by the Government to make good the loss?

PROF. SHER SINGH : I can only tell you about the ban. I cannot say anything about the situation prior to the ban. I can tell you the figures of census recently collected. I am unable to tell you the position six months before the census.

SHRI RAM KANWAR: Wild life is found in dense forests. Besides the ban on hunting of these species, may I know whether the cutting of forests has also been banned?

PROF. SHER SINGH: Tigers are found in forest so there is no question of deforestation.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि एक्सपो–1970 के दौरान सभी देशों द्वारा रीवां के खेत बाघों को सर्वाधिक प्रशंसा की गई थी, और क्या श्वेत बाघों की संख्या कम होती जा रही है, यदि हां, तो क्या इसके कारणों की जानकारी प्राप्त की गई है। पहले ये बाघ श्वेत हुआ करते थे परन्तु अब उनका श्वेत रंग समाप्त होता जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि उन बाघों का रंग लाल क्यों होता जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है।

प्रो० शेर सिंह : श्वेत बाघ श्वेत ही होता हैं। इसका रंग लाल नहीं हो रहा है।

SHRI S. M. BANERJEE: The number of white tigers is decreasing.

SHRI ISHWAR CHAUDHARY: The number of wild animals is getting reduced very fast. Present position of Gaya and Haribagh districts in this regard is very much depressing as compared to the position of fifteen years ago. It is because the forests are being cut at a faster speed. Poachers get their way in collaborations with foresters and Rangers. May I know the efforts Government want to make to stop hunting of wild animals in these forests?

PROF. SHER SINGH: I have already submitted that this House has recently passed an Act to regulate this practice and stop hunting of rare species so that their number is not reduced.

SHRI MOHAMMAD ISMAIL: Shri Indrajit Gupta had asked a question. Whether there was killing of 30 rhinos. May I know whether the Hon. Ministers would collect information in this regard and place it on the table?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ठीक है, यह क्या जा सकता है।

गुलबर्गा, बीदर, बीजपुर तथा बेल्लारी में सूखे की स्थिति

*388. **श्री जगन्नाथ मिश्र**:

श्री धर्मराव अफजलपूरकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर और बेल्लारी में सूखे की स्थिति बहुत गम्भीर होने के समाचार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो लोगों के संकट के समाधान के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) क्योंकि खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए अपर्याप्त वर्षा हुई है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बिजापुर, बीदार, और गुलबर्गा जिलों में और रायचूर और बेलगाम जिलों के कुछ भागों में अत्याधिक सूखा पड़ा है।

(ख) राज्य सरकार ने आवश्यक राहत उपाय किए हैं जिनमें राहत और विभागीय कार्यों के माध्यम से रोजगार के मौके देना, पेयजल और चारा सप्लाई करने की व्यवस्था करना और गरीब वर्ग के लोगों को भोजन देना शामिल हैं। केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 में राज्य का दौरा किया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता के

प्रयोजन हेतु 7.75 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई है जिसमें से 6.50 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं। राज्य में स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक अन्य दल भेजने का निर्णय किया गया है।

श्री जगनाथ मिश्र : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इन स्थानों पर स्थिति गम्भीर है। उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य सरकारों ने स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही की है। यह ठीक है। मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यावाद देता हूँ। परन्तु यह स्थिति का एकमुखी चित्र है। दूसरी ओर समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित होते हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ भूख से 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, पानी की वहां बहुत कमी है चारे की भी बहुत अधिक कमी है। इन सब बातों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के क्या विचार है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पानी की कमी के विषय में जैसा कि मैंने स्वयं अपने वक्तव्य में बताया है कि वहां पानी की अत्यधिक कमी है, मैंने गम्भीर शब्द प्रयोग नहीं किया है और इसीकारण पीने के पानी की भी कठिनाई है। मैंने बताया है कि राज्य-सरकार उन क्षेत्रों में तंकुर उनमें से भी जहां अत्यधिक कमी है पेयजल सप्लाई करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। जहां तक भूख के कारण हुई मृत्युओं का सम्बन्ध है, हमें राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। मैं इस बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहूँगा। जहां तक चारे की बात है सरकार मैसूर के दक्षिणी जिलों से बडी मात्रा में चारा मंगाकर उत्तर मैसूर में भेज रही है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा, बेल्लारी तथा रायचूर जिलों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की जोरदार मांग की जा रही है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर सुझाव आते रहते हैं, और राज्य सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी है। मैं सदन को आवगत कराना चाहता हूं कि मैसूर सरकार आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। यदि माननीय सदस्य कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो हम उनपर मैसूर सरकार से बात कर सकते हैं।

श्री के० मालन्ना : मैसूर के अन्य कई जिलों के साथ-साथ बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा तथा बेल्लारी में प्रत्येक वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्या इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के समाधान के लिए कोई स्थायी उपाय किये गये हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं। क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आयी है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि का उन क्षेत्रों में उचित उपयोग नहीं किया गया है, और यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस समस्या को हल करने के दो उपाय हैं। समस्या के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी है, जैसे कि लोगों को राहत देना। अतः उस उद्देश्य से राहत देने, रोजगार, अन्न तथा पेयजल उपलब्ध करने के लिए

द्रुत कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। जहां तक दीर्घकालिक पहलू का सम्बन्ध है, केन्द्रीय दल जो भी इन स्थानों को जाते हैं, राज्य सरकारों से यही आग्रह करते हैं कि रोजगार उपलब्ध करते समय उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के लिए उत्पादनोन्मूखी सम्पति बनायी जाये ताकि आनेवाले समय में लोगों को स्थायी राहत उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके देश के 54 जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चलाये गये कार्यक्रमों में सूखे से पीड़ित मैसूर के भी कुछ जिले शामिल किये गये हैं।

श्री के० मालन्ना : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी राशि का उचित उपयोग नहीं हो रहा है? इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : व्यक्तिगत मामलों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम यह समझते हैं कि मैसूर सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम ठीक तरह से चल रहे हैं। यदि कोई विशेष मामले हैं तो मैं उन्हें मैसूर सरकार के समक्ष उठाने के लिए तैयार हूं।

SHRI SHANKAR DEO: Is the Government aware that fifty per cent people of these districts have vacated their houses and gone to other cities because they could not pull on there and they have sold their tins, utensils etc? What have you done for such people?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं पहले कह चुका हूं कि ये देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। कृषि सामाजिक जीवन का आधार है और इस पर बड़े प्रभाव से सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी प्रभावित होते हैं। कुछ लोग घर छोड़ कर गये हों और कुछ अपने पशुओं के साथ गये हों। मेरी जानकारी यह है कि मैसूर सरकार प्रभावित क्षेत्रों को यथासम्भव सहायता प्रदान कर रही है।

श्री के० हनुमन्तैया : योजना आयोग के अध्ययन दल ने उस क्षेत्र का दौरा करने के बाद कितनी राशि की सिफारिश की थी और केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सूचना मैं उत्तर के मुख्य भाग में दे चुका हूँ। सिफारिश 7.775 करोड़ रुपये की थी। केन्द्रीय सरकार ने वह सिफारिश स्वीकार की थी।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Is it a fact that the efforts to remove the shortage of fodder are not succeeding because of the ban imposed by the different State Governments on the movement of fodder? Has the Hon. Minister had any talk regarding removal of unnecessary ban on the movement of fodder with the Committee of representatives of all draught affected States? As for instance, fodder cannot be transported to Maharashtra because of the ban imposed by the Gujarat Government.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारी जानकारी में केवल गुजरात का ही मामला आया है। हम इसके बारे में गुजरात सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हमने गुजरात और

महाराष्ट्र सरकारों से कोई उचित समझौता करने का अनुरोध किया है। हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

श्री एस० बी० पाटिल : क्या मैं जान सकता हूँ कि बीजापुर ज़िले के दुर्भिक्षा के बारे में मैसूर विधान सभा में बीजापुर ज़िले के पांच कांग्रेस विधायक इस कारण अनिश्चित भूख हड़ताल पर हैं कि सरकार बीजापुर ज़िले को राहत देने सम्बन्धी कार्यों में ढ़ील डाल रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन का भारतीय नौवहन निगम में विलय

*389. **श्री प्रबोध चन्द्र :** †

श्री एस० सी० बेसार :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने और उसका भारतीय नौवहन निगम में विलय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण है और अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ; और

(ग) इस कम्पनी की कुल आस्तियाँ तथा देनदारियाँ कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया और 10 जून, 1966 से शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को सौंप दिया। जयन्ती शिपिंग कम्पनी के शेयर अधिग्रहीन किये गये और 17 अक्तूबर, 1971 से यह कम्पनी शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया की सहायक बन गयी। सरकार ने अब निश्चय किया है कि कम्पनी को शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया में मिला दिया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जयन्ती शिपिंग कम्पनी के टनभार पै: 2.95 लाख के कुल जी० आ० टी० के 16 जहाज हैं। अप्रेल 1967 से कम्पनी के लेखों की लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार ने श्री धर्म तेजा द्वारा गबन की गयी राशि वसूल करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

श्री राज बहादुर : शेयरों का अधिग्रहण करते समय इसका पूरा ध्यान रखा गया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मेरा प्रश्न यह था कि श्री तेजा के शेयरों में से राशि वसूल हो सकी अथवा नहीं ?

श्री राज बहादुर : डा० धर्म तेजा के कुछ ऐसे शेयर थे जिनके आधार पर वे कम्पनी के मालिक थे और इसका प्रबन्ध भी करते थे। जब सरकार ने इन शेयरों का अधिग्रहण किया, तो इनका मूल्य उचित ढंग से लगाया गया।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि जब यह मामला चल रहा था, उस दौरान लाखों रुपये के मूल्य के असंख्या शेयर श्री धर्म तेजा और उनकी पत्नी ने कुछ अन्य लोगों के नाम पर कर दिये थे?

श्री राज बहादुर : इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है जहाँ तक कम्पनी के लेखों का सम्बन्ध है, उससे यह सिद्ध होता है कि इस पर उनके भागीदारों का स्वामित्व था।

श्री प्रबोध चन्द्र : जब सरकार ने राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही शुरू की तो, बीच में श्री धर्म तेजा और उनकी पत्नी को लाखों रुपये के मूल्य के शेयर अन्य लोगों के नाम पर करने की अनुमति दी गयी।

श्री राज बहादर : कम्पनी का अधिग्रहण 10 जून, 1966 को किया गया। उस दिन कम्पनी की लेखा पुस्तकों में विभिन्न भागीदारों का स्वामित्व था। उसके बाद शेयरों को किसी और व्यक्ति के नाम पर इस प्रकार नहीं किया जा सकता था।

श्री एस० आर० दामाणी : शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के पास जयंती शिपिंग कम्पनी के कितने प्रतिशत शेयर हैं और उनका प्रदत्त मूल्य कितना है?

श्री राज बहादूर : मैं उनका प्रदत्त मूल्य नहीं बता सकूंगा। 100 शेयर छोड़कर, शेष सभी शिपिंग कारपोरेशन के पास है। ये 100 शेयर भी सरकार की विभिन्न संस्थाओं के हैं।

मँगलौर अथवा कारवार में शिपयार्ड का निर्माण करने के लिए मैसूर सरकार का अनुरोध

*390. **श्री पम्पन गौडा :**

श्री सो० के० जाफर शरीफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मंगलौर अथवा कारवार में शिपयार्ड का निर्माण करने की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). मैसूर सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

परन्तु कारवार में शिपयार्ड स्थापना के लिये हमें संसद के एक सदस्य से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की अन्य स्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ पाँचवी योजना के प्रतिपादन के लिये जाँच की जायेगी।

श्री पम्पन गौडा: देश की वर्तमान जहाज़ निर्माण क्षमता क्या है? क्या इससे देश की आवश्यकतायें पूरी होती हैं?

श्री ओम मेहता: माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि इस क्षमता से देश की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं। चौथी योजना के अंत में जहाज़ निर्माण क्षमता में 3.15 लाख जी० आर० टी० की कमी है।

श्री पम्पन गौडा: मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रस्ताव एक संसद सदस्य से प्राप्त हुआ है, राज्य सरकार से नहीं। क्या इसे ऐसा ही समझा जायेगा जैसे कि यह राज्य सरकार से प्राप्त हुआ हो?

श्री ओम मेहता: हम इस प्रस्ताव पर अन्य प्रस्तावों सहित विचार करेंगे।

विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में समानता

*391. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के स्तरों में बड़ी विषमताएं विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन आयोगों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक देश में शिक्षा के स्तर में समानता लाने के मामले पर विचार किया है और इन आयोगों में से प्रत्येक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत जैसे विशाल देश में, शिक्षा के स्तरों में समानता का अर्थ स्तरों की "एक रुपता" से नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः इसको व्यापक "सादृश्य' के रूप में समझा जाना चाहिए।

अतः इस क्षेत्र में हमारे प्रयास दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिएं: (1) हमें न्यूनतम स्तर पर निर्धारित करने चाहिए और शैक्षिक संस्थाओं को इससे नीचे स्तर में पतन नहीं होने देना चाहिए (ये न्यूनतम स्तर विश्व में अब हो रहे ज्ञान के प्रस्फोटन के साथ-साथ स्वयं ही बढ़ते जाएंगे); और (2) सभी शैक्षिक संस्थाओं को निरन्तर अपने

स्तरों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। इस विषय पर शिक्षा आयोग ने कुछ प्रमुख सिफारिशों की और इस सम्बन्ध में 18/19 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 36वीं बैठक में कुछ प्रमुख प्रस्तावों की सिफारिश की गई थी।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है :—

(1) देश के सभी भागों के लिए स्कूल और कालेज कक्षाओं की समान पद्धति (10+2+3) अपनाने का विचार है।

(2) 1 से 12 स्कूल कक्षाओं के लिए आदर्श पाठ्यचर्या तैयार की जा रही है। ये राज्य सरकारों को अपने पाठ्यचर्या सुधारने के लिए उपलब्ध की जाएंगी।

उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जा रहा है कि जहां तक संभव हो सके, महत्वपूर्ण आधारभूत विषयों की पाठ्यचर्या कम से कम व्यापक रूप से तुलनीय हो तथा दसवीं कक्षा और बारहवीं कक्षा जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती स्थलों पर प्राप्त किए जाने वाले स्तर भी व्यापक रूप से तुलनीय हों।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विषयों में अनेक पुनरीक्षण समितियां नियुक्त की हैं। उन्होंने पाठ्यचर्या को ऊंचा उठाने तथा उसमें सुधार लाने के लिए सिफारिशें की हैं।

(4) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी गति-निर्धारक संस्थाओं के रूप में माडल स्कूलों की स्थापना करने, कम से कम 10 प्रतिशत शैक्षिक संस्थाओं को आदर्श संस्थाओं के स्तर तक ऊंचा उठाने तथा अन्य सभी संस्थाओं को किसी न्यूनतम स्तर तक ऊंचा उठाने के लिए एक कार्यक्रम की सिफारिश की है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा: पृष्ठ 2 पर, विवरण पत्र के खण्ड 4 में शैक्षणिक संस्थाओं में अधिकतम स्तर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करने और शेष अन्य सभी संस्थाओं में एक न्यूनतम स्तर की वृद्धि करने सम्बन्धी लक्ष्य की बात कही गई है। अधिकतम स्तर और न्यूनतम स्तर, जिसकी बात आपने कहीं, क्या उनके बारे में कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं? आज वास्तविक स्थिति क्या है? इस अधिकतम स्तर के लिए कितनी प्रतिशत संस्थायें योग्य सिद्ध हुई हैं और कितनी संस्थायें अभी भी न्यनतम स्तर से नीचे हैं?

प्रो० एस० नूरुल हसन: माननीय सदस्य ठीक ही कहते हैं कि "अधिकतम स्तर" और "न्यूनतम स्तर" सापेक्ष शब्द हैं। हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि काफी अधिक संस्थाओं को ऊंचा दर्जा दिये जाने की आवश्यकता है। परन्तु अधिकतम अथवा न्यूनतम स्तर तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अन्तिम रूप से जो आवंटन किये जायेंगे, उन पर आधारित होगा, जिससे कि न्यूनतम स्तर बनाये रखा जा सके। अधिकतम स्तर से हमारा तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त हो, मूलभूत उपकरण उपलब्ध हों, उन संस्थानों में माध्यमिक स्कूलों के खोलने की कुछ सम्भावना हो और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधायें उपलब्ध हों। इसके साथ-साथ, हम यह

भी महसूस करते हैं कि यथासम्भव यह सुनिश्चित होना चाहिए कि समाज के सबसे अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत स्थान उपलब्ध किये जायें और कुछ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध की जा सकती हो। परन्तु इसकी व्याख्या करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने इसका व्यापक तौर पर अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि कुछ वित्तीय अनुमान लगाये गये हैं और जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद अन्तिम रूप से कितनी धनराशि नियत करती है, अधिकतम स्तर और न्यूनतम स्तर की ठीक प्रकार से व्याख्या करना उचित नहीं होगा।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बारे में विवरण-पत्र में कहा गया है :

> "उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है कि यथासम्भव महत्त्व-पूर्ण मूल विषयों के पाठ्यक्रम कम से कम मोटे तौर पर तुलनात्मक हों....."

मुझे आश्चर्य है कि इस सिफारिश में भी सरकार स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह यह कहकर पानी फेर देती है कि वे यथासम्भव इसकी व्याख्या करेंगे और आगे वे यह कह कर और भी पानी फेर देते हैं कि वे मोटे तौर पर तुलनात्मक हैं। राज्य सभा में शिक्षा मन्त्री के इस आशय के वक्तव्य को देखते हुए कि विश्वविद्यालय स्वशासी निकाय हैं, ये शंकाएँ उठती हैं कि इन सिफारिशों के बावाजूद सरकार प्रत्यक्ष रूप से अधिक कुछ नहीं कर सकती। ये शंकायें भी उठती हैं कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का रुख कहाँ तक स्पष्ट है।

अगर सरकार वस्तुत: इस मामले में गम्भीर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह कम से कम उन संस्थाओं के लिए काल-बद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है, जिनका प्रबन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार संभाल रही है? कम से कम अपनी ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित संस्थाओं के मामले में इन सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाय।

प्रो० एस० नूरुल हसन : केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित संस्थाओं का जहाँ तक सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि पाँचवीं योजना के पहले वर्ष से ही उनके मामले में क्रियान्वयन शुरू हो जायगा। मगर जहाँ तक अन्य संस्थाओं का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि उनके बारे में राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त हैं। मैं राज्य सरकारों को राजी करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ और अब तक राज्य सरकारों से जो उत्तर प्राप्त हुआ है, वह उत्साहवर्धक है और वे इस बारे में आश्वस्त हो जायें कि कोई भी इन पर अपने विचार थोप नहीं रहा है और यह एक सामान्य निर्णय है, जिसे वे स्वेच्छा से ले रही हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत नीति को समान रूप से अपना लेंगी। परन्तु मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार का उन पर एक ऐसे विषय के लिए दबाव डालना सम्भव नहीं है, जो संविधान के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान विवरण-पत्र के तीसरे पैरे के दूसरे वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूँ :

"उन्होंने पाठ्यक्रमों में सुधार करने और उनका स्तर ऊंचा करने के बारे में सिफारिश की है।"

अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं अथवा उनके स्वीकार किये जाने की सम्भावना है और यदि हाँ, तो कब तक ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : कुछ विश्वविद्यालयों ने सुझाव स्वीकार कर लिये हैं, जबकि कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने इन सुझावों को स्वीकार करना वांछनीय नहीं समझा। कई मामलों में समीक्षा समितियों की सिफारिशें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि वे सात वर्ष पहले पेश की गई थी और इस बीच, शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा में परिवर्तन हो चुका है और जैसा कि सदन को पता है, ज्ञान के क्षेत्र में एक क्रान्ति हो चुकी है।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Mr. Speaker, Sir, whether any proposal has been sent to the Government by the All India College Teachers Federation and All India Secondary Teachers' Association for raising the standard of education? If so, what are the main contents thereof and what is the reaction of the Government thereto?

PROF. S. NURUL HASAN : Such proposals are received off and on, but they have not sent any concrete proposal to me so far. They have said in their memoranda a few things of principles such as nationalisation of education, revision of grades and reform in the system of education, but no concrete suggestion has been made therein.

SHRI SHASHI BHUSHAN: Is the nationalisation not a concrete suggestion?

PROF. S. NURUL HASAN : The House should know it very well that nationalisation cannot raise the standard. The nationalisation by itself can neither raise the standard, nor lower it down. At the level of organisational forum or at any other level, it could be thought whether it would be useful or not, but in so far as raising the standard of education is concerned, no special suggestion has been received by me so far and the delegations which have met me have not made any concrete suggestion to raise the standard of education. But I would like to say that as soon as I come to know about the decisions on the schemes of the education sector, I would have consultations with the students and teachers' organisations.

DR. LAXMINARAIN PANDEYA: You are having consultations with various States to bring about a uniform system of education throughout the country. You have also received memoranda from their advisory boards. I would like to know whether only the States have been urged to adopt a particular system of education or is it proposed to convene a joint meeting of States' Education Ministers and the representatives of teachers' associations? What steps have been taken in this regard?

PROF. S. NURUL HASAN: The Central Advisory Board of Education is compared of not only States' Education Ministers, but of famous academicians and the members of chief academic associations such as University Grants Commission, All India Technical Education Board, Inter-University Board etc. Therefore the unanimous recommendations of the Board also reflect the opinion of the academic community as well.

I would also like to add in this connection that the conclusions arrived at by the Central Advisory Board include the suggestions given by various education commissions and views expressed before the country in seminars by the expert bodies on various occasions. An effort has been made to collect all the material available and prepare a scheme after having discussed all the things. The Central Advisory Board has reached on final decisions after having consultations and making certain modifications.

आयोजना और आवास के लिए पूर्व-क्षेत्रीय संगठन की बैठक

*393. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सितम्बर, 1972 के दूसरे सप्ताह में सियूल (दक्षिण कोरिया) में हुई आयोजना और आवास संबंधी पूर्व-क्षेत्रीय संगठन की बैठक में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार किया गया और कार्यान्वयन के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही/कार्यक्रम आरंभ किया ; और

(ग) उन्होंने उक्त बैठक में क्या सुझाव दिए और उनके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) बैठक में निर्माण और आवास के **राज्य** मंत्री अर्थात **मैंने** भाग लिया था।

(ख) तथा (ग). **बैठक में चर्चित** विषयों तथा उन द्वारा अपने भाषण में प्रस्तुत किये गये विषयों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई ।

(i) 1969 से 1980 के बीच ग्राम-नगरीय एकीकरण, नगर विकास तथा आर्थिक विकास नीतियों के विशेष संदर्भ में आयोजना ।

(ii) आर्थिक विकास के लिए ग्राम-नगरीय एकीकरण।

(iii) नगरीय पुनर्विकास की आर्थिक तथा स्थानिक (स्पेटियल) जटिलताएं।

(iv) 1969-1980 के बीच नई आवास पद्धतियां।

(v) नई आवासीय आवश्यकताओं के भौतिक पहलू।

(vi) नई आवास नीतियों तथा आवास के लिए सार्वजनिक व निजी पूंजी।

(vii) 1969–80 के बीच योजना तथा आवास सम्बन्धी प्रयत्नों में स्थानीय सरकारों का भाग।

(ख) राज्य मंत्री ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि क्षेत्र के सभी देशों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं, अर्थात् जन संख्या में वृद्धि, नगरीकरण तथा बेरोजगारी की दर में वृद्धि, आवास की कमी, नगरों में वायु प्रदूषण आदि। मूल उद्योगों की स्थापना से, आवास की कमी को पूरा करने से तथा नगरीकरण की राष्ट्रीय नीतियां बना कर इन समस्याओं को हल करने के लिए भारत में किए गये प्रयत्नों का भी उन द्वारा उल्लेख किया गया। उन्होंने ऊंचे बहुमंजिले भवनों, महा नगरों तथा बड़े नगरों में वातावरण संबंधी सुधार कार्यक्रम, निजी वाहनों की वृद्धि पर विवेकपूर्ण रोक की संभावनाओं, सार्वजनिक परिवहन, बेहतर बसों तथा बड़े पैमाने पर ले जाने वाले परिवहन वाहनों आदि द्वारा नगरों में माल तथा लोगों के आवागमन के प्रश्न का भी उल्लेख किया।

श्री डी० डी० देसाई : मीटिंग के दौरान आवास अर्थात् कच्चे माल, श्रम और डिजाइन की लागत के प्रमुख तत्वों पर भी आपने कोई विचार किया था, और यदि हो, तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आवास की लागत में कितने प्रतिशत कमी की जा सकेगी?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई वे कुछ सामान्य प्रकार के थे और पूर्वीय क्षेत्र से सम्बन्धित थे। कुछ अन्य विषय ग्रामीण और नगरीय एकीकरण के विशेष सदर्भ-में आयोजन, योजना के वास्तविक और विशेष प्रभाव, आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण और नगरीय संचार और आठवं दशक में नई आवास पद्धतियां शामिल हैं। यही सामान्य प्रश्न है जिन पर चर्चा की गई थी और उन विशिष्ट प्रश्नों पर चर्चा नहीं हुई जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया था।

श्री डी० डी० देसाई : एक महत्वपूर्ण विषय, आवास के लिए हमारे पास बुनियादी ढांचा और वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या आपने सम्मेलन के दौरान वित्त व्यवस्था पर भी विचार किया था, जैसा कि कुछ देशों में होता है कि बैंक दर $7\frac{1}{2}\%$ होने पर भी धन $5\frac{1}{2}\%$ की ब्याज दर पर उपलब्ध किया जाता है और जिन लोगों के पास पूंजी विनियोजन के लिए भी धन होता है, वे भी बैंकों से आवास के लिए $5\frac{1}{2}\%$ ब्याज दर पर ऋण ले सकते है। क्या निष्कासनवादी आधुनिक रहन सहन व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए संचार और यातायात आदि के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने और आवास के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए इस पद्धति पर भी विचार किया गया था?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आवास परियोजनाओं के लिए धन का प्रबन्ध करने सम्बन्धी प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसलिए, एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था से सम्बधित प्रश्नों की नहीं उठाया जाता और इसलिए इसे भी नहीं उठाया गया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"आफीशियल्स मेक हे इन ड्राउट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

*381. **श्री एस० ए० मरूगनन्तम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1972 के टाइम्स आफ इंडिया में "आफीशियल्स मेक हे इन ड्राउट (अधिकारियों द्वारा सूखे की स्थिति से लाभ उठाना)" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाई गई थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आवश्यक राहत उपाय किए गए हैं; पानी सप्लाई करने, उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न सप्लाई करने और चारा सुलभ करने, तथा प्रभावित क्षेत्रों में नल कूप खोदने की व्यवस्था की गई है और राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को पेयजल सप्लाई न किए जाने और मजदूरों को निर्धारित दरों से कम मजदूरी दिए जाने से सम्बन्धित कोई विशेष मामला राज्य सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड देने के बारे में नियम

*384. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड देने के बारे में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये नियमों के कारण उन प्राध्यापकों में बडा रोष पैदा हो गया है जो अन्यत्र सेवा करने के पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय में आये हैं ; और

(ख) क्या इन नियमों के अनुसार अस्थायी सेवा, अंशकालिक सेवा तथा सहायक प्राध्यापक आदि के रूप में सेवा को भी वरिष्ठता के लिए गिना जाता है जिससे नियमित आधार पर नियुक्ति पाने वाले अन्य स्थानों से आये प्राध्यापक इन सलैक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, यह कहना ठीक नहीं है कि कालेजों के अध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड में रखने संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों की वजह से बहुत ज्यादा असन्तोष पैदा हुआ है। विश्वविद्यालय को इस संबंध में अब तक केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) इन नियमों के अनुसार, सलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के लिए कालेजों के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्गों पर विचार किया जाता है :—

ऐसे अध्यापक, जिनके पास डाक्टोरेट की डिग्री हो अथवा कम से कम 5 वर्ष तक डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने के अनुभव के साथ साथ उसके समकक्ष प्रकाशित कार्य हों, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव दिल्ली विश्वविद्यालय का होना चाहिए।

अथवा

डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव दिल्ली विश्वविद्यालय का होना चाहिए।

अथवा

ऐसे सभी अध्यापक जो प्राध्यापक ग्रेड का अधिकतम ले रहे हैं अर्थात 950 रु० किसी कालेज के सलैक्शन ग्रेड के लिए सभी विभागों में सिफारिशें करने के बाद, उक्त कालेज में उपलब्ध सलैक्शन ग्रेड पदों पर नियुक्तियां संबंधित कालेज का शासी निकाय द्वारा निम्नलिखित तरीके से की जाती हैं :—

(i) ऐसे अध्यापकों को जिनको प्राध्यापक ग्रेड का अधिकतम अर्थात् 950 रु० मिल रहा हो, अन्य उम्मीदवारों से प्राथमिकता दी जाएगी और विश्वविद्यालय में उनकी कुल सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित उनकी वरीयता के अनुसार, उन्हें सलैक्शन ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा।

(ii) उपलब्ध बकाया पदों पर नियुक्तियां पूर्णतया पदों के आधार पर की जाएगी, जो संबंधित अध्यापकों की विश्वविद्यालय में कुल सेवा अवधि को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी ।

(iii) संबंधित सलैक्शन समितियों द्वारा जब दो या दो से अधिक ऐसे अध्यापकों को पात्र घोषित किया जाता है, जिनकी विश्वविद्यालय में बराबर-बराबर सेवा हो और उपलब्ध पदों की संख्या के अनुसार उनमें से केवल एक को ही सलैक्शन ग्रेड में नियुक्त किया जा सकता हो, तो सलैक्शन ग्रेड में नियुक्ति के लिए निर्णय संबंधित उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् अधिक आयु वाला व्यक्ति सलैक्शन ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा।

(iv) दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी अध्यापक की वरीयता की गणना करने में, उसके द्वारा सहायक प्राध्यापक अथवा अंशकालिक अध्यापक के रूप में की गई सेवा को ध्यान में रखा जाएगा, बशर्ते उसकी सेवा में अन्तराल न हो।

गृह निर्माण योजना के लिए राज्यों में बनाए गए खण्डों को केन्द्रीय सहायता

*387. **श्री सी० एम० सिन्हा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ ऐसे खण्ड बनाये हैं जिन्हें गृह निर्माण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका, राज्यवार, ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को इस वर्ष कितनी धनराशि दी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). खण्ड केन्द्रीय सहायता, जो चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए (जिस में आवास भी शामिल है) राज्य सरकारों को दी जा रही है, राज्यों में किसी ज़ोन विशेष से संबद्ध नहीं है।

राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने के लिए तथा बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के लिए वित्तीय सहायता केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अधीन विशेष रूप से दी जाती है। इन योजनाओं में भी वित्तीय सहायता देने के लिए राज्यों में कोई जोन विशेष निर्धारित नहीं किये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, पहली स्कीम के अन्तर्गत, उड़ीसा सरकार को अब तक 8.40 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उड़ीसा में कोई बागान नहीं हैं।

Spread of Epidemics in Delhi as a result of strike by sweepers

*392. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether epidemics have started spreading as a result of strike by the sweepers in Delhi; and

(b) the steps being taken by Government to end the strike and to prevent disease?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT): (a) No, Sir.

(b) The unsettled demands by the sweepers have been referred to the Industrial Tribunal for adjudication. The Municipal Corporation is taking steps to maintain minimum standards of cleanliness in the city. The Corporation has also appealed to the Safai Karmacharis to resume duty.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना हेतु कर्मचारियों का चयन

*394. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हाल ही में बनाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किन श्रेणियों के कर्मचारियों का चयन किया गया है ; और

(ग) ऐसा करने का क्या औचित्य है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग). स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य योजना का जो मसौदा तैयार किया गया था तथा उस पर कुछ राज्य सरकारों के जो विचार प्राप्त हुए थे, उन पर 2 नवम्बर, 1972 को हुई राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श किया गया। यह तय हुआ था कि राज्य सरकारों की विभिन्न आवश्यकताओं और वहां पर-उपलब्ध परिस्थितियों के अनुकूल तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों के अधार पर इस योजना को पुनः तैयार किया जाये। संशोधित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुकूल और भिन्न भिन्न श्रेणियों के उपलब्ध कर्मचारियों के आधार पर एम० बी० बी० एस० डाक्टरों/देशी चिकित्सा पद्धति/मिश्रित चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों/परा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने के विषय में निर्णय करने की छूट होगी।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में निर्यात गृह स्थापित किया जाना

*395. **श्री राम प्रकाश** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम का सरकारी क्षेत्र में 'निर्यात गृह' स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या आवश्यकता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम मुख्यतः निर्यात करने योग्य जिन्सों के भण्डारण के लिए बम्बई में एक भाण्डागार खोलने का विचार रखता है।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अनुसार, बन्दरगाह के रास्ते निर्यात अथवा आयात करने वाली जिन्सों के भण्डारण के लिए बम्बई में भण्डारण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दोनों सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा अन्य एजेन्सियों से बराबर मांग प्राप्त हो रही है।

दिल्ली के पालिटैक्निस, टैक्निकल स्कूलों और दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

*396. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री बरके जार्ज :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पालिटेक्निक्स, टेक्निकल स्कूलों और दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने संबंधी क्या मुख्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या डिमोन्सट्रेटरों/ड्राइंग इंस्ट्रक्टरों और सर्वे इंस्ट्रक्टरों के वेतनमान का पुनरीक्षण कर उसे दिल्ली के स्कूलों के स्नातकोत्तर अध्यापकों के वेतन का स्तर के समान किया जा रहा है जबकि पहले उनका वेतनमान प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के बराबर था ; और

(ग) उनका पुनरीक्षित वेतनमान क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) (क) से (ग). दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों को 27-5-1970 से परिशोधित करने के परिणामस्वरूप तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा पोलिटेक्नीकों के कुछ वर्गों के अध्यापकों के वेतनमान भी उसी तारीख (अनुबन्ध-1) से परिशोधित किये गये थे। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3973/72] इसी प्रकार दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों को परिशोधित करने के कारण, तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा पोलिटेक्नीकों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों को भी उसी तारीख से परिशोधित किया गया था।

2. 26-11-1971 को दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान और आगे परिशोधित किये गये थे। अतः दिल्ली प्रशासन ने सितम्बर, 1972 में पोलिटेक्नीक तथा तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विभिन्न वर्गों के पदों के और आगे परिशोधित वेतनमानों का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिन्हें पहले भी परिशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रशासन से स्टाफ के निम्नलिखित वर्गों के वेतनमानों को परिशोधित करने का सुझाव दिया :—

(i) पोलिटेक्नीकों के प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्षों तथा लेक्चरार।

(ii) (पोलिटेक्नीकों तथा तकनीकी स्कूलों की) कर्मशाला तथा प्रयोगशाला के परिचर।

(iii) अनुदेशकों (इंजीनियरी)/वरिष्ठ ड्राइंग अध्यापक (पोलिटेक्नीकों)

(iv) तकनीकी सहायक/भंडारपालों के।

(v) सहायक पुस्तकाध्यक्ष।

(vi) वरिष्ठ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के।

3. पोलिटेक्नीकों में गैर-इन्जीनियर विषयों के लेक्चरारों को छोड़कर अनुबन्ध में सूची बद्ध स्टाफ के सभी वर्गों के वेतनमानों को और आगे परिशोधित करने से संबंधित प्रश्न विचाराधीन है।

4. जहां तक प्रथानाचार्यों किभागाध्यक्षों और लैक्चरारों के वेतनमानों को परिशोधित करने का प्रश्न है, तथा जो राजपत्रित वर्ग में आते हैं, उनके राजपत्रित संघ ने पहले से ही तृतीय वेतन आयोग को ज्ञापन प्रस्तुत किया हुआ है।

5. पैरा 2 में उल्लिखित अन्य वर्गों के वेतनमानों के परिशोधन का प्रश्न भी विचाराधीन है।

दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग

दिल्ली प्रशासन ने कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गों के वेतनमानों के परिशोधन का एक प्रस्ताव मार्च, 1970 में भेजा था :—

(1) प्रिंसिपल।

(2) प्रोफेसर।

(3) सहायक प्रोफेसर/कर्मशाला अधीक्षक।

(4) लैक्चरर/सहायक कर्मशाला अधीक्षक।

(5) शारीरिक प्रशिक्षण के निदेशक।

केन्द्रीय सरकार ने 1972 में यह स्वीकार किया था कि सहायक प्रोफेसर तथा लैक्चररों के वेतनमान वही होने चाहिए, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के संघटक कालेजों के लिए स्वीकृत किया था। केन्द्रीय सरकार ने यह भी मान लिया था कि सह-प्रोफेसरों के सभी पदों का दर्जा बढ़ा कर लैक्चरर के समान कर दिया जाए। कर्मशाला अधीक्षकों, सहायक कर्मशाला अधीक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा के निदेशक के वेतनमानों का प्रश्न विचाराधीन है। जहां तक प्रिंसिपल तथा प्रोफेसरों के वेतनमानों के परिशोधन का संबंध है, राजपत्रित कर्मचारी संघ ने तृतीय वेतन आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

2. अक्टूबर, 1971 में दिल्ली प्रशासन ने कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों में पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव भेजे थे :—

(1) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक।

(2) फोरमैन।

(3) नक्शानवीस।

(4) मेकैनिक 'ए', 'बी' और 'सी'।

ये प्रस्ताव विचाराधीन है।

महिला पोलिटेक्नीक

महिला पोलीटेक्नीक के अध्यपकों ने मई/जून, 1972 में यह अभ्यावेदन दिया था कि उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जाए और लड़कों के पोलिटेक्निक के समकक्ष पदों के वेतनमानों के बराबरी पर लाया जाए। अभ्यावेदन विचाराधीन है। खण्ड (ख) और (ग). जी, नहीं। पोलिटेक्निकों में प्रदर्शकों/ड्राइंग अनुदेशकों/सर्वेक्षण अनुदेशकों के पूर्ववर्ती वेतनमान 210—10—290—15—320 द० रो०—15—380 रुपये थे। प्रथम पुनरीक्षण से पहले माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के वेतनमान 175—8—215 द० रो०—10—275 द० रो०—15—380 रुपये थे। स्नातकोत्तर अध्यापकों का वर्तमान पुनरीक्षत वेतनमान 350—25—400—30—700 रुपये हैं। प्रदर्शकों ड्राइंग अनुदेशकों/सर्वेक्षण अनुदेशकों के वेतनमानों में आगे संशोधन के बारे में अब तक कोई निर्यय नहीं लिया गया है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवम् पुस्तकालय (नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लायब्रेरी) के कर्मचारियों की सेवा के नियम

*397. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए कोई सेवा के नियम बनाए गये ह : और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (डी० पी० यादव) : (क) और (ख): स्वायत्त संस्था की सरंचना के अन्दर पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहे नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों पर इस समय वही नियम लागू होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं।

केरल में चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं

*398. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में जिलावार इस समय कितनी चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उनके राज्य के लिये और अधिक चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्वीकृत की जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस राज्य में दो चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं। एक प्रयोगशाला कृषि मंत्रालय से और दूसरी एफ० ए० सी० टी० से प्राप्त हुई थी। सामान्यरूप से ये वाहन किसी एक जिले के लिये ही निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में भेजा जाता है।

(ख) और (ग). और अधिक चलते-फिरते वाहनों के लिये कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु केरल सरकार को एक और वाहन सप्लाई करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

Rs. 7 Crores for Housing for the Landless and Agricultural Labourers in Villages

*399. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of WORKS and HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government have earmarked Rs. 7 crores for housing for the landless and agricultural labourers in the villages;

(b) if so, whether the Bihar Government have not been allocated any grants for the purpose; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT): (a) A sum of Rs. 7 crores has been provided for the Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas during 1972-73.

(b) and (c): Grants are allocated on the basis of approved projects. Projects of the Government of Bihar for providing 1726 house-sites have been approved involving Central assistance of Rs. 4.39 lakhs. Other projects are under scrutiny.

'निरोध' की बिक्री में वृद्धि

*400. **श्री लालजी भाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जून, 1972 को समाप्त होने वाले गत छह महीनों में 'निरोध' की बिक्री में काफी वृद्धि होने के समाचार मिले हैं?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): निरोध की बिक्री प्रति वर्ष बढ़ती रही है जो कि 1968–69 में जब कि निरोध व्यवसायिक वितरण योजना आरम्भ की गई थी, 157.4 लाख निरोध से बढ़ कर 1971–72 में 665.5 लाख हो गई। तथापि जनवरी––जून, 1972 की छः महीने की अवधि में निरोध की बिक्री 1971 की इस अवधि की तुलना में 305.3 लाख से घट कर 298.5 लाख रह गई।

राज्य फार्म विकास निगम के अधीन केरल में बनाये जा रहे फार्म

3725. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य फार्म विकास निगम के अधीन केरल में कुल कितने राज्य फार्म बनाये जा रहे हैं ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में और पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्य म कितने अतिरिक्त फार्म स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल के कन्नानूर ज़िले में आरालम में केवल एक ही ऐसा फार्म है।

(ख) निकट भविष्य में ऐसा कोई फार्म स्थापित करने का विचार नहीं है।

राज्यों में भूमिहीन व्यक्तियों को प्लाटों का वितरण

3726. **श्री एस० एम० सिद्धटया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अक्तूबर, 1972 तक प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को कितने प्लाट (साइट) वितरित किये गये ;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी भूमि में कितने प्लाट बनाये गये और प्लाट बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई ;

(ग) क्या विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लिए मिश्रित कालोनियों अथवा अलग-अलग जातियों एवं समुदायों के लिए अलग-अलग कालोनियां बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) 15 अक्तूबर, 1972 तक प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में भूमि अर्जित करने तथा नक्शे तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत 2,17,611 आवास स्थलों की व्यवस्था के लिये अब तक बिहार (1726), गुजरात (40,110), केरल (96,000), महाराष्ट्र (46,641), मैसूर (22,465), उड़ीसा (3,349), तमिल नाडु (33,692) तथा उत्तर-प्रदेश (15,628) राज्यों में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केरल सरकार ने यह सूचना दी है कि उन्होंने

योजना के अन्तर्गत आवास-स्थलों के विकास के लिये लगभग 3,239 एकड़ भूमि की खरीद हेतु लगभग 111.41 लाख रुपये का व्यय किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिखा है कि उन्होंने 3,561 व्यक्तियों को आवास-स्थल आंवटित कर दिये हैं। उड़ीसा तथा तमिल नाडु सरकारों ने अनुमोदित परियोजनाओं का निष्पादन अभी तक आरंभ नहीं किया है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मैसूर जैसी अन्य राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन में की गई प्रगति के बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) योजना में की गई व्यवस्था अनुसार सभी भूमिहीन तथा आवास स्थल-हीन मज़दूरों को आवास स्थल आवंटित किये जा सकते हैं।

(घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

		(लाख रुपयों में)	
क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुमोदित लागत	दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1.	बिहार	4.39	1.10
2.	गुजरात	75.73	18.93
3.	केरल	677.76*	136.96
4.	महाराष्ट्र	6.96	1.74
5.	मैसूर	36.21	9.05
6.	उड़ीसा	8.40	2.10
7.	तमिल नाडु	75.51	18.88
8.	उत्तर प्रदेश	25.41	6.35
	जोड़	910.37	195.11

* 1972–73 के लिये स्वीकृत राशि 273.92 लाख रुपये

1973–74 तथा 1974–75 में दी जाने वाली राशि 403.84 लाख रुपये

जोड़ 677.76 लाख रुपये

स्वास्थ्य और आवास मंत्रियों की विदेश यात्रा

3727. **श्री एस० एम० सिद्धटया :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और आवास के किसी भी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्री ने अपने विषय से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1970–71 से पहली नवम्बर, 1972 के बीच विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कौन-कौन से देशों का दौरा किया तथा उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ग) क्या उनके अध्ययन के विषय सम्बन्धी जानकारी अथवा साहित्य उन देशों में स्थित मिशनों से नहीं मिल सकता ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों के किसी मंत्री को इस कारण विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई कि इस विषय के सम्बन्ध में विदेशी में स्थित मिशनों से जानकारी अथवा साहित्य प्राप्त किया जा सकता है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3974/72) ;

(ग) प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यात्राओं के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(घ) जी, हां। मैसूर सरकार के नगर प्रशासन तथा आवास मंत्री के दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का अध्ययन सम्बन्धी दौरे के प्रस्ताव को अक्तूबर, 1972 में स्वीकार नहीं किया गया था। इसका कारण किफ़ायत की आवश्यकता तथा इस बात पर ध्यान देना था कि इस विषय पर पर्याप्त सामग्री ऐसी यात्रा किए बिना प्राप्त की जा सकती है।

सोनीपत के एक गांव में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार

3728. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री सोनीपत में एक गांव में हरिजनों के सामाजिक बहिष्कार के बारे में 24–11–1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) . संलग्न विवरण के अनुसार जानकारी पहले ही सदन को दे दी गई है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3975/72)**।

ग्रेटर कैलाश II में प्लाटों की रजिस्ट्री

3729. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली (ई ब्लाक को छोड़कर) में प्लाटों की रजिस्ट्री के बारे में 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि कालोनाईज़र्स प्लाटों पर निशान लगाने से इन्कार कर रहे हैं और इस प्रकार विलम्ब करने वाले हथकंडे इस्तेमाल करके प्लाट होल्डरों को उनके द्वारा खरीदें गये प्लाटों का कब्ज़ा लेने से रोक रहे हैं तथा ऐसे प्लाटों की रजिस्ट्री में बाधा डाल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कालोनाइज़र्स के विरुद्ध तथा कालोनाइज़र्स द्वारा प्लाटों पर निशान लगाने के लिये निश्चित तिथि निर्धारित करने तथा उन प्लाट होल्डरों को जिन्होंने इसके लिये भुगतान कर दिया है प्लाटों का कब्ज़ा देने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Enquiry into Assets of Ex-chairman, Delhi Milk Scheme

3730. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Standard Question No. 376 on 28th July, 1972 regarding enquiry into assets possessed by former Chairman, Delhi Milk Scheme and state:

(a) whether the preliminary inquiry report conducted by the Central Bureau of Investigation against the former Chairman of the Delhi Milk Scheme has since been examined by Central Vigilance Commission;

(b) if not, the further time likely to be taken in completing the examination of the report; and

(c) the matters in respect of which inquiry had been made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes.

(b) Does not arise.

(c) The enquiry against the former Chairman, Delhi Milk Scheme on the following allegations:—

1. The former Chairman, Delhi Milk Scheme failed to inform the Government after joining Delhi Milk Scheme in year 1964, about the investment of Rs. 70,000 made by him, prior to his joining Government Service with M/s. Himalaya Manufacturing and Sales Co. Delhi, which had regular business dealings with Delhi Milk Scheme, Delhi.

2. That M/s. Himalaya Manufacturing and Sales Co. belongs to his brother, and the former Chairman, Delhi Milk Scheme, had substantial business with this concern, which fact was never brought to the notice of the Government.

3. That the former Chairman rented out his house No. N. 106, Panch Sheel Colony, New Delhi on 25-11-69 to U.S. Foreign Agency, without prior approval of the Government and obtained an advance of Rs. 24,700 from the said foreign agency.

4. He obtained loan of Rs. 20,000 from National and Grindlays Bank, New Delhi, and another loan of Rs. 25,000 from his brother's wife for construction of his house. He did not intimate regarding these transactions to the competent authority.

5. He failed to intimate the competent authority regarding the disposal and receiving of compensation of Rs. 15,663 on 7-4-1964 in respect of agricultural land in village Sheikh Serai which was owned by his wife.

6. Milk Powder purchased from the stocks of Delhi Milk Scheme was sold to residents of Chankyapuri, New Delhi, through his wife at huge margin of profit.

7. He constructed a palatial building worth more than Rs. 2 lakhs but did not obtain prior permission from the competent authority.

8. He obtained another loan of Rs. 5,000 at interest of 12% from M/s. Himalaya Mfg. and Sales Co., Delhi, with whom he had official dealings as Chairman, Delhi Milk Scheme, Delhi.

The correct date of the reply given to Starred Question No. 376 was 28th August, 1972, and not 28th July, 1972.

Distribution of Milk by D.M.S. and Applications Received for Issue of Milk Tokens

3731. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the quantity of milk in litres being distributed daily by the Delhi Milk Scheme at present; and

(b) the number of application received by the Delhi Milk Scheme for issue of milk tokens the financial year 1971-72 and the number of applications in respect of which milk tokens have been issued during the said period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) On an average 2.95 lakh litres of liquid milk daily is presently being distributed by Delhi Milk Scheme.

(b) During 1971-72, Delhi Milk Scheme received 11,608 applications for issue of milk tokens and issued milk tokens to 2,413 applicants.

Efforts Made to Trace the Officials of Cargo Ship "Damodar Mandovi"

3732. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government of India have collected facts from the Government of Pakistan in regard to the employees of an Indian cargo ship 'Damodar Mandovi' which sank in Arabian Sea during July, 1972, who are reported to have reached Pakistan safely; and

(b) if so, the gist thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): (a) and (b): The matter was taken up with the Government of Pakistan through the Swiss diplomatic channels to trace the missing crew. The Government of Pakistan have informed that, in spite of intensive search, the Pakistan Navy and Air Force were unable to locate any survivors.

D.M.S. Milk Powder Sold in Black Market

3733. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large quantity of D.M.S. milk powder imported from abroad is being sold in black-market; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to check this theft of milk powder in D.M.S.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) No.

(b) Only two cases of misappropriation of skim milk powder of the value of Rs. 85,000 came to notice which were duly investigated by Central Bureau of Investigation. Two stores officials are being prosecuted for allegedly misappropriating the skim milk powder by fraudulent action. Action is also under consideration against another officer for slackness of Supervision.

नगरीय भूमि पर दबाव को कम करने के लिए कृषि उद्योग की स्थापना

3734. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय भूमि पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए गत दो वर्षों में कितने कृषि उद्योग, राज्यवार, स्थापित किये गये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई भावी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कृषि तथा खाद्य उपज पर आधारित कृषि उद्योग शब्द के अन्तर्गत बड़े-बड़े उद्योग आते हैं जैसे चावल की मिलें, तेल की पिराई मिलें, हथकरघे, फलों का परिसंस्करण, कृषि मशीनरी, कीटनाशी औषधियों, डेरी कुक्कुट-पालन, मीन-उद्योग, वस्त्र-उद्योग, आदि। कृषि उद्योग के विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। इस व्यापक परिभाषा तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारें ही मुख्यतः जिम्मेदार हैं, इस प्रकार के प्रश्न में पूछी गई जानकारी केवल राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध होगी। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि चतुर्थ योजना में इन उद्योगों के विकास के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई है और अभी कुछ वर्षों के दौरान इनमें से बहुत से उद्योगों ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

सतरह बड़े राज्यों में कृषि उद्योगों के विकास के लिए कृषि उद्योग निगम भी स्थापित किये गये हैं। इन निगमों के अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित उद्देश्य है—उत्पादन से सम्बधित उद्योगों का संवर्धन और निष्पादन, भोजन की सप्लाई और परिरक्षण और इनसे सम्बंधित उद्योगों की प्रभावशाली ढंग से चलाने की बात को ध्यान में रख कर कृषि उद्योगों से सम्बंधित किसानों और अन्य सम्बंधित व्यक्तियों को तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था करना और कृषि के लिए आदानों का वितरण करना?

कुछ महत्वपूर्ण कृषि पर आधारित उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए और भली प्रकार से उनके विकास के लिए कुछ कृषि उद्योगों का चयन करने के लिए, सरकार द्वारा स्थापित दो कार्यकारी दलों द्वारा अध्ययन भी किया जा रहा है। मक्का पीसने, आय का पाउडर बनाने, मछली पकड़ने के नायलोन के जाल बनाने और ग्वारगम आदि बनाने से सम्बधित उद्योग भी शीघ्र स्थापित किये जायेंगे। ट्रैक्टरों, फार्म मशीनरी, उर्वरक और कीटनाशी औषधियों के वितरण के अलावा, कृषि-उद्योग निगमों ने निम्नलिखित राज्यों के सामने प्रदर्शित विनिर्माण कार्य-क्रम भी आरम्भ किये हैं।

(क) आन्ध्र प्रदेश	फलों और सब्जियों का परिसंस्करण।
(ख) गुजरात	फलों और सब्जियों का परिसंस्करण, शीत भण्डारों का लगाना, चावल के छिलके से तेल निकालना, पशु आहार बनाना, कीडे मारने की दवाईयों का लिन्डेन और ग्रेनूलेशन, मछलियों के लिए परिसंस्करण और विपणन प्रबन्ध करना।
(ग) हरियाणा	ट्रैक्टरों की जुड़ाई और कुक्कुट आहार तैयार करना।
(ग) हिमाचल प्रदेश (घ) जम्मू और कश्मीर	शीत भण्डारों का लगाना।
(ड़) केरल	कुवोता पावर टिलर्स और उसके समतुल्य उपस्करों का विनिर्माण करना।

(च) महाराष्ट्र	उर्वरकों को कणीदार बनाना सुफ्र फास्फेट, पशु और कुक्कुट आहार तैयार करना और फलों और सब्जियों की डिब्बाबंदी और परिसंस्करण करना।
(छ) मध्य प्रदेश	कृषि उपस्करों का विनिर्माण करना।
(ज) मैसूर	——यथोक्त——
(झ) राजस्थान	कृषि उपस्करों और ट्रैक्टर के पुर्जों का विनिर्माण करना।
(ञ) तमिल नाडु	कृमिनाशी और कीटनाशी औषधियों को कणीदार करना।
(त) उत्तर प्रदेश	ट्रैक्टरों की जुड़ाई, कृषि उपस्करों का विनिर्माण, फलों और सब्जियों का परिसंस्करण, शीत भण्डारों का लगाना और उर्वरकों का वितरण करना।

बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को ध्यान में रखकर, निगम ने किसानों को विभिन्न कृषि आदानों के वितरण और कस्टम सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न भागों में कृषि-सेवा केन्द्रों की भी स्थापना की है।

कृषि श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्यवाही

3735. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि श्रमिकों को नियमित रूप से रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : सरकार कृषि श्रमिकों को रोजगार देने की समस्या पर विचार कर रही है। चौथी योजना अवधि के दौरान विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में योजना से अलग ग्राम रोजगार की क्रैश योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, लघु कृषक विकास एजेन्सी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेन्सी जैसी विशेष योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं। ये योजनाएं ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान करेंगी और इनसे स्थायी किस की सम्पदा भी सूचित होगी।

ग्राम रोजगार की क्रैश योजना 1 अप्रैल, 1971 को प्रारम्भ की गई थी। इसकी अनुमानित लागत प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये है, जो पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जानी है। यद्यपि मूलत: यह योजना पंचवर्षीय योजना से अलग थी, परन्तु वर्ष 1972–73 से यह चौथी योजना में सम्मिलित कर ली गई है। वर्ष 1971–72 से लेकर वर्ष 1972–73 में अब तक किया गया व्यय क्रमश: 31.26 करोड़ रुपये, 17.21 करोड़ रुपये और इससे उत्पन्न रोजगार क्रमश: 814 लाख श्रमदिन तथा 478 लाख श्रमदिन था।

सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, वर्ष 1970–71 से 1973–74 तक की 4 वर्ष की अवधि के लिये 100 करोड़ रुपये के परिव्यय से गैर-योजना की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में वर्ष 1970–71 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादक श्रम गहन कार्यों के लिए 54 चुनींदा जिले लिये जाने हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1972–73 से यह कार्यक्रम 70 करोड़ रुपये के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान स्कीम में सम्मिलित किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1970–71 के दौरान लगभग 127.51 लाख श्रमदिनों तथा वर्ष 1971–72 के दौरान 343.22 लाख श्रमदिनों का रोजगार उत्पन्न किया गया था।

इसके अतिरिक्त, चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक क्षेत्रों में पारिश्रमिक रोजगार से लगभग 2 लाख कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। हालांकि लघु कृषक विकास एजेन्सी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजनाओं में कृषि श्रमिकों के नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बहु फसली खेती तथा कृषि की सधन पद्धतियों सहित कृषि की नई नीति से भी अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था होगी।

शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना

3736. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के कल्याण और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने के लिए देश की सभी शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सरकार का विचार है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण होना चाहिए और छात्रों द्वारा नैतिक तथा सामाजिक संवर्धन सभी पाठ्य चर्या तथा पाठ्येतर कार्यकलापों के जरिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो नवयुवकों और नवयुवतियों का चरित्र निर्माण कर सके और उन्हें इस योग्य बना सकें जो राष्ट्रीय सेवा तथा विकास से प्रतिबद्ध हों। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राज्यों और संघ क्षेत्रों के परामर्श से शैक्षिक योजनाओं की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यतर कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने का है।

डाक्टरी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित विद्यार्थी

3737. **श्री मार्तण्ड सिह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में डाक्टरों की कमी के बावजूद और अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई डाक्टर उन होने के बावजूद बहुत से विद्यार्थियों की डाक्टरी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं से वचित रखा गया है, और

(ख) यदि हां. तो ऐसे विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालम में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय). (क) और (ख). विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खतियार जिला कांगडा में स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाना

3738. **श्री महादोपक सिंह शाय**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोंग बांध क्षेत्र के अधिकांश लोगों को हिमाचल प्रदेश में कांगडा जिले के खतियार गांव में वसाया गया है;

(ख) क्या खतियार में केवल एक ही स्कूल है और वह भी ग्राम पंचायत हाई स्कूल है;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लाभ के लिये पोंग बांध वना रही है, क्या सरकार का विचार बाँध के निर्माण से सम्बन्धित कर्मचारियों वच्चों सहित जनता के बच्चों के लाभ के लिए उस क्षेत्र में उपरोक्त स्कूल का दर्जा बढ़ाने या उसको अपने नियन्त्रण में लेने का है;

(ध) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जायेगी; और

(ड़) क्या उपरोक्त स्कूल में काम करने वाले वर्तमान कर्मचारियों को भी पंचायत के प्रबन्ध से हटाकर सरकारी नियन्त्रणाधीन कर लिया जायेगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पोंग बांध क्षेत्र का कोई निर्वासित कांगडा जिले के खतियार में पूर्नवासित नहीं किया गया है।

(ख) ग्राम पंचायत हाई स्कूल कक्षाए, अर्थात् 9वीं तथा दसवीं कक्षाएं चला रही है। राजकीय मिडिल स्कूल, खतियार भी पृथक रूप से है, जिसे हाल ही में दर्जा बढ़ाकर उच्च स्कूल कर दिया गया है।

(ग), (ध) और (ड़). उपरोक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए इनका प्रश्न नहीं उठता है।

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के निकट खटियार-सेहोली पेय-जल सम्भरण योजना को पूरा करना

3739. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के निकट खटियार-सेहोली पेय-जल सम्भरण योजना पूरी करने के लिये 'यूनिसेफ' से कोई सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो वर्ष 1972-73 तक कितनी राशि की सहायता प्राप्त हुई है,

(ख) क्या उक्त सहायता खर्च की जा चुकी है, और

(ग) इस योजना की पूरा करने में क्या प्रगति हुई है और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजम मंत्रालय राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर इटली में ट्रीस्ट में गंदगी फैलाने के कारण इंडियन टैकर 'बरौनी' का जब्त किया जाना

3740. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर इटली में ट्रीस्टे में इण्डियन टैकर 'बरौनी' को जब्त कर लिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और यदि नहीं तो ; गन्दगी फैलाने के लिए उपरोक्त जहाज के विरुदध् क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वहां के पत्तन अधिकारी को कुल कितना जुर्माना देना पड़ा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). तेल वाहक पोत 'बरौनी' जो पर्शियन गल्फ से फ्राँस को समुद्री यात्रा पर था, 15-11-1972 को ट्रीस्टी पत्तन अधिकारियो द्वारा जब्त कर लिया गया। उस पर यह आरोप था कि उसने माल उतारते समय कुछ तेल, जो जहाज में से टपक कर पानी

में गिर रहा था, से समुद्री जलदूषण किया है। इटलियन न्यायालय, जिसने इस मामले में जाँच की, ने 50 लाख इटैलियन लायर (लगभग 60 हजार रुपये) की राशि चेतावनी सम्बन्धी जमा निर्धारित की। यह राशि शिपिंग कम्पनी के एजेंटों ने शीघ्र ही जमा कर दी और तत्पश्चात जहाज को यात्रा करने की अनुमति दे दी गयी। न्यायालय ने फिर तेल से दूषित समुद्र तटों को रसायनों द्वारा साफ कराने का आदेश दिया। पी० एण्ड आई० क्लब, जिसने इस जोखिम का बीमा किया था, की देखरख में जहाज के एजूटों द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी। सफाइ कार्य में जो यथार्थ धन लगा उसे अभिनिश्चित किया जा रहा है। जल दूषण पर जो व्यय हुआ वह बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

जहाँ तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने का सम्बन्ध है, भारतीय जहाजों के मास्टरों तथा मुख्य इन्जीनियरों को तेल द्वारा जल दूषण को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समय समय पर सलाह दी जाती है।

केरल में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और उसके लिए केन्द्रीय सहायता

3741. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल 55 ग्राम प्रति दिन है जबकि अखिल भारतीय स्तर 112 ग्राम प्रति दिन है और पोषण के लिये औसतन 210 ग्राम दिन की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल सरकार की सहायता करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केरल में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 112 ग्राम प्रतिदिन की अखिल भारतीय औसत के स्तर से काफी कम है जब कि पोषण के लिए प्रतिदिन औसतन 210 ग्राम दूध की आवश्यकता है। वर्ष 1964–65 में केरल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया था जिसके आधार पर वहां 1966 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि लगभग 35 ग्राम ही थी।

(ख) वर्ष 1969–70 से चौथी योजना की स्कीमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम या क्षेत्र के आधार पर नहीं दी जाती। अब यह सहायता ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है। अलग-अलग राज्य प्लान स्कीमों के लिए निधि आबंटित करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध राज्य सरकारों का है। वर्ष 1963–64 में केरल में यथासम्भव शीघ्रता से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशु प्रजनन और चारे विकास की एक भारत स्विस परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के परिणामों का कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसलिए भारत स्विस परियोजना द्वारा विदेशी 'जर्म प्लाज़म' से ब्राउन सि स्विस नस्ल के जामे हुए वीर्य से उत्पादित संगर प्रजनन के कार्यक्रम को गतिमान किया जा रहा है और उसका राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार

किया जा रहा है इसके अतिरिक्त क्षेत्र में संकर प्रजनन के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए 1969 से 1972 तक के तीन वर्षों में आयात किए गये पशुधन में से केरल को कुल 15 सांड और जर्सी नस्ल के 48 औसर दिए गए थे। केरल में पशुओं को पशु महामारी से बचाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित पशु महामारी उन्मूलन कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

जहाज बनाने के लिऐ प्रशिक्षण देने के बारे में कोचीन विश्वविधालय के सुझाव

3742. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विश्वविद्यालय ने कोचीन शिपयार्ड परियोजना की सहायता से जहाज बनाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने का कोई पाठ्यक्रम आरम्भ करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्यविभाग तथा नौदेहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय के सीनेट द्वारा पारित संकल्प के बारे में कोचीन विश्वविद्यालय के उप कुलपति से एक पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ है जिसमें पोत डिजाइन, पोत ड्राफ्टमेनशिप पोत वास्तुकला आदि तथा प्रशिक्षण के बारे में कोचीन शिपयार्ड से सहयोग की सम्भावनाओं की खोज से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को चालू करने की सिफारिश की गई है। यह पत्र कोचीन शिपयाई लिमिटेड को भेजा जा रहा है।

लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

3743. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री दिल्ली में अस्पतालों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के बारे में 31 जुलाई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल नई दिल्ली के कर्मचारियों के रिहायशी मकानों की दिक्कत सरकार को पहले ही पता है। दिल्ली के मास्टर प्लान में लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज के विस्तार के लिए बेयर्ड

रोड पर 20 एकड भूमि निर्धारित की गई है। इस भूमि का प्रयोग मुख्य कैम्पस में कर्मचारियों के लिए मकान बनाने, कालेज का विस्तार करने तथा निर्मित क्षेत्र में कमी लाने के लिये किया जाएगा क्योंकि नई दिल्ली पालिका के अनुसार निर्मित क्षेत्र की सीमा देय सीमा से कहीं अधिक है और इस पर उसने आपत्ति भी उठाई है। इस समय यह भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, तथा डाक और तार विभाग के कब्जे में है।

इस भूमि के उपलब्ध होते ही उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 448 टाइप–I क्वार्टर तथा तृतीय क्षेणी के कर्मचारियों के लिए 128 टाइप–II और 128 टाइप–III क्वार्टर बनाने का विचार है। जब यह कार्यक्रम क्रियान्वित हो जाएगा तो उस से शत प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा 44 प्रतिशत तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिस में विवाहित नर्सें भी सम्मिलित हैं, संतुष्ट हो जायेगी। हाल ही में सरकार ने लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल और कलावती सरण बाल अस्पताल के कर्मचारियों को इस संस्था द्वारा वैकल्पिक स्थान मिलने के समय तक डी० आई० जैड० क्षेत्र में 16 टाइप-III क्वार्टरों को अस्थायी रूप से देने का निश्चय किया है। कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए 16 क्वार्टर शीघ्र ही इस संस्था की दिये जा रहे हैं।

नई दिल्ली के लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल में कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में दूसरे वेतन आयोगद्वारा सिफारिश किये गये वेतन मान

3744. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग द्वारा सरकारी अस्पतालों में तकनीशनों, आर्टिस्टों, स्टोरकीपरों और आहार-विदों के बारे में सिफारिश किये गये वेतनमान लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों पर लागू किये गये हैं और उनको दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में स्टोर कीपर, तथा आहार-विद् (डायटीशियन) पहले ही से वही वेतन पा रहे हैं जिनकी द्वितीय वेतन आयोग ने इस प्रकार की संस्थाओं में ऐसे ही पदों के लिए सिफारिश की थी। जहां तक तकनीशियनों और आर्टिस्टों का सम्बन्ध है, द्वितीय वेतन आयोग ने किसी एक जैसे वेतनमान की सिफारिश नहीं की थी। इनके वेतन मान प्रत्येक संस्था में भिन्न-भिन्न हैं। तकनीशियनों और आर्टिस्टों को विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों के तकनीशियनों और मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के आर्टिस्टों वाले वेतन मान देने का प्रश्न विचाराधीन है।

लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, नई दिल्ली में पदों का भरा जाना

3745. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों, स्टोर आधिकारियों और तीसरे दर्जे के वरिष्ठ पदों को वरिष्ठता के आधार पर नहीं भरा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय,): (क) और (ख). लेडी हार्डिग मेडीकल कालेज एवं अस्पताल में प्रशासन अधिकारी का पद, जिसका वेतनमान रु० 620–900 है, साधारणतया केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुमान अधिकारी ग्रेड के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है। इस संस्था में इस समय आवश्यक अनुभव वाला ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसे इस पद के लिए विचारा जा सके। लेडी हार्डिग मेडीकल कालेज एवं अस्पताल में भण्डार अधिकारी के पद के लिए भी जिसका वेतनमान रु० 325–15–475–20–575 है, इस समय ऐसा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जिसे इस पद के लिये विचारा जा सके।

सचिवालयी ग्रेड में तृतीय श्रेणी के सभी वरिष्ठ पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। वैसे जहां तक तकनीकी पदों का सम्बन्ध है, प्रयोगशाला सहायक के ग्रेड (रु० 110–200) में सीधी भर्ती की जाती है। इस ग्रेड में भी 50 प्रतिशत रिक्त स्थान उन प्रयोगशाला सहायकों द्वारा भरे जाते हैं जो मैट्रिक पास हों और जिन की तीन वर्ष की सेवा हो। तकनीशियन का अगला ग्रेड (रु० 150–240) प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। तकनीकी सहायक (रु० 210–425) का पद भर्ती नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। इस पद के लिए इस संस्था के कर्मचारियों को भी विचारा जाता है और उनके केस में आयु की सीमा को शिथिल कर दिया जाता है।

लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, नई दिल्ली के श्रेणी एक तथा दो के कर्मचारियों को तुलना में श्रेणी तीन तथा चार के कर्शचारियों को लाभ

3746. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, नई दिल्ली के श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों को, जिन पर केन्द्रीय सरकार के एफ० आर० तथा एम० आर० भी लागू होते हैं, उपदान पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा भविष्य निधि की पुनरीक्षित दरों जैसे मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति के लाभ प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या अस्पताल के श्रेणी एक तथा दो के कर्मचारियों को ये लाभ प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, नई

दिल्ली के प्रशासनिक बोर्ड के निर्णय के अनुसार, जहां तक सम्भव था, सभी सरकारी नियम और विनियम फरवरी 1960 से इस संस्था के कर्मचारियों पर लागू कर दिये गये थे। इन कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू नहीं होती, परन्तु वे संस्था की अंशदायी भविष्य निधि योजना में सम्मिलित होने के पात्र हैं जो पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली योजना के अनुरूप ही हैं। भविष्य निधि में जमा धन-राशि के ब्याज की दर संस्था द्वारा लगाई गयी पूंजी पर हुए लाभ के अनुसार निर्धारित की जाती है तथा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ब्याज की दर से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज तथा अंस्पताल के अंशदायी भविष्य निधि में जमा धन-राशि भारत सरकार के अंशदायी भविष्य निधि का भाग नहीं है।

(ख) और (ग). इस संस्था में केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आकर काम कर रहे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के अधिकारी इस संस्था की अंशदायी भविष्य निधि में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। सेवा निवृत्ति के लाभों के सम्बन्ध में उन्हें अपने-अपने मूल विभागों के नियम तथा आदेश लागू होते हैं। उन की प्रतिनियुक्ति के दौरान उन के लिए आवश्यक अंशदान संस्था द्वारा वहन किया जा रहा है तथा सरकार के खाते में जमा कराया जाता है। इस संस्था में कुछ द्वितीय श्रेणी अधिकारी जैसे नर्सिग अधीक्षिका, सहायक लेखा, अधिकारी आदि ऐसे हैं जो इसी संस्था के अंशदायी भविष्य निधि के नियमों द्वारा अधि-शासित होते हैं।

बाढ़ों पर नियंत्रण

3747. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :-** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के एक जलवैज्ञानिक द्वारा की गई जांच से यह पता लगा है कि उत्तर भारत में बाढ़ मानसून की अपेक्षा हिमालय में बर्फ के तौदे पिघलने के कारण अधिक आती है ;

(ख) जांच के पश्चात् क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये ; और

(ग) क्या उन्होंने इस क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण करने की सम्भावना के बारे में भी सुझाव दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। इस का अध्ययन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की न्यूक्लीयर अनुसंधान प्रगोगशाला के भौतिक शास्त्री डा० जगदीश बहादुर द्वारा, जब वे सिंचाई मंत्रालय में कार्य कर रहे थे, सतलज जल-क्षेत्र की जल निष्कासन प्रणाली की विशिष्टताओं की दृष्टि से किया गया।

(ख) डा० जगदीश बहादुर द्वारा निकाले गए मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :—

"सतलुज नदी में जुलाई के महीने में जब सूर्य बहुत तेजी पर होता है बर्फ पिघलने और हिमनद से अधितम जल आता है और मानसून के कारण सामान्यत: इस महत्व-पूर्ण कारण की उपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बर्फ से भरी झीलें और गाद का कटना विनाशकारी बाढ़ों का कारण बनती हैं।

(ग) डा० बहादुर ने सुझाव दिया है कि पहाड़ी इलाकों में जल-विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करके बाढ़ों पर काबू पाया जा सकता है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में मध्य आय वर्ग के दो मंजिले फ़लैट

3748. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी, नई दिल्ली के ब्लाक सी-2ए में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मध्य आय वर्ग के दो मंज़िले फ्लैटों में (एक) पहली मंज़िल और (दो) दूसरी मंजिल पर आई औसत लागत का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के फ्लैटों के सम्बन्ध में प्रत्येक फ्लैट की लागत में और किस किस प्रकार का व्यय जोड़ा गया ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खरीदारों को पहली और दूसरी मंजिल के फ्लैट किस-किस कीमत पर दिये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० यो० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). निर्माण की औसत लागत का ब्यौरा तथा ऐसे प्रत्येक फ्लैट की निर्माण की लागत में जोड़े गये विभिन्न प्रकार के व्यय इस प्रकार हैं :—

	निचली मंज़िल के फ्लैट		पहली मंज़िल के फ्लैट	
	कोने के फ्लैट	बीच वाले फ्लैट	कोन के फ्लैट	बीच वाला फ्लैट
फ्लैट का कुर्सी क्षेत्र	617 वर्ग फुट	607 वर्ग फुट	813 वर्ग फुट	798 वर्ग फुट
(i) निर्माण की लागत (रुपयों में)	15,307	14,526	19,488	19,114
(ii) ऊपरी प्रभार अर्थात् विभागीय प्रभार, निर्माण के दौरान पूंजी पर ब्याज (रुपयों में)	4,693	4,474	6,012	5,886
(iii) भूमि के लिए प्रीमियम (रुपयों में)	2,500	2,500	2,500	2,500
जोड़ (रुपयों में)	22,500	21,500	28,000	27,500
(ग) प्रत्येक फ्लैट का बिक्री मूल्य (रुपयों में)	22,500	21,500	28,000	27,500

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी जनकपुरी में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था

3749. **श्री ओंकार लाल बेरवा**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नई दिल्ली में जनकपुरी के नाम से एशिया भर में सबसे बड़ी आवासीय योजना बनाई है और वहां इस समय भी 30 से 40 हजार तक लोग रह रहे हैं ;

(ख) क्या जनकपुरी में कोई भी अस्पताल अथवा दवाखाना नहीं है यद्यपि वहां लोग दो साल से अधिक समय से रह रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है और जनकपुरी की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) नांगल राय (जनकपुरी के ब्लाक 'डी') में 1-12-70 से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय खोल दिया गया है। दिल्ली प्रशासन भी जनकपुरी कालोनी या इसके निकटवर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित औषधालय अस्पताल चला रहा है :--

1. नांगलराय स्थित औषधालय।
2. हस्तसाल गांव स्थित औषधालय।
3. हरिनगर स्थित 54 बिस्तरों बाला अस्पताल।

इसके अलावा दिल्ली नगर निगम का एक मोबाइल औषधालय भी सप्ताह में दो बार इस कालोनी में आता है।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना की कालावधि में हरिनगर स्थित 54 बिस्तरों वाले वर्तमान अस्पताल को 500 बिस्तरों वाले अस्पताल में परिवर्तित करने का विचार है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नये नये क्षेत्र सम्मिलित करने की स्थिति पर निरंतर ध्यान रखे हुए हैं। ज्यों ही अपेक्षित धन उपलब्ध हो जायेगा, जनकपुरी के दूसरे ब्लाकों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में डिप्लोमाधारियों की पदोन्नति

3750. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दस वर्ष की सेवा वाले डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियरों को छोड़कर डिप्लोमाधारियों को सहायक इंजीनियरों के रूप में पदोन्नत किया जाता है ;

(ख) क्या यह निर्णय सीधे भर्ती किये गये सहायक इंजीनियरों और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंधन करके कार्यकारी इंजीनियरों के रुप में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के सम्बंध में क्रियान्वित नहीं किया गया है जिनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कम वेतन पाने वाले जूनियर ग्रेज्यूएट इंजीनियरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री एम० रामैय्या तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ अन्य सहायक इंजीनियरों द्वारा दायर किए गये रिट पिटिशन पर यह निर्णय दिया है कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए तथा पदोन्नति के लिए कोटे का उचित रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। अतः कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति, स्नातक तथा अस्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की सम्मिलित प्रवरता सूची के आधार पर जानी है। क्योंकि डिप्लोमाधारी कनिष्ठ इंजीनियर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों से सम्मिलित प्रवरता सूची में काफी संख्या में वरिष्ठ हैं, अतः सहायक इंजीनियरों के बहुत से पद डिप्लोमाधारी कनिष्ठ इंजीनियरों को मिले हैं।

(ख) सहायक इंजीनियरों को कार्यपालक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नत करने के मामले में भी दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार इस उद्देश्य से सहायक इंजीनियरों की प्रवरता-सूची में कार्मिक विभाग और विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्श से अब संशोधन किया जा रहा है। रिट पिटिशन के निलम्बित रहने तक बनाये गये पेनल से सहायक इंजीनियरों की कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में की गई समस्त पदोन्नतियों का पुनरीक्षण किया जायेगा तथा परिशोधित प्रवरता को अन्तिम रूप दिए जाने के तथा उसके परिचालित होने के पश्चात कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति योग्य सहायक इंजीनियरों का एक नया पेनल बनाया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना डिस्पेंसरी, मोतीनगर, दिल्ली के डाक्टरों का व्यवहार

3751. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में मोती नगर, डिस्पेंसरी के डाक्टर मध्य स्तरीय तथा निम्न मध्य स्तरीय सरकारी रोगी कर्मचारियों को ठीक प्रकार से नहीं देखते हैं ;

(ख) क्या ये डाक्टर भण्डार में औषधियां उपलब्ध होने पर भी रोगियों की औषधियां नहीं देते हैं।

(ग) क्या ये डाक्टर विलिगंडन अस्पताल, नई दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित औषधियों के लिए उचित समय पर मांग पत्र नहीं देते हैं जिससे सुविधा का लाभ उठाने वाले इन वर्गों को बहुत कठिनाई होती है और कभी कभी तो औषधि प्राप्त होने में एक सप्ताह से भी अधिक समय लग जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो अधिकांशतया इन कम आय वर्ग के कर्मचारियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार का विचार कया उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). मोती नगर डिस्पेंसरी के किसी भी लाभार्थी से कथित आरोप के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है कि वहां के डाक्टर मध्य वर्ग अथवा निम्न मध्य वर्ग के सरकारी कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों को ठीक तरह से नहीं देखते। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों तथा डाक्टरों द्वारा लिखी हुई दवाइयां आमतौर पर मरीजों को तुरन्त दे दी जाती हैं। वैसे, दो रोगियों को विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयां नहीं दी गई थीं। क्योंकि रोगियों ने अपने औषधालय के चिकित्सा अधिकारी से पूर्व परामर्श करने की प्रक्रिया को नहीं निभाया था।

"एशिया 72" मेले के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देरी

3752. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1972 के "टाइम्स आफ इण्डिया" नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें 'एशिया 72' मेले के निर्माण कार्य को पूरा करने में देरी के लिये केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बहुत से अधिकारियों ने स्वयं बेनामी ठेके लिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) मामले की जांच की गई है तथा समाचार में लगाया गया आरोप ग़लत पाया गया है।

श्रेणी एक के अधिकारियों को सरकारी आवास का आवंटन

3753. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2200 रुपये तथा इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को तबादला होकर दिल्ली आने पर उनकी श्रेणी में ही सरकारी आवास आवंटित किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1971–72 और 1972–73 में (30–9–72 तक) मोती बाग, बैलेजली रोड, आर० के० पुरम और बहुमंज़िली इमारतो में सी-II टाइप के फ्लैट आवंटित किये गए हैं ;

(ग) इस श्रेणी में आवास आवंटित किये जाने के लिए प्रतीक्षा सूची में पहले से कितने अधिकारियों के नाम थे ; और

(घ) जो अधिकारी वर्षों से ऐसे आवास आवंटित किये जाने के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको छोड़कर तबादला होकर दिल्ली आए अधिकारियों को सी–II टाइप के फ्लैट आवंटित करने के लिए प्राथमिकता दिये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि में विभाग वार/मंत्रालय वार कितने अधिकारियों को बारी बाह्य सी–II टाइप आवास आवंटित किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली में तबदीली होने पर, 2200 रुपये अथवा उससे ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले सामान्य पूल के वास के पात्र अधिकारियों के मामले पर उनके पात्र टाइप में अथवा वे यदि ऐसा चाहें तो अगले निचले टाइप में आवंटन के लिए विचार किया जाता है। सावधिक अधिकारियों के मामलों पर उनकी पात्रता के अगले नीचे के टाईप में मकानों के आवंटन के लिए विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में, अधिकारियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी बारी आने पर आवंटन किए जाते हैं।

(ख) उन अधिकारियों की संख्या नीचे दी जाती है जो तबदील होकर आये तथा जिनको रामकृष्णपुरम, मोती बाग तथा बेलज़ेली रोड पर सी–II के मकानों का आवंटन किया गया था :—

1971–72	1972–73 (30 सितम्बर 1972 तक)
37	23

(ग) टाइप VI के लिए प्रतीक्षा-सूची में अधिकारियों की संख्या (जिसमें सी–II फ्लैट शामिल हैं) 30 सितम्बर, 1972 को 303 थी।

(घ) सामान्य पूल में टाईप–VI, जिसमें सी–II टाइप के फ्लैट शामिल हैं, के मकानों का आवंटन उस टाईप की प्रतीक्षा सूची में वरीयता के आधार पर किया जाता है। तबदील होकर आने वाले अधिकारियों को भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिन

अधिकारियों को 1971–72 तथा 1972–73 (30–9–72 तक) के वर्षों के दौरान बिना बारी के सी–II फ्लैट आवंटित किए गए थे, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

मन्त्रालय, विभाग का नाम		अधिकारियों की सं०	आवंटन के कारण
1.	सूचना तथा प्रसारण	2	बीमारी के कारणों पर 6 अधि-
2.	विदेश कार्य	1	कारियों को आवंटन किए गए हैं,
3.	वित्त	2	अन्य पूलों में चार अधिकारियों को
4.	योजना आयोग	2	मकान खाली करने पड़े थे, चार
5.	स्वास्थ्य	2	मंत्रियों आदि के निजी स्टाफ में थे, दो सेवा से निवृत्त होने वाले
6.	सिंचाई और बिजली	1	अधिकारियों के आश्रित सम्बन्धी
7.	शिक्षा तथा समाज कल्याण	1	थे तथा तीन आवंटन अनुकम्पा
8.	खाद्य	1	के आधार पर किए गए थे।
9.	रक्षा	2	
10.	नौवहन और परिवहन	2	
11.	विधि	1	
12.	इस्पात	1	
13.	औद्योगिक विकास	1	

गया जिला बिहार में नलकूप लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार के एक दल का दौरा

3754. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1972 के तीसरे सप्ताह में केन्द्रीय सरकार का एक दल गया जिला, बिहार में टेकड़ी, गोह, कूंच नवदाह, हसुआ, गोविन्दपुर आदि जैसे स्थानों का सूखे की स्थिति का पता लगाने के लिए दौरे पर गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष हैं और उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या वहां पर नल कूप लगाने के लिए सरकार की कोई योजना है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में गया जिला सहित बिहार राज्य का दौरा किया था।

(ख) दल की सिफारिशों के आधार पर सूखा सहायता उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु 13.40 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।

(ग) जी हां। राज्य सरकार का पेयजल और लघु सिंचाई के लिए नल कूप खोदने का कार्यक्रम है।

विदेशों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनकी परिलब्धियों की अदायगी विदेशी मुद्रा में करने पर रोक

3755. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय जहाजों पर कार्यरत व्यापारी बंड़ा अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों की अदायगी विदेशी मुद्रा में करने पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों द्वारा विदेशी मुद्रा के दुरुप्रयोग को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

ग्रामीण रोजगार के बारे में अनुसन्धान

3756. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अनुसंधान निकायों के नाम क्या हैं जिन्हें देश के भिन्न-भिन्न भागों में ग्रामीण रोजगार के स्वरूप तथा विस्तार क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है और तत्संबंधी द्रुत योजना का ग्रामीण रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक सूची अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) रिपोर्ट प्राप्त होनी शुरू हो गई है। इन अलग-अलग रिपोर्टों के आधार पर अखिल-भारत समन्वित रिपोर्ट तैयार करनें का प्रस्ताव है। आशा है कि यह अखिल-भारत समन्वित रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ चुने जिलों में ग्राम बेरोजगारी के स्वरूप तथा प्रतिमान का एक विस्तुत तथा तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करेंगे।

विवरण

ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के प्रभाव संबंधी अध्ययन कर रहीं संस्थाओं की सूची

1. आन्ध्र यूनिवर्सिटी,
   वाल्टायर (आन्द्र प्रदेश)।

2. एग्रो-इकानामिक रिसर्च सेन्टर,
जोरहाट (असम)।

3. ए० एम० एस० इन्सटीच्यूट आफ सोशल स्टडीज़,
पटना (बिहार)।

4. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी,
गुजरात (गुजरात)।

5. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
हिसार (हरियाणा)।

6. केरल यूनिवर्सिटी,
त्रिवेन्द्रम (केरल)।

7. उड़ीसा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नालाजी,
भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

8. पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
लुधियाना (पंजाब)।

9. यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान,
जयपुर (राजस्थान)।

10. तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

11. यू० पी० एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
पंतनगर (यू०पी०)।

12. एग्रो-इकानामिक रिसर्च सेन्टर,
शान्तिनिकेतन (पश्चिम बंगाल)।

13. गोखले इंस्टीच्यूट आफ पोलिटिक्स एण्ड इकानामिक्स,
पूना (महाराष्ट्र)।

मध्य प्रदेश में एक उर्वरक किस्म नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना

3757. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में एक उर्वरक की किस्म नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उर्वरक किस्म नियंत्रण प्रयोगशाला की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) उर्वरक निरीक्षकों द्वारा राज्य के विभिन्न खुदरा डिपुओं से हर वर्ष लिए गए कम से कम 1000 से 1500 तक नमूनों का यह देखने के लिए विश्लेषण करना कि क्या उर्वरकों के ऐसे नमूने उर्वरक नियंत्रण आदेश में दी गई निर्दिष्टयों के अनुरूप हैं ; और

(ii) यदि किसानों को यह सन्देह हो कि उन्हें मिलने वाले नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश उर्वरक भटिया किस्म के हैं तो उनके द्वारा भेजे गए नमूनों का विश्लेषण करना।

दिल्ली प्रबन्धक ऐसोसियेशन से आई० आई० टी० के प्राध्यापक द्वारा लिया गया परामर्श शुल्क

3758. **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आई० आई० टी० के एक प्राध्यापक ने गवर्नर बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली प्रबन्धक ऐसोसियेशन से परामर्श शुल्क प्राप्त किया है ;

(ख) क्या उसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ और आरोप भी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). अखिल भारतीय प्रबंध संस्था का विचार है प्रबंध प्रशिक्षार्थियों की भर्ती पद्धति तथा निष्पादन, 1969-70 नामक अपनी परामर्शी परियोजना को, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के मानव-विधान तथा समाज विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर को सुपुर्द करने का था। सम्बन्धित प्रोफेसर ने उक्त परियोजना को स्वीकार करने के लिए, शासी मण्डल के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया था। संस्थान के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रोफेसर को अखिल भारतीय प्रबन्ध संस्था से कोई शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था। संबंधित प्रोफेसर के विरुद्ध प्राप्त निम्नलिखित अन्य शिकायतें थीं :—

1. भारतीय प्रो० सं० में 1969 में आयोजित नवीं समाजशास्त्रीय सभा सम्मेलन के लेखे।
2. कुछ यात्रा भत्ते ज्यादा लेना।
3. कुछ चैकों की अस्वीकृति।
4. कार्यवृतों आदि में कदाचार तथा इनमें हेराफेरी।

भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान, दिल्ली के शासी मण्डल ने इन आरोपों की जांच करके रिपोर्ट पेश करने के लिए पहले ही से एक-दो-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

दिल्ली में आई० आई० टी० के कैमप्स में अमरीकी गुप्तचर एजेंसी (सी० आई० ए०) की घुसपैठ और गतिविधियाँ

3759. **श्री जगन्नाथराव जोशी :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के भारतीय प्रोधोगिक संस्थान (आई० आई० टी०) के प्राधिकारियों की अपने कुछ प्राध्यापकों से लिखित शिकायतें मिली हैं जिनमें संस्थान के कैमप्स में अमरोकी गुप्तचर एजेंसी (सी० आई० ए०) की घुसपैठ और गतिविधियों का आरोप लगाया गया है;

(ख) क्या इस मामले की जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). संस्थान से मिली सूचना के अनुसार एक ऐसी शिकायत की गई है। मामले को जांच की गई थी, किन्तु आरोप प्रमाणित नहीं किए जा सके।

विदेशी धन के लिए दिल्ली आई० आई० टी० के एक प्रोफेसर द्वारा ब्रिटेन सूत्र के साथ कथित बातचीत के बारे में जांच :

3760. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आई० आई० टी० के एक प्रोफेसर ने सीधे ब्रिटेन सूत्र के साथ 58,000 पौंड के लिए कथित बातचीत की है तथा इस प्रकार विदेशी विधियों से सम्बन्धित नियमों का उल्लंधन किया है तथा सम्भाबित अनुदान के नाम पर एक अनुसन्धान सहायक की नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या इन सभी आरोपों की जाँच करने के लिए कोई जाँच समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निदेश पद क्या हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयसीमा क्या है, अब तक किन तथ्यों का पता लगाया गया है तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). अन्वेषणात्मक चर्चाओं के आधार पर मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ने निम्नलिखित अध्ययनों के लिए समुचित अन्य सूची के प्रलेखन

तथा तकनीकी प्रकृति के अन्य सूसंमत ओकडों सहित व्यौरेवार अनुसंधान डिजाइन तैयार करना प्रारम्भ कर दिया है :

1. "भारत में विशेष परिवर्तन" नामक विषय पर परियोजना स्तर पर अन्वेषणात्मक अध्ययन--जिनके लिए धन की व्यवस्था भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा की जानी हैं,

2. आयोजना अनुसंधान के संयुक्त एकक विश्वविद्यालय कालेज, लंडन तथा पर्यावरचिक अध्ययन केन्द्र लंडन सहित नगरीकरण की प्रणाली के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान और इसके लिए धन की व्यवस्था न्यूफील्ड प्रतिष्ठान लंडन तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् लंडन द्वारा की जाती है।

इस उद्देश्य के लिए सम्बन्धित प्रोफेसर ने एक अनुसंधान सहायक को नियुक्त करने की अनुमति सहित संस्था के कोष से 2000/- रुपये के अनुसंधान अनुदान् की माँग की थी। संस्था ने इस उद्देश्य के लिए मानवीकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान सहायक के एक रिक्त पद को उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। संस्था ने बताया है कि कभी कभी प्रोफेसर शैक्षणिक अभिरुचि के अपने अपने विषय में अन्य संगठनों से औपचारिक रूप से सम्भावी सहयोगी कार्यकलापों पर चर्चा करते हैं। फिर भी किसी विदेशी संगठन से इस प्रकार के सहयोग को, सरकार से परामर्श करने तथा उनका अनुमोदन उपलब्ध करने के पश्चात् ही अन्तिम रूप से स्वीरकार किया जाता है। चूंकि विशेष रूप से यह मामला अभी अन्वेषण स्तर की परिधि से बाहर नहीं था, अतः इस मामले को समाप्त कर दिया गया।

कलकत्ता में चीनी का उपलब्ध न होना

3761. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और उसके उपनगरों के खुले बाजारों में सितम्बर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में चीनी उपलब्ध नहीं थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यह सही है कि सितम्बर, 1972 के पिछले सप्ताह में कलकत्ता और उसके उपनगरों के खुले बाजारों में चीनी की कमी थी।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनकी तुरन्त कार्यवाही से स्थिति सुधर गई है।

Complaint against Doctor of Government Higher Secondary School, No. 3, Sarojini Nagar, New Delhi

3762. SHRI CHHATRAPATI AMBESH: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Deputy Director of Education, Education District 3, Defence Colony, New Delhi received a complaint from the Secretary, Scheduled Caste and Scheduled Tribe

Teachers' Association B-145, Amar Colony, New Delhi, on the 27th September, 1972 in which it has been mentioned that a doctor who gets Rs. 100 per month from the Government Higher Secondary School (Boys) No. 3, Sarojini Nagar, New Delhi, never visits that school; and

(b) if so, the action taken so far in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) An enquiry was conducted by the Delhi Administration, but the charges were found baseless.

देश में ग्रामीण पेयजल सप्लाई में तेजी लाने की योजना

3763. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण पेय जल सप्लाई में तेजी लाने की योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना के अन्त तक यह योजना कितने गावों में लागू होगी ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्चा आयेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्यय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति के केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 1972–73 के दौरान अनुदान देने के लिए बीस करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है। 1973–74 के दौरान कितना धन उपलब्ध होगा, उसका इस समय पता नहीं है। लेकिन आशा है कि यह राशि करीब 40 करोड़ रुपये तक होगी। 1972–73 तथा 1973–74 के लिये कुल 60 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था से चौथी योजना के अंत तक इस केन्द्रीय योजना के अंतर्गत लगभग 15000 गांव आ जाने की आशा है।

प्रबन्ध विकास संस्थान

3764. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रबन्ध विकास संस्थान स्थापित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : अहमदाबाद और कलकत्ता में दो अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किये जा चुके है। ये संस्थान, स्नातकोत्तर प्रबंध पाठ्यक्रम और उद्योग तथा वाणिज्य के कार्मिकों के प्रशासनिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये, प्रबंध-परामर्श सेवाएं भी प्रदान करते हैं। संस्थानों ने पी० एच० डी० डिग्री के लिए शोध कार्यक्रम भी शुरू किये है।

दो और प्रबंध संस्थान बंगलोर और लखनऊ में स्थापित किये जा रहे हैं।

आई० आई० टी० दिल्ली में कनिष्ठ अधीक्षक की नियुक्ति तथा सहायक रेजीडेन्ट इंजीनियर का वेतनमान

3765. **श्री जगन्नाथराव जोशी :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी० दिल्ली में एक कनिष्ठ अधीक्षक की नियुक्ति और सहायक रेजीडेंट इंजीनियर (बागबानी) का वेतन-मान अनियमित पाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, और इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ग) क्या 4 सितम्बर, 1972 को आई० आई० टी के बोर्ड आफ गवर्नस ने सहायक रेजीडेंट इंजीनियर (बागबानी) के पद को एक कार्यकारी अभियन्ता के पद में बदलने का निर्णय किया था ताकि वेतन-मान सम्बन्धी अनियमितता पर पर्दा डाला जा सके; और

(घ) उक्त कार्यवाही को पृष्ठभूमि के पूरे तथ्य क्या हैं उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रया है और क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1970 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की भवन तथा निर्माण समिति के अध्यक्ष ने प्रस्ताव किया था कि संस्थान के परिसर (प्रांगण) की देखभाल करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को रखने के लिए सहायक स्थानीय इन्जीनियर (बागबानी) का वेतनमान पर्याप्त नहीं था। यदि संस्थान एक अच्छा व्यक्ति रखना चाहे, तो सहायक रेजीडेंट इन्जीनियर (बागबानी) के पद के ग्रेड को परिशोधित करना बांछनीय होगा।

भवन निर्माण समिति की सिफारिशों पर संस्थान में इस मामले पर विचार किया और सहायक रेजीमेंट इन्जीनियर (बागबानी) के 350–900 रुपये के वेतनमान को 350–1250 तक ग्रेड को प्रोन्नत करने का सुझाव दिया। इसकी और आगे जांच–पड़ताल करने पर यह देखा गया था कि संस्थान द्वारा की गयी कार्रवाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद द्वारा स्थापित की गई योक्तिकरण समिति की सिफारिशों की सम्पुष्टि में नहीं थी। चूंकि इस प्रकार का वेतनमान के० लो० नि० वि० के किसी वेतनमान की संगति में नहीं था। योक्तिकरण समिति ने सिफारिश की कि संस्थान के निर्माण एंव अनुरक्षण एकक के काडर (सवर्गों) और वेतनमान नहीं होने चाहिए जो के० लो० में चल रहे हैं।

इस समिति ने और आगे इस बात की भी सिफारिश की कि शासी मण्डल इस बात का निर्णय करने में समर्थ है कि संस्थान के कौन से विशेष पद को संस्थान की आवश्यकताओं अनुसार कम अथवा उच्चतर वेतनमान में कर सके।

तदनुसार सितम्बर, 1972 यें शासी मण्डल द्वारा इस बात का निर्णय किया गया था कि 350–900 रुपये के वेतनमान के सहायक रेजीमेंट इन्जीनियर (बागबानी) के पद को 700–1250 रुपये के वेतन में रेजीमेंट इन्जीनियर पद तक प्रोन्नत कर दिया जाये।

बोर्ड ने और आगे यह निर्णय किया कि कानून 12(1) और 12(7) की गदीं के अनुसार प्रोन्नत पद को केवल उपलब्ध विभागीय उमीदवार की औचित्यता का निर्धारण करने के पश्चात् भरा जाये। और आगे कानून 12(3) (घ) की शतों के अनुसार निम्नलिखित प्रवरण समिति उमीदवार की औचित्यता का निर्धारण कर नियोक्ता प्राधिकारी को सिफारिश कर सकती है :—

(1) निदेशक — अध्यक्ष

(2) उप-निदेशक — उप-निदेशक के स्थान पर निदेशक द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(3) बोर्ड द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति :—

(क) प्रो० सी० एस० झा० सदस्य

(ख) श्री० दलजीत सिंह, सदस्य

निदेशक (वागवानी)

कृषि मंत्रालय,

कृषि भवन, नई दिल्ली।

(4) रजिस्ट्रार — मदस्य

केरल में राज्य कृषि फार्म निगम के लिए फार्म

3766. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में, जिला-वार, राज्य कृषि फार्म निगम द्वारा कितने कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं ; और

(ख) ये फार्म कहां कहां स्थित हैं और गत दो वर्षों में प्रत्येक फार्म पर कितना व्यय किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : केरल के कन्नानोर जिले के अरालम नामक स्थान पर केवल एक फार्म स्थापित किया गया है। वर्ष 1970–71 के दौरान, जिसका परीक्षित लेखा उपलब्ध है, इस फार्म पर लगभग 5.23 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 1971–72 में (जिसके लेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं) फार्म का कुछ व्यय लगभग 7.70 लाख रुपये था। इन आंकड़ों में भारत सरकार द्वारा वहन की गई भूमि की लागत तथा रूस से उपहारस्वरूप प्राप्त मशीनरी का मूल्य सम्मिलित नहीं है। इस समय भूमि की लागत 18.42 लाख रुपये है। वर्ष 1970–71 के अंत तक उपहारस्वरूप प्राप्त मशीनरी का मूल्य 15.92 लाख रुपये और वर्ष 1971–72 में इस प्रकार की मशीनरी का मूल्य लगभग 8 लाख रुपये था।

कृषि सुधारो और ग्रामीण विकास के लिए एशियाई-केन्द्र की स्थापना

3767. **श्री वाई० ईस्वर रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के एशिया और दूर-पूर्व के लिए हाल ही में नई दिल्ली में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के लिए एशियाई केन्द्र की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र के विशिष्ट कार्य क्या होगे ; और

(ग) यह केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्य और कृषि संगठन ने "कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के लिए एशियाई केन्द्र" के सम्बन्ध में एक क्षेत्रीय परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कायक्रम की स्वीकृति के लिए भेजी है। एशिया और दूर-पूर्व के लिए अक्तूबर, 1972 में नयी दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में खाद्य और कृषि संगठन ने क्षेत्रीय सम्मेलन में इस परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। सम्मेलन की अन्तिम कार्यवाही की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इनका दीर्घगामी उद्देश्य उन परियोजनाओं का पता लगाना बताया गया है जो क्षेत्र में सहयोगी सरकारों को अपनो मौजूदा कृषि संरचना और संस्थानों का समंजन करने और छोटे किसानों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भली भांती पूरा करने के लिए नयी संस्थाओं का विकास करने में सहायता प्रदान करेंगी।

परियोजना के तत्काल अथात् परियोजना के पहले चरण के उद्देश्य निम्नलिखित होगे :–

(1) सहयोगी सरकारों की सहायता से कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र की उपलब्धियों की जांच-पड़ताल करना, प्रगति में बाधक कठिनाइयों-विशेषकर छोटे किसानों काश्तकारों और कृषि श्रमिकों की आवश्यकता से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाना। इन समस्याओं को हल के लिए सम्भावय नीतियों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता के प्राथमिक कार्यक्रम का विकास करना भी परियोजना का उद्देश्य है।

(2) ऊपर दी गई तात्कालिक कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने या कम करने के उद्देश्य से गतिविधियां शुरू करने में सम्बद्ध सरकारीं की सहायता करना ;

(3) ऊपर दी गई मद संख्या (1) और (2) के सम्बन्ध में प्राप्त अनुभव और जानकारी के आधार पर केन्द्र क्षेत्रीय योजना का द्वितीय चरण तैयार करेगा और सरकारों से ग्रामीण विकास के तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगा और इन विचार-विमशों के परिणामों के अनुसार द्वितीय चरण के लिए परियोजना के दस्तावेजों को अन्तिम रूप देगा। इनके आधार पर राष्ट्रीय परियोजनायें भी तैयार की जायेंगी।

(ग) इस केन्द्र को जनवरी, 1973 में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में दैनिक मजूरी के आधार पर नियुक्ति

3768. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में बहुत बड़ी संख्या में दैनिक मजूरी के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायकों, सहायकों और क्लर्कों की सेवायें अनिश्चित काल के लिये बढ़ायी जा रही हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या उनके नाम, योग्यतायें, नियुक्तियों की तिथियां और उनके परिश्रमिकों का ब्यौरा देने वाली एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी : और

(ग) क्या इन पदों पर ऐसे योग्यता-प्राप्त व्यक्यिों की पदोन्नति करने का विचार है जो पहले से सेवा में हैं और जो गतिरोध तथा निराश का शिकार हो रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० सिन्डे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में दैनिक मजूरी के आधार पर कोई सहायक नियुक्त नहीं किया गया है। तथापि नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक तकनीकी सहायकों तथा निम्न श्रेणी लिपिकों के रूप में दैनिक मजूरी के आधार पर कुछ व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। इन सभी पदों को नियमित आधार पर भरने के लिये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करने वाले तकनीकी सहायकों तथा लिपिकों के नाम, योग्यतायें, नियुक्तियों की तिथियां और उनके पारिश्रमिकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तकनीकी सहायकों के पदों के भर्ती नियमों के अनुसार इन पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकता है। निम्न श्रेणी लिपिकों के पद सीधी भर्ती से और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा से भरे जाते हैं। जब कभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तो विभागीय उम्मीदवारों को, जो अपेक्षित योग्यतायें आदि पूरी करते हैं इन पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है और रोज़गार दफतरं द्वारा नामजद किए गए उम्मीदवारों के साथ-साथ उनके आवेदन पत्रों पर भी पूरी तरह विचार किया जाता है। अत: यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे विभागीय उम्मीदवारों में निराश; उत्पन्न हो।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में दैनिक मजूरी पर कार्य करने वाले तकनिकी सहायकों तथा निम्न श्रेणी के लिपिकों की सूची

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	योग्यतायें	पद	पारम्भिक नियुक्ति की तारीख	अदा किए जाने वाले दैनिक मज़दूरी दर
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरिन्द्र प्रसाद	बी० वी० एस० सी० और ए० एच०	तकनीकी सहायक	18-1-71	12/– रुपये
2.	श्री आर० सी० पी० सिंह	बी० एम० सी०	तकनीकी सहायक	28-1-71	12/– रुपये
3.	श्री जय गोपाल पान्डे	बी० एस० सी० (एग्री०)	तकनीकी सहायक	18-1-71	12/– रुपये

1	2	3	4	5	6
4.	श्री वी० के. बहल	बी० ए० (इकनामिक)	तकनीकी सहायक	1-9-70	12/– रुपये
5.	श्रीमती मालती प्रसाद	बी० ए०	तकनीकी लिपिक (सूचना)	13-5-71	7 रु० 40 पैसे
6.	श्रीमती ममता सेन गुप्ता	मैट्रिक	लिपिक	16-7-70	7 रु० 40 पैसे
7.	श्री विजय कुमार	बी० एस० सी० (भाग-1)	लिपिक	20-8-70	7 रु० 40 पैसे
8.	श्री ए० एस० पारमर	मैट्रिक	लिपिक	22-12-70	7 रु० 40 पैसे
9.	कुमारी सुषमा गुगलानी	मैट्रिक	लिपिक	8-2-71	7 रु० 40 पैसे
10.	कुमारी सविता कुमारी	मैट्रिक	लिपिक	20-12-71	7 रु० 40 पैसे
11.	कुमारी पदमा बंती	हायर सेंकन्ड्री	लिपिक	1-5-72	7 रु० 40 पैसे
12.	कुमारी कमलेश कुमारी	" "	लिपिक	11-5-72	7 रु० 40 पैसे
13.	कुमारी निशी	" "	लिपिक	26-5-72	7 रु० 40 पैसे
14.	कुमारी कमलेश	" "	लिपिक	31-5-72	7 रु० 40 पैसे
15.	श्री देवन नाथ	मैट्रिक	लिपिक (असमी टाइपिस्ट)	17-5-72	7 रु० 40 पैसे
16.	श्री पदमानव नायक	मैट्रिक	लिपिक (उड़ीया टाइपिस्ट)	9-12-72	7 रु० 40 पैसे

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के एक डाक्टर द्वारा सन्तोष कुमार गर्ग के बांये फेफड़े के हटाये जाने के विरुद्ध शिकायत

3769. **श्री पीलू मोदी :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सन्तोष कुमार गर्ग की माता श्रीमती चमेली देवी, 15/43 ओल्ड राजन्द्र नगर, नई दिल्ली से कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा, रोग का गलत पता लगाये जाने पर अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के किसी डाक्टर ने उनके पुत्र का बांया फेफड़ा निकाल दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है :

(ग) क्या मंत्रालय ने रोगी अथवा उनकी मां को सुने बिना ही जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो उसकी बात न सुने जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष डाक्टरों द्वारा स्वतंत्र जांच कराये जाने के बारे में विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) . (क), (ख), (ग) तथा (घ) जी हां। संतोष कुमार गर्ग की माता श्रीमती चमेली देवी ने शिकायत की थी कि वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्न्टीट्यूट, दिल्ली के चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही तथा गलत निदान के कारण उनके लड़के के फेफड़े का आपरेशन अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के किसी डाक्टर ने किया था। इस मामले के संबंध में वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली के निदेशक से एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गयी थी। इस मामले की परिस्थियों पर तथा रोगी के एक्सरे की रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद निदेशक ने कहा था कि सन्तोष कुमार गर्ग के मामले का वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्सटीट्यूट, में सही निदान किया गया था और उनका आपरेशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के एक प्रसिद्ध सर्जन द्वारा किया गया था । रोगी के कल्याणार्थ अनुभवी कार्य चिकित्सकों और सर्जनों ने बड़ी दिलचस्पी ली थी तथा फिजिशियन या सर्जन द्वारा किसी प्रकार की कोई भयंकर भूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता । जिन डाक्टर ने आपरेशन किया था उस के विचार में रोगी के फेफड़ों में और कोई विकार शेष नहीं रह गया था। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट के निदेशक द्वारा दिये गये इस उत्तर को दृष्टिगोचर करते हुए जिस डाक्टर के विरुद्ध शिकायत की गयी थी, उसकी ईमानदारी तथा निदान के सम्बन्ध में शक करना तथा मामले पर जांच करने के लिए उसे किसी समिति/आयोग को सौंपना तथा व्यक्तिगत रूप से रोगी या उसकी मां को मिलना आवश्यक नहीं समझा गया था।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान को विफल करने के लिए नलकूप लगाना

3770. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1972 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक किसान द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रस्तावित विधान को विफल करने के लिए अपनी भूमि पर नलकूल लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई मार्गदर्शी अनुदेश दिए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर सारे देश के लिए बनाये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में वर्ष में दो फसलें उगने वाली गैर-सरकारी स्रोतों से सिंचित 1.25 एकड़ भूमि को वर्ष में दो फसलें उगाने वाली सरकारी साधनों से सिंचित 1 एकड़ भूमि के बराबर मान कर कुछ रियायत दी गई थी। किन्तु इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि गैर-सरकारी स्रोतों से सिंचित ऐसी भूमि 18 एकड से अधिक नहीं होगी। मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह भी व्यवस्था की गई है कि 15 अगस्त, 1972 के बाद किसी गैर सरकारी सिंचाई योजना के पूरा होने पर पुन: वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसा केवल इस प्रयोजन से ही किया गया है जिससे कि भविष्य में गैर-सरकारी सिंचाई योजनाओं के विस्तार को धक्का न लगे।

अधिक उर्वरक की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुरोध

3771. **श्री सरजू पाण्डे**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के लिए अधिक उर्वरकों की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के उर्वरकों की मांग की गई है और अधिक उर्वरक मांगने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। राज्य सरकार ने सामान्यत: भारत सरकार से अनुरोध किया है कि सितम्बर, 1972 में हुए उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन में निर्धारित की गई मांग की तुलना में रबी 1972–73 के लिए राज्य की मांग विशेषकर रबी क्रैश कार्यक्रम की दृष्टि से अधिक होगी। उत्तसे क्षेत्रीय सम्मेलन में राज्य की एन की निवल मांग 2.18 लाख मीटरी टन, पी की 0.31 लाख मीटरी टन तथा के की 0.28 लाख मीटरी टन निर्धारित की गई थी, जबकि राज्य सरकार ने उपरोक्त अवधि के लिए 0.62 लाख मीटरी टन एन तथा 0.47 लाख मीटरी टन पी की और मांग की है।

Grant to Haryana for Installation of Tube-Wells

3772. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken a decision to give a grant of Rs. 4.25 crore to the Government of Haryana for installation of Tube-wells;

(b) if so, the amount actually given so far; and

(c) the number and location of Tube-wells to be installed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) to (c). No, Sir. The Central Government have not sanctioned any grant to the Government of Haryana for installation of tubewells. However, an amount of Rs. 1.72 crores has been sanctioned for construction of 100 tubewells in Hissar District and 100 deep tubewells in Ambala Tehsil.

पूर्वी राज्यों में लघु सिंचाई के लिए वित्त देने के बारे में जिला स्तर पर केन्द्रीय एजेन्सियां

3773. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम उत्पादन को बढ़ाने हेतु भूमि जल विकास कार्यक्रमों पर आधारित लघु सिंचाई के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करने के लिए पूर्वी भारत के राज्यों के प्रमुख भागों में, जिला स्तरों पर केन्द्रीय एजेंसियों बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : जी नहीं।

चौथी योजना में लघु सिंचाई योजनाओं पर किया गया व्यय

3774. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : 1969–70 से 1971–72 तक की तीन वर्षों की अवधि में लघु सिंचाई योजनाओं पर अनुमानत : कुल 654 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसमें से 294 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र से और 360 करोड़ रुपए संस्थागत क्षेत्र से खर्च किए गए हैं।

गंगा के बेसिन में सिंचाई के लिए भूमि जल का उपयोग

3775. **श्री के० एम० मधुकर :**

डा० रानेन सेन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के बेसिन में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भूमि जल के उपयोग की सम्भावनायें क्या हैं ; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि प्रयोजनों हेतु जल-समस्या हल करने के लिए भूमिगत जलाशय बनाना

3776. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि कार्यों के लिए देश की जल समस्या हल करने के लिए भूमिगत जलाशय बनाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत बोर्ड (विगत समन्वेषी ट्यूबवेल संगठन) अपने विभिन्न प्रभाग और परियोजनाओं के माध्यम से 1954–55 से ही देश के अनेक भागों में भूमिगत जल की खोज के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। हाल में भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण की भूमिगत जल शाखा को भी केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के साथ मिला दिया गया है। अब यह एकीकृत राष्ट्रीय संगठन अपने क्रिया-कलापों में और तेजी ला रहा है। इस समय गहरे बेधन के साथ-साथ खोज सम्बन्धी कार्य त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल-विज्ञान संबंधी बकायदा खोज भी की जा रही है। तीन विशेष परियोजनायें अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) से सहायता प्राप्त राजस्थान और गुजरात की परियोजना, कनाडा से सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश तथा मैसूर की परियोजना और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के नर्मदा नदी क्षेत्र के कछारी भागों में भूमिगत-जल संसाधनों की खोज के लिए परियोजना, भी कार्यान्वित की जा रही है। कुछ ही महीनों में इस किस्म की कुछ और परियोजनाएं आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

छोटे किसानों को ऋण

3777. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में छोटे किसानों को दिए जाने वाले ऋणों में बहुत कमी हुई है जबकि बड़े किसान अपने बागान और अंगूरों के बागों के लिए इनका लाभ उठा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो छोटे किसानों की सहायतार्थ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चालू वर्ष 1972–73 के लिए ऋण के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1969–70 और 1970–71 के ऋण के आंकड़ों से पता चलता है कि छोटे किसानों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। लघु कृषकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यक्ताओं को यथासंभव प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए सरकार ने भी एक नीति अपनायी है।

'छोटे किसान' विकास योजना की प्रगति

3778. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 और 1971–72 में 'छोटे किसान' विकास योजना की राज्यवार प्रगति भौतिक और वित्तीय रूप में क्या है ;

(ख) इसी अवधि में भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा वास्तविक सफलता (राज्यवार) का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति से सरकार सन्तुष्ट है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). लघु कृषक विकास एजेन्सी योजना के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 31–3–72 तक प्राप्त राज्यवार उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध I)। चुनीदा भागीदारों की भलाई के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों में लगाने हेतु प्रत्येक लघु कृषक विकास ऐजन्सी को 1.5 करोड़ रुपये की रकम आंवटित की गई है। प्रत्येक लघु कृषक विकास एजेन्सी से अपेक्षा की जाती है कि पांच वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान वह लगभग 50,000 छोटे किसानों को लाभ पहुँचायेगी। इस एजेन्सी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनींदा छोटे किसानों की खेती को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ भूमि और लघु सिंचाई आदि अन्य संसाधनों में सुधार करना, उपयुक्त काम धन्धों से अनुपूरित आदानों का प्रयोग करना भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। विभिन्न भागीदारों के कार्यक्रमों के लिए प्राप्त होने वाला धन आंशिक रूप से अनुदानों या आर्थिक सहायता से और आंशिक रुप से संस्थानिक स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋण से प्राप्त होगा। भारत सरकार ने समस्त परियोजना अवधि के लिए अस्थायी लक्ष्य स्वीकृत किए हैं। एजेन्सियां कार्य करने के लिए वर्ष-वार लक्ष्य अपनाती हैं। इन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनुदान और एजेन्सी क्षेत्रों में भागीदारों द्वारा प्राप्त किए गए संस्थानिक ऋण राज्यवार आधार पर अनुबन्ध II के विवरण में दिए गए हैं। (**ग्रन्थालय में रखे गये देखिवे संख्या** 3976/72)।

(ग) और (घ). भारत सरकार इस बात को ध्यान में रख कर ही कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करती है कि कुल कितने चुनींदा भागीदारों को लाभ पहुँचा है। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा की गई प्रगति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। कुल मिला कर देखा जाये तो कहा जा सकता है कि निर्बल वर्गों तक आर्थिक विकास के लाभ पहुंचाने की दिशा में अच्छी शुरूआत की गई है। परन्तु विभिन्न कारणों से आशा के अनुसार प्रगति नहीं हुई है। इसका एक मुख्य कारण क्षेत्र की सामान्य पिछड़ी आर्थिक स्थिति तथा दुर्बल वर्गों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित अवस्थापना की व्यवस्था करने में विलम्ब होना है। परियोजनाओं के लिए सुयोग्य कार्मिकों के मिलने में प्रशासनिक विलम्ब होना भी एक कारण है। विभिन्न तकनीकी विभागों में समन्वय स्थापित करने में भी समय लगा है। ऋण देने वाली संस्थाओं को धीरे धीरे इस बात के लिये तैयार कर लिया गया है कि वे छोटे कृषकों की विशेष आवश्यक्ताओं को पूरा करेंगे। इन कठिनाईयों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है और आशा है कि चालू वर्ष में और चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में प्रगति बढ़ जाएगी।

त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों के लिए शिक्षा का माध्यम

3779. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आदिवासी छात्रों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की लोर्ड व्यवस्था नही है यद्यपि त्रिपुरा क्षेत्र में ऐसे बहुत से प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें शत प्रतिशत त्रिपुरी भाषा भाषी छात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के मामले में अगस्त, 1968 में हुई राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्री की बैठक में की गई सिफारिश को कार्यरूप देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त द्वारा भेजी गई नवीनतम सूचना के अनुसार, त्रिपुरा में प्राथमिक स्तर पर कुछ ऐसे स्कूल हैं, जिनमें शिक्षा का माध्यम लुशई है और कुछ ऐसे स्कूल हैं, जिनमें त्रिपुरी भाषी छात्रों को त्रिपुरी के माध्यम से विषय-वस्तु समझाई जाती है। त्रिपुरा के बाकी अन्य स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बंगला है।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिपुरा की जनजातियों की भाषाओं के प्रयोग करने लिए त्रिपुरा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने 1 अगस्त, 1961 को हुई राज्य मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक में जारी किए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय केन्द्रीय भाषा संस्थान के जरिये, त्रिपुरा के जनजातियों की भाषाओं के विकास के लिए इन भाषाओं में प्राइमरों और रीडरों के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। विशेष रूप से, त्रिपुरा राज्य सरकार ने कक्षा I और II के लिए त्रिपुरी प्राइमर को दो भागों में तैयार किया है और उसे ऐसे 62 प्राथमिक और

जूनियर बुनियादी स्कूलों में जो जनजाति बहुत क्षेत्रों में स्थित है, प्रयोगात्मक आधार पर, लागू कर दिया है। अंग्रेजी-त्रिपुरी-बंगाला शब्द को भी तैयार कर लिया गया है जोकि त्रिपुरी में विभिन्न पुस्तकें तैयार करने में उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्ति राज्य सरकार ने एक व्याकरण की पुस्तक, त्रिपुरी में अनुवाद संबंधी एक पुस्तक, त्रिपुरी की कविताओं पर दो पुस्तकें और त्रिपुरी लोक गाथाओं पर एक पुस्तक प्रकाशित की है तथा त्रिपुरी में अनुदित कक्षा I और II के लिए गणित की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए भी कदम उठाए हैं। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने एक वैज्ञानिक स्वर विज्ञान, एक लघु वैज्ञानिक व्याकरण ध्वानीय रीडर, एक लघु बंगला-त्रिपुरी शब्द सूची और त्रिपुरी लोक-गाथा पुस्तक तैयार की है। संस्थान, त्रिपुरी में उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण को सुकर करने की दृष्टि से राज्य सरकार से सहयोग कर रहा है।

छात्रों को उनकी खोज करने की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता

3780. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों को स्कूल तथा कालेज स्तर पर खोज करने की उन की प्रतिभा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में क्या प्रोत्साहन एवं मार्ग-दर्शन दिया जाता है ;

(ख) किन राज्यों ने यह सहायता आदि देना पहले ही आरम्भ कर दिया है, और इसे कितनी सफलता मिलती है; और

(ग). क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). शैक्षणिक पद्धति में अन्वेषण प्रतिभा के लिए प्रोत्साहन निहित है तथा उसे इसका एक अभिन्न अंग होना चाहिए। विभिन्न शैक्षणिक प्राधिकारियों द्वारा अपनायी गई पाठ्यचर्या आमतौर पर इस प्रकार की प्रतिभा के प्रोत्साहन का अवश्य ध्यान रखती है।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को लागू न करना

3781. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम काफी समय पहले पास हो चुका है और इसे उचित रूप में लागू नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) सरकार इसके उपबन्धों को उचित ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). यह अधिनियम 1 जून, 1955 से लागू है। इस अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार ने अलबत्ता इस अधिनियम को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं। ऐसे पत्र दिनांक ४ फरवरी, 1972 की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** LT—3977/72]

अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास से संबद्ध एलायापेरुमल समिति ने इस अधिनियम के कार्य की जांच की थी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध उपबन्ध विधेयक, 1972 के जरिए इस अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है। यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति के सामने है।

राजस्थान के आवास बोर्ड को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

3782. **श्रीमती कृष्ण कुमारी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य आवास बोर्ड को आवास के लिए कार्यक्रम के लिए जीवन बीमा निगम ने यदि वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में अब तक कोई ऋण दिया है तो कितना ; और

(ख) इस राशि से बनाए गए मकानों का ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) समाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1970–71 से 1972–73 तक के वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को मेरे मंत्रालय द्वारा जीवन बीमा निगम के ऋण इस प्रकार नियत किए गए हैं :—

वर्ष	नियत की गई राशी (लाख रुपयों में)
1970–71	80.00
1971–72	80.00
1972–73	85.00

इसके अलावा, निगम ने राजस्थान आवास बोर्ड को 1971–72 वर्ष के दौरान 125.00 लाख रुपये को एक विशेष ऋण देना स्वीकार किया। तथापि, बोर्ड द्वारा अभी तक यह ऋण नहीं लिया गया है, क्योंकि वे निगम की ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर सके हैं।

(ख) उपरोक्त (क) में दिए गये विशेष ऋण को छोड़कर जीवन बीमा निगम के ऋणों को राज्य सरकार के योजना संबंधी साधनों का एक भाग माना जाता है। इन ऋणों की एकमात्र सहायता से बनाए गए टेन्मेन्टस के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

'यूनेस्को' के लिए 11.99 करोड़ डालर के बजट आवंटन का समृद्ध देशों द्वारा विरोध

3784. **श्री धर्मराव अफ़ज़लपुरकर**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समृद्ध देशों ने 'यूनेस्को' के लिए 11.99 करोड़ डालर के बजट आवंटन का तीव्रता से विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के अलग-अलग नाम क्या हैं, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया है और इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने के क्या क्या तर्क दिये गये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) कई विकसित देशों ने, यूनेस्को के महासम्मेलन द्वारा 1973–74 के लिए अपनायी गई दो वर्षीय बजट सीमा का विरोध किया था।

(ख) कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 119,954,000 डालर की बजट सीमा यूनेस्को महासम्मेलन द्वारा अनुमोदित की गई थी। 19 मतों के विरुद्ध 94 मत पक्ष में थे और 4 ने मतदान में भाग नहीं लिया था। मतदान की पद्धति निम्न प्रकार थी :—

पक्ष में:— साइप्रस, कोलम्बिया, कांगो जन गणतंत्र, कोरिया गणराज्य, कोस्टा रीका, आइवरी कोस्ट, दहोमे, डेनमार्क, संयुक्त अरब गणराज्य, संयुक्त अरब अमीर राज्य, इक्याडेर, स्पेन, इथोपिया, फिनलैंड, गबोन, घाना, गुआटेमाला, गयाना, हाटी, अपर वोल्टा, हौण्डरस, भारत, इंडोनेशिया, ईराक, ईरान, आयरलैंड, आइसलैंड, इजराइल, जमेका, जापान, केन्या, कम्बोडिया, कुवैत, लसायो, लेबनान, लायबेरिया, लिबिया, मैडागास्कार, मलेशिया, माली, मोरक्को, मोरिशश, मारीतानिया, मेक्सिको, मोनाको, नेपाल, नाइजर, नाइजिरिया, नार्वे, ओमान, पाकिस्तान, पेरु, फिलिपाइन, रुमानिया, रवान्दा, सिनेगाल, सायरा, लोने, सिंगापुर, सोमालिया, सूंडान, श्रीलंका, स्वीडन, सिरिया, तंजानिया, चाड, थाइदेश, तोगो, ट्रीनिडाड, तथा टौबेगो, टयूनिशिया, टर्की, उरुगुये, वेनेसूला, वियतनाम गणराज्य, यमन, दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य, यूगोस्लाविया, कांगो जनवादी गणतंत्र, जाम्बिया, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अलजिरिया, साउदी अरब, अर्जेन्टाइना, आस्ट्रिया, बहरीन, बारबेडो, बर्मा, बोलिविया, ब्राजील, बुरुंडी, केमेरुन, केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चिली, चीन।

विरुद्ध :— अमरीका, फ्रांस, हंगरी, लाओस, लक्जमबर्ग, मंगोलिया, न्यूजीलेंड, हालैंड, पौलैंड, इंग्लैंड, चैकोस्लोवाकिया, यूक्रेनीय, सोवियत समाजवादी गणतंत्र, रूस, जर्मन, संघीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया, बेलजियम, बाइलोरुसी सोवियत समाजवादी गणतत्रं, बलगेरिया, तथा कनाडा।

तटस्थ :—क्यूबा, यूनान, इटली, स्वीटजरलैंड।

बजट सीमाओं का विरोध ज्यादा तथा निष्फल खर्च से संबंधित शिकायतों पर आधारित था। यह अभिमत था कि यू० डी० पी० के अतिरिक्त खर्च सहित प्रशासकीय खर्च अपेक्षाकृत बहुत अधिक था तथा अत्याधिक सम्मेलन तथा बैठकें की गई थी, अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दौरे किए गए तथा अन्य ऐसे खर्च जिनका कार्यक्रमों के परिचालन की कार्यकुशलता में कोई योगदान नहीं था।

Memorandum from Students of Indian School of Mines, Dhanbad

3785. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether the students of Applied Geophysics of Indian School of Mines, Dhanbad have submitted a memorandum to him;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): (a) to (c). A memorandum has been received from the students of Applied Geophysics of the Indian School of Mines, Dhanbad regarding employment of all unemployed geophysicists, guarantee for employment for all future graduates in this discipline and holding of a competitive examination by Union Public Service Commission for employment of geophysicists on par with that held for geologists.

The School of Mines is only one of the centres for training geophysicists. There are other university centres giving the same type of training. It is not practicable to give guarantee of employment to all unemployed geophysicists. Nevertheless, every effort is being made to improve employment opportunities for the graduates of the Indian School of Mines, Dhanbad.

1971-72 में रुई के उत्पादन में कमी

3786. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में रूई के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। वास्तव में 1971-72 के दौरान उससे पहले वर्ष की तुलना में कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय अर्थात् 45.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो निम्न प्रकार है :—

(लिन्ट उत्पादन '००० गोंठों में— प्रत्येक गांठ-180 किलोग्राम)

वर्ष	उत्पादन	1970-71 की तुलना में वृद्धि
1970-71	4498.8	45.1 प्रतिशत
1971-72	6526.4	

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

वन्य जीवों वाले क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष 'विंग' बनाने में हुई प्रगति

3787. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में 15 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीवों वाले क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों के वन विभागों में विशेष 'विंग' बनाने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को राज्यों में अलग-अलग वन्य प्राणि विंग बनाने की आवश्यकता के बारे में पत्र लिखे थे। अब तक निम्नलिखित राज्यों में वन्य प्राणि विंग बनाए गए हैं :—

आसाम	–	दो वन्य प्राणि प्रभाग
हरियाणा	–	वन्य प्राणि परिरक्षण अधिकारी
जम्मू और काश्मीर	–	वन्य प्राणि प्रभाग
केरल	–	वन्य प्राणि प्रभाग (एक वनपाल की नियुक्ति के बारे में विचार किया जा रहा है)
महाराष्ट्र	–	वन्य प्राणि वार्डन (उप वनपाल)
मैसूर	–	निदेशक, वन्य प्राणि संरक्षण
उड़ीसा	–	वन्य प्राणि संरक्षण अधिकारी
पंजाब	–	प्रभारी उप वनपाल
तमिलनाडु	–	प्रभारी उप वनपाल
उत्तर प्रदेश	–	प्रभारी उप वनपाल (एक वनपाल की तैनाती के बारे में विचार किया जह रहा है)
हिमाचल प्रदेश	–	वन्य प्राणि वार्डन
पश्चिम बंगाल, गुजरात		वनपाल, वन्य प्राणि

अन्य राज्यों में इस मामले पर विचार किया जा रहा है और उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध न होने, धन राशि की कमी और वन–क्षेत्र छोटे होने आदि संबंधी कारणों की छानबीन की जा रही है।

मैसूर, तमिलनाडु, और केरल में वन्यजीवों के नए रक्षित स्थानों का विकास

3788. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर, तमिलनाडु और केरल के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में उन राज्यों में वन्य जीवों के नए रक्षित स्थानों का विकास करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या केरल के वायनाड के लिए भी इस प्रकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग): जी हां। 9 सितम्बर, 1972 को केरल, मैसूर, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु दक्षिणि राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन में मुदुमलाई (तमिलनाडु) और बांदीपुर (मैसूर) के मौजूदा दो आश्रय –स्थलों और उनके साथ लगते केरल के वायनाड के प्रस्तावित क्षेत्र को मिला कर एक बड़ा वन्य प्राणि–आश्रय स्थल बनाने के एक एकीकृत प्रस्ताव पर विचार किया गया था।

तदनुसार केरल द्वारा वायनाड में वन्य प्राणि आश्रय–स्थल की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की गई है। इसके लिए एक एकीकृत मास्टर प्लान तैयार करने हेतु इसे तमिलनाडु सरकार के पास भेज दिया गया है और वे इस पर विचार कर रही हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा गेहूं, मक्का, पटसन, धान और सब्जिओं के बीजों का निर्यात

3789. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने गेहूं, बाजरा, मक्का, पटसन, धान सब्जियों और फलों के बढ़िया किस्म के बीजों का निर्यात करके एशिया और यूरोप में नई मन्डियों पर अधिकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर फूलों के सम्बन्ध में, देशवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) फूलों के बीजों के निर्यात से कितनी आय हुई है और भारत में इस उद्योग को सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) विश्व के विभिन्न देशों को निर्यात हुये गेहूं, बाजरें मक्का, पटसन, धान सब्जियों और फूलों के बीजों की मात्रा और मूल्य को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3978/72]

(ग) इन्डोनेशिया को फूलों के बीजों के निर्यात से केवल 54.40 रु० की आय हुई है। इस सम्बन्ध में केवल शुरुआत की गई है।

दिल्ली में पिछले चार महीनों से गेहूं, चावल और चीनी के खुदरा मूल्य

3790. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत चार महीनों में, माह-वार, गेहूं, चावल तथा चीनी के खुदरा मूल्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मूल्यों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) गेहूं, गेहूं–उत्पादों, चावल और चीनी के वितरण के लिए संघ शासित प्रदेश दिल्ली भर में पर्याप्त संख्या में उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं।

विवरण

	औसत खुदरा मूल्य	रुपये-प्रति किलो में		
	अगस्त, 72	सितम्बर 72	अकतूबर, 72	नवम्बर 72
1. गेहूं (कल्याण)	0.96	0.95	0.95	0.97
2. गेहूं (देशी–दरा)	1.06	1.05	1.05	1.07
3. चावल (बासमती)	2.00	2.00	2.07	2.15
4. चीनी (क्रिस्टल)	3.75	3.83	3.96	3.85

खाद्य उत्पादन के द्रुत कार्यक्रम के लिये निधियों का उपयोग

3791. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उत्पादन के द्रुत कार्यक्रम के लिये सरकार द्वारा की गयी निधियों में से विभिन्न राज्य सरकारों ने कितनी कितनी राशि का उपयोग किया; और

(ख) क्या उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में संसदीय समितियों के माध्यम से कोई अध्ययन किया गया है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये अब तक कुल 147.29 करोड़ रुपये के ऋण की सहायता के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिसमें से 54.985 करोड़ रुपये की रकम राज्य सरकारों को दे दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी औषधि आदि आदानों की खरीद व वितरण के लिये अल्पावधि ऋण के रूप में 80.60 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। अभी राज्य सरकारों ने धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े नहीं भेजे हैं।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीय राजपथ संगठन

3792. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में राष्ट्रीय राजपथ संगठन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए सरकार का विचार एक केन्द्रीय निकाय स्थापित करने का है :

(ख) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ संगठन को एक पृथक एकक के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति सम्पन्न बनाया जा रहा है ; और

(ग) भारत भर में इन राजपथों का स्तर समान बनाने की आवश्यकता की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं। नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) अपने मुख्यालयों के माध्यम से जिनकी सहायता राज्यों में उनके क्षेत्रीय कार्यालय तथा इन्जीनियर सम्पर्क कार्यालय करते हैं ; ऐसे राज्य जो राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, के द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देख रेख करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) मानक तथा विशिष्टियाँ निर्धारित की गयी हैं और राज्य, ऐसे नक्शों तथा अनुमानों को तैयार करने के लिए तथा उन कार्यों के निष्पादन करते समय अनुपालन करते हैं ; जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। इन परिस्थितियों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य के मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभागों द्वारा निष्पादन के गुण पर विशेष जोर देने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

रबी मौसम के लिए उर्वरकों की सप्लाई

3793. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी मौसम के लिए उर्वरक सप्लाई की स्थिति बुरी से बुरी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). यद्यपि, 1972–73 की रबी की फसल की मांग की तुलना में उर्वरकों की उपलब्धि में कुछ कमी अवश्य है। इस प्रकार की परिस्थितियां इन कारणों से उत्पन्न हुई हैं :– (i) घरेलू उत्पादन की गति धीमी होना और (ii) आयात का अनुमान से कम होना ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :–

(1) राज्य सरकारों को अधिक उत्पादनशील किस्मों और निर्यातोन्मुखी फसलों जैसी प्राथमिकता वाली फसलों के लिए उपलब्ध उर्वरकों का वितरण करने की सलाह दी गई। इस मंत्रालय में राज्य सरकारों को ये अनुदेश भी जारी किए है कि वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धातों के आधार पर उपलब्ध उर्वरकों का अधिक कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए अन्य कदम उठाये (2) देशी विनिर्माताओं की निर्माण क्षमता के अधिक से अधिक उपयोग के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। (3) उर्वरकों की वितरण व्यवस्था सुधारने के भी प्रयास किये गये हैं। इनमें ये बातें सम्मिलित है :–

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी करके देशी विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य बनाना कि वे प्रत्येक फसल मौसम से पहले आयोजित किए जाने वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्यों से किए गए बातों के अनुसार उन्हें उर्वरक सप्लाई करे। (2) रेल व्यवस्था तर्कसंगत बनाने की योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के परिवहन में आने वाली अड़चनों का दूर करने के लिए, समस्त विनिर्माताओं के लिए विपणन क्षेत्र निर्धारित कर दिये गये हैं और अब उन्हें केवल अपने-अपने क्षेत्रों में ही उर्वरक वेचने की अनुमति होगी। इससे उर्वरकों को अनावश्यक तौर पर इधर-अधर ले जाने से वचाया जा सकेगा और उन्हें भेजने में विलम्ब कम होगा। (3) देश में उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

देश में निर्मित ट्रेक्टरों की मांग में कमी

3794 : **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों के अनुसार देश में बने ट्रैक्टरों की मांग में गिरावट आने का कारण सरकार द्वारा ट्रैक्टरों की ऊंची कीमत नियत करना, बैंकों द्वारा कृषि के लिये वित्तीय सहायता देने से आनाकानी करना तथा भूमि की अधिकतम सीमा कम करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ट्रैक्टरों की मांग को कम होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) ट्रैक्टरों की मांग में कमी हुई है। विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उद्योग निगमों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे पता चलता है कि मांग में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

(1) ऊंची कीमतें (विशेषकर सीमा–शुल्क, उत्पादन–शुल्क तथा अन्य शुल्कों की वजह से)।

(2) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावित कानूनों की वजह से अनिश्चितता।

(3) कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति।

(4) ऋण सुविधाएं देने में सख्ती कार्य-पद्धति सम्बन्धी दुष्कर औपचारिकताओं और ऋणों की मंजूरी में देरी।

(5) कुछ कृषि उद्योग निगमों द्वारा किराये के रूप में किस्त देकर खरीदने की सुविधाओं का स्थगन।

(ख) वाणिज्यक और भूमि बंधक बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधाओं को उदार बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। जहां तक सम्भव है, स्थिति को सुधारने के लिए अन्य उपाय भी विचाराधीन है। उद्यमकर्ताओं द्वारा कृषि-सेवा केन्द्रों और राज्य-कृषि-उद्योग निगमों के मरमत-भाड़े की सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है।

'यूनेस्को' के पूंजीनिवेश को नई दिशा प्रदान करना

3795. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने निर्धन देशों की प्रगति की दृष्टि से 'यूनेस्को' के पूंजीनिवेश को नई दिशा प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हुए सिफारिश की है कि प्रशासनिक खर्चे में कमी की जाये, राष्ट्रीय आयोगों को अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाये और ऐसे कार्यक्रमों के लिए उत्तरोत्तर अधिक धन दिया जाये, जिनसे विकासशील देश अपने पैरों पर खड़े हो सकें ;

(ख) क्या भारत ने 'यूनेस्को' से किसी प्रकार की सहायता मांगी है ;

(ग) क्या भारत ने 'यूनेस्को' के ऐसे कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए कहा है जिनसे समूचे एशियाई क्षेत्र को निश्चित सहायता मिल सकेगी; और

(घ) क्या भारत ने नई दिल्ली में हुए 1968 के एशिया में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यरू देने के लिए भी कहा है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को के 1973–74 के कार्यक्रम के अधीन, भारत सरकार की घोषित नीतियों को ध्यान में रखते हुए, सहायता के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) नई दिल्ली में हुए 1968 के एशिया के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (कास्टेशिया) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए, हम यूनेस्को पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। यूनेस्को के हाल ही के महा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने, इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करने की आवश्यकता की और सम्मेलन का ध्यान आकर्षित किया था। यूनेस्को के प्रवक्ता ने यह कहा कि कास्टेशिया के अधिकांश कार्यक्रमों (बहुपाठ्यचर्या केन्द्रों की स्थापना) में से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय तथा आवर्ती खर्च, यूनेस्को की सम्भावनाओं के बाहर है। ऐसी आशा है कि महा-सम्मेलन में हुए विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कास्टेशिया की कम से कम कुछ सिफारिशों को यूनेस्को के आगामी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

दिल्ली/नई दिल्ली में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना

3796. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली/नई दिल्ली में एक कमरे वाली बरसाती समेत सभी मकानों की किराये अत्यधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में किराया नियंत्रण आदेशों को लागू करने की सम्भावना है जिससे किराया कम हो जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो असहाय किरायेदारों की सहायता के लिए अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली में मकानों के किराये निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं किन्तु यह किसी भी प्रकार से दिल्ली की विशिष्ट विशेषता नहीं है और न ही सभी क्षेत्रों में इस वृद्धि को असाधारण कहा जा सकता है।

(ख) और (ग). दिल्ली किराया अधिनियम, 1958 में दिल्ली संघ क्षेत्र में किराये के नियंत्रण की व्यवस्था है। उसके अध्याय 11 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार, मानक किराया से अधिक किराया वसूल नहीं किया जा सकता तथा मालिक मकान अथवा किराये-दार द्वारा आवेदन करने पर किराया-नियंत्रक द्वारा मानक किराया नियत किया जाना अपेक्षित है।

राज्यों द्वारा उर्वरकों की मांग और इनका आयात

3797. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1971 में तथा 1972 में जून कुल तक कितना आयात किया गया और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां आयात किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1972–73 में रबी के लिये आवश्यक उर्वरको का यथा–संभव आयात करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। तथापि जितने उर्वरकों की आवश्यकता है, उतनी मात्रा में ये प्राप्त करने में कुछ बाधाएं हैं।

(ख) और (ग) : जून, 1972 में पोषकतत्वों के रूप में आयात की गई कुल मात्रा इस प्रकार थी :

वर्ष	आयात			(लाख मीटरी टन)
	एन	पी	के	एन पी के
1971 (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	5.03	1.49	2.54	9.06
1972 (1 जनवरी से 30 जून तक)	2.32	1.09	1.23	4.64

उर्वरकों का आयात निम्नलिखित देशों से किया गया था :

बेल्जियम, बुलगारिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मन जनतंत्रीय गणराज्य, यूनान, हालैंड, हंगारी, ईरान, इटली, जापान, कुवैत, नार्वे, पोलेंड, रूमानिया, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया, स्विडन, यूनाइटेड किंग्डम संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और परिचम जर्मनी।

देश में पांच सौ शैया वाले अस्पतालों के लिए केन्द्रीय अनुदान

3798. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन राज्यों में पांच सौ शैया वाले कितने कितने अस्पताल है ;

(ख) केन्द्र द्वारा इनको कितना अनुदान प्रति वर्ष दिया जाता है ; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के कितने अस्पताल खोलने का लक्ष्य था और इसमें कहां तक प्रगति हुई ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार आमतौर पर अस्पतालों को चलाने के लिए कोई अनुदान नहीं देती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

देश में 500 पलंगों वाले अस्पतालों की संख्या का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र :	
1. आन्ध्र प्रदेश	9
2. असम	8
3. बिहार	2
4. गुजरात	4
5. जम्मू व कश्मीर	2
6. केरल	8
7. मध्य प्रदेश	4
8. मद्रास	8
9. महाराष्ट्र	10
10. मैसूर	8
11. नागालैंड	1
12. उड़ीसा	1
13. पेंजाब	3

14.	राजस्थान	5
15.	उत्तर प्रदेश	6
16.	पश्चिम बंगाल	12
17.	हरियाणा	1
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—
19.	दिल्ली	7
20.	हिमाचल प्रदेश	
21.	मनीपुर	—
22.	पांडिचेरी	—
23.	त्रिपुरा	—
24.	लक्ष्यदीव मिनिकाय और अमिनदीव द्वीप समूह	—
25.	गोआ, दमन और दीव	—
26.	दादर और नगर हवेली	—
27.	नेपाल	—
28.	चण्डीगढ़	—
	योग :–	96

Loan to Madhya Pradesh for Water Supply Scheme

3799. SHRI DHAN SHAH PRADHAN:

SHRI G. C. DIXIT:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Central Government have sanctioned loan to Madhya Pradesh for completing water supply schemes; and

(b) if so, the amount thereof and the number of villages which will be provided water facilities and by what time indicating the means through which these facilities will be provided expeditiously?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): (a) During the Fourth Five Year Plan, the Central assistance is being given to the State Governments on the pattern of block loans and block grants of 70 and 30 per cent respectively for all development heads including water supply without reference to any particular head of development or scheme. The assistance is being released as ways and means advance.

(b) An outlay of Rs. 19.50 crores during the Fourth Five Year Plan has been recommended for Water Supply and Sanitation Sector for Madhya Pradesh out of which Rs. 9.50 crores have been earmarked for rural water supply schemes. It is expected that by the end of IV Plan Period, about 7,000 problem villages would be provided with water supply.

To accelerate the progress of rural water supply, a Central scheme for acceleration of rural water supply has also been initiated from 1972-73 and an additional grant-in-aid of Rs. 1.50 crores has been allocated for Madhya Pradesh during the current year. 8 Schemes covering 1,001 villages have been approved under this programme so far.

Outbreak of Gastro-enteritis in Panna (Madhya Pradesh)

3800. SHRI DHAN SHAH PRADHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the outbreak of gastro-enteritis in Panna town and rural areas of Panna District; and

(b) if so, the nature of assistance given to the Madhya Pradesh Government to check this disease and the reasons for outbreak of the said disease?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): (a) Yes.

(b) Government of India have provided Central assistance for Epidemiological Cell at State Headquarter and one Mobile Medical Unit to assist in epidemiological investigation and take control measures for gastro-enteritis in the affected areas. In addition, special Cholera workers have been provided for 13 endemic blocks. The State Government did not ask for any assistance for gastro-enteritis outbreak in Panna District.

A report from the State Government as regards the reasons for the outbreak is awaited. However, the general reasons are: (i) inadequate safe water supply in the area; and (ii) poor sanitation—indiscriminate disposal of refuse and night soil.

खिलाडियों का चयन और म्यूनिख ओलम्पिक पर हुआ व्यय

3801. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री मूल मन्द डागा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) म्यूनिख ओलम्पिक में कितने लोगों ने भाग लिया तथा उन्होने कितने पदक जीते ;

(ख) म्यूनिख ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाडियों, पर्यवेक्षकों, प्रशिक्षकों तथा डाक्टरों के चयन का क्या आधार था ; और

(ग) खिलाडियों द्वारा भाग लेने वाले खेल के समाप्त होने पर तुरन्त उनके भारत वापिस आने से कितनी धन राशि बचाई जा सकती थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) म्यूनिख ओलम्पिक में भाग लेने के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ ने 61 सदसीय दल (47 प्रतियोगी तथा 14 अधिकारी) भेजा। भारत ने हाकी में कांस्य पदक जीता।

(ख) भारतीय ओलम्पिक संघ के प्रस्तावों पर निम्नलिखित सामान्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा विचार किया गया था :

1. खिलाड़ी :–भाग लेने वालों का चयन उनकी तरुणावस्था सुधान करने की क्षमता तथा अगले महत्वपूर्ण अर्न्तराष्ट्रीय खेलों के लिए उन की उपलब्धता की संभावना के आधार पर किया गया था।

2. पर्यवेक्षक (प्रतिनिधि रेफरी निर्णायक और मध्यस्थ) : प्रतिनिधियों की सिपारिशें इस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात स्पष्ट हुई कि अपने अपने अर्न्तराष्ट्रीय खेलकूद प्रतिष्ठानों की बैठकों में भाग लेने के लिए उनका म्यूनिख जाना आवश्यक है।

ओलम्पिक के विभिन्न खेलों के लिए रेफरी तथा निर्णायक आदि के रूप में अपनी अपनी खेलकूद निकायों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को म्यूनिख में जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी।

3. प्रशिक्षक :–खेल में उनके अनुभव और जानकारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा सिफारिश किए गए प्रशिक्षकों की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

4. डाक्टर :–भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा सिफारिश किए गए अर्हता प्राप्त खेलकूद चिकित्सक डाक्टरों की नामावली में से चयन किया गया था।

(ग) भारत सरकार ने म्यूनिख जाने वाले भारतीय (खिलाड़ी) दल के सदस्यों को वापसी हवाई जहाज के किराये की अदायगी की थी। भारत सरकार ने भोजन और आवास व्यवस्था के खर्चों को वहन करने के लिये विदेशी मुद्रा की भी अदायगी की थी। शायद कुछ विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती थी यदि इस बात का प्रबन्ध किया जाता कि भाग लेने वाले (खिलाड़ी) उन के खेलों की समाप्ति के तत्काल बाद भारत लौट आते ? पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार के प्रबन्ध करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी थी।

म्यूनिख में खिलाडियों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ डाक्टरों का व्यवहार

3802. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री लालजी भाई :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूनिख ओलम्पिक, 1972 में खिलाडियों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ डाक्टरों के व्यवहार के बारे में कोई अनियमिततायें सरकार के ध्यान में लाई गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य अनियमितनायें कौन-कौन सी हैं ;

(ग) क्या सम्बद्ध विभाग की अनियमितताओं की कोई जांच की गयी है ;

और

(घ) जब ऐसी टीमें विदेश जाती है तो इस प्रकार की अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). कुछ अनियमितताओं की प्रेस में रिपोर्ट मिली थी। जांच करने पर आरोप गलत पाए गए थे।

पांचवी योजना में कृषि इंजीनियरों की आवश्यकता

3803. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री पन्नालाल बारुपाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में देश की कृषि इंजीनियरों सम्बन्धी आवश्यकता का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) आगामी वर्ष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कितने कृषि इंजीनियर स्नातकों की आवश्यकता होगी; और

(ग) बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यदि काई योजना बनाई है तो वह क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) अभी नहीं। किन्तु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पांचवी पंचवर्षय योजनावधि के लिये अपनी अपनी आवश्यकताओं के विषय में सूचना भेज दें। अभी जानकारी प्राप्त होनी है।

(ख) 103 (लगभग).

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित योजनायें तैयार की हैं :—

1. राष्ट्रीय प्रदर्शन।
2. जल प्रबन्ध सम्बन्धी अनुसंधान।
3. उच्च वर्ष सम्बन्धी योजनायें।
4. केन्द्रीय संस्थानों में पद।
5. वारानी कृषि सम्बन्धी अनुसंधान।

राष्ट्रीय राजपथों के मार्गों पर सुविधायें बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय निधि बनाने के बारे में अध्ययन दल की सिफारिश

3804. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की देश में राष्ट्रीय राजपथों के मार्गों पर सुविधायें बढ़ाने के लिये एक केन्द्रीय निधि बनाने के बारे में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिश पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों के साथ परामर्श करते हुए, अध्ययन दल की इस सिफारिश की जाँच की जा रही है।

Theft of Butter From Milk Bar of D.M.S. in Parliament

3805. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether butter was stolen from the Milk Bar of Delhi Milk Scheme in Parliament House in April, 1972;

(b) whether neither anything has come to light about this theft nor any investigation has been conducted in this regard so far; and

(c) if so, the reasons for not conducting any enquiry in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes. A small quantity of butter valued at Rs. 55.14 was reported short on 17-4-1972.

(b) The matter was immediately reported to the Security Staff of the Parliament House. The result of their investigation is awaited.

(c) Does not arise.

भूमिहीनों को आवास स्थल देने हेतु प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक गांव के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

3806. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक गांव, जिसमें भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने की जगह दी जायेगी के विकास सम्बन्धी योजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए राज्य को कोई सहायता देने का वचन दिया है और यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) . ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत परियोजना बनाने के लिए एकक सामुदायिक विकास ब्लाक हैं। 13 राज्य सरकारें अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने 2,101 विकास ब्लाकों/पंचायतों के बारे में योजना के अन्तर्गत परियोजना-प्रस्ताव भेजे हैं। बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिल नाडु तथा उत्तर प्रदेश की आठ राज्य सरकारों के 1,118 ब्लाकों/पंचायतों के बारे में परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं जिस में 7,21,611 आवास स्थल देने के लिये 910.37 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। स्वीकृत राशि में से 195.11 लाख रुपये 8 राज्यों को दे दिये गये हैं। बकाया राशि राज्यों द्वारा दी गई व्यय की वास्तविक प्रगति के आधार पर दी जायेगी।

राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य परियोजनाओं में से कुछ जांचाधीन हैं तथा कुछ अन्य पर राज्य सरकारों के विचारार्थ टिप्पणियां भेजी गई हैं।

इस योजना को पांचवी योजना की अवधि के दौरान चालू रखे जाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य सेवा नियमों का संशोधन

3807. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और गांवों के अस्पतालों और दवाखानों में डाक्टरों आदि की नियुक्ति के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, परन्तु ग्रामीण डाक्टरों की कमी उसमें बाधक है ;

(ख) क्या आर० एम० पी० कैडर बनाने के बजाय, जो ग्रामीण स्वराज्य के लिए खतरनाक है, दस साल से अधिक का सेवा काल पूरा करने वाले सरकारी डाक्टरों को नियुक्त करना उपयुक्त नहीं होगा ; और

(ग) क्या स्वास्थ्य सेवा नियमों में एक साधारण सा संशोधन करने से ग्रामीण डाक्टरों की कमी सरकारी डाक्टरों में उच्च पद के लिए प्रतियोगिता और युवा डाक्टरों को रोजगार के अवसर देने सम्बन्धी तीन समस्याओं का समाधान हो जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए इस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना तैयार की है।

(ख) और (ग). यह योजना, डाक्टरों की कमी अथवा उनमें फैली बेरोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में अथवा उनमें परस्पर होड़ की भावना को दूर करने की दृष्टि से परिकल्पित नहीं की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां इस समय चिकित्सा सहायता की प्राथमिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं, वहां बहुत थोड़े समय में किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र खोलने, वर्तमान प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने और चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने हेतु और बढ़िया सुविधायें देने के लिए सरकार एक दीर्घ कालिक योजना तैयार किये हुये हैं। केवल इस से आगे चल कर डाक्टरों की कमी और बेरोजगारी की समस्यायें दूर हो सकती हैं। इस बीच ग्रामीण चिकित्सकों का कैडर केवल इन दीर्घ कालिक प्रयासों का पूरक होगा, न कि उनका बदला।

दिल्ली में "चल शिशु सदन"

3808. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में समाज सेविकाओं के एक दल के निर्माण कार्य करने वाले उन प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की देखभाल करने हेतु "चल शिशु सदन" आन्दोलन चलाया है जिनके पास न तो घर का पता है और न घर है तथा जिनके पास वे न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं है जिनका उपयोग गंदी बस्तियों में रहने वाले निवासी करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस आंदोलन को वित्तीय सहायता देने तथा समाज सेवा के इस उच्च महान कार्य को करने वाले समाज सेविकाओं को समाज में आदर देने को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली में "नौकरी करने वाली माताओं बच्चों के लिये चल शिशु सदन" नाम की एक पंजीकृत संस्था है जो निर्माण करने वाले मजदूरों के उन बच्चों की देखभाल करती है जिन की माताएं दिन भर निर्माण स्थलों पर काम करती हैं। यह देखभाल चल शिशु सदनों के द्वारा की जाती है जो उनके खानाबदोश जीवन के उपयुक्त है। यह सोसाइटी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है।

देश में फार्मेसी अधिनियम, 1948 लागू करना

3809. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसी अधिनियम, 1948 का नियम 42(1) अभी सारे देश में लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसको कड़ाई के साथ लागू करना सुनिश्चित करने में अनुमानत: कितना समय लग जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख) . उत्तर प्रदेश, असम और केरल राज्यों तथा दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 42 को लागू कर दिया गया है। शेष राज्यों ने संभवत: फार्मेसी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण इस धारा को लागू नहीं किया है।

Level of Sub-soil Water in Madhya Pradesh

3810. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the gist of the studies conducted so far by Government in regard to drop in the level of sub-soil water especially in Madhya Pradesh as a result of installation of tubewells on a large number there; and

(b) the action being taken by Government to check it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) No report of the decline in groundwater level as a result of installation of tube-wells has been received from Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

दिल्ली में क्राफ्ट टीचरों और वर्कशाप इन्स्ट्रक्टरों के वेतनमान

3811. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्कूलों में काम कर रहे क्राफ्ट टीचरों, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टरों और हैन्डी टीचरों के पुनरीक्षित वेतनमान क्या हैं ;

(ख) इन पदों पर काम कर रहे अध्यापकों की सेवा में आने के लिये क्या अर्हतायें हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं ;

(ग) दिल्ली के पोलीटेक्नीक्स में काम कर रहे वर्कशाप इंस्ट्रक्टरों की सेवा में आने के लिये अर्हतायें कर्तव्य तथा वेतनमान क्या हैं ; और

(घ) वर्कशाप इंस्ट्रक्टरों को क्राफ्ट टीचरों के बराबर वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मन्नाम चीनी मिल, केरल संबंधी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

3812. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सितम्बर, 1972 में किसी अध्ययन दल ने केरल में चीनी मिल का दौरा किया था ;

(ख) क्या उसने इस संबन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब फी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने अप्रेल, 1971 में मन्नम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि०, पन्डलम (केरल) के कार्यकरण की जांच करने तथा इसकी पुनः स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सितम्बर, 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को केरल सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार तथा अन्य संबंधितों द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में होने वाली प्रगति पर निगरानी रखने के लिए मार्च, 1972 में एक अनुवर्ती समिति का गठन किया था। सितम्बर, 1972 में इस अनुवर्ती समिति के सदस्यों ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए मन्नम शुगर मिल्स का दौरा किया था। वे सामान्यत : इस बात से संतुष्ट थे कि केरल सरकार तथा मन्नम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड ने समिति की मूल सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास किया।

(ख) इस अनुवर्ती समिति से सरकार को किसी भी प्रकार की औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा नहीं की जाती थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिए आयुक्त के 19 वें प्रतिवेदन पर कार्यवाही

3813. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिये आयुक्त के 19 वें प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी. यादव : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 19 वीं रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाले टिवंवरण की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

उच्चतर काव्य अध्ययन के लिए कुमारन असन

3814. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या **संस्कृति** मन्त्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुमारन असन जन शताब्दी समारोह समिति से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उच्चतर अध्ययन के लिये कुमारन असन केन्द्र नामक उच्चतर अनुसंधान तथा अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिये 10 लाख रुपये अनुदान दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पीं० यादव): (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

"एफ० सी० आई० गोडाउन रैकेट नोबाडीज कन्सर्न" 5 नवम्बर 1972 के 'इंडियन नेशन' के प्रातः संस्करण में (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में हुई जालसाजी की किसी को चिन्ता नहीं) शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार

3816: **श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 5 नवम्बर, 1972 के पटना में 'इंडियन नेशन' के प्रात : संस्करण में ('एफ० सी० आई० गोडाउन रैकेट नोबाडीज कन्सर्न" (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में हुई जालसाजी की किसी को चिन्ता नहीं) शीर्षक से छपे समाचार की और उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य शिकायतें की गई हैं; और

(ग) सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य शिकायतें निम्नलिखित से सम्बंधित हैं :---

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की सप्लाई किए गये खाद्यान्नों में अत्यधिक बिजातीय तत्व ;

(2) उचित मूल्य की दुकानों के व्यापारियों से पल्लेदारों द्वारा मांगा गया अवैध भुगतान ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने अखबार में छपी बातों के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए एक प्रत्युत्तर जारी किया था जिसे 16-11-72 को 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित किया गया है । प्रत्युत्तर की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 3979/72.]

All India Whips' Conference held at Bhopal during November, 1972

3817. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the 8th All India Whips' Conference was held at Bhopal on the 3rd and 4th November, 1972;

(b) if so, the names of the parties whose whips participated therein;

(c) the main points of the decision taken therein; and

(d) the manner in which Government propose to implement them and since when?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in Annexure I. [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 3980/72]

(c) The recommendations adopted at the Conference are given in Annexure-II. [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 3980/72]

(d) The recommendations have been circulated to all (i) the Chief Ministers of States, (ii) Presiding Officers at the Centre and the States, (iii) Cabinet Ministers and Ministers holding independent charge at the Centre, and (iv) Leaders of Political parties/groups in the two Houses of Parliament.

These recommendations would be considered in due course at the appropriate levels. The action taken or proposed to be taken would be reported to the next Conference as per normal convention.

दिल्ली में सामाजिक तथा धर्मार्थ संगठनों को स्थानों का आवंटन

3818. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ सामाजिक तथा धर्मार्थ संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह निर्धारित राशि मामूली लाइसेंस शुल्क लेकर उनके लिये स्थानों की व्यवस्था करे;

(ख) यदि हां, तो किन संगठनों ने स्थानों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं;

(ग) किन संगठनों को आवंटन किया गया और किन-किन संगठनों के आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं; और

(घ) क्या तत्सम्बन्धी कसौटियों/अनुदेषों/नियमों को सभा-पटल पर रखा जायेगा?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दो विवरण संलग्न हैं—एक उन लोगों के बारे में है जिन्हें आवंटन किया जा चुका है तथा दूसरा उन के बारे में है जिनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 3981-72]

(घ) विभिन्न धर्मार्थ तथासामाजिक संगठनों से प्राप्त अनुरोधों पर प्रत्येक मामले के गुण अवगुण के आधार पर विचार किया जाता है और सामान्यता आवास का आवंटन बाजार दर पर लाइसेंस फीस की अदायगी पर किया जाता है। जिन मामलों में लाइसेंस फीस कम दर पर दी जाती है उन में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जाती है। इस बारे में कोई विशेष नियम और विनियम नहीं बनाए गये हैं।

वाणिज्यिक ब्लड बैंकों पर कानूनी प्रतिबंध

3819. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अक्तूबर, 1972 को चंडीगढ़ में हुये स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि ऐसे सभी वाणिज्यिक ब्लड बैंकों पर जो मनुष्य के रक्त को किसी वस्तु के समान खरीदते हैं कानूनी रोक लगाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: (क) जी हां।

(ख) स्वैच्छिक रक्तदाता अभियान विषयक 21 और 22 अक्तूबर, 1972 को चण्डीगढ़ में जो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसके प्रस्ताव/सिफारिशों इस मंत्रालय को अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के परामर्श से उन पर विचार किया जा रहा है।

म्यूनिख को भेजे गये खिलाडी दल पर हुआ व्यय

3820. **श्री लालजी भाई**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि म्यूनिख ओलम्पिक में खेल-कूद में भाग लेने के लिये भेजे गये भारतीय दल पर भारतीय और विदेशी मुद्रा में कुल कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (1) भारत सरकार द्वारा दल की यात्रा लागत पर भारतीय मुद्रा में अब तक खर्च किया गया व्यय 3,09,162 रुपये हैं। एयर इण्डिया से कुछ और बिलों की प्रतीक्षा है।

(2) भोजन तथा आवास, जेब खर्च, प्रासंगिक प्रकार आदि को पूरा करने के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ को स्वीकृत की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :–

डालर = 23,502

पौंड = 1,000

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बिना बारी के क्वार्टरों का आवंटन

3821. **श्री लालजी भाई** :

श्री पीलू मोदी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बिना बारी के बहुत बड़ी संख्या में क्वार्टर आवंटित किये जाते हैं, और क्या आवंटन सम्बन्धी नियमों में बार-बार परिवर्तन किये जाते हैं ;

(ख) क्या बहुत से क्वार्टर ऐसे व्यक्तियों को आवंटित किये जाते हैं जिनके पास अपने खुद के मकान हैं ; और

(घ) यदि हां, तो 1971–72 में बिना बारी के कितने क्वार्टर आवंटित किये गये, बिना बारी आवंटन के नियम क्या हैं और 1970-71 और 1971–72 के वर्षों में आवंटन करने सम्बन्धी नियमों में क्या परिवर्तन किये गए ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) सामान्य पूल के क्वार्टरों की रिक्तियों की केवल थोड़ी सी प्रतिशतता ही बिना बारी के आवंटित की जाती है। आवंटन नियमों में बहुत परिवर्तन नहीं किए गए हैं लेकिन सरकारी कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

(ख) जिन सरकारी कर्मचारियों के उनकी ड्यूटी के शहर में अपने मकान हैं, वे सामान्य पूल से बास के आवंटन के पात्र हैं तथा जिनके अपने मकान हैं उन को आवंटित किए गए क्वार्टरों की संख्या के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे गए।

(ग) 1971–72 के वर्ष में बीमारी के कारणों पर 300 आवंटन बिना बारी के लिए गए थे। 13 मई, 1972 से बीमारी के कारणों पर बिना बारी के आवंटन के उपबन्ध को आवंटन नियमों से निकाल दिया गया है। आवंटन नियमों के उपबन्धों में मंत्री के अनुमोदन से ढील देकर विशेष कष्टपूर्ण मामलों में चिकित्सा तथा अन्य कारणों पर तदर्थ आवंटन किए जाते हैं।

1970–71 तथा 1971–72 के वर्षों में सरकारी निवास–स्थान आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए थे :–

(I) जो अधिकारी उसे आवंटिन किए गए सरकारी मकान को वापस कर देता है उसके मामले पर मकान वापस करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उसी स्टेशन पर सरकारी वास के आवंटन के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा ; और

(II) 13–5–1972 से चिकित्सा कारणों पर बिना बारी के आवंटन के उपबन्ध को नियमों से हटा दिया गया है।

New suggestions to check adulteration in food articles

3822. SHRI M. S. PURTY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Central Government has given some new suggestions to the State Governments to check adulteration in food articles;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the names of the States which have utilised them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): (a) and (b). The following suggestions have been sent to the State/Union Territory Governments from time to time:

(i) The State Laboratories should be equipped with staff and equipment so as to meet the needs of the public. More laboratories may be opened wherever necessary.

(ii) The State Governments should constitute Committees to review the existing administrative machinery and laboratory facilities for the enforcement of the Act in their States and send their recommendation to the Committee of Ministers.

(iii) The State Governments should establish separate cells in their Directorate for the implementation of food laws.

(iv) The State Governments should provide wholetime food inspectors at the District level to begin with. The services of the food inspectors in their local bodies should be provincialised.

(v) For every 50,000 population there should be one whole time food inspector in Urban areas to begin with and ultimately there should be one food inspector for every 25,000 population. The work in the rural areas may be assigned to the Health Inspectors.

(vi) The delays occurring in launching of prosecution should be avoided and the judiciary should be requested to expedite the cases on priority basis.

(vii) The authorities empowered to sanction prosecutions under section 20 of Act should accord this sanction at the earliest.

(viii) Due publicity be given to the evils of adulteration by holding seminars, discussions, conferences or with the use of mass media measures.

(ix) Training courses should be provided for analysis.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Policy in regard to the present syllabus of Medical education

3823. SHRI M. S. PURTY: Will the Minister of HEALTH and FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Indian Union have adopted any concrete policy in regard to the present syllabus of Medical Education by which Medical facilities could be made available to the society; and

(b) if so, the outlines thereof and the steps taken by Government in this regard.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): (a) and (b). compliance with the recommendation of the Executive Committee of the Central Council of Health at its third meeting held in 1968, the Government of India appointed a committee headed by Shri B.P. Patel the then Secretary of the Department of Health and Family Planning to study all aspects of education and training of medical graduates in the light of national needs and resources and to consider the development of medical curriculum in relation to national requirements. This committee submitted its report to Government in 1969.

The Medical Education Committee, in its report, made suggestions regarding the M.B.B.S. curriculum in which it, *inter alia,* stated that the content of the curriculum should be so designed as to produce a basic doctor. The Committee felt that it was essential that adequate knowledge be imparted to the students in the basic medical sciences. The Committee made various suggestions regarding the curriculum in various subjects to be taught during pre-clinical, paraclinical and clinical teaching of a medical graduate during four and half years' course followed by one year of internship. Eighteen academic months have been recommended for the teaching of pre-clinical courses of Anatomy, Physiology including Bio-physics, Bio-chemistry and also for the teaching in Family Planning and Preventive and Social Medicine, and 36 months for para-clinical and clinical subjects. The Committee considered it necessary that courses of study and examinations in the para-clinical subjects of Pharmacology, Pathology and Microbiology be reorganised. The Committee opined that the study of para-clinical subjects may cover a period of two years after completion of the pre-clinical courses. During the first year instructions and examinations in Pharmacology, general Pathology and Microbiology and Parasitology and immunology would be undertaken and in the second year instructions and examinations be undertaken in special Pathology and Forensic Medicine. Paediatrics and Forensic Medicine may be taught during this period and the teaching and examination on Ophthalmology may or may not be included during this period. Paediatrics and Opthalmology are referred to as clinical subjects. During clinical courses the emphasis in the teaching of Under-graduates should be on the disciplines of medicine, surgery, obstetrics and gynaecology and paediatrics. The Committee suggested

that in medicine only those problems should be taught in detail that the basic doctor is expected to meet in his day to day work. Special stress, it was emphasised, should be laid on regional and national health problems known to occur in the geographical area in which the medical college is located. It was also recommended that teaching of Preventive and Social Medicine should form an integral part of medical studies for the M.B.B.S. course.

These recommendations were accepted by the Government of India in the form of resolutions which were forwarded to all the State Governments, Universities, Medical Colleges the Medical Council of India and others for follow up action. An expert committee is now being appointed to speed up the progress of implementation of these resolutions.

CENTRAL AID TO STATES FOR MILK PRODUCTION DURING FOURTH PLAN

3824. SHRI M. S. PURTY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the State-wise details of the help given by Government to the States for increasing the production of milk during the current Fourth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): Financial assistance to State Governments for State Plan schemes is being given on the basis of block grants by the Planning Commission. As such, it is not possible to give precise information in respect of assistance given to the State Government for schemes intended for increasing milk production. However, a statement indicating the funds provided by the Central Government to each State Government under the three Centrally sponsored programmes/schemes of (a) Progeny Testing Bulls, (b) Rinderpest Eradication, and (c) Intensive Cattle Development Project is attached. [*Placed in the Library See* L.T. No. 3982/72.]

प्राय: सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के क्षेत्र कार्यक्रम की प्रगति

3825. **श्री बनामाली पटनायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राय: सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में आरम्भ किये गये कार्यक्रम में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यह कहां तक सफल रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां।

(ख) 1970-71 से 1973-74 तक की चार वर्ष की अवधि में सूखाग्रस्त क्षत्र कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1970-71 में इस कार्यक्रम के शुरु होने से लेकर अधिकांशत: सितम्बर 1972 के अन्त तक राज्य सरकारों ने इस मद-में 41 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की थी।

(ग) अभी इस कार्यक्रम का जायजा ले सकना सभव नहीं है, क्योंकि इसके अन्तर्गत मंजूर की गई अधिकांश योजनाएँ अभी चल रही हैं।

उड़ीसा में ग्रामीण विकास दुके त कार्यक्रम में प्रगति

3326. **श्री बनमाली पटनायक**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में ग्रामीण विकास के दुत कार्यक्रम में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यह किस सीमा तक सफल रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह: (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1971-72 के लिए, ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को 183.00 लाख रु० की राशि आवंटित की गयी थी। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में 172.57 लाख रु० की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। राज्य में किए जा रहे व्यय को देखते हुए, राज्य सरकार को वास्तव में 126.87 लाख रु० की घनराशि दी गयी थी। 1971-72 में 116.43 लाख रु० का व्यय किया गया और इससे 43.47 लाख श्रमदिनों का रोजजगार पैदा हुआ है।

वर्ष 1972-73 के लिये, राज्य सरकार को उतनी ही राशि आबंटित की गई है जितनी कि पिछले वर्ष में की गई थी, अथार्त 183.00 लाख रुपये। अब तक राज्य सरकार को 91.50 लाख रु० की राशि दी गयी है। उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार सितम्बर, 1972 के अन्त तक, राज्य सरकार ने 74.87 लाख रु० का व्यय किया है इससे 30.04 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है।

(ग) 1971-72 में, आबंटित की गई अथवा प्रशासनिक मंजूरी दी गई घनराशि से कम व्यय हुआ, क्योंकि राज्य में कार्य केवल अक्तूबर, 1971 से ही आरम्भ किया जा सका। प्रारंभिक महीने परियोजनाओं को तैयार करने और अन्य प्रबन्धों को पूरा करने में लगे थे। उसके बाद बरसात और तूफान आए। वर्ष 1972-73 के लिए, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्य को सरल तथा कारगर बनाने के लिए कदम उठाए गए है। आशा है कि चालू वर्ष में राज्य सरकार को आबंटित की गई सारी घनराशि पूरी तरह से व्यय की जाएगी।

उड़ीसा में आदिवासी विकास खण्ड

3827. **श्री बनमाली पटनायक**: क्या **शिक्षा और समाज कलयाण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा में कितने आदिवासी विकास खण्ड स्थापित किए गये; और

(ख) आदिवासी विकास की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :(क) और (ख) : उड़ीसा में 75 आदिमजाति विकास खण्ड हैं। गत तीन वर्षों में कोई नया आदिमजाति विकास खण्ड स्थापित नहीं किया गया है।

उड़ीसा में आदिमजाति विकास खण्डों के लिए 472.00 लाख रुपए का चतुर्थ योजना आवंरित है। इसमें से गत तीन वर्षों में राज्य को 280.00 लाख रु० की धनराशि दे दी गई है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में अन्य आदिमजाति विकास खण्डों के लिए चतुर्थ योजना आवन्टन निम्न प्रकार है :–

	(रुपये लाखों में)
मैट्रिकोतर छात्रवृत्तियाँ	6.00
लड़कियों के छात्रावास	23.00
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	5.50
सहकारिता	45.00
अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण	7.00
	86.00

ऐसा अनुमान है कि विगत तीन वर्षों में 56.63 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी होगी।

हुगली पर दुसरे पुल के लिये विदेशी मुद्रा के बारे में केन्द्रीय सरकार और हुगली नदी पुल-आयुक्तों के बीच विवाद का समाचार

3828. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और हुगली नदी पुल आयुक्तों के बीच आयुक्तों द्वारा 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की माँजूरी की माँग पर विवाद हो जाने के कारण, पिसेप घाट के निकट हुगली पर दूसरे पुल के निर्माण कार्यक्रम में गतिरोध आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद को सुसझाने के लिये क्या कदम उठाये गए है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

ससंदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग). **राज्य सरकार ने भारत सरकार (वित्त मंत्रालय – अर्थ कार्य विभाग)**, को सम्बोधित अपने दिनाँक 21-7-1972 के पत्र में बताया था कि मुख्यत: पुल के डिजाइन एवं पर्यवेक्षण के लिए 8,18,375 पौंड की कुल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जो कि तत्पश्चात् सितम्बर, 1972 में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा 8,27,830 पौंड बतायी गयी थी। इसमें से, 56,000 पौंड भी की गयी थी। कुछ तकनीकी आँकड़े एवं विदेशी परापर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए औचित्य कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा प्राप्त किया गया था तथा राज्य सरकार से भी कुछ और विवरण भेजने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने दिनाँक 13-10-1972 के अपने पत्र में 8,27,830 पौडं की संशोधित आवश्यकताओं की पुष्टि की थी और अपेक्षित स्पष्टीकरण भी दिया था। आवश्यकताओं की जाँच की गयी है और तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) से 56,000 पौंड के बराबर विदेशी मुद्रा के विमोचन की सिफारिश की गई है।

उड़ीसा में पारादीप में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों की प्रगति

3829. **श्री बनमाली पटनायक**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप स्थित मछली पकड़ने के बन्दरगाहों पर कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) पारादीप पत्तन न्यास ने बन्दरगाह पर मछली पकड़ने के लिये एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी, जो फरवरी, 1972 में प्राप्त हुई। नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने योजनाओं तथा अनुमानों की जांच की और उनके अनुभवों के आधार पर पत्तन न्यास ने योजनाओं तथा डिजायनों की कुछ बातों की पुनः जांच की। नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर कृषि मंत्रालय संस्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्तावों की जांच के लिये आगे की कार्यवाही करेगा।

(ख) इन प्रस्तावों में वाणिज्यिक बन्दरगाह के अंतर्गत लगभग 65 मीन-ग्रहण जलयानों के लिये उतराई, घाट तथा अन्य बन्दरगाह की सुविधायें प्रदान करने के लिये एक मीन-ग्रहण बन्दरगाह बनाने का विचार है।

(ग) भारत सरकार ने परियोजना के विस्तृत प्रस्तावों की जांच तथा उनको तैयार करने के लिये 50,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। अभी परियोजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः निर्माण-कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया।

नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति

3830. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस के क्या कारण हैं कि नई दिल्ली में जार्जपंचम की मूर्ति के स्थान पर अब तक महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लगाई गई है ; और

(ख) वहां महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). सरकार अभी प्रतिमा समिति की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

PRIMARY EDUCATION IN STATES

3831. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the number of students receiving primary education in different States at present;

(b) the number of such students as have completed their primary education;

(c) whether 50 per cent of such students are unable to receive higher education; and

(d) if so, the number thereof and the progressive steps taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) A statement showing number of students receiving primary education (Classes I—V) in different States is enclosed. (Annexure I) [*Placed in the Library. See H. T. No.* 3988/72.]

(b) About 40% of children in the age-group 6—11 complete primary education up to class V.

(c) & (d) According to information available, about 34% of children in the age group 11-14 are enrolled in Middle Schools and 20 % of children in the age group 14-17 are enrolled in Secondary and Higher Secondary Schools. The measures proposed to be undertaken for increasing enrolment for the age group 6—14 are :—

(i) Introduction of a large scale programme of part-time education at the primary stage.

(ii) Multi-point entry into the school system.

(iii) Improvement of the quality of education and making it attractive to children.

(iv) Opening of new schools and sanction of additional teachers as required.

NEED OF CHEMICAL FERTILISERS IN STATES

3832. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the production capacity of the chemical fertiliser factories are adequate to meet the demand of various States for Chemical fertiliser; and

(b) the total quantity of fertilisers asked for by Uttar Pradesh during current year and the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE): (a) No, Sir. The domestic production capacity of chemical fertilisers at preesnt is not adequate to meet the requirements in the country. The position regarding the total expected requirement of fertilisers (in terms of plant nutrients), the expected installed production capacity and the estimated production for 1972-73 are shown below:

(in lakh tonnes)

	Nitrogen (N)	Phasphates ($P_2O_5$5)	Potash (K_2O)
Total requirements (1972-73):	22.00	8.00	4.50
Estimated installed Capacity (1972-73) :	16.34 to 19.38	5.60	nil
Estimates of production (1972-73) :	11.00	3.20	nil

(b) In the Northern Zonal Conference held on September 6, 1972, the net requirement of U.P. for Rabi 1972-73 was assessed as 2.18 lakh tonnes of N, 0.31 lakh tonnes of P and 0.28 lakh tonnes of K. The manufacturers were to meet the requirements to the extent of 1.02 lakh tonnes of N, .06 lakh tonnes of P and 0.28 lakh tonnes of K. The balance is to be met by supplies from the Central Fertiliser Pool.

मैसूर में नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना

3833. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा :**

श्री के० पी० उन्नकृष्णन :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र सरकार को छः जिलों में नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या ऐसे केन्द्रों की स्थापना अन्य राज्यों में भी की गई है ; यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). महानगरों के क्षेत्रों को छोड़कर जिला मुख्यालयों में स्थापित किए जाने वाले 100 नेहरू युवक केन्द्रों में से, अब तक नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 65 नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना के लिए संस्वीकृति जारी की गयी है :–

राज्य का नाम	स्थापित किए गए नेहरू युवक केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि रु०
आँध्र प्रदेश	8	1,20,000
बिहार	7	1,05,000
हरियाणा	2	30,000
महाराष्ट्र	8	1,20,000
मनीपुर	1	15,000
मध्य प्रदेश	9	1,35,000
मैसूर	6	90,000
उड़ीसा	5	75,000
पंजाब	3	45,000
उत्तर प्रदेश	10	1,50,000
अडंमान और निकोबार	1	15,000
पश्चिम बंगाल	5	75,000
	65	9,75,000

शेष केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्तावों को राज्य सरकारों से प्रतीक्षा की जा रही है।

नेहरू युवक केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(क) शारीरिक शिक्षा और खेलों की उन्नति करना तथा राज्य प्राधिकारियों और स्वैच्छिक संगटनों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा खोजना ;

(ख) 15-25 आयु वर्ग के स्कूल से बाहर के युवकों की औपचारिक शिक्षा के लिए एक समाज की व्यवस्था करना, जिसमें प्रौढ़ साक्षरता तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यकलाप भी शामिल हों, तथा

(ग) समाज सेवा के कार्यक्रम शुरु करना।

बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में दम्पत्तियों के विचार

3834. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना के अनुमान के अनुसार 64.3 प्रतिशत दम्पति बच्चों की संख्या चार निश्चित करना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनगणना अधिकारियों ने बच्चों की संख्या की सीमा के सम्बन्ध में पति और पत्नी दोनों के विचार दिए हैं ; और

(ग) क्या हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य समुदाय के लोगों से भी अपने विचार प्रकट करने को कहा गया था, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग). जी नहीं। जनगणना आयुक्त ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। बड़ौदा के संचालन अनुसन्धान मंडल (आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप) ने 1970 के उत्तरार्द्ध में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण आयोजित किया था जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि एक दम्पत्ति के कितने बच्चे होने चाहिए। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि 64.0 प्रतिशत दम्पत्तियों की राय है कि एक दम्पत्ति के चार अथवा कम बच्चे होने चाहिए। 6.3 प्रतिशत दम्पत्तियों ने कहा है कि कोई व्यक्ति जितने बच्चे चाहे, उतने पैदा कर सकता है जबकि 17.6 प्रतिशत ने कोई राय व्यक्त नहीं की है।

एक दम्पत्ति के कितने बच्चे होने चाहिए इस सम्बन्ध में बड़ौदा के संचालन अनुसन्धान मंडल (आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप) ने पतियों और पत्नियों दोनों के विचार प्राप्त किये हैं जोकि निम्नलिखित सारणी में दिये गए हैं :–

एक दम्पत्ति के कितने बच्चे होने चाहिए	पति	पत्नी	योग का प्रतिशत
			पति और पत्नी की औसत
1	0.2	0.3	0.3
2	8.5	8.6	8.5
3	32.5	30.4	31.4
4	24.4	23.1	23.8
5 और ऊपर	12.3	11.9	12.1
कोई जितने चाहे	6.3	6.3	6.3
कह नहीं सकते	15.8	19.4	17.6
योग	100.0	100.0	100.0

निम्नलिखित सारणी में हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्य के उन दम्पत्तियों का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी राय दी है कि, एक दम्पत्ति के कितने बच्चे होने चाहिए :—

बच्चों की संख्या	हिन्दु	मुसलमान	अन्य
चार तक	64.8	53.7	67.5
पांच	11.9	13.0	19.3
कोई जितने चाहे	5.9	11.9	3.5
कह नहीं सकते	17.4	21.4	9.7
योग	100.0	100.0	100.0

दिल्ली विश्वविद्यालय के रोहों से पीड़ित छात्र

3835. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री सत्य चरण बेसरा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के 50 प्रतिशत से अधिक छात्र रोहों से पीड़ित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की आँखों की नियमित रुप से जांच करने के संबंध में डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र से दिल्ली विश्वविद्यालय को जो योजना प्राप्त हुई थी, उस पर विश्वविद्यालय विचार कर रहा है।

(2) दिल्ली ने विश्वविद्यालय के छात्रों की चिकित्सा हेतु निरोधात्मक उपाय बरतने के लिये जिसमें उनके नेत्र रोग भी सम्मिलित हैं, समुचित अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के कुछ और पदों का सर्जन करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया है। वैसे, इस समय हर सप्ताह में तीन बार छात्रों की आंखों की बीमारी होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हैल्थ सैंटर के नेत्र क्लिनिक में विशेषज्ञ द्वारा इलाज की व्यवस्था की जाती है।

पंजाब और हरियाणा से उडीसा को भेजे गये गेहूं के वैगनों का लापता हो जाना

3836. **श्री राम भगत पासवान :**

श्री सत्य चरण बेसरा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा से उड़ीसा को भेजे गये 800 टन गेहूं के 27 वैगन गन्तव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंचे और इन के लापता होने का समाचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). मई, 1972 से अगस्त, 1972 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र से उडीसा को भेजे गए लगभग 82,000 मी० टन० गेहूं में से, लगभग 1,900 मी० टन गेहूं के 59 वैगन बुक किए हुए गन्तव्य स्थानों को नहीं पहुंचे थे। जांच करने पर यह पता चला कि दक्षिण पूर्वी रेलवे पर कार्यचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण रूरकेला स्पैशल के साथ जुड़े हुए 39 वैगनों को रेलवे ने धनबाद की तरफ भेज दिया था। रेलवे ने 8 वैगनों को—4 को दुर्गापुर और 4 को बालासोर—गलती से भेज दिया था और उनको वहीं खाली कर दिया गया था। लगभग 300 मी० टन गेहूं के 12 वैगनों का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में जांच प्रगति पर है।

रेलवे की कार्यचालन संबंधी रुकावटों, टर्मिनस की कठिनाइयों और रास्ते में वैगनों के जमघट, रेलवे के मध्यवर्ती विन्यास यार्डों में दबाव और अचानक अनपेक्षित स्थितियों को देखते हुए, इन वैगनों को मूलरूप से बुक किए गए गन्तव्य स्थानों से अन्य गन्तव्य स्थानों को मोड़ने से कभी कभी बचा नहीं जा सकता है। इन गुमशुदा वैगनों को अन्ततः ढूंढ लिया जाता है और रेलवे की सहायता से उन्हें मूल प्रेषणों के साथ जोड़ दिया जाता है।

खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी

3837. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री बी० के दास चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1970-71 और 1971-72 में खाद्यान्नों के उत्पादन मे कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी हुई है ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). वर्ष 1970-71 में खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। वास्तव में उस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य से लगभग 24.2 लाख मीटरी टन अधिक हुआ। फिर भी, वर्ष 1971-72 में देश में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में लगभग 73.5 लाख मीटरी टन की कमी रही है।

(ग) वर्ष 1971-72 में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी मुख्यतः फसल होने के समय प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण हुई है जिसके फलस्वरूप उस वर्ष खाद्यान्नों की बुवाई के क्षेत्र में लगभग 21 लाख हैक्टर क्षेत्र की कमी हुई। खरीफ के मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में सूखे तथा बाढ़ों का उत्पादन पर प्रतिकल प्रभाव पड़ा और रबी के मौसम के दौरान पाकिस्तान के साथ फौजी संघर्ष होने के कारण तटवर्ती राज्यों में फसलों को कुछ हानि पहुंची थी।

सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों लघु सिचाई सुविधाओं के विकास के लिये कुछ उपाय किये हैं और उसने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बांधों का निर्माण करके तथा सुरक्षित स्थानों पर नीचे की ओर बढ़ने वाले नदी नालों के माध्यम से बाढ़ के पानी को नदी में वापिस लाने के लिये रोकथाम के उपाय भी किये हैं।

जहाजरानी उद्योग के संवर्धन के बारे में युगोसलाविया और मिस्र के साथ नई दिल्ली में हुई बातचीत

3338. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी उद्योग के संवर्धन के बारे में यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणतन्त्र और भारत के बीच 13 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो जो बातचीत हुई उसकी मोटी रुपरेखा क्या है और बैठक में क्या निर्णय किए गए ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। नौवहन और वाणिज्यिक व्यवस्थापना के सम्बन्ध में मिस्र गणराज्य, यूगोस्लाविया और भारत के कार्यकारी दल की बातचीत नई दिल्ली में 13 नवम्बर से 17 नवम्बर, 1972 के बीच हुई।

(ख) विचार विमर्श, सामान्यतः नौवहन से संबंधित मामलों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए व्यावहारिक प्रस्तावों के तैयार करने से सम्बधित था। कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि तीनों देशों की राष्ट्रीय लाइनों के बीच माल की अधिक उपयुक्त सह भागिता

करने के सम्बन्ध में विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाये जायें। इस बात पर सहमति हो गई कि नौवहन सम्बन्धी अवसरों को बढ़ाने के लिये उपयुक्त भाड़ा दरों का सुझाव दिया जाए और तीनों देशों के बीच माल के लाने ले जाने से सम्बन्धित अन्य परिचालनात्मक मामलों से निपटा जाए। बम्बई, कैरो और रिणका में एक उपयुक्त समन्वयकारी संगठन स्थापित किया जाएगा जहाँ प्रत्येक सहभागी देश के नौवहन लाइनों के प्रतिनिधि रहेंगे।

प्रधान मंत्री को भेंट स्वरूप मिली वस्तुओं का विक्रय

3839. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री को भेंट में मिली वस्तुओं का विक्रय किया गया था और विक्रय से प्राप्त राशि प्रधान मंत्री महिला और शिशु निधि को दान के रूप में दे दी गयी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके तथ्य क्या है और उनसे कितनी राशि जमा हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). 17 नवम्बर, 1972 को एक मेला आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ ऐसी वस्तुएं बेची गई थी, जो समय समय पर प्रधानमंत्री को उपहारस्वरूप दी गई थीं। 4025.00 रुपए की जो राशि बिक्री से इकट्ठे हुई, उसे महिला तथा बाल कल्याण निधि में जमा करा दिया जाएगा।

विदेशी मिशनरी संगठनों द्वारा वित्तपोषित शिक्षा संस्थान

3840. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री विदेशी मिशनरी संगठनों द्वारा वित्तपोषित शिक्षा संस्थाओं के बारे में 29 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7681 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब तक सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण के अन्तर्गत दिल्ली में कोई भी सरकार से सहायता प्राप्त अथवा सरकारी संस्था विदेशी मिशनरी संगठनों से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रही है। जो स्वावलम्बी स्कूल सहायक अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गए खरीफ की वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही

3841. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने यह चेतावनी दी है कि सरकार के पास जुलाई 1972 को विद्यमान 95 लाख टन खाद्य भंडार मार्च 1973 तक लगभग समाप्त हो जायेगा और उसके द्वारा सुझाये गये खरीफ वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1972–73 मौसम के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खरीफ के अनाजों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गए हैं/जा रहे हैं :—

(1) कुछ राज्यों में चावल-मिल मालिकों/व्यापारियों पर लैवी की प्रतिशतता बढ़ा दी गई है।

(2) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ राज्यों में धान/चावल के अधिप्राप्ति मूल्य बढ़ा दिए गए हैं।

(3) सीधी ही खरीदारी करने के लिए केन्द्र खोले गये हैं और कुछ राज्यों के दूरवर्ती स्थानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सहकारी क्रय एजेंट नियुक्त किए गए हैं।

(4) अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने राज्य से बाहर प्राइवेट खाते में मोटे अनाजों के निर्यात पर संचलन संबंधी प्रतिबंध लगा दिए हैं।

(5) कुछ राज्य सरकारों ने मोटे अनाजों पर भी व्यापारियों पर लैवी लगा दी है।

(6) चोरी-छिपे खाद्यान्न ले जाने की रोकथाम करने संबंधी उपायों को और कड़ा कर दिया गया है।

(7) धान/चावल के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबंधों को जारी रखा गया है।

चीनी का रक्षित भंडार और चीनी सम्बन्धी नीति

3842. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1972 के 'स्टेट्समैन" में "बिल्डिंग आफ बफर स्टाक आफ शूगर, सेन्टर मे बी अनेबल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कुछ मास पूर्व घोषित की गई सरकार की चीनी सम्बन्धी नई नीति का क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या सरकार चीनी के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में एक दीर्घावधि नीति बनाने के लिए वचनबद्ध है और यदि हां, तो उक्त नीति की घोषणा कब की जायेगी ; और

(ङ) क्या यह सच है कि चीनी की सप्लाई की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 1972–73 के लिए चीनी और गन्ने की नयी नीति का उद्देश्य विशेषतया चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने का है ताकि धीरे धीरे चीनी का बफर स्टाक तयार किया जा सके। मौजूदा प्रवृतियों को देखते हुए पिछले वर्ष की अपेक्षा चीनी के उत्पादन में सुधार हो सकता है लेकिन इससे अधिक मात्रा में चीनी बचाई नहीं जा सकती है। सरकार द्वारा अधिसूचित गन्ने का न्यूनतम मूल्य, चीनी की कमी के समय, जैसे कि इस समय है, केवल सांकेतिक मुल्य हो सकता, लेकिन चीनी का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि चीनी कारखाने, चीनी के आंशिक नियंत्रण की योजना के अन्तर्गत गन्ने का अधिक मुल्य देने और गुड़ तथा खण्डसारी निर्माताओं का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने की स्थिति में हैं।

(घ) संसद् में 29 अगस्त, 1972 को घोषित चीनी की नीति का उद्देश्य गन्ने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दोनों अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय करना है।

(ङ) हालांकि इस वर्ष चीनी का पिछला बचा स्टाक कम है, लेकिन आशा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी का अधिक उत्पादन होगा ; अतः कुल मिला कर स्थिति और नहीं बिगड़ेगी।

सहकारी क्षेत्र में नए कृषि परिष्करण (प्रोसेसिंग) एकक

3843. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के निदेशों के अनुसार देश में सहकारी क्षेत्र में कितने कृषि परिष्करण (प्रोसेसिंग) एकक स्थापित किये गये ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से, जब से सहकारी कृषि विधायन यूनिटों को गठित करने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया, नवम्बर, 1972 के अन्त तक, सहकारी विकास के योजनाबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में 1967 नई कृषि विधायन यूनिटों का गठन किया गया और इनमें से 1439 यूनिटें स्थापित की गई।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री

3844. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पल्लाहारा से नामनकीरा तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 के पुलों को बनाने के लिए गत तीन वर्षों से सही नमूने का गोला पत्थर, रोड़ी और मुरम उपयोग में नहीं लाया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कुल कितनी हानि हुई और इस सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 के निर्माणाधीन कुइदापल्लाहारा घाट का निर्माण निर्धारित समय में पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) . सूचना कि राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर यथासमय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त आधुनिक भारतीय साहित्यक भाषायें

3845. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी में किन-किन आधुनिक भारतीय भाषाओं को साहित्यक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है ;

(ख) वे कौन सी भाषाएं हैं जिनके लिए मान्यता का दावा किया गया है लेकिन जिनके सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ग) विचाराधीन दावों पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) साहित्य अकादमी ने, अपने कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित भाषाओं को आधुनिक स्वतंत्र साहित्यक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है :—

(1) असमी, (2) बंगला, (3) डोगरी, (4) अंग्रेजी, (5) गुजराती, (6) हिन्दी, (7) कन्नड़, (8) कशमीरी, (9) मैथिली, (10) मलयालम, (11) मणिपुरी, (12) मराठी, (13) उड़िया, (14) पंजाबी, (15) राजस्थानी, (16) संस्कृत, (17) सिन्धी, (18) तमिल, (19) तेलुगु, (20) उर्दु ।

(ख) जिन भाषाओं के लिए मान्यता का दावा किया गया है किन्तु अभी तक निर्णय नहीं गया है, वे है :—

(१) भोजपुरी, (२) कोंकणी, (३) मगही, (४) नेपाली

(ग) मामला साहित्य अकादमी के विचाराधीन है ।

चौथी योजना में राष्ट्रीय राजपथ में बदली जाने वाली सड़कें

3846. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंच वर्षीय योजना में कौन कौन सी सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ में बदला जा रहा है तथा उनकी लम्बाई क्या है ;

(ख) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में किसी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या—** 3984/72] ।

(ख) और (ग). अभी तक पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण पर ही है। अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में किस सीमा तक नयी सड़कें शामिल की जा सकती हैं।

साहित्य अकादमी द्वारा देवनागरी लिपि में प्रकाशित पुस्तकें

3847. **नरायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न मान्यता प्राप्त लिपियों वाली भाषाओं के मामले में, उन पुस्तकों (उनके लेखकों सहित) के नाम क्या हैं जो साहित्य अकादमी द्वारा गत तीन वर्षों में देवनागरी लिपि में प्रकाशित की गई और वे किस-किस वर्ष में प्रकाशित की गई ;

(ख) एक शीर्षक के प्रत्येक संस्करण की कितनी-कितनी प्रतिलिपियां प्रकाशित की गई ; और

(ग) प्रत्येक पुस्तक की अब तक कितनी प्रतिलिपियाँ बिकी हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) साहित्य अकादमी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देवनागरी लिपि में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं :—

शीर्षक	लेखक	प्रकाशन का वर्ष
1. निबंधमाला (भाग–1) (बंगला में चुने हुए निबंध)	रविन्द्रनाथ	1970
2. निबंधमाला (भाग–2) (बंगला में चुने हुए निबंध)	रविन्द्रनाथ	1970
3. सचल सरमस्त जो चूंड कलाम (सिन्धी कवि की कविताओं का चयन)	सचल सरमस्त	1970

(ख) इन तीन कृतियों के प्रत्येक संस्करण की 1100 प्रतियां प्रकाशित की गई है।

(ग) 31-3-1972 तक प्रत्येक कृति के बिक्री के आंकड़े ये हैं :—

1. निबंधमाला (भाग-1)	6
2. निबंधमाला (भाग-2)	203
3. सचल सरमस्त जो चुंड कलाम	161

हरिजन विधवाओं और अपंगों को अनुदान

3848. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में मंत्रालय द्वारा हरिजन विधवाओं अथवा हरिजन अपंगों को कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान पाने वाले लोग के नाम तथा पते क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत हरिजन विधवाओं और अपंग हरिजन व्यक्तियों को अनुदान किए जाएं। फिर भी शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से धर्म, जाति या वर्ग का भेदभाव किए बिना उन जरूरतमन्दों और निर्धनों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो विशेष परिस्थितियों के कारण आर्थिक कठिनाइयों में गिरे हुए हैं। लाभन्वितों में हरिजनों की संख्या की सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना

3849. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह मांग की गई है कि यदि चंडीगढ़ को छः महीने के अन्दर पंजाब को नहीं सौंपा जाता, तो पंजाब विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में अतिथि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

3850. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अतिथि नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के परिणामस्वरूप राज्य-वार, कुल कितने मामले दर्ज तथा कितने मामलों में चालान किए गए हैं ; और

(ख) उन राज्य/राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये आदेश लागू हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अतिथि नियंत्रण आदेश निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लागू है :–

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोआ, लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह और पांडिचेरी।

विकास कार्यक्रम के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा दी गई सहायता

3851. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने सामजिक न्याय, आत्म निर्भरता और आर्थिक प्रगति पर आधारित विकास कार्यक्रम के लिए भारत को सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह सहायता किस प्रकार की थी और कितनी थी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य तथा कृषि संगठन अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर कार्य करने वाली संस्था है जो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या की गरीबी, अल्पाहार तथा भूख से बचाने के लिए कार्य करती है। खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्य कार्य पोषण, खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना और प्रसार करना और ऐसी तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिसके लिए भारत सहित सदस्य सरकारें अनुरोध करें।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन अपने क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता और सलाह देता है। वह अन्य बातों के साथ साथ परामर्शदाताओं, शिक्षा-वृत्तियों तथा उपकरणों के रूप में सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्तरूप से प्रायोजित विश्व

खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खायदान्नों, सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और खाद्य तेलों आदि के रूप में सहायता दी जाती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता प्राप्त 11 परियोजनायें चलाई जा रही है और वर्ष 1971–72 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई की गई जिन्सों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(मीटरी टनों में)

गेहूँ	चरी	सप्रेटा दुग्ध चूर्ण	वनस्पति तेल	बटर आयल (घी)	कार्न सोया मिल्क	मक्का
28310	2020	29037	1233	8400	30	30000

आर्थिक विकास की स्वीकृत परियोजनाओं और फीडर परियोजनाओं के लिए केवल जिन्सों के रूप में सहायता दी जाती है।

राजस्थान में फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3852. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने हैदराबाद में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को सहायता की पेशकश की है ;

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत में वनों के विकास के लिये सहायता की पेशकश की है और यदि हाँ, तो उसका स्वरूप और मात्रा क्या है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या हैदराबाद के संस्थान जैसा कोई केन्द्र राजस्थान में स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य तथा कृषि संगठन अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार दल का सदस्य है और इसने अर्ध-शुल्क कटिबन्धीय अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद की स्थापना और रखा-रखाव के लिये सहायता देने की पेशकश की है।

(ख) से (घ). स्वेडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के सहयोग से खाद्य तथा कृषि संगठन ने वर्ष 1971 में भारत में ऐसे क्षेत्री की खाज के लिये एक प्रारम्भिक दल भेजा था जहां अन्तर्राष्ट्रीय सहायता विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मई, 1972 में एक छोटा सा अन्तरिम दल भारत में आया था और उसने सिफारिश की थी कि 40,000 हैक्टर के कम से कम 5 क्षेत्रों की खोज की जाये जहां पर बड़े पैमाने पर वन-रोपण परियोजनाएं शुरू की जा सकें। 1973 के प्रारम्भ में भारत आने वाले दल का फेज–11 इसके सम्बन्ध में ब्यौरे को अन्तिम रूप देगा।

पंजाब से मक्का के निर्यात पर रोक और उसका खाद्यान्नों के मूल्यों पर प्रभाव

3853. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य से मक्का के निर्यात पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अन्य पड़ौसी राज्यों के खाद्यान्नों के मूल्यों पर इस रोक का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) निर्धन व्यक्तियों को सस्ती दरों पर मक्का तथा अन्य मोटा अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी में भारी मात्रा में खरीदारी को रोकने और सरकारी एजेन्सियों द्वारा मक्का की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। पासवर्ती राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में किसी उल्लेखनीय प्रवृत्ति को नहीं देखा गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय स्टाक के लिए उचित स्तर पर मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्य निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाने वाले मोटे अनाजों के उपभोक्ता मूल्यों को उसी स्तर पर रखें जिस स्तर पर केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्य हैं।

आवास और नगरीय विकास परिषद द्वारा गृहों के निर्माण हेतु राज्यों को ऋण

3854. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास परिषद ने कलकत्ता में गृहों के निर्माण हेतु कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण को धनराशि दी है और यदि हां, तो कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या देश के अन्य राज्यों को ऋण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो राजस्थान राज्य के लिये कितना ऋण दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम समिति ने

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार को कलकत्ता में 160 मनिकतला भेन रोड तथा पैकपारा में उस की दो संयुक्त आवास योजनाओं के लिए 235.50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम ने 12 राज्यों में 37 योजनाओं के लिए अभी तक कुल 4968 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसमें राजस्थान आवास बोर्ड को 333 लाख रुपये का एक ऋण शामिल है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कांडला पत्तन

3855. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास को घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या भीतरी प्रदेश के व्यापार क्षेत्र से कांडला पत्तन तक रेलवे लाइन है ; और

(ग) कांडला पत्तन के विकास से मुक्त व्यापार क्षेत्र को कितना लाभ होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। 2,58 लाख रुपये का लाभ दिखाते हुए 1971–72 वर्ष संबंधी पत्तन के लेख बंद हुए।

(ख) रेलवे की दोनों मीटर लाइन और बड़ी लाइन प्रणालियों से भीतरी प्रदेश जुड़ा हुआ है।

(ग) कांडला पत्तन से आने जाने वाले आयात और निर्यात जोकि अबाध व्यापार क्षेत्र के उद्योगों के लिए अभिप्रेत हैं, अभी तक उस सीमा तक काफी विकसित नही हुए जिससे कि पत्तन के विकास पर आवश्यक प्रभाव पड़ सके।

मरमागोआ पत्तन के लिए विकास कार्यक्रम

3856. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मरमागोआ पत्तन पर आरम्भ किये गये विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) क्या पत्तन न्यास को लाभ हो रहा है ; और

(ग) लोह अयस्क नियोत पर गैर-सरकारी व्यापारियों का एकाधिकार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मारमुगाव पत्तन विकास परियोजना की मुख्य मुख्य बात निम्न प्रकार हैं :—

(1) 13.7 मीटर गहराई तक प्रवेश मार्ग का और 13.10 मीटर की गहराई तक घुमाव थाल और अयस्क पाये तक पहुंच मार्गों का निकर्षण,

(2) लगभग 75 एकड़ भूमि का सुधार,

(3) घाटों और पहुंच मार्गों के सामने और गहराई करके बाद में 1,00,000 डी डब्लयू टी अयस्क वाहकों के घाट की व्यवस्था के लिए उपर्युक्त नीवीं के लिए प्रारम्भिक चरण में 60,000 डी डब्लयू टी अयस्क वाहकों के घाट की व्यवस्था के लिए एक अयस्क पाये का निर्माण। अयस्क पाये में 4 बजरों वाले घाट सहित एक बजरा थाला होगा।

(4) प्रति घंटा 8000 टन की निर्धारित लदान क्षमता वाला यांत्रिक अयस्क धरा उठाई संयंत्र। अयस्क धरा उठाई संयंत्र समूह में स्टेकर, शिप-लोड़र, वकेट वील रिक्लेमर, सर्जविन, ट्रांस्फर हाऊस, बजरा उतार पद्धति आदि की व्यवस्था शामिल है।

(5) खनिज तेल यातायात की धरा उठाई के लिए अयस्क घाट के साथ गहरे डुबाव वाले तेल घाट का निर्माण, और

(6) तिरते जलयान की अधिप्राप्ति जिसमें मुख्य रूप से 2500 सीयू० एम० हापर चूषण निकर्षक, 2 नम्बर। 30 टन बोलाई पुल टग और नम्बर 1 शामिल है।

250 सीयूं० एम० हापर क्षमता का ग्रैब निकर्षक

(ख) गत चार वर्षों के लिए मारमुगाव पत्तन न्यास के निवल अधिशेष निम्न-प्रकार से हैं :—

1968–69	...	74.09 लाख रुपए
1969–70	...	48.43 लाख रुपए
1970–71	...	86.44 लाख रुपए
1971–72	...	43.19 लाख रुपए (अन्तिम)

(ग) पत्तन के लोह अयस्क निर्यात यातायात में निजी निर्यात-कर्त्ताओं का मुख्य हिस्सा है। माइन्स एण्ड मिनरल्ज ट्रेडिंग कारपोरेशन भी जोकि एक सरकारी क्षेत्र संगठन है, पत्तन पर कार्य कर रहा है। पिछले चार वर्षों के लोह अयस्क के निर्यात के संबंध में निजी निर्यात कर्त्ताओं और सरकारी क्षेत्र के संबंधित हिस्से निम्नप्रकार से हैं :—

(आंकड़े लाख टनों में)

	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	कुल निर्यात
		एम० एम० टी० सी०	
1968–69	68.15	10.07	78.22
1969–70	74.63	6.18	80.81
1970–71	83.00	9.55	95.44
1971–72	99.08	6.44	105.52

सूरजमुखी और सोयाबीन की काश्त

3858. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामेशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बंताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रालय देश में सूरजमुखी की काश्त के अन्तर्गत भूमि को दोगुनी करने की योजना को क्रियान्वित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि विशेष प्रोत्साहन देकर दक्षिण में सूरजमुखी की काश्त तथा उत्तर में सोयाबीन की काश्त को बढ़ावा दिया जाय ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु राज्यों के 180,000 हैक्टार क्षेत्र में सूरजमुखी के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंजूर की गई है। वर्ष 1973–74 के दौरान इस योजना को न केवल उपरोक्त राज्यों में जारी रखा जाएगा बल्कि अन्य राज्यों के कुल 350,000 हैक्टार क्षेत्र में भी इसे लागू करने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं :—

(1) विशेष कर्मचारियों पर होने वाला 100 प्रतिशत व्यय ।

(2) किसानों को ऐसे मिनीकिट निःशुल्क प्रदान करना जिनमें आधे हैक्टार के लिये पर्याप्त बीज, सीड ड्रैसर और समस्त लक्ष्यांकित क्षेत्र की पैकेज पद्धतियों से सम्बन्धित साहित्य हो।

(3) प्रदर्शनों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 300 रुपये प्रति हैक्टार तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

भारत सरकार ने वर्ष 1972–73 के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के 59,000 हैक्टार क्षेत्र में सोयाबीन का विकास करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंजूर की है। वर्ष 1973–74 तक इन राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत 100,000 हैक्टार क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं :—

(1) विशेष कर्मचारियों पर होने वाला 100 प्रतिशत व्यय।

(2) उन्नत बीजों की लागत पर 25 प्रतिशत सहायता देना बशर्ते कि यह सहायता 60 रुपये प्रति क्विन्टल से अधिक न हो।

(3) वनस्पति रक्षण रसायनों और हाथ से चलने वाले उपस्करों की लागत पर 25 प्रतिशत सहायता देना।

(4) प्रदर्शनों के आयोजन के लिए आदानों की लागत को पूरा करने के लिए 500 रुपये प्रति हैक्टार तक वित्तीय सहायता देना।

एक ही जाति में विवाह पर रोक

3859. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सामाजिक सुधारों पर आयोजित विचार गोष्ठी में यह सिफारिश की थी कि राज्य द्वारा कानूनी कार्यवाही से एक ही जाति में विवाह पर रोक लगाई जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग म उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 24 सितम्बर, 1972 को हैदराबाद में आयोजित एक विचार–गोष्टी में इस प्रकार की सिफारिश की गई थी।

(ख) सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

उर्दू समिति का प्रतिवेदन

3860. **श्री सरजू पांडे :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा स्थापित 16 सदस्यीय उर्दू समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) इस समिति को अब तक कितने बैठकें हुई हैं तथा समिति ने किन-किन स्थानों का दौरा किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरल हसन) : (क) उर्दू प्रवर्धन-समिति से आशा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट अब से लगभग छः मास के भीतर प्रस्तुत कर देगी।

(ख) समिति ने अब तक छः बैठकों का आयोजन किया है, जिन में से दो दिल्ली में, और एक एक बम्बई, हैदराबाद, लखनऊ तथा श्रीनगर में हुई थी।

दिल्ली में हरिजन बस्तियों के सुधार के लिए धनराशि का उपयोग

3861. **श्री सरजू पांडे :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन ने हरिजन बस्ती के सुधार के लिए नियत धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है ;

(ख) क्या कुछ धनराशि समाप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी थी तथा इस संबंध में उदासीनता बरतने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : हरिजन बस्तियों के सुधार के लिए निम्नलिखित धन-राशियां दिल्ली नगर निगम को दी गई थीं।

पिछले वर्ष की खर्च न की गई शेष धन-राशि।	मंजूर की गई धन राशियां (रुपये लाख की राशियों में)			
	1969–70	1970–71	1971–72	योग
1.50	13.50	10.00	15.00	40.00

निगम ने प्राप्त की गई 40.00 लाख की धन राशि में से अब तक 38.00 लाख रुपये व्यय किए हैं। निगम द्वारा बकाया राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए जाने की आशा है। इस प्रकार खर्च न की गई कोई धन राशि नहीं बचेगी।

जहां तक चल रहे वित्तीय वर्ष का सम्बन्ध है, इस प्रयोजन के लिए 15.00 लाख रुपये की व्यवस्था है। दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यक्रम तैयार किये गए हैं जिन पर 15.00 लाख रुपए की धन राशि खर्च होगी और उन्हें दिल्ली नगर निगम के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने की आशा है?

भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ को अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ से संबंद्ध करना

3862. **श्री मोगेन्द्र झा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ को अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ से सम्बन्ध कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत को क्या लाभ होगा?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ ने भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ से अपना सदस्य बनने के लिए अनुरोध किया है और इस प्रयोजन के लिए दोनों संघ एक दूसरे से संपर्क स्थापित किये हुए हैं।

दिल्ली तथा अन्य नगरीय क्षेत्रों में मकानों की निर्माण लागत में वृद्धि

3863. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य नगरीय क्षेत्रों में मकानों की निर्माण लागत में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या लागत को कम करने के लिए आवास तथा नगरीय विकास निगम कुछ कार्यवाही करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां। तथापि निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि ने सामान्यता अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति का अनुसरण किया है।

(ख) और (ग) मकानों की निर्माण की लागत को कम करने के लिए आवास तथा नगर विकास निगम ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) एक अनुसंधान तथा विकास समिति स्थापित की गई है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के प्रसिद्ध इंजिनीयर तथा वास्तुक शामिल हैं।

(2) निर्माण तकनीकियों तथा वर्तमान सामग्री के स्थान पर सस्ती सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में नवीनतम विकास की सूचना एकत्रित करने तथा उसका वितरण करने के लिए देश तथा विदेश में विभिन्न निर्माण अनुसंधान संस्थाओं से सम्पर्क रखा जाता है।

(3) क्ले बांण्डिड फलाई एश ब्रिक्स के निर्माण हेतु तकनीकी आर्थिक अध्ययन आरम्भ करने का कार्य का राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया है।

(4) सम्बन्धित राज्यों को योजना के लिए ऋण स्वीकृत करने से पहले योजनाओं के ले-आउट, अभिकल्पों तथा विशिष्टियों की पूर्ण जांच की जाती है तथा जहां कहीं सम्भव होता है बेहतर तथा अपेक्षाकृत सस्ते मकानों के लिए संशोधनों का सुझाव दिया जाता है।

(5) आवश्यक भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई में वृद्धि के लिए भवन निर्माण सामग्री सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना। विस्तार के लिए ऋण स्वीकृति के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भ में दो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं— एक इंटों के निर्माण के लिए तथा दूसरी काष्ठ–कार्य एकक के लिये।

फसल की उपज से आय

3864. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र में फसल उपज से कुल कितनी आय हुई है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कृषि फसल उत्पादन से होने वाली कुल आय के अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि 1967–68 से 1969–70 तक के गत 3 वर्षों की अवधि के लिए (जिसके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है) कृषि तथा पशूपालन व डेरि उद्योग के अनुषंगी बार्यकलापों से 'फेक्टर कास्ट' के अधार पर प्राप्त होने वाली निवल श्राय को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है :—

कृषि से प्राप्त होने वाली कुल आय

(फेक्टर कास्ट के श्राधार पर)   (रु० करोड़ों में)

वर्ष	वर्तमान मूल्यों के श्रनुसार	वर्ष 1960–61 के मूल्यों के श्रनुसार
1967–68	14569	7193
1968–69	13859	7165
1969–70	14905	7539

नोट :

कृषि में निम्नलिखित साम्मिलित हैं:—

(1) फसलों, फलों, सूखे मेवों, बीजों श्रौर सब्जियों श्रादि का उत्पादन (2) चाय, काफी श्रौर रबर के बागान (3) फामों श्रौर गांव की शामलात भूमि पर पेड़ लगाना (4) कटाई गट्ठे बनाने श्रौर गहरई करने, शिलके उतारने, भूसा श्रलग करने विपणन के लिए तम्बाकू तैयार करने, कीड़ों को नष्ट करने श्रौर छिड़काव करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सिंचाई व्यवस्थाश्रों का प्रबन्ध श्रादि करने के लिए फीस या ठेके के श्रधार पर शुल्क श्रौर फीस के श्रधार पर बागबानी सेवाश्रों की व्यवस्था करना (5) फार्म की इमारतों श्रौर खेती की मशीनों से किराये के रूप में होने वाली श्राय तथा कृषि ऋण प्राप्त होने बाला व्याज (6) गैर-सरकारी चिकित्सा सेवाश्रों के साथ-साथ पशुश्रों श्रौर कुक्कुटों का पालन श्रौर प्रजनन करना (7) दूध श्रौर दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करना (8) वध, मांस की काट-घांट तैयारी (9) कच्चे चमड़े, खालों, श्रण्डों, कच्ची ऊन, शहद श्रौर रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना श्रौर (10) शिकार करना श्रौर पकड़ना।

कृषि से प्राप्त होने वाली श्राय श्रन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन में उतार-चढ़ाव होने के कारण प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है।

नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पूस्तकालय में अन्य पुस्तकालयों से पुस्तकें

3865. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्ताकालय में सप्रू हाउस श्रौर काशी विद्यापीठ श्रादि श्रन्य पुस्तकालयों को पुस्तकें है ; श्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या ये पुस्तकें नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्ताकालयों को उधार दी गई है अथवा दान में दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय ने कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों से पुस्तकें आदि भेंट के रूप में प्राप्त की हैं। सप्रू हाऊस पुस्तकालय और काशी विद्यापीठ पुस्तकालय ने कोई भी पुस्तक दान के रूप में नहीं दी है।

जैसा कि आम व्यवहार है, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय भी प्राय: अन्तर पुस्तकालय ऋण के आधार पर अन्य पुस्तकालयों से पुस्तकें लेता भी है और उनको देता भी है। पुस्तकालय ने इस प्रकार सप्रू हाऊस पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें उधार के रूप में प्राप्त की हैं। ऐसी पुस्तकों की संख्या जो अध्येताओं की सुविधा के लिए उधार ली जाती है, हमेशा कम होती है।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दूसरी पारी चलाना

3866. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 अगस्त, 1972 को दिल्ली अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष को यह कहा था कि उनका मंत्रालय मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दूसरी पारी चलाने के लिए सिद्धान्तत : सहमत है ; और

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन उपकुलपति तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की थी ; और

(ग) यदि हां, तो दूसरी पारी चलाने और 133 प्रीमेडिकल विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परीवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय :) (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम श्रेणी के प्रिमेडिकल छात्रों को एम० बी० बी० एस० कोर्स में दाखला देने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिये दिल्ली अभिभावक संघ कुछ प्रतिनिधि 24 अगस्त 1972 की स्वास्थ्य मंत्री से मिली-बातचीत के दौरान मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में द्वितीय पारी चलाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। मंत्री ने संघ के प्रतिनिधियों को बताया कि वे मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में दूसरी पारी चलाने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हैं परन्तु पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद को शैक्षिक सुविधा की दृष्टि से और दिल्ली प्रशासन प्रशासनिक व्यावहारिकता की दृष्टि से इसका अनुमोदन करना होगा। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् के सुझाव प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से सलाह करनी पड़ेगी।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले को दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् की सिफारिशें इस मंत्रालय को मिल गई थीं, तथापि उपकुलपति ने दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी परिषद की सम्बोधित अपने दिनांक 1 सितम्बर, 1972 के पत्र में, जिसको एक प्रतिलिपि इस मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की गई थी, यह कहा था कि वे निम्नलिखित प्रबन्धों में से किसी एक को स्वीकार कर सकेंगे :—

(1) एक नया मेडिकल कालेज खोलना,

(2) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में दूसरी पारी चालू करना, और

(3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित दिल्ली के चारों मेडिकल कालेजों में इन विद्यार्थियों को बांटना।

दिल्ली प्रशासन ने अपने 6 सितम्बर, 1972 के पत्र में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वे मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दूसरी पारी आरम्भ करने के प्रस्ताव से सहमत हैं। तथापि उन्होंने प्रथम श्रेणी के प्रिमेडिकल छात्रों के प्रवेश के आम प्रश्न के विषय में 30-8-1972 को दिल्ली प्रशासन की कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से इस मंत्रालय को अवगत कराया था। स्वास्थ्य मंत्रालय को जो प्रस्ताव मिला था वह नीचे उद्धृत किया गया है :—

"कार्यकारी परिषद् द्वारा प्रथम श्रेणी के प्रिमेडिकल छात्रों के प्रवेश के प्रश्न पर विचार किया गया। कार्यकारी परिषद् ने गम्भीरता से यह महसूस किया कि जहां तक सम्भव हो सके इन छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था होनी चाहिए बशर्ते कि शिक्षा परिषद् जिनके पास यह मामला पहले से ही विचाराधीन है, अपनी सम्मति दे दे। स्वास्थ्य मंत्रालय से इस आशय की सिफारिश की जाय।"

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। उपर्युक्त प्रस्ताव में इस बात का खासकर उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या इस कालेज में दूसरी पारी सम्भव है अथवा नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय फिटनस कोर के निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यलयों का मनमाने ढंग से बंद किया जाना

3867. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिटनस कोर के कर्मचारियों को निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को मनमाने ढंग से बन्द किये जाने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) कर्मचारियों को हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). 23-5-72 को राज्य सरकारों को सूचित की गई स्थानान्तरण

की उदार शर्तों से, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा, यदि आवश्यक हो, अपने यहां खपाये गए अनुदेशकों के वेतन और भत्ते का खर्चा, जब तक वे सेवा में रहें, वहन करना स्वीकृत किया था। यह आशा की जाती थी कि राज्य सरकारें शीघ्र ही अनुदेशकों को अपने अधिकार में ले लेंगी। अतः पहले से उपलब्ध प्रशासकीय स्टाफ का केवल कुछ भाग, 30-6-72 के बाद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों के शेष प्रशासकीय कार्यों के कार्यान्वयन के लिए संस्वीकृत किया गया था। क्योंकि कुछ राज्यों द्वारा अनुदेशकों को अपने अधिकार में लेने में विलम्ब हो गया था अतः उपलब्ध स्टाफ के लिए समय पर सभी प्रशासकीय कार्यों को देखना संभव नहीं था। जो मुख्य किस्म की कठिनाई मंत्रालय के ध्यान में आई है वह वार्षिक वेतनवृद्धियां लेना और चिकित्सा-प्रतिपूर्ति और अग्रिम राशियों के अनुरोधों का निपटान करना है। फिर भी, पर्यवेषी अनुदेशीय स्टाफ की सेवाओं के जरिए इन मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय फिटनैस कोर के कर्मचारियों को स्थायिवत घोषित करना

3868. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिटनैस कोर के कुछ कर्मचारियों को स्थायीक कर्मचारीं घोषित करने से इन्कार कर दिया था हालांकि वे सभी शर्तों को पूरा करते थे।

(ख) यदि हां, तो उनको स्थायीवत घोषित करने से इन्कार करने के क्या कारण है, और

(ग) कुल कितने कर्मचारियों को स्थायिवत् कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है तथा इसके कारण क्या हैं और उनके मंत्रालय का विचार पात्र कर्मचारियों को स्थायिवत् कर्मचारी घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Hospital for Najafgarh Town, Delhi

3869. SHRI PHOOL CHAND VERMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether there is no hospital for Najafgarh Town; Delhi Area and the villages of that Block, despite their population being 1 or 1½ lakhs;

(b) if so, the time by which a hospital would be started in that area; and

(c) the steps taken so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): (a) Yes.

(b) and (c). A proposal for upgrading the existing Primary Health Centre, Nazafgarh into a 25 bedded miniature hospital is under consideration.

Harijan Students in Central Schools

3870. SHRI PHOOL CHAND VERMA: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the total number of Central Schools being run by the Central Government in the country at present and the percentage of Harijan students in these schools;

(b) the total number of Harijan students in these schools in Madhya Pradesh and Delhi; and

(c) whether Government are aware that many irregularities have been committed in giving admission to the Harijan students and if so, the total number of complaints received in this regard indicating the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) The total number of Central Schools in the country at present is 156 with a total enrolment of 1,06,028 and the percentage of Harijan students in these schools is 2.14%.

(b) The total number of Harijan students in the schools in Madhya Pradesh and Delhi is 268 and 143 respectively.

(c) No complaint regarding irregularity was made as such. A few cases of non-admission of Scheduled Castes/Scheduled Tribes students were referred to the Sangathan which were duly looked into.

ला डिग्री के लिए प्राईवेट पत्राचार पाठ्यक्रम

3871. **कुमारी कमला कुमारी**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय का विचार वर्ष 1973 से एल० एल० बी० पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो एस० नुरूल हसन): ऐसा कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण

3872. **कुमारी कमला कुमारी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुनापार क्षेत्र (दिल्ली) के अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है और वास्तव में जरूरतमन्द व्यक्तियों को औषधियाँ सप्लाई नहीं की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) शाहदरा जनरल अस्पताल, सिविल अस्पताल शाहदरा तथा प्रसुति गृह, शाहदरा को दिल्ली नगर पालिका चला रही है। ये तीनों अस्पताल, सभी रोगियों की आवश्यक औषधियाँ मुफ्त देते हैं। इनकी स्थिति भी खराब नहीं कही जा सकती। दिल्ली प्रशासन शाहदरा में मानसिक रोग अस्पताल चला रहा है। इस अस्पताल की स्थिति खराब होने या वास्तव में जरूरतमन्द लोगों को दवाई न मिलने के संबन्ध में भी कोई शिकायत नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

संसदीय सौध, नई दिल्ली का निर्माण कार्य

3873. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय सौध, नई दिल्ली का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार किया जा रहा है अथवा उसमें देरी हुई है; और

(ख) यह भवन कब तक तैयार हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख). कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है तथा इस समय ऐसा लगता है कि यह कार्य केवल 1973 के अन्त तक ही पूरा हो पायेगा। तथापि, कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बंगलादेश शरणार्थियों को सप्लाई की गई औषधियों की लागत

3874. **कुमारी कमला कुमारी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 नवम्बर, 1972 तक भारत में आये बंगलादेश के शरणार्थियों को कुल कितनी लागत की औषधियाँ सप्लाई की गई हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : लगभग 9,36,57, 446.00 रुपये की । इस में लगभग 6,74, 28,377 रुपये के मूल्य की दवाइयां अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से मिली हैं ।

सेवानिवृत्त रेलवे पेंशनभोगियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधा देने की अनुमति

3875. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ उठाने दिया जाता है जैसा कि 19 जुलाई, 1971 को घोषित किया गया था ;

(ख) क्या मंडलीय रेलवे कर्मचारियों को, जो रेलवे औषधालयों से दूर रहते हैं, इन सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है ; और

(ग) क्या केन्द्र का विचार इन पेंशनभोगियों को ऐसी सुविधा देने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) पहली जुलाई, 1965 से इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं दिल्ली/नई दिल्ली में रह रहे केन्द्रीय सरकारी सिविल पेंशनभोगियों को भी सुलभ करा दी गई हैं। ये सुविधाएं सभी सिविल केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को दे दी गई हैं। इनमें वे फैमिली पेंशन भी सम्मिलित हैं जो इन सुविधाओं का लाभ उठाने चाहते हैं। ऐसा करते समय उनकी पेंशन की राशि का कोई भेद-भाव नहीं रखा जाता।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं क्षेत्रीय रेलवे कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात् वे रेलवे अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) रेलवे पेंशनभोगियों की केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध कराने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मैसूर को उर्वरक की सप्लाई

3876. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में मैसूर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को कितना उर्वरक सप्लाई किया गया हैं ; और

(ख) रासायनिक खादों की अत्याधिक कमी को देखते हुये मंगलौर पत्तन से माँडिया जिले को उर्वरक भेजने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अप्रैल, 1972 से नवम्बर, 1972 के दौरान मैसूर राज्य को केन्द्रीय उर्वरक पूल से 20,432 मीटरी टन एन० तथा 786 मीटरी टन पी० की सप्लाई की गई थी। राज्य की मांग पूरा करने के लिए और सप्लाई चालू वर्ष के शेष महीनों के दौरान की जायेगी।

(ख) राज्य सरकारों को पूल के उर्वरकों की सप्लाई, पूल की एककों द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रेषण अनुदेशों के अनुसार की जाती है। उन प्रेषण अनुदेशों में माल प्राप्त करने वाले के ब्यौरे आदि का उल्लेख होता है। यह ब्यौरा प्राप्त होने पर विभिन्न पत्तनों या डिपुओं से पूल के उर्वरक की व्यवस्था की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि मैसूर राज्य को पूल के उर्वरक की सप्लाई मद्रास, मंगलौर, गोवा, तूतिकोरिन, पांडिचेरी आदि विभिन्न पत्तनों से की जाती है। किसी विशेष जिले की सप्लाई को दी जाने वाली विशेष प्राथमिकता और राज्य में उर्वरक के आंतरिक वितरण का निर्णय, पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

जनजाति विकास खण्डों में खरीफ की फसल पर यूरिया उर्वरक का छिड़काव

3877. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजाति विकास खण्डों में खरीफ की फसल के दौरान धान, ज्वार, मक्का आदि पर यूरिया उर्वरक के छिड़काव के लिए राज्य सरकारों की सहायता की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Financial Aid to Government Employees for the Construction of houses in small cities and towns.

3878. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether no provision exists for providing financial aid to Government employees for construction of houses;

(b) whether Government employees generally live in small cities and towns also in sufficient number and they have to face great difficulty in regard to housing:

(c) whether the attention of Government has been drawn by the Government employees in this connection; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): (a) The Central Government employees are entitled to avail of House Building Advance for construction of houses or purchase of ready built flat or house any where in India. However, ready built flats or houses can be purchased from Government or Government agencies and registered Cooperative Societies only.

(b) Government servants live in places where Government offices in which they work are located or near thereto.

(c) and (d) At present general pool accommodation is available at Delhi, Simla Faridabad, Chandigarh, Bombay, Calcutta, Nagpur and Madras. Requests for construction of general pool accommodation at Bhopal, Ahmedabad, Srinagar, Gandhinagar, Poona and Jaipur have been received but no decision for construction of residential accommodation in these places has been taken by Government.

Decline in Production of Pulses

3879. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the production of pulses has declined considerably during the last two years;

(b) if so, the main reasons thereof; and

(c) the extent of the decrease in production of pulses during the last two years and the steps taken or proposed to be taken by Government to increase the production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNA-SAHIB P. SHINDE): (a) No, Sir. There was a slight increase in 1970-71 and decline in 1971-72 in production of pulses as compared to the year 1969-70.

(b) The fall in production in the last year has been partly due to decrease in area and partly due to decline in productivity. The main reasons for the fall in production are that pulses continue to be grown under rainfed conditions with poor management practices and no high yielding varieties responsive to fertilisers have been evolved in pulses.

(c) The production of pulses has slightly increased to 11.81 million tonnes in 1970-71 from 11.69 million tonnes in 1969-70 but has declined to 11.05 million tonnes in 1971-72. To increase the production of pulses, Government of India have launched a Centrally sponsored scheme at a cost of Rs. 361 lakh from kharif 1972-73 to be implemented during the 4th plan. The programme includes subsidies for demonstration, seed multiplication of short duration and improved varieties of pulses, use of rhizohium culture and plant protection chemicals in pulses cultivation in different States.

Decline in per acre yield of cotton

3880. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the average per acre production of cotton in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh;

(b) whether the cotton production has declined and is likely to decline further due to the fact that farmers (Cotton producers) could not get the price for the cotton produced by them during the last two years; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNA-SAHIB P. SHINDE): (a) The table below shows the average per hectare production of cotton (lint) in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh during 1971-72:

State	Yield per hectare in Kgs.
Maharashtra	69
Gujarat	222
Madhya Pradesh	92

(b) and (c). The production of cotton in th country had declined from 52.55 lakhs bales in 1969-70 to 44.99 lakh bales in 1970-71 due to adverse weather conditions. However, during 1971-72, the production touched a new record level of 65.26 lakh bales. Estimates of production for 1972-73 are not yet available. The prices of cottton had risen to a high level in 1970-71. During 1971-72, however, as a result of the record cotton output, the prices assumed a downward trend. A number of remedial measures were taken, which included relaxation of credit-control, abolition of limit on stock-holding by mills and purchase operations by the Cotton Corporation of India. Besides, special efforts are being made for raising the production of cotton in the country.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों की मिलने वाले भोजन व्यवस्था सम्बन्धी अनुदानों में वृद्धि

3881. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मिलने वाले भोजन संबंधी अनुदानों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के साथ व्यवस्था करने का है ; और

(ख) इस संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए किन अन्य कार्यवाहियों पर विचार किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा स्वीकृति विकास में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जहां तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का संबंध है, मेधावी छात्रों अर्थात जो अपनी अन्तिम परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, के लिए निर्वाह खर्च 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। छात्रवृत्ति पाने वाले अन्य छात्रों के संबंध में दरों को बढ़ाने के प्रश्न पर साक्रिय विचार किया जा रहा है।

जहां तक मैट्रिक–पूर्व शिक्षा के लिए बोर्डिन्ग अनुदानों का संबंध है, इस पर राज्य सरकारों ने अपने वित्तीय साधनों को देखते हुए निर्णय करना है। तो भी राज्य सरकारों को इस संबंध में लिखा जा रहा है।

विभिन्न जातियों में साक्षरता

3882. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **शिक्षा और समाजकल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न जातियों में साक्षरता के प्रभाव के बारे में से कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार किए गए अध्ययन का निर्माण उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त 1931 के बाद साक्षरता के आँकड़े जाति के अनुसार, उपलब्ध नहीं है। उनसे सामान्यतः यह पता चलता है कि सब मिलाकर किसी जाती साक्षरता की प्रतिशतता का संबंध उनकी उन्नति के स्तर से है अर्थात् साक्षरता के साथ जाति साधारणतः अधिक उन्नत होती है।

साक्षरता का उत्पादिता के साथ भी संबंध है, उदाहरण के लिए, साक्षर किसान समूह के रूप में, अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और अधिक प्रगतिशील हैं।

आर्थिक विकास का कार्य करने वाली पंचायतें

3883. **श्री वी० बी० नायक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाउन नगरपालिका और ग्राम पंचायत की अलग अलग विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) क्या पंचायतों को आर्थिक विकास का कार्य सौंपने का कोई औचित्य है ; और

(ग) यदि उक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो टाउन नगरपालिका को ऐसा कार्य न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों के लिए भूमि की निम्नतम सीमा

3884. **श्री वी० बी० नायक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1969–70 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के पैरा 1.57 और 1.58 में अनुसूचित जातियों के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा इतनी निर्धारित करने की सिफारिश की गई है जिससे कि भमि के आगे और टुकड़े न हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसपर उनकी क्या प्रितिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। सम्बंधित रिपोर्ट के पैरा 1.57 में कहा गया है कि ; "हम विभिन्न राज्यों में भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा को पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। इसके साथ ही जोतों की निम्नतम स्तर भी क्यों न निर्धारित कर लिया जाये ?"

(ख) भारत सरकार जोतों की चकबन्दी को प्रोत्साहन देती रही हैं। इस कार्य में देश के कुछ भागों में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई हैं। कुछ राज्यों के नियम भी एक निश्चित सीमा के बाहर जोतों को विखंडित करने की अनुमति नहीं देते। जैसा की रिपोर्ट में कहा गया है यदि भूमि को पुनः विखंडित होने से रोकने के लिए किसी नीति का अनुसरण किया जाये तो आज कृषि पर आश्रित रहने वाले काफी लोगों को कृषि के अतिरिक्त अन्य पेशों में लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। भारत जैसे देश में ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जनजाति कल्याण के लिए धनराशि

3885. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों में जनजाति कल्याण के लिए केन्द्र ने वस्तुतः कितनी धनराशि आवटित की है ;

(ख) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है ; और

(ग) मध्य प्रदेश की जनजातियों को देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में हुई प्रगति के समकक्ष लाने में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क)

वर्ष	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र (रुपये लाखों में)
1969–70	202.10	58.41
1970–71	155.40	59.20
1971–72	160.18	64.70

(ख)

मध्य प्रदेश	8,387,403	1971 की जन
महाराष्ट्र	2,954,249	गणना के अनुसार

(ग) पिछड़े वर्ग योजना के केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ली गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, लड़कियों के छात्रवास, परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण, आदिमजाति विकास खण्ड, सहकारिता और आदिमजाति अनुसंधान जैसी चालू योजनाओं के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिमजातियों के आर्थिक विकास के लिए दो आदिमजाति विकास खण्डों की मंजूरी दी गई है। ये दो योजनाएं वस्तर जिले की दान्तेवाडा और कोन्ट तहसीलों में स्थित हैं।

माडर्न स्कूलों के लिए ग्रामीण छात्रवृत्तियों देने हेतु विद्यार्थियों का चयन

3886. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माडर्न स्कूलों में 9 वीं कक्षा में तीन वर्षीय ग्रामीण छात्रवृत्ति के लिए ग्रामीण विद्यार्थियों का चयन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष मध्य प्रदेश से ऐसे कितने विद्यार्थियों को चुना गया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए बच्चों को 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। योजना राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और प्रत्येक समाज विकास खण्ड के लिए 2 के आधार पर कुल छात्रवृत्तियों को राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तदनुसार, मध्य प्रदेश सरकार के लिए 914 छात्रवृत्तियां निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति कक्षा IX से कक्षा XI तक के अध्ययन के लिए धार्य है। राज्य सरकार द्वारा चुने प्रत्याशियों को हम कार्य के लिए स्वीकृत स्कूलों में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गईह सूचना के अनुसार इस वर्ष 859 छात्रों को चुना गया है ।

Meeting of Hindi Programme Implementation Committee held in Ministry of Agriculture

3887. SHRI HUKUM CHAND KACHWAI:
SHRI NARENDRA SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the meetings of 'Hindi Programme Implementation Committee' are held in the various Departments of the Ministry of Agriculture in accordance with the instructions of the Ministry of Home Affairs;

(b) the total number of meetings of the said Committee held in the Food, Agriculture and Co-operative Departments of the Ministry during the last two years;

(c) if none the reasons therefor; and

(d) the further action proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b)

Name of the Department	No. of meetings. (1970 and 1971)
Department of Agriculture	2
Department of CD&C	5
Department of Food	3

In the Department of Agriculture (which is a coordinating Department for Hindi work in all the four Departments of the Ministry of Agriculture), four special meetings under the Chairmanship of State Ministers were convened during 1971 and 1972. In these meetings, senior officers of all the four Departments and their Attached and Subordinate Offices situated in New Delhi were invited to discuss the progress made in respect of various instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time regarding use of Hindi as Official Language in the Ministry and its attached and Subordinate Offices including Corporations etc.

(c) Does not arise.

(d) All the four Departments have been instructed to hold meetings of the Official Languages Implementation Committees regularly in every quarter.

कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिए जापान में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये कर्मचारी तथा उनका उचित उपयोग

3888. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड परियोजना से प्रशिक्षण लेने के लिये जापान को कुल कितने कर्मचारी भेजे गये तथा उनमें कितने कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस आ गये हैं ;

(ख) क्या प्रशिक्षण प्राप्त इन मैकेनिकल इंजीनियरों में से कुछ इंजीनियरों को खरीद और सम्पर्क अनुभागों में नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का परियोजनों में उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) शिपयार्ड के लिए विभिन्न कार्यों उपस्कर के डिजाइनों एवं विशिष्टियों को तैयार करने के लिए एम के० एस० इंजीनियरों से संबंधित होने के लिए चार इंजीनियर जापान भेजे गये थे। वे सभी अपना अपना नियत कार्य पूरा करने के पश्चात लौट आये हैं।

(ख) जी, हां। यांत्रिक इंजीनियरों में से एक को जोकि प्रशिक्षण के बाद जापान से लौटे हैं, ठेका एवं स्टोर विभाग में क्रय के कार्यभारी कार्यकारी इंजीनियर नियुक्त किया गया है।

(ग) चूंकी बहुत सी ऐसी मशीनरी की खरीद की जा रही है जिससे उनका डिजाइन एवं विशिष्टियां तैयार करने से संबंध था, यह आवश्यक समझा गया कि उनकी ठेके एवं स्टोर विभाग में वर्तमान पद पर नियुक्ति की जाये जोकि एक गैर-तकनीकी क्रय संगठन नहीं है, परन्तु उसमें कार्यकारी इंजीनियरों, सहायक कार्यकारी इंजीनियरों तथा अनुभाग अधिकारियों आदि जैसे तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी हैं। परियोजना, जापान में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान इंजीनियरों द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञान का अधिकतम लाभ उठा रही है।

देश की कृषि परियोजनाओं में कार्य कर रहे खाद्य और कृषिसंगठन विशषज्ञ

3889. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन का एक विशेषज्ञ भारत स्थित विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में 1965 से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या उसको इस समय लगभग 9,000 रुपया प्रति मास वेतन दिया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में सन्तुष्ट है कि विशेषज्ञ को अनुसन्धान सम्बन्धी इतना अनुभव है कि यह अत्यन्त तकनीकी कार्य करने के योग्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). जी, हां। खाद्य और कृषि संगठन के ऐसे एक विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। परन्तु सरकार को उनकी वर्तमान वेतन के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है, क्योंकि वे खाद्य और कृषि संगठन के कर्मचारी हैं और उन्हें उस संगठन से ही वेतन प्राप्त होता है।

(ग) भारत सरकार कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए खाद्य और कृषि संगठन के विशेषज्ञ की उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट है।

ग्राम सेवकों की काम की शर्तें

3890. **श्री अर्जुन सेठी**:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम सेवकों के काम की शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि सामुदायिक विकास खण्ड कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को चलाने के लिए उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया जा सके; और

(ख) क्या पदोन्नति के अवसर न होने के कारण उनमें असंतोष फैल रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख). ग्राम सेवक राज्य सरकार के कर्मचारी है और उनकी काम की शर्तें प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। राज्य

सरकारों पर इस बात के लिए बल दिया गया है कि इन प्रारम्भिक स्तर के कार्यकर्ताओं की काम की शर्तें ऐसी होनी चाहिए जिससे वे सामर्थ्य और उत्साह के साथ कार्य कर सकें और साथ ही इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि उनका वेतन और भावी तरक्की राज्य में विद्यमान वेतन ढांचे से परस्पर सम्बद्ध हो। उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान करने का आश्वासन दिया जाए।

रबि उत्पादन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

3891. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी कार्यक्रम को राज्य-बार दिये गये ऋण का ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार को वर्तमान कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए विशेष अनुदान दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) (i) लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त ऋणों, और (ii) रबी/ग्रीष्म मौसम, 1972–73 के आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि आदानों के लिए जारी किए गए अल्पकालीन ऋणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० 3985/72)।

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरन राज्य का जिन केन्द्रीय दलों ने दौरा किया था, उनकी सिफारिशों के आधार पर राज्य में बाढों, तेज आधी और सूखे के लिए अपेक्षित विभिन्न राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए 14.66 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। वित्त मन्त्रालय ने राज्य सरकार के लिए 4 करोड़ रुपए की एक रकम जारी की है।

Realisation of Compensation by D.T.C. due to Damage to Buses

3892. SHRI M. C. DAGA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Delhi Transport Corporation has realised compensation from those who damaged the buses or whether it has moved any court to realise compensation to make up for the loss suffered during this year; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA): (a) and (b). No compensation has been realised so far by the D.T.C. from those who caused damage to its buses. In cases where it was found that students of a particular college were responsible for hijacking of and damaging the buses, Principal's

of the Colleges were requested to make good the loss suffered by the Corporation. However, in most of the cases, it has not been possible to trace out the culprits, though invariably every case, where the property of the Corporation was damaged compliant has been lodged with the Police.

Bill on Crop Insurance and Central Assistance therefor

3893. SHRI M. C. DAGA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Governments have written to the Central Government that the Bill regarding Crop Insurance should be prepared by the Centre itself and if so, the names of such States and the views of Government in this regard;

(b) whether the Central Government are prepared to provide financial assistance to the States for this work (insurance of crops); and

(c) if so, the total amount thereof and the basis on which this assistance will be provided?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNA-SAHIB P. SHINDE): (a) Earlier a Model Scheme on Compulsory Crop Insurance and an enabling Model Bill were circulated to all the States for their views. Out of 10 States and two Union Territories from whom replies were received, the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan, wanted the Central Government to meet the entire cost. After considering the matter the Government of India decided to refer the question for fuller examination by an Expert Body. Accordingly an Expert Committee under the Chairmanship of the Chairman, Agricultural Prices Commission was set up to examine the economic, administrative and actuarial implications. The Expert Committee came to the conclusion that in the conditions obtaining in the country, it would not be feasible to introduce Crop Insurance on a compulsory basis. The Committee, however, drew attention to the Model Scheme on Voluntary Crop Insurance that has been evolved by the Life Insurance Corporation for Hybrid-4 Cotton in Baroda District of Gujarat State and suggested that the results of this experiment may be watched for some time. The Government have taken a decision to request the General Insurance Corporation, as soon as it is set up, to undertake a pilot scheme on Crop Insurance in selected distrites for selected crops on an experimental basis, similar to that already being implemented by Life Insurance Corporation for Hybrid-4 Cotton in Gujarat.

(b) and (c). Do not arise.

लेखकों के गिल्ड की स्थापना

3894. **श्री वी० के० दास चौधरी :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रकाशकों के साथ उचित व्यापार की व्यवस्था के लिए सरकार का लेखकों का गिल्ड बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सरकार को एक लेखक संघ की स्थापना करने का प्रस्ताव मिला है, जो भारतीय लेखकों के व्यावसायिक हितों की देखभाल करेगा। मामले की जांच की जा रही है।

बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए योजना

3895. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली नामक स्वायत्त संगठन 1963 वर्ष से देश में बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए "राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिभा अन्वेषण योजना" नामक एक योजना चला रहा है।

(ख) प्रति वर्ष एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कर के आधार पर अधिक से अधिक 350 अध्येताओं को छात्रवृत्तियाँ की दी जाती हैं। उच्चतर माध्यमिक स्कूल अथवा उसके समकक्ष स्कूल के अन्तिम वर्ष में अध्ययन कर रहा कोई भी लड़का अथवा लड़की इस परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते कि प्रार्थी ने पूर्वगामी वार्षिक परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त किये हों। छात्र केवल एक बार परीक्षा में बैठ सकता है। इस परीक्षा में विज्ञान योग्यता की परीक्षा, निबन्ध की परीक्षा, विज्ञान के विषय पर एक परियोजना रिपोर्ट तथा साक्षात्कार शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य में परीक्षा के स्थान का निर्णय सम्बन्धित शिक्षा निदेशक के परामर्श से किया जाता है।

साधारणतया परीक्षाएं जिला के मुख्यालयों में आयोजित की जाती हैं। छात्र के चयन के पश्चात विद्यार्थी को बेसिक अथवा कृषि विज्ञान के डिग्री पाठ्यक्रमों में अवश्य दाखिल हो पड़ता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को इस आशय का एक बंध-पत्र देना होगा के उसे मान्यता प्राप्त तथा अनुमोदित विश्वविद्यालय अथवा कालेज में पढ़ना होगा। पुरस्कार बी० एस० सी० के प्रथम वर्ष से चालू होगा तथा एम० एस० सी० के अन्त तक चलेगा, बशर्ते कि अध्येयता बी० एस० सी० में प्रथम श्रेणी पास करना है ; एम०एस०सी० के पाठ्यक्रम के बाद अध्येयना की छात्रवृत्ति को पी० एच० डी० तक चालू रखने के लिए जो तीन वर्ष के लिए होगा, एक साक्षात्कार समिति के सम्मुख पेश होना पड़ेगा। जहां

तक कृषि विज्ञान का सम्बन्ध है, पुरस्कार डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए दिया जाएगा और पी० एच० डी० की समाप्ति तक चलेगा। छात्र-वृत्तियों के दर निम्नलिखित हैं :—

(1) बी० एस० सी०	रुपये 150 प्रतिमास
(2) एम० एस० सी०	रुपये 200 प्रतिमास
(3) डाक्ट्रेट स्तर पर	रुपये 300 प्रतिमास। (इसके अलावा, पुटकर खर्चे के लिए, 1,500 रुपये दिए जाऐंगे)।

पुरस्कार के लिए चुने गए छात्रों के लिए ग्रीष्म स्कूलों में विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जायेगी। परीक्षाएं राज्य-भाषाओं में 1968 से आयोजित की जा रही हैं।

यह योजना नितान्त रूप से लोकप्रिय है तथा छात्रों का पहला दल पी० एच० डी० के स्तर पर पहुंच गया है।

वनों के लिए राष्ट्रीय योजना

3896. **श्री निम्बालकर :**

श्री के० कोडंडरामी रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों के लिये कोई राष्ट्रीय योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). वन राज्यों का विषय है। फिर भी, कृषि मन्त्रालय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाली वन संबंधी सभी विकास योजनाओं का समन्वय करता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये तीन मुख्य उद्देश्य हैं :—वनों की उत्पादकता बढ़ाना, वन-विकास को वनों पर आधारित विभिन्न उद्योगों से सम्बद्ध करना और वनों का इस प्रकार विकास करना कि इससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को बल मिले। इसे 21 राज्य वन योजनाओं, एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना और चार केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

अनाज व्यापार को अधिकार में लेने में कठिनाई

3897. **श्री डी० के० पण्डा :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "ग्रेन ट्रेड टेक ओवर डिफीकल्ट नाउ, शिंडे (अनाज व्यापार को अधिकार में लेने में अब कठिनाई, शिन्दे)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं और चावल के थोक व्यापार को हाथ में लेने के प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके सरकार द्वारा पहले ही लिए गये निर्णय के अनुसार इन जिन्सों की अधिप्राप्ति और वितरण के लिए सरकारी एजेंसियों को और अधिक प्रभावी भूमिका देकर और उससे विचौलियों को समाप्त करके राज्य सरकारें इन निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक पग उठा रही हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में मोटे अनाज के मूल्य

3898. **श्री डी० के० पण्डा** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में मोटे अनाज, विशेषकर चने, चने की दाल, बाजरा, ज्वारा, तथा मिलट के नवीनतम क्या मूल्य रिकार्ड किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या** एल० टी० 3966/72)।

सुखे के कारण 1973-74 में अनाज तथा दालों के उत्पादन में कमी तथा उसको पूरा करने सम्बन्धी योजना

3899. **श्री एस० सी० सामन्त** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति होने के कारण 1973–74 में अनाज तथा दालों के उत्पादन में कितनी कमी होने की सम्भावना है ;

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) इनको कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का आयात किया जायेगा तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इनको आयात किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध वर्ष 1972–73 के चालू कृषि मौसम के दौरान सूखे की स्थिति और अनाज और दालों के उत्पादन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव से है।

चालू वर्ष में अनेक राज्यों में कम और अनियमित वर्षा के कारण अनाजों और दालों के उत्पादन सहित खरीफ फसलों के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। जुलाई, 1972 में सूखे के बाद खरीफ की फसल को काफी क्षति पहुँचने की आशंका थी। तब से सुविस्तृत वर्षा होने के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में फसलों की स्थिति सुधर गई है। फिर भी, खरीफ फसल का कुल उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम होने की सम्भावना है। वर्ष 1972–73 के दौरान कुल खरीफ उत्पादन या खरीफ उत्पादन में कमी के बारे में इस समय कोई पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) इस वर्ष असामयिक मानसून से खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1972–73 के रबी/ग्रीष्म के मौसम के दौरान खाद्यान्न उत्पादन अभियान चलाने हेतु राज्य सरकारों ने कार्यक्रम शुरू किए हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा क्रियान्वित होने वाली नीति में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अतिरिक्त क्षेत्रों में प्रायः कम और अनियमित मानसून के कारण खरीफ के मौसम के दौरान परती पड़े हुये क्षेत्रों में रबी फसलों की खेती करना।

(2) अधिक उत्पादनशील किस्मों, और विशेषकर गेहूँ के अन्तर्गत क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त 'पेकेज पद्धतियों' के अन्तर्गत भी काफी बड़ा क्षेत्र लाने की योजना है।

(3) समस्त उपलब्ध स्नोतों से सिंचाई की सुविधायें प्रदान करना और विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रमों की क्रियान्विति से अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें प्रदान करना, और

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित और सिफारिश किए गए मिश्रणों और मात्रा का प्रयोग करके उपलब्ध रासायनिक उर्वरकों की मात्रा से अतिरिक्त उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना।

भारत सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए अब तक 147.29 करोड़ रुपये के ऋण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ये कार्यक्रम 31 मार्च, 1973 तक पूरे किए जायेगी ताकि इनसे रबी और ग्रीष्म कालीन फसलों को लाभ पहुंच सके। लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत 147.29 करोड़ रुपये की रकम में से 54.985 करोड़ पहले ही दिए जा चुके हैं। कार्यक्रमों की कार्यान्विति के आधार पर और राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को बीज, उर्वरक और कीटनाशियों आदि के क्रय और वितरण के लिए कुल 80.60 करोड़ रुपये की राशि के अल्पकालीन ऋण भी जारी किए गए हैं।

राज्य सरकारों ने समस्त स्तरों पर कार्यान्वयन कर्मचारियों की गतिविधियां तेज कर दी हैं जिससे कि निर्धारित अवधि में आपातकालीन उत्पादन कार्यक्रम समय पर पूरा किया जा सके। कृषि मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने, जिन्हें क्षेत्र अधिकारियों का नाम दिया गया है, सम्बद्ध राज्य सरकारों से निकट से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है ताकि वे खेत और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की प्रभावशाली ढंग से निगरानी कर सकें।

(ग) दालों और खाद्यान्नों के आयात, किन देशों से आयात किया जाना है, आदि से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जा रह है।

मूंगफली और सोयाबीन के उत्पादन की संभावनायें तथा वनस्पति व्यापार का अधिग्रहण

3900. **श्री एस० सी० सामन्त** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उत्पादन के लिए कच्चे माल मूंगफली तथा सोयाबीन के उत्पादन की क्या सम्भावनायें हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में वनस्पति के मूल्य कम होने की आशा है;

(ग) क्या फसल के पश्चात् मूंगफली के मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण वनस्पति के मूल्य में होने वाली निरन्तर वृद्धि का लाभ व्यापारियों को होता है उत्पादकों को नहीं; और

(घ) क्या फसल के पश्चात् मूल्य वृद्धि की सम्भावना की कम करने के लिए इस व्यापार को सरकारी अधिकार में लिये जाने की कोई सम्भावना है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) 1972–73 के दौरान 47 लाख मीटरी टन के आसपास मूंगफली का और लगभग 47,000 मीटरी टन सोयाबीन का उत्पादन होने की आशा की जाती है।

(ख) यह अधिकांशतः वनस्पति को तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कच्चे वनस्पति तेलों (मुख्यतः मूंगफली, बिनौले और तिल के तेलों) के मूल्य पर निर्भर करेगा।

(ग) वनस्पति को तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कच्चे वनस्पति के तेलों के मौजूदा मूल्य के संदर्भ में समय समय पर वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी करने के लिए दी गई अनुमति से दोनों व्यापारियों और उत्पादकों को लाभ अथवा हानि, जैसा भी हो, पहुंचती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

टुटीकोरिन बंदरगाह पर एक सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव

3101. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टूटीकोरिन बंदरगाह पर एक सड़क निर्माण करने के लिए 30 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है क्योंकि निर्मित रेलवे लाइन का कोई लाभ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में सड़क यातायात के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और क्या सड़क निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये व्यय करना आवश्यक है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख): भारत सरकार ने कोई ऐसी परियोजना मंजूर नहीं की है। परन्तु मार्च, 1972 में उन्होंने तूतीकोरिन पलाइन कोटाई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया है और उसके विकास और रखरखाव का पूरा व्यय अब भारत सरकार वहन करेगी। यह पहले ही मौजूदा राज्य राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई 52 कि० मी० है जिसमें से 22 कि० मी० दोहरी गली की सड़क है और शेष 29 कि० मी० इकहरी गली वाली सड़क है। इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते समय यह अनुमान

लगाया गया था कि इकहरी गली के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सड़क के विकास पर लगभग 100 करोड़ रुपये लागत आयेगी। परन्तु वास्तविक सर्वेक्षण और जांच के प्रकाश में इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

दिल्ली में प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच बेरोजगारी कम करने के लिए शिक्षकों के पदों का नियतन

3902. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षित शिक्षकों के मध्य वर्ष 1972 में बेरोजगारी कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन को लगभग 413 शिक्षकों का नियतन किया है ;

(ख) क्या इन पदों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स (सामान्य) तथा ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स (हिन्दी) की श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

(ग) क्या उक्त दोनों श्रेणियों की पुरानी सूची से नया पैनल तैयार किया जा रहा है ; और

(घ) क्या कला और संगीत की दूसरी श्रेणियों के लिए भी किसी पद का नियतन किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) . शिक्षित बेरोजगारों को रोज़गार देने की योजना के अन्तर्गत सरकार ने दिल्ली प्रशासन को 410 अध्यापकों के पदों की मंजूरी दी है। इनमें 40 पद नई दिल्ली नगर पालिका समिति और 5 पद छावनी बोर्ड को सौंपे गए थे। शेष 365 पद भाषा अध्यापक (हिन्दी), प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (सामान्य) और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (विज्ञान) श्रेणियों में वितरित किए गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। पदों का वितरण स्कूलों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था। चूंकि, हिन्दी, सामान्य विषय और विज्ञान अधिक लिए जाने वाले विषय हैं, इसलिए, इन विषयों के अध्यापकों में से पद भरे गए थे। रेखा चित्र और संगीत विषयों, कुल विषयों के, छोटे खण्ड हैं और इन विषयों के लिए स्कूलों द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई थी।

मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना

3903. **श्री सी० जनार्दनन** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी क्षेत्रों के द्रुत विकास के लिए योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश की दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में कार्यरूप दिया जाएगा; और

(ग) ऐसी योजनाओं की राज्यवार सूची क्या है जिन्हे केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरूप दिया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) . जी हां, यह सत्य है कि भारत सरकार ने हाल ही में पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान तथा आर्थिक विकास के लिए दक्षिणी वस्तर में दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ये परियोजनाएं राज्य के वस्तर जिले की कोन्ता तथा दन्तेवाड़ा तहसीलों में स्थित हैं।

(ग) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की उपरोक्त दो परियोजनाओं सहित कुल 6 परियोजनाएं स्वीकृत की है। आदिवासी विकास की ये परियोजनाएं (1) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले, (2) बिहार के सिंहभूम जिले, (3) मध्य प्रदेश के वस्तर जिले, की कोन्ता तथा (4) दन्तेवाड़ा तहसीलों में तथा उड़ीसा के (5) गंजम तथा (6) कोरापुत जिलों में स्थित हैं। ये परियोजनाएं प्रत्येक परियोजना के लिए स्थापित की गई आदिवासी विकास ऐजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं।

चेचक के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गोष्ठी

3904. **श्री सी० जनार्द्दनन** :

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेचक के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई दिल्ली में एक विशेष अन्तरदेशीय गोष्ठी का आयोजन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और गोष्ठी में क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परीवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) इस गोष्ठी की सिफारिशें संलग्न परिशिष्ठ में दी गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3987/72]**

रबी उत्पादन के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्वित की समीक्षा

3905. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने देश में रबी उत्पादन के लिये द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्वित की तुरन्त समीक्षा करने के लिए तथा प्रभावकारी वसूली तथा वितरण पद्धति के बारे में निदेश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) खाद्यान्न के बारे में इस समय सरकार की क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया गया है। तथापि विभिन्न राज्यों में नियुक्त क्षेत्र अधिकारी राज्य सरकारों के परामर्श से 1972–73 के आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम की क्रियान्विति का लगातार पुनरीक्षण करते रहे हैं। इन पुनरीक्षणों से पता चला है कि प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं। खरीफ के आनाजों की अधिप्राप्ति तथा उनके उचित वितरण के लिए भी तीव्र प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) व्यापक सूखे से उत्पन्न खाद्यान्नों की अधिक मांग को पूरा करने के लिए सरकार के भण्डारों में उपलब्ध खाद्यान्न को राज्य सरकारों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजा जा रहा है। इन भंडारणों की पूर्ति, अधिप्राप्ति और/या अन्य खाद्यान्नों से की जा रही है।

दिल्ली के मेडिकल कालेज में छात्रों के दाखिले

3906. **श्री के० एम० मधुकर** :

डा० लशमीनारायण पांडेय :

क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली मेडिकल कालेज में 133 प्रि-मेडिकल छात्रों के दाखिले के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कदम उठाने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

निमणि और आवास तथा स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) से (ग) . इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रि-मेडिकल परिक्षा में 800 विद्यार्थी बैठे थे जिनमें से 596 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इनमें से 438 को दिल्ली और बाहर के मेडिकल कालेजो में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। इनमें मेडिकल कालेज, मेरठ को भेजे 50 विद्यार्थी भी शामिल हैं। 25 और विद्यार्थियों को भी दिल्ली विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज में प्रवेश दिया जा रहा है। इस श्रेणी के बाकी 133 विद्यार्थियों को प्राणि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बी० एस० सी० (आनर्स) पाठ्यक्रम द्रितीय वर्ष में प्रवेश की सुविधा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 सीटें आराक्षित करने के लिए राजी कराया गया था। इसके अलावा, उन्हें बी० एस० सी० (सामान्य) में भी प्रवेश लेने की छूट दी गई थी।

पिछले कुछ महीनों में सभी सम्बन्धित अधिकारियों से सलाह मश्विरा कर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम०बी०बी०एस० में प्रवेश देने की मांग पर विस्तार पूर्वक विचार किया । जिन सुझावों पर विचार किया गया, वे इस प्रकार हैं :–

(1) अन्य राज्यों के मेडिकल कालेजों में सीटें सुरक्षित करवाना ;

(2) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बाकी विद्यार्थियों को दिल्ली के चार मेडिकल कालेजों में, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली भी शामिल है, बांट दिया जाए।

(3) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में दूसरी पारी शुरू करना ; और

(4) एक नए मेडिकल कालेज को खोलना।

इन पर दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक से विचार-विमर्श किया गया। प्रथम सुझाव पर भी विचार किया गया और इस बारे में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों के साथ भी औपचारिक तौर पर बात-चीत की गई। इनके पक्ष-विपक्ष की सूक्ष्म रूप से जांच करने के बाद इनमें से किसी भी विकल्प को व्यवहार्थ नहीं पाया गया । वैसे, सम्बन्धित विद्यार्थियों को जहां तक सम्भव हो सके सहायता करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मामला केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सम्मुख रखा जिसमें उनसे एक उच्चाधिकार समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया था जो उन 133 प्रथम श्रेणी वाले प्रि-मेडिकल विद्यार्थियों की एम० बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश की सम्भावनाओं पर विचार करे जिनहें मेडिकल कालेजों में प्रवेश नहीं मिल सका था। तद्नुसार मंत्रिमण्डल ने एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जिसमें सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, सचिव, शिक्षा मंत्रालय, सचिव, वित्त मंत्रालय, सचिव, योजना आयोग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उप-कुलपति, दिल्ली विश्व-विद्यालय मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसं-धान संस्थान, चण्डीगढ़ और डा० के० एल० विग, भूतपूर्व निदेशक, अखिल भारतीय आयु-र्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली सम्मिलित किये गये।

इस समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय किया कि इस मामले में आगे और कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रि-मण्डल के इस निर्णय को देखते हुए इस मामले पर आगे किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

Central Assistance for drinking water in Bihar

3907. SHRI K. M. MADHUKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Bihar faced an acute scarcity of drinking water this year;

(b) if so, whether the Central Government have asked for any report from the Govern-ment of Bihar in regard to survey of drinking water problem in Bihar or whether the Government of Bihar have themselves sent any schemes in this regard to the Central Government, if so, the main points details thereof; and

(c) whether the Central Government propose to formulate any scheme in this regard and implement it and if so, the extent of assistance proposed to be given to Bihar for the purpose and the time which this assistance is proposed to be given?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) to (c). This question concerns the Ministry of Health and Family Planning. That Ministry has been requested in this connection and the relevant information would be placed on Table of the House by the Ministry of Health and Family Planning.

Fertilizer requirement for Bihar

3908. SHRI K. M. MADHUKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have made any suggestion to the Government of Bihar to solve the problem of shortage of fertilizer and if so, the nature of the suggestion; and

(b) whether the Central Government have assessed the requirements of fertilizers for Bihar during the current year and the manner in which it would be supplied and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNA-SAHIB P. SHINDE): (a) Since some constraint exists in the availability of fertilizers as compared to the requirements, the different State Governments including Bihar have been advised to distribute available fertilisers for priority crops such as high-yielding varieties and export-oriented crops. The State Governments have also been advised to take other steps for the most effective utilisation of available fertiiisers on the basis of the guidelines given by the Indian Council of Agricultural Research.

(b) Yes, Sir, the requirements were assessed and supply plans were made in May 72, before the Kharif season and again in September 1972, before the Rabi season. For Rabi 1972-73 the net requirements of the State were finalised at 53,400 tonnes of N., of which about 37,000 tonnes of N would be supplied from the Pool and the remaining 16,400 tonnes of N from the Central Fertilizer Pool.

जम्मू और काश्मीर को भारतीय खाद्य निगम के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत लाना

3909. **श्री वरके जार्ज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और काश्मीर को भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाई है अथवा लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्य-वाही की है?

कृषि मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री अण्णसाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . जब तक राज्य में भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 को लागू नहीं किया जाता है, तब तक भारतीय खाद्य निगम को जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय खाद्यनिगम अधिनियम, 1964 को 'जम्मू एवं कश्मीर में लागू करने से सम्बन्धित विषयक को पहले ही पारित कर दिया है।

कोचीन पत्तन पर स्थान प्रदान न करने के लिए 'कान्फ्रेन्स लाइन्स' के बारे में कथित शिकायतें

3910. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन पर स्थान प्रदान न करने के लिए 'कान्फ्रेन्स लाइन्स' के बारे में गम्भीर शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने मामले पर 'कान्फ्रेन्स लाइन्स' के साथ बातचीत की है; और

(ग) कान्फ्रेन्स लाइन्स को हमारे नौवहन हितों के विरुद्ध कार्य करने से शेकने के लिए क्या क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). कोचीन पत्तन से माल निर्यात के लिए पर्याप्त जहाज-स्थान की कमी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुइ हैं। कान्फ्रेन्स लाइन विशेषकर उसके भारतीय सदस्यों से जहाज–स्थान की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए लिखा पढ़ी की गई है। अभी अभी यह निर्णय किया गया है कि वहां पोतवणिकों की समस्याओं को पोतस्वामियों के साथ अधिक दृढ़ता से हल करने के लिए कोचीन में भाड़ा जांच व्यूरो की एक शाखा खोली जाये।

चीनी के व्यापार संबंधी दोहरी नीति

3913. **श्री पी० वेंकटासूब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के व्यापार संबंधी दोहरी नीती को समाप्त करने की वांच्छनीयता पर विचार किया गया है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस शिक्षा में क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). फिलहाल चीनी की सांविधिक आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति को बदलने का कोई विचार नहीं है। इसका उद्देश्य चीनी के उत्पादन में दीर्घकालिक हित में वृद्धि करना है।

उर्वरक के संतुलित उपयोग के बारे में लखनऊ में हुई गोष्ठी

3914. **श्री पी० वेंकटासूब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के संतुलित उपयोग के बारे में हाल में लखनऊ में एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सिफारिश की गई ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें प्रत्येक जिले में स्थापित की जानी चाहिए और "रिजो वियमकल्चर" व्यवस्था के लिए कर्मचारी और सुविधायें होनी चाहिए। एक होस्टल और फार्म भी स्थापित किया जाना चाहिए जहां किसानों को उर्वरक प्रयोग सम्बन्धी पैकेज पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया जा सके।

(2) पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान सभी जिलों में कार्यन्वित करने के लिए समस्त राज्यों द्वारा उर्वरक वद्र्धन कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं।

(3) विभिन्न फसलों सम्बन्धी विभिन्न पौध पोषक तस्वों के पर्णीय छिड़काव के प्रभाव और लाभों के सस्बन्ध में शीध्र ही पता लगाया जाना चाहिए ।

(4) पांचवी पंच–वर्षीय योजना के दौरान क्षारीय और लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए योजनायें तैयार की जानी चाहिएं और जिनके लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जानी चाहिएं।

(5) गहन अनुसंधान करके मृदा संशोधन सहित उर्वरक मिश्रण और विभिन्न किस्म की मृदा के लिए माइक्रा नूट्रीएन्टस का पता लगाया जाना चाहिए।

(6) दूरवर्ती ग्रामों में विशेषता : शुष्क क्षेत्रों में और अधिक विक्रय केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिएं।

(7) प्रत्येक राज्य में कम से कम पांच वर्षों के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश को लागू करने हेतू अलग कर्मचारी रखे जाने चाहिएं।

(8) उर्वरकों के प्रयोग के सम्बन्ध में फिल्में बनाने की और प्रत्येक राज्य के प्रधान कार्यालय में एक फिल्म पूस्ताकालय की व्यवस्था शीघ्र ही की जानी चाहिए।

(9) उर्वरक बद्र्धन कार्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक राज्य में कृषि संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक के पद बनाए जाने चाहिएं।

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

आने वाली पिराई की फसल के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन

3915. **श्री पी० वेकंटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आने वाली पिराई की फसल के दौरान चीनी का कुल कितना उत्पादन होने की आशा है ;

(ख) इस से किस सीमा तक देश की आवश्यकता पूरी होगी ; और

(ग) क्या उतार चढ़व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की वांच्छनीयता पर विचार किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) मौजूदा अनुमानों के अनुसार लगभग 36 लाख मीटरी टन।

(ख) चीनी की मासिक निर्मुक्ति को उचित रुप से विनियमित कर चीनी की खपत को उसकी उपलब्धता की सीमा में बांध दिया जाएगा।

(ग) चीनी उद्योग जांच आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इस संबंध में निर्णय किया जाएगा। विशेषतया चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ मे उद्योग का विस्तृत और व्यापक अध्ययन करने के लिए आयोग की स्थापना की गई थी।

अपंजीकृत चिकित्सकों की ओर से अभ्यावेदन

3916. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंजीकृत चिकित्सकों ने उनकी सेवाओं को मान्यता दिये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिये हैं। यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन का स्वरूप और उद्देश्य क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया था कि उनकी सेवाओं का उपयोग किये जाने के लिए एक कानन बनाया जायेगा, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) निजी चिकित्सक संघ तथा अपंजीकृत चिकित्सक भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत अभियोजन से बचने के लिए अपने-अपने व्यवसाय को विनियमित करने हेतू अभ्यावेदन देते आये हैं ।

(ख) चूंकि चिकित्सकों का पंजीकरण राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा किया जाता है। अतः राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि यदि वे चाहें तो अपने-अपने राज्य के अधिनियम में ऐसे अप्रशिक्षित चिकित्सकों के नाम पंजीबब्क्ष करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर लें।

देश में अधिक मेडिकल स्कूलों और कालेजों की स्थापना

3917. **श्री समश गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग्य विद्यार्थियों के लिए भी सारे देश में मेडिकल कालेजों में दाखिला प्राप्त करना एक बड़ी समस्या बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की आवश्यकता तथा गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति दाखिला शुल्क लिये जाने को ध्यान में रख कर सरकार सारे देश में मेडिकल स्कूलों और कालेजों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कदम उठाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (पो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) देश में शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि तथा सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार होने के साथ साथ उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस प्रकार उपलब्ध सीटों की संख्या और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की बीच एक बहुत बड़ा अन्तराल आ गया है। मेडिकल कालेजों की भी यही स्थिति है शिक्षा की सभी शाखाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत यह आजकल और भी अधिक तीव्र हो गई है।

(ख) और (ग) . ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डाक्टरों की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुये देश भर में मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति सरकार जागरूक है। तथापि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार इस ओर सदा गम्भीर रूप से ध्यान देती आई है। पिछले 25 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। 1950–51 में देश में 30 मेडिकल कालेज थे जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 2500 थी। आज 99 मेडिकल कालेज है जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 12,000 है इनमें से 69 मेडिकल कालेज 1950–51 और 1971–72 के बीच खोले गये, 12 कालेज पहली पंच-वर्षीय योजना के दौरान, 15 दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 30 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान और 6 तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त और योजना के आरम्भ के बीच की अवधि के दौरान स्थीति 1966–67 और 1968–69 के दौरान खोले गये। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन 10 मेडिकल कालेजों को खोलने का विचार था, उनमें से छः कालेज पहले ही खोले जा चुके हैं तथा चार और कालेज चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पहले खोल दिये जायेंगे। नये मेडिकल कालेज खोलने तथा वर्तमान मेडि-कल कालेजों में सुधार और विस्तार करने की योजना राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। जुलाई 1970 में हुये मेडिकल शिक्षा सम्मेलन में 1968 में भारत सरकार द्वारा गठित मेडिकल शिक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय यह तय हुआ था कि जहां तक संसाधन इजाजत दें, मेडिकल कालेजों की संख्या और बढ़ाई जाय।

डा० ए० एल० लक्ष्मणस्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में 1961 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति ने इस देश में आगामी कुछ समय के लिये 50 लाख जनसंख्या के पीछे आदर्शरूप एक मेडिकल कालेज खोलने की सिफारिश की थी, जिसमें 100 छात्रों के प्रवेश की क्षमता हो, दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय यह था कि प्रति 50,000 जनसंख्या के

पीछे एक मेडिकल सीट उपलब्ध होनी चाहिये। चूकि कुछ मेडिकल कालेज प्रतिवर्ष 100 से भी अधिक छात्रों को दाखिल करने हें अत: सीटों और जनसंख्या का वर्तमान राष्ट्रीय अनुपात लगभग 1 : 45000 है जो मुदालियर समिति द्वारा अनुसाशित प्रतिमान से भी अच्छा है। चूंकि देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ 20 लाख की दर से वृद्धि हो रही है अत: उपर्युक्त सीटों और जनसंख्या के अनुपात में सामंजस्य स्थापित करने के लिये प्रतिवर्ष 100 प्रवेशों की क्षमता वाले कम से कम दो मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मेडिकल कालेज खोले जाय यह प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है। जहां तक प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा कैपीटेशन फीस लेने का सम्बन्ध है, भारत सरकार की यह नीति है कि इस पद्धति को हटा दिया जाये और प्राइवेट मेडिकल कालेजों के खुलने को निरुत्साहित किया जाये। भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि आर्थिक स्थिति की जांच करने के बाद राज्य सरकारें ऐसे मेडिकल कालेजों को अपने अधिकार में ले लें क्योंकि मेडिकल शिक्षा राज्य–सेक्टर में आती है। तदनुसार कुछ समय पहले कलकत्ता में एक प्राइवेट मेडिकल कालेज पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था और केरल के एक अन्य मेडिकल कालेज को भी हाल ही में केरल सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है।

मोटर गाडियों की नम्बर प्लेटें हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखा जाना

3918. **श्री समर गुह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से हिन्दी भाषी राज्यों में बहुत सी मोटर गाड़ियों की प्लेटों पर हिन्दी के ही अंक लिखे जाते हैं,

(ख) क्या कानूनी व्यवस्था के अनुसार हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के अंकों के साथ अंग्रेजी के अंक भी लिये जाने चाहिए, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बात के लिए कदम उठाने का है कि कारों, बसों, ट्रकों, टैक्सियों तथा अन्य मोटर गाड़ियों पर हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी के अंक भी लिखे जायें ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) . मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 24(3) के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 343(1) के साथ पठित उसके छठे अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुरूप मोटर-गाड़ियों पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में प्रदर्शित किया जाना है। परन्तु भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ गाड़ियों पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि में देवनागरी या प्रान्तीय भाषाओं में दिखाये जा रहे हैं। क्षेत्रीय लिपि का ऐसा प्रयोग इस समय इतर कानूनी है। परन्तु समस्या के स्वरूप पर

विचार करते हुए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के प्रदर्शन के लिए मोटर गाड़ियों पर प्रयोग की जाने वाली लिपि के बारे में सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्य दल नियुक्त किया है। इस दल की रिपोर्ट की प्राप्ति पर स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम पटों का अंग्रेजी हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना

3919. **श्री समर गुह**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के नामपट या तो हिन्दी में लिखे जाते हें या क्षेत्रीय भाषा में ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जांच करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के नामपट अंग्रेजी में भी लिखे जाने के लिये उपाय करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख) . राष्ट्रीय राजमार्गों पर सांकेतिक चिन्ह खंबों पर स्थानों का नाम लिखने के बारे में अनुदेशों में रोमन (अंग्रेजी), हिन्दी (देवनागरी) तथा जहां पर हिन्दी (देवनागरी) नहीं है स्थानीय भाषा का एक साथ प्रयोग करने की व्यवस्था है। किलो मीटर पत्थरों के मामले में लिखाई निर्धारित क्रम में रोमन (अंग्रेजी) हिन्दी (देवनागरी) तथा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। संख्या में प्रत्येक मामले में भारतीय अंकों अंतर्राष्ट्रीय रूप में लिखी जानी है। इस नीति से कोई बड़ा विचलन नहीं हुआ है। परन्तु जब कभी भारत सरकार को किसी प्रकार का विचलन बताया गया है तो सम्बन्धित राज्य सरकार से सुधारात्मक कार्यवाही के लिए मामला उठाया गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की आलोचना

3920. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन ने आलोचना की थी ;

(ख) योजना की किन व्यवस्थाओं की आलोचना की गई है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य रूप से यह आलोचना स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के अप्रशिक्षित चिकित्सकों तथा सभी पद्धतियों के "मिश्रित" प्रशिक्षण के विरोध में की गई है।

(ग) राज्य सरकारों के साथ इस मूल योजना पर अनेक बार विचार विमर्श किया गया था और राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा संघ और अन्यों द्वारा प्रकट किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया गया है कि इस योजना की पर्याप्त लचीला बनाने के लिए इसे पुनः तैयार किया जाए ताकि राज्य अपनी-अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल एम० बी० बी० एस० डाक्टरों/स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों/मिश्रित चिकित्सकों पराचिकि---त्सा कार्मिकों को सेवाओं का उपयोग कर सकें। ग्रामीण चिकित्सक के प्रशिक्षण को भी चिकित्सकों की अपनी-अपनी चिकित्सा पद्धति तक ही सीमित रखा जाएगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के बारे में ब्रिटिश सलाहकारों की रिपोर्ट

3921. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार किये जाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या ब्रिटिश सलाहकार दल ने अपना तकनीकी अध्ययन पूरा कर लिया है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) . (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 7.66 करोड़ रुपये की लागत के एक समाकलित विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन विकास के लिए द्रुत कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय कृषि आयोग का दृष्टिकोण

3922. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन विकास के द्रुत कार्यक्रम के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वानिकी उत्पादन---मानव द्वारा लगाये जाने वाले वनों के संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मानव द्वारा लगाये गये वानिकी कार्यक्रमों के लाभों को ध्यान में

रखते हुए अन्य सिफारिशों के साथ-साथ उसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि भावी उत्पादन कार्यक्रम महत्वपूर्ण मिश्रित वनों, मिश्रित क्वालिटी के वनों तथा सख्त लकड़ी के दुर्गम वनों की पूर्ण कटाई करने पर केन्द्रित रहना चाहिए और उन क्षेत्रों में ऐसी उपयुक्त तथा शीघ्र फलने फूलने वाली किस्मों के पेड़ लगाये जाने चाहियें जिन से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। यह भी सुझाव दिया गया है कि वानिकी उत्पादन कार्यक्रम 1974 के शुरू से प्रारम्भ किया जाना चाहिए और पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण कटाई पौद-रोपण तथा रख-रखाव के लिये 173 करोड़ रुपये के विनियोजन के लिये धन-राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिफारिश के अनुसार इस धनराशि के अधिकांश भाग की पूर्ति के लिये संस्थात्मक स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(ख) इस समय इस रिपोर्ट पर कृषि मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

तुंगभद्रा परियोजना के लिए 'क्षेत्र विकास कार्यक्रम'

3923. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना के क्षेत्र विकास कार्यक्रम, के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में उस क्षेत्र के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले तुंगभद्रा कमांड क्षेत्र के लिए 'क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम का अनुमान

3924. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुकार्यक्रम की क्रियान्विति तथा उसके परिणाम के बारे में कोई समीक्षा अथवा अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाला गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) और (ख) : इस योजना का निरन्तर पुनर्विलोकन इसके लिए मांगी गई मासिक तथा अन्य प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1971-72 के लिए उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 35 करोड़ रुपये के संशोधित बजट प्रावधान के मुकाबले में 31.26 करोड़ रुपये व्यय किए गए है और इससे 814.05 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। यह समझा जाता है कि योजना के प्रथम वर्ष में ही यह प्रगति काफी संतोष-जनक रही है, विशेषरूप से यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इस योजना में 50 करोड़ रुपये के व्यय से दस महीने की पूरी कार्य-अवधि में 875 लाख श्रमदिनों का रोजगार

पैदा करने की परिकल्पना की गई थी, परन्तु इस वर्ष की कार्य-अवधि छः महीने ही रही थी, क्योंकि पहले छः महीने कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं तैयार करने और अपेक्षित प्रशासनिक तथा अन्य प्रबन्ध करने में लगे थे और साथ ही बरसात भी काफी देर तक रही थी।

1972-73 के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के मुकाबले में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 17.13 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इससे 477.99 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। आशा है कि 1972-73 के लिए दी गई 50 करोड़ रुपये की राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, 13 अनुसंधान संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं क्षेत्र में जाकर ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्य का गहराई से अध्ययन करें और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। रिपोर्ट प्राप्त होनी शुरू हो गई है। इन अलग-अलग रिपोर्टों के आधार पर अखिल-भारत समन्वित रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव है। आशा है कि यह अखिल-भारत समन्वित रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ चुने जिलों में ग्राम बेरोजगारी के स्वरूप तथा प्रतिमान का एक विस्तृत तथा तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करेगी।

दिल्ली में डी० डी० टी० फैक्टरी के अवशिष्ट द्रवों द्वारा मछलियों की मृत्यु के बारे में 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के संबंध में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।

15 नवम्बर, 1971 को श्री वी० के० दास चौधरी द्वारा पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर में यह कहा गया था कि दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने यह सूचित किया है कि ऐसी कोई जांच नहीं की गई है और इसलिए जांच निष्कर्षों पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बाद में, पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय ने बतलाया था कि 1961 में एक सरकारी दल ने केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान की सहायता से यमुना नदी में गिरने वाले नजफगढ़ नाले के पास स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी द्वारा मछलियों की मृत्यु के मामले में जांच की। इस जांच दल का निष्कर्ष यह था कि डी० डी० टी० फैकटरी से निकलने वाले अवशिष्ट की अमलता यमुना नदी के दूषण का एक सहायक कारण है। इसकी सम्भावना नहीं है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यमुना नदी में गिरने वाला नजफगढ़ नाला अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहता है और इसमें अनेक उद्योगों का अवशिष्ट तथा घरों से आने वाला मल मूत्र मिलता रहता है। इसलिए इनमें से कौन-सा मछलियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है यह निश्चित करना कठिन है।

इस स्थिति में आगे और सुधार करने के लिए इस दल ने मिश्रित नमूनों का विश्लेषण करना, अवशिष्ट की मात्रा मापना, शोधन संयंत्र में सुधार करना और डी० डी० टी० फैक्टरी में निथार टंकी की व्यवस्था करना आदि जैसे कतिपय उपाय सुझाये थे। हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि डी० डी० टी० फैक्टरी द्वारा ये सभी सुझाये गये उपाय पूरी तरह क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

इस मंत्रालय को पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय से तथ्यों की सूचना 1 दिसम्बर, 1971 को प्राप्त हुई थी। पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन से विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसलिए पूर्व दिये गये उत्तर का संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य पहले नहीं दिया जा सका।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपकी अनुमति से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। हरियाणा, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में शिक्षा संस्थाएं बन्द पड़ी हैं। मैं ने स्थगन प्रस्ताव दिया था परन्तु आप ने उसे स्वीकार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना अनुमति के नहीं बोल सकते।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Sir. You said that you will give an opportunity for raising discussion on the Delhi University Affairs.

MR. SPEAKER: I have to work according to the Order Paper. After the Calling Attention is over the Hon. Members can make their submissions. We have to abide by the Order Paper.

अविलम्बनीय-लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"चने की दाल, मूंग की दाल और मटर की दाल की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से इन वस्तुओं का सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित भण्डार से ये दालें खरीदने की अनुमति हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकार से की गई कथित प्रार्थना।"

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"चने की दाल, मूंग की दाल और मटर की दाल की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से इन वस्तुओं का सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिये भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित भण्डार से ये दालें खरीदने की अनुमति हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकार से की गई कथित प्रार्थना।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : भारतीय खाद्य निगम ने सेना क्रय संगठन और पुनर्गठन मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक आधार पर चने और विविध दालों की कुछ मात्रा खरीदी थी। इन संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, उनके पास चने और दालों का कुछ स्टाक बच गया था, जिसको

सामान्यत: भारतीय खाद्य निगम को अधिकतम अर्जनीय मूल्यों पर बाजार में बेचना चाहिए था। अत: मार्च के अन्त से अगस्त, 1972 के शुरु तक भारतीय खाद्य निगम के बिक्री केन्द्रों से चना और दालें बेची गई थीं। देश में चल रही सूखे की स्थिति और खाद्यान्नों के मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के संदर्भ में भारत सरकार ने जुलाई, 1973 के अन्त में यह निर्णय किया कि सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए दालों के स्टाक को राज्य सरकारों/प्रशासनों को भी पेश किया जाए। भारतीय खाद्य निगम ने औसत खरीद मूल्य, पूल, भाड़ा, भण्डारण आदि को ध्यान में रखते हुए चने और विभिन्न प्रकार की दालों के एक से मूल्य निर्धारित किए हैं, जोकि देश भर में लागू हैं, और जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य सरकारों को 25 अगस्त, 1972 को बता दिया गया था। इन निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, कलकत्ता ने चना और विभिन्न प्रकार की दालों की बिक्री से सम्बन्धित प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत की और सूचित किया कि पश्चिमी बंगाल सरकार निश्चित मूल्यों पर उपर्युक्त चने और दालों को लेने के लिए तैयार हैं। इस बीच कुछेक राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य बाजार-मूल्यों से अधिक हैं। इसकी जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध चने और दालों के स्टाक को राज्यों में चल रहे बाजार मूल्यों और स्टाक की किस्म को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के बीच आपस में तय किए गये मूल्यों पर किए गए आवंटनों के अनुसार राज्य सरकारों को दिए जाने चाहिये। तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाएं और बातचीत से जो परिणाम निकले उनको मुख्यालय को अनुमोदनार्थ भेजा जाए। मुख्यालय के अनुमोदन की सूचना क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता को दे दी गई है और अब राज्य सरकार द्वारा स्टाक उठाए जा रहे हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : खाद्यान्नों की वसूली, उनका भण्डार बनाने तथा उनके वितरण का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम ने 1965 में अपनी गतिविधियां आरम्भ की थी जिसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। माननीय मंत्री के वक्तव्य के पहले वाक्य से ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल उन दालों तथा अनाज का उल्लेख किया है जिनकी सेना क्रय संगठन तथा पूनर्वास मंत्रालय को आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम की धारा 13 के अनुसार यथासम्भव खाद्य पदार्थों की वसूली करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की है। उनके इनके भण्डार करने तथा वितरण के प्रबन्ध भी करने होते हैं। उचित मूल्य पर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी खाद्य निगम की है। वक्तव्य से ऐसा लगता है कि अभी हाल में राज्य सरकारों को माल उठाने के लिए कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं 25 अगस्त, जब कि निर्णय लिया गया था, और दिसम्बर के मध्य के व्यय के बीच क्या कार्यवाही की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की चने के लिए 144.41 रुपये के मूल्य की पेशकश की गई है जबकि बाजार भाव 120 रुपये का है। चने की दाल देने का राज्य सरकार का मूल्य 152.14 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजार चाव 135 रुपये प्रति क्विंटल है। मूंग की दाल का मूल्य 251.62 रुपये प्रति क्विंटल है जब कि बाजार भाव 195 रुपये प्रति क्विंटल है। क्या एकाधिकार की प्रवृत्ति अपनाने के लिए ही निगम की स्थापना की गई

है? क्या इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न है जिसमें मूल्यों में वृद्धि हो। क्या इसका उद्देश्य उपयोक्ताओं का शोषण करने का है? क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली नीति ठीक है? यदि नहीं, तो भारतीय खाद्य निगम के एक जिम्मेदार अधिकारी श्री नरसिन्घराव द्वारा कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव को ऐसा पत्र लिखे जाने के क्या कारण है जिसकी प्रतियां राज्य सरकारों के सिविल सप्लाई विभागों को भी दी गई हैं? माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन मूल्यों पर न केवल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बल्कि अनेक अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी आपत्ति की गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने ऐसे मूल्य किन कारणों से बताये थे जोकि बाजार भाव से भी अधिक थे राज्य सरकार को खाद्यान्न सप्लाई की गम्भीर स्थिति का सामना करना है और इस बारे में भारतीय खाद्य निगम का रवैया बहुत आश्चर्यजनक है। राज्य कृषि-मंत्री द्वारा भेजी गई अनेक तारों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 13 सितम्बर को राज्य के खाद्य मंत्री स्वयं केन्द्रीय सरकार खाद्य मंत्री से मिले थे। खाद्य मंत्री ने कहा था कि दालें-चावल तथा गेहूं देने के लिए अधिकारियों को अनुदेश दे दिये गये हैं परन्तु, इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया है। माननीय मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिए कि इस कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है? पिछले तीन तथा चार महीनों से पश्चिमी बंगाल के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में दालों के मूल्यों में आयेतन 1.50 रुपये किलोग्राम की वृद्दि हुई हैं। राज्य में भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों में 4000 से 5000 टन अनाज हैं परन्तु अधिकारियों का कहना है कि यह भण्डार सेना तथा पुनर्वास मंत्रालय के लिए है यह भण्डार गत तीन अथवा चार वर्षों से बना हुआ है। ऐसे समाचार हैं कि इनको मानव उपयोग के लिए अनुचित घोषित किया जायेगा हजारों टन खाद्यान्न इस प्रकार खराव हो जाता है।

पश्चिम बंगाल में खाध के इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एक राज्य खाद्य निगम बनाने का निर्णय किया है। इस प्रकार के निगम बनाने पर खाद्य निगम अधिनियम की धारा 7 के अन्दर कोई रोक नहीं है। फिर भी मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी। राज्य सरकार की मांग में कोई अनुचित बात नहीं है उनको अपना पृथक खाद्य निगम बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष $4\frac{1}{2}$ लाख टन अनाज की वसूली करता है और इससे लगभग 300 से 400 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करता है क्या सरकार पश्चिम बंगाल से खाद्यान्न की वसूली में निगम द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभ की सीमा तक वसूली में राज्य सहायता देने पर विचार करेंगी? क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को राज्य खाद्य निगम की स्थापना की मंजूरी देगी ताकि इस प्रकार की समस्या पुनः उत्पन्न न हो। क्या केन्द्रीय सरकार दालों की खरीद में गत तीन अथवा चार महीनों में हुई गड़बड़ी की जांच करायेगी? लोक लेखा समिति की सिफारिशों को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम की जिला तथा स्थानीय शाखाओं में सलाहकार वोर्ड बनायेगी? यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो परिचम बंगाल के लोग यह महसूस करेंगे कि उनका शोषण किया जा रहा है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरण के लिए चने तथा दालों की खरीद नहीं करता। ऐसा कुछ संगठन तथा पुनर्वास मंत्रालय के लिए ही गत वर्ष निगम द्वारा चने तथा दालें खरीदी गई थीं। सेना संगठन के लिए क्रम किया गया सामान उनको सप्लाई का दिया गया था और पुनर्वास मंत्रालय के लिए जो दालें आदि खरीदी गई थी उसका 40 प्रतिशत चना विभिन्न राज्यों में अभी पड़ा हुआ है। इस वर्ष के शुरू में लेकर अगस्त के शुरु तक इन को खुले बाजार में भेचा गया था। देश में सूखे की स्थिति को देखते हुए इन दालों का वितरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से किया गया था।

मूल्य के प्रश्न के बारे में राज्य सरकार से वातचीत की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि समूचे देश में मूल्य एक समान होने चाहिए। जब मूल्य निर्धारित किया गया तो पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने इस पर आपत्ति की थी और कहा था कि मूल्य बहुत अधिक है। तब यह मामला हमारे पास भेजा गया और हमने इस मामले पर यह निर्णय लिया कि खाद्य निगम द्वारा मूल्यों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पुनर्विचार के पश्चात भी जो मूल्य नियत किये गये उसपर भी पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा आपत्ति की गई थी।

जब यह मामला पुनः हमारे ध्यान में लाया गया, तो हमने निर्णय किया कि यह दालें आदि राज्य सरकारों को दे देनी चाहिए और मूल्य के बारे में दोनों पार्टियों को आपस में समझौता करना चाहिए। अब ये दालें आदि राज्य सरकार को दी जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता में इनका वितरण किया जा रहा है। चने का बाजार भाव 115 से 140 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य सरकार इसे 100 रुपये प्रति क्विंटल लेने को तैयार है। मूंग की दाल का मूल्य 340 से 350 रुपये प्रति क्विंटल है, परन्तु राज्य सरकार को यह 119 रुपये प्रति क्विंटल दी जा रही है। मटर की दाल केवल 1.7 टन ही है और यह 80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। मुझे आशा है कि खाद्य निगम के पास जो सामान उपलब्ध है इसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरण के लिए राज्य सरकार को दे दिया जायेगा।

जहांतक राज्य खाद्य निगम स्थापित करने का प्रश्न है यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : यह सुनकर हमें कुछ संतोष हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को दालें दे रहा है। इस से गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि दालों आदि का भण्डार सेना क्रय संगठन तथा पुनर्वास मंत्रालय के लिए था। मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ता में इन वस्तुओं को इतना अधिक भण्डार रखने की क्या आवश्यकता थी? माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि यह भण्डार सूखे की स्थिति में सहायता देने के लिए भी था। परन्तु राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से बार बार अनुरोध किया था कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए चने तथा मूंग की दाल

का प्रबन्ध किया जाये। भारतीय खाद्य निगम को टेलेक्से द्वारा छः सन्देश भेजे गये परन्तु उन्होंने इनपर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि कार्यवाही करने में क्या कठिनाई थी? क्या किसी राज्य को अन्य राज्य से बिना केन्द्रीय हस्तक्षेप के चने खरीदने की अनुमति हैं? इस बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों में मूंग की दाल उपलब्ध नहीं थी दालांकि भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों के यह पड़ी हुई थी। इसे जनता को सप्लाई ने किये जाने के क्या कारण हैं? इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान 7 दिसम्बर के अमृत बाजार पत्रिका में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में हम मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: मैं पहले ही बता चुका हूं कि आमतौर पर भारतीय खाद्य निगम दालें आदि की खरीद नहीं करता। यह भी पहले ही बता चुका हूं कि सेना क्रय संगठन के लिए जो दालें आदि खरीदी गई भी उन्होंने वे सब दालें ले ली हैं। परन्तु पुनर्वास मंत्रालय का 40 से 50 प्रतिशत सामान अभी पड़ा हुआ है पहले इस खुले बाजार में बेचा जाता था परन्तु अगस्त में सरकार ने इसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकार द्वारा अनाज की मात्रा तथा मूल्य के बारे में निर्णय लेने में दो अथवा तीन महीने लग गये थे। अब बातचीत पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार दालें आदि गोदामों से उठा रही हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मुझे टेलेक्स सन्देश मिला था जिसमें यह कहा गया, था कि राज्य सरकार ने बातचीत द्वारा निर्धारित मूल्य पर एक हजार टन चने की दाल, एक सौ टन मूंग की दाल तथा 80 टन मटर दाल खरीदने का निर्णय किया है। यह भी बताया गया था कि यह सामान भारतीय खाद्य निगम के पास बहुत समय से पड़ा हुआ है और निगम द्वारा निर्णय न लिये जाने के कारण खराब हो रहा है। यह थी बताया गया था कि इस मामले को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ 13 सितम्बर को उठाया गया था। यह थी बताया, गया था कि कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में निर्णय ले लिया गया है और निर्णय की सूचना क्षेत्रीय मैनेजर को दे दी गई है। सरसों के तेल के भण्डार पहले ही खराब दो चुके हैं और मानव उपयोग के लिए नहीं रह गये हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव में इस व्यवस्था के माध्यम में पहले से कम वितरण हो रहा है। ऐसा रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडों से सिद्ध होता है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन में पारिवारीक भण्डार (फेंम्ली स्टोरेज) के कारण हुई हानि का उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल प्रस्ताव पर ही अपनी बात कहिए। घरों में सामान जमा किये जाने के कारण होने वाली हानि प्रतिवर्ष बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्पादों के नियति से देश को 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है परन्तु वे इस साधारण से मूल्य निर्धारित के लिये लड़ रहे हैं। भारतीय खाद्य

निगम केवल पश्चिम बंगाल से ही इतने बड़े पैमाने पर चावल और गेहूं की वसूली क्यों कर रहा है? इस वसूली से उन्हें 6 करोड़ रुपये का लाभ होगा। वास्तव में समस्या यह है कि राशन व्यवस्था समाप्त होते जा रही है। पश्चिम बंगाल को 175000 टन चावल और गेहूं की आवश्यकता है।

आवश्यकता का अनुमान लगाये बिना केन्द्रीय सरकार ने अपनी मर्जी से इसमें कटौती कर दी है। केवल कलकत्ता में ही राशन के लिये 40,000 टन गेहूं की आवश्यकता है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। पश्चिम बंगाल में वसूली का काम देर से आरम्भ हुआ था और वसूली बहुत कम हुई थी। विवरण में लिखा है कि इस बीच मुख्य कार्यालय की अनुमति भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता के क्षेत्रीय प्रबन्धक को भेज दी गई है। यह किस तारीख की भेजी गई थी? वसूली का मूल्य क्या है और भण्डागार पर प्रतिमास कितनी धनराशि खर्च की जाती है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुख्य कार्यालय ने 2 दिसम्बर को अनुदेश जारी किया था। क्षेत्रीय प्रबन्धक ने 8 या 9 तारीख को कार्यवाही की थी मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला, मैंने तुरन्त कार्यवाही कर दी थी। अगस्त और सितम्बर में मैं कलकत्ता में था। मैंने निर्णय किया कि भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ा शेष भंडार राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम एक स्वायत्त शासी निकाय है, मूल्य निर्धारण के बारे में विचार उसे करना होता है। यह मामला हमारे पास भेजा गया था। मैंने उनको मूल्य का प्रपुनरीक्षण करने के लिये कहा था। राज्य सरकार इस पुनरीक्षण से संतुष्ट नही थी। उसके बाद हमने निर्णय किया कि पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय खाद्य निगम इस मामले पर विचार करें और यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान करें। इन दोनों में बातचीत के बाद हुए निर्णय के बाद भण्डार देने में कोई अधिक समय नहीं लगा है। वास्तव में भारतीय खाद्य निगम का यह काम नहीं है कि वह अन्य राज्यों से दालें या चने लेकर पश्चिम बंगाल को दे। पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये इन्डेंट से यह कुछ सामान बच गया था जो अब भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ा है और यह आवश्यकता से बहुत कम मात्रा से है। फिर भी उसे सम्बन्धित लोगों की सहायतार्थ रियायती दर पर दिया जा रहा है।

श्री बी० के० दासचोधरी (कूच-बिहार) : शेष कितना भण्डार है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : 1500 टन चने, 80 टन मूंग दाल और 1.6 रन मटर दाल है। देश के अन्य भागा में कितना भण्डार शेष है इसके बारे में मैं एक विवरण सभा पटल पर रख सकता हूँ।

श्री ज्येतिर्मय बसु: यह दाल किस फ़सल की है? भारतीय खाद्य निगम ने इस की वसूली कब की थी? भण्डार बनाने में कितनी धन-राशि रुकी हुई है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह जानकारी एकत्र कर के सभा-पटल पर रखी जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे पता चला है कि दाल खराब होने वाली थी और खाने योग्य नहीं रहनी थी। इसी लिये मैं ने पूछा है कि वह किस फसल की थी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने कहा है कि दाल खुले बाजार में बेची जा रही थी और वह खराब नहीं थी। यह पश्चिम बंगाल से अधिक मूल्य पर बेची जा रही थी। वह मसूर की दाल चाहते ही नहीं थे। यह दाल भी खुले बाजार में बेचे जाने योग्य है। यह दाल खराब नहीं थी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

विविध विषय

MISCELLANEOUS MATTERS

श्री बालदन्डायुतम (कोयम्बटूर) : मैंने आपको तमिल नाडु में बाढ़ और तूफान तथा उन से हुए विनाश के बारे में नियम 377 के आधीन चर्चा उठाने के लिये लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ दिनों के बाद इस विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचना की स्वीकृति दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव को प्रतिदिन का विषय नहीं बनाना चाहिये। स्थगन प्रस्ताव पूरे वर्ष में एक या दो होने चाहिये। यदि प्रतिदिन स्थगन प्रस्ताव लाया गया तो और काम बन्द हो जायेगा।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, you had agreed to allow discussion about Delhi. I would also request you to kindly admit the Calling Attention Notice on Banaras Hindu University.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचना की स्वीकृति दे दी है। दूसरे विषय पर भी यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जितनी अधिक चर्चा होगी उतना ही मामला अधिक उलझेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने के लिये आये हैं। मैंने नियम 377 के अधीन नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What happened to the discussion on Delhi University?

MR. SPEAKER: I have no objection.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : इस विषय पर तीन बार चर्चा की जा चुकी है। आपने ठीक ही कहा कि जितनी चर्चा होगी यह मामला उतना ही और उलझेगा (व्यवधान)।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: May I know whether the cause of trouble is discussion in the Parliament?

MR. SPEAKER: You have misunderstood. I wanted to say that no useful purpose has been served by the discussion. We have already discussed it thrice.

ज्योतिर्मय बसु : गत सत्र में कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय किया गया था प्रत्येक सप्ताह में नियम 193 और 184 के अन्तर्गत ऐसे हो मामलों पर चर्चा की जायेगी। हमने इस सत्र की तीन सप्ताह की बैठकों में केवल तीन मामलों पर चर्चा की है, दो मामलों पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राहत सामग्री के वितरण के बारे में कदाचार का मामला उठाने की अनुमति चाहता था। इस मामले को लेकर रैडक्रास संगठन के संयुक्त सचिव श्रीमती लीला फरनेंडीज़ ने त्यागपत्र दे दिया है। आपने कहा है कि इस मामले को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करके नहीं उठाया जा सकता। आपही बताइये कि इस महत्वपूर्ण मामले पर किस प्रकार चर्चा की जा सकती है?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जा सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने टिप्पण मंत्री महोदय को भेज दीजिये। फिर देखेंगे कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक इस सप्ताह में पुर:स्थापित किया जायेगा?

श्री राज बहदुर: मैं इस सम्बन्ध में निर्माण और अवास मंत्री के साथ बातचीत करूंगा।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna): Sir, you are aware that there is strike by the College Teachers in Bihar. As this matter relates to U.G.C., the Minister may kindly be asked to make a statement.

MR. SPEAKER: I shall look into it. You may give it in writing.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के लेखें

श्री राजबहादूर : मु मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विशाखपत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा–पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3965/72]

उर्वरक (नियन्त्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1972 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 417 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 428 (ङ) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3963/72]

चीनी (वर्ष 1972–73 के उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश और चीनी उद्योग विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शोर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1972–73 के उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 458 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3963/72]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3964/72]

टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1972), प्रतिवेदन, अधिसूचना और विवरण सम्बन्धी सरकारी संकल्प

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) रंग मध्यवर्ती उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1972)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3969/72]

(ख) सरकारी संकल्प संख्या 12(2) टैर 72, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या 12(2) टैर 72-1, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं पर सीमाशुल्क में वृद्धि की गई है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 12(2) टैर 72-2 जो भारत के राज-पत्र, दिनांक 4 दिसप्बर, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं पर सीमाशुल्क कम किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 12(2) टैर 72-3, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं पर सीमाशुल्क लगाया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3967/72]

(2) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) में विहित अवधि के भीतर उपयुक्त मद (6) (एक) में उल्लिखित दस्तावेज सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त मद (6) (एक) (क) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3968/72]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडापर के लेखे और उन से सम्बन्धित एक विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त लेखे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3966/72]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :--

(एक) कि राज्य सभा 7 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1972 को पास किये गये विमानवहन विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 7 दिसम्बर, 1972 को अपनी बैठक में समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) विधेयक, 1972 पास कर दिया है।

समुद्री तोपखाना अश्यास (संशोधन) विधेयक
SEAWARD ARTILLERY PRACTICE (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) विधेयक, 1972, की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

संसद भवन में जल पान गृहों को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की पूरी मात्रा में सप्लाई के बारे में दिमनांक 29 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 1030 के उत्तर में शुद्धि करना
CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 1030 DATED 29TH MAY 1972 RE. SUPPLY OF FULL QUANTITY OF MILK BY D.M.S. TO CATERING ESTABLISHMENT PARLIAMENT HOUSE

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : लोक सभा में दिनांक 29-5-1972 को तारांकित प्रश्न संख्या 1030 के भाख (ख) में जो उत्तर दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि सरकार को यह पता नहीं है- कि ये तीनों प्रतिष्ठान (संसद भवन में रेलवे केटरिंग सेवा, काफी बोर्ड और टी बोर्ड जैसे केटरिंग प्रतिष्ठान) दिल्ली दुग्ध योजना के

अतिरिक्त अन्य किसी एजेन्सी से भी दूध खरीदती हैं। उस समय मेरा ध्यान, निम्नलिखित दो प्रश्नों के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में, लोक सभा के सदस्य श्री के० सूर्यनारायण ने आकर्षित किया था :—

(क) आतारांकित प्रश्न संख्या 1818 दिनांक 4-4-1972 के उत्तर में विदेश व्यापार के उपमंत्री ने बताया था कि काफी बुफेट ने कुछ दूध की मात्रा सार्वजनिक दुग्ध आपूर्ति, करोल भाग, नई दिल्ली से भी प्राप्त की थी ; और

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 2426, दिनांक 11-4-72 को रेलवे मंत्री ने कहा था कि संसद भवन में रेलवे केन्टीन के लिए दूध की अधिप्राप्ति आंशिक रूप से दिल्ली दुग्ध योजना से और आंशिक रूप से मुहरबन्द बोतलों में केवेन्टर्स से की जा रही है।

2. पहले दिये गये दोनों आतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को आधार मानकर, जिनकी कि जांच कर ली गई है, दिनांक 29-5-72 को तारांकित प्रश्न संख्या 1030 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निम्न प्रकार संशोधन करना आवश्यक है :—

"(ख) सरकार को जानकारी है कि इन प्रतिष्ठानों में से कुछ दिल्ली दुग्ध योजना के अतिरिक्त अन्य एजेन्सियों से भी दूध खरीदते हैं।"

"(ग) प्रश्न के भाग (क) में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।"

3. दिनांक 29-5-1972 को तारांकित प्रश्न संख्या 1030 के भाग (ख) के उत्तर में जो पहले गलत सूचना दी गई थी, उसका कारण यह था कि कृषि मंत्रालय को, विदेश व्यापार के उपमंत्री और रेलवे मंत्री द्वारा पहले दिये गये उत्तरों का पता नहीं था। अनजाने में हुई गलती के लिए खेद है।

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक
STATE FINANCIAL CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion Was Adopted.

श्रीमति सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

सभा के कार्य के बारे में

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि राज्य व्यापार निगम पर चर्चा का समय 2 घंटे की बजाय 4 घण्टे किया जाना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए 2 घंटे का समय निश्चित किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : यह नियम 184 के अधीन है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत करते?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): This may be taken up in place of half an hour discussion.

MR. SPEAKER: It can be done like that.

MR. S. M. BANERJEE (Kanpur): Please consult Shri Samar Guha, otheriwse there may be some difficulty.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यदि श्री समर गुह आधे घंटे की चर्चा के अपने विषय की स्थागित करने पर सहमत हो जाएं तो अच्छी बात है।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा होगी। केवल एक घंटा और पांच मिनट समय शेष है। हमें इसी अवधि में इसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री अम्बेश अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

SHRI AMBESH (Firozabad): I said that dav the rules and regulations under this Act were framed 68 years ago and that they were not suitable in the present circumstances and that the Hon. Minister should have been brought comprehensive Bill in this connection.

The loss caused to the Railways also adversely affect the people of our country in many ways. Every year you increase the rates of fares and freights. I think if the railway system is improved there would be no loss to the Railways.

I am not opposed to this amendment but the Hon. Minister should also see that it does not add to the difficulties of the traders. I also suggest that Government should try to meet the shortage of wagon as soon as possible.

MR. SPEAKER: You may continue. You speak after lunch.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned For Lunch Till Fourteen of The Clock

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजकर पांच मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha Reassembled After Lunch At Five Minutes Past Fourteen of The Clock

---

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

SHRI AMBESH: I was referring to the shortage and non-movement of wagons. May I know whether the Hon. Minister has even tried to find out the causes of non-movement of wagons? May I also know whether he has held any Railway official responsible for this and whether he has taken any action against those employees? Now Government are going to increase the rates of wharfage and demurrage resulting in more difficulties to the traders. How is it that Government are not prepared to take action against those Railway's employees who do not perform their duties efficiently? In certain cases traders have to face many difficulties. Due to wrong entries in R.R. they have to go to Railway Station several times.

In view of the increasing inefficiency in Railways. post offices and bank traders have to face many many difficulties. I don't think that after this amendment the efficiency of Railway employees would increase.

It is a matter of great concern that traders in India are treated as dishonest. Government also think that the delay in the movements of wagons is caused by the traders ignoring the fact that inefficiency of the employees of Railways is main cause of the problem. At the time when the period of 30 days was fixed in this connection, Government was hopeful to achieve suitable results but you have now seen the outcome of that measure. I think if Government do not fix responsibility on the Railway official, this second step of the Government would not be proved successful.

I also think that the reduction in this period would increase the cases of thefts and corruption resulting in the increased amount of compensation to be paid by Railways.

SHRI RAM KANWAR (Tonk) : I am opposed to the Bill which seeks the reduction of period from 30 days to seven days in view of the increasing difficulties to the traders. Since persons are not informed of the arrival of their goods at the particular stations beforehand and it involves the payment of full amount it is not possible for the traders to lift their goods within the period of seven days. I. therefore, suggest that Government should increase the number and capacity of the godowns. Effective measures should also be made to check the cases of pilferage. Expansion of platforms is also required at small stations. It has been observed that ticket collectors collect the amount of fare from the ticketless travellers but this amount is misappropriated by them. The Hon. Minister should look into this corruption also. In these circumstances this period should be at least 20 days.

I have repeatedly invited the attention of the Hon. Ministers to the fact that there is no railway line in my constituency, Tonk. Government should construct Railway lines from Kota to Ajmer and from Davari to Kekari. Survey of these lines was conducted much earlier. This is a famine affected region and Government should take immediate steps in this regard. I also suggest the number of third class compartments should be increased in the express trains.

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैंने माननीय सदस्य की बातों को सावधानी से सुना है जिन्होंने रेलवे की कार्य कुशलता को बढाने के सुझाव दिये हैं।

इस उपाय के बारे में मैंने केवल साधरण सी बात कही है कि माल पहूंचने के बाद उसे सात दिन के अन्दर अन्दर उठा लिया जाना चाहिए तथा उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम में माल देर से पहुंचने तथा माल डिब्बों की कमी आदि की किसी बात का सम्वधं ही नहीं है।

रेलवे का उत्तरदायित्व केवल माल को ढोना है। माल को निकट स्थान पर पहुंचाने के बाद रेलवे विभाग उस माल की 30 दिन तक रखवाली नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि रेलवे विभाग 30 दिन तक माल की रखवाली भी करता रहे तथा उसके बदले में कोई पैसा भी की न ले। इस प्रकार का उत्तरदायित्व न ट्रक कम्पनियां लेती हैं और न नौवहन कम्पनियां। इस स्थिति में रेलवे विभाग ही अतिरिक्त उत्तरदायित्व क्यों ले? अन्य परिवहन मनमानी ढुलाई बसूल करते हैं किन्तु रेलवे से आशा की जाती है कि वह कम से भाड़ा वसूल करे तथा माल को किसी प्रकार को क्षति भी न पहुंचे।

बासों की ढुलाई में रेलवे को 2,400 किलेमीटर के लिए 123.91 रूपया लागत आती है किन्तु हम केवल 99 रूपया वसूल करते हैं। इस का अर्थ यह हुआ कि कुछ वस्तुओं की ढुलाई में रेलवे को भारी नूकसान रहता है। अत: इन सब बातों पर पुन: विचार करना आवश्यक हो गया है।

मैं स्वयं यह चाहता हूं कि व्यापार को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। यदि व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें समय पर माल डिब्बे मिले तथा उनका सामान समय पर पहुंचे तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है?

अधिक माल डिब्बे खरीदने का सुझाव भी दिया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने अधिक से अधिक माल डिब्बे खरीदने का आर्डर दिया हुआ है। 40,000 माल डिब्बे का क्रयादेश दिया हुआ है जो अभी तक सप्लाई नहीं किये गये हैं। हमें सरकारी तथा गैरसरकारी सुत्रों से केवल 12,000 माल डिब्बे प्रति वर्ष प्राप्त होतें हैं जबकि हमें प्रति वर्ष 26,000 माल डिब्बे चाहिए। लगभग 500 माल डिब्बे प्रति वर्ष वेकार हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त 1962–63 में एक माल डिब्बे का मूल्य 16,000 रुपया था जो अब लगभग दुगना हो गया है। किन्तु भाडे आदि की दरों में कोई वृद्धि नहीं है। अत: सिमित साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना ही लोक हात में है।

मैंने सभा में यह सुझाव दिया था कि विलम्ब शुतक में वृद्धि की जाए। हम विलम्ब शुल्क से प्रति वर्ष लगभग 12–13 करोड़ रुपयों की आय होती है। हम चाहते हैं कि व्यापारी अपने माल को ठीक समय पर उठाये जिससे हमें माल डिब्बे को अन्य माल के

लिए उपयोग करने का अवसर मिल सकें जिससे अधिक माल का यतायात हो सके और हमारी आय में वृद्धि हो सके।

जहां तक राशन का सम्बन्ध है रेलवे द्वारा प्रति वर्ष 1399 करोड़ रूपयों के मूल्य का अनाज और दालों की ढुलाई की जाती है तथा हमें प्रति वर्ष मुआवजे के रुप में 2.83 करोड़ रुपये का भुगतान करना पडता है। अनाज जैसी वस्तुओं के लाने लेजाने में इतनी क्षति होनी स्वाभाविक है। 442 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी की ढुलाई में हमें 96 लाख रुपया का मुलावजा देना पडता है। 1079 करोड़ रुपयों के मूल्य के लोहे और इस्पात की ढुलाई में हमें 77 लाख रुपया मुआवजे के रुप में देना पडता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम प्रति वर्ष लगभग 7500 करोड़ रूपयों के मूल्य का माल ढोते हैं जिसमें हमें 750 करोड़ रूपयों की आय होती है तथा हमें लगभग 12 करोड़ रूपयों की राशि चोरी आदि के कारण मुआवजे में देनी है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि रेलवे में इतनी चोरी को उचित ठहराना चाहता है। कई मामलों में चोरी व्यापारियों और कर्मचारियों की सांठ गांठ से भी हो सकती है। यदि 100 बोरों के स्थान पर केवल 90 बोरे ही माल डिब्बे में चढाए जाएं तो सरकार को 10 बोरों का मूल्य देना पड़ेगा। अत: हम चाहते हैं कि चोरी आदि के मामलों को समाप्त किया जाए। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इन उपायों पर हमें उतनी राशि से अधिक राशि खर्च न करनी पडे जितनी हमे मुआवजे के रुप में देनी पडती है।

मुझे बताया गया है कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक अकार्यकुशल हैं। रेलवे विभाग की इस बात के लिए सराहना की गई है कि माल डिब्बे नियत स्थान पर रेलवे रिसीट से पहले पहुंच जाते हैं। यह सच है कि लदान बिलों में कुछ हेरी-फेरी की जा सकती है तथा मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई ऐसा मामला ध्यान के आया तो सम्बन्ध कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिया जाएगा।

वास्तव में मैं इस अवधि का तीन दिन करना चाहता था तथा मैंने इस सम्बन्ध में विभिन्न बैंकों से विचार विमर्श किया था । किन्तु बैंकों का सुझाव था कि तीन दिन करने से स्वयं बैंकों को भी कठिनाई होगी। मैं यह भी चाहता हूं कि बैंक तथा रेलवे विभाग में समन्वय हो जिससे व्यापारियों की कोई कठिनाई न हो। मैंने व्यापारियों को भी आश्वासन दिलाया है कि उनसे सम्बन्धित प्रकिया को सरल बनाया जाएगा। यह सच नहीं है कि कम मूल्य वाली वस्तुओं को उठाने में देरी की जाती है। पश्चिम बंगाल में पूजा के समय माल डिब्बों को खाली न किये जाने की शिकायतें मिली है तथा पश्चिम बंगाल सरकार को भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन उन को अपने कब्जे में करना पड़ा।

माननीय सदस्यों ने आंशंका व्यक्त की है कि यदि यह संशोधन किया गया तो रेलवे के यतायात में कमी हो जाएगी। मेरा निवेदन है कि ट्रक आदि इस प्रकार का कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेते।

मैंने रेलवे अधिनियम में व्यापिक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव किया है जिससे रेलवे परणाली को आधिविक बनाया जा सके। किन्तु यदि एक संशोधन के लिए मुझे इतनी कठिनाई हो सकती है तो अन्य संशोधनों में कितनी कठिनाई हो सकती है। कुछ निदित स्वार्थ चाहते हैं कि अधिनियम में कोई संशोधन न हो। फिर भी मुझे आशा है कि मुझे सदन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। यदि हम संशोधन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हानि होती है तो मैं हउसमें क्या कर सकता हूं यद्यपि मेरा आशा किसी को हानि पहुंचना नहीं है। मुझे यह भी विश्वास है कि हम रेलवे में विधमान सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं।

जहां तक 10 या 15 दिन की अवधि विधीरित करने का सुझाव है मेरा निवेदन है कि तीन दिन की अग्रिम सूचना के साथ 10 दिन बनजाते है। हमारे अतिरिक्त यदि किसी की वास्तविक कठिनाई पाई गई तो रेलवे प्रशासिन को उनकी कठिनाई को देखने हमें कुछ रियायत बरतने का और सुझाव दिया जाएगा।

मुझे यह तर्क उचित नहीं लगा कि यदि इस अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया गया तो चोरी के मामलों में वृद्धि होगी। इस स्थित में मैं 30 दिन की जिम्मेदारी क्यों लूं? मेरे विचार से व्यापारी अपने माल को शीघ्र घुटाने का प्रबन्द करेंगे जिससे उसके माल को नुकसान न हो क्योंकि सात दिन उनके बार उसी की जिम्मेदारी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार दिया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2

श्री० टी० ए० पाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि: प्रष्ठ 1, पंक्ति 4:—

'Section 77' (धारा 77) के पश्चात

"and in sub-section (3) of section 77c"

(और धारा 77 ग की उपधारा (3) में) जोडए

संख्या एक)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि: प्रष्ठ 1, पंक्ति 4:—

'Section 77' (धारा 77) के पश्चात् and in Sub-Section (3) of Section 71 C' (और धारा 77 ग की उपधारा (3) में) जोड़िये)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

जी० वी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा

अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड दो, संशोधन रूप में मे विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खन्ड दो संशोधित रूप में जोड़ दिया गया।

Clause 2 as amended was added to the Bill

खण्ड एक अधिनियमन सूत्र नय विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the enacting formula and title were added to the Bill

श्री टी० ए० पाई : मैं प्रस्ताव करता हूं 'कि विधेयक को, संशोधन में प्राति किया जाए'।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि विधयक को संशोधित रूप में पारित दिया जाए'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

Industrial Development Bank of India (Amendment Bill)

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुमीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

महोदय जैसा कि सदन को ज्ञात है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पहली जुलाई, 1964 को कार्य करना आरम्भ किया। इस का कार्य औद्योगिक धर्मों को वित्तीय सहायता देना है तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के कार्य में समन्वय स्थापित करना है। जून, 1972 में समाप्त होने वाले वर्ष में बैंक ने 66 करोड़ रुपये की सीधी सहायता दी तथा गारंटी वाले ऋणों को छोड़ कर कुल 168 करोड़ रुपये की सहायता दी। इस बैंक ने गत आठ वर्षों में 167 परियोजनाओं को 262.3 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता दी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अनेक पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य किया है। इसने अब तक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गोआ, हिमाचल प्रदेश और पांडीचेरी में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। अन्य क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिसके शीघ्र ही पूरा होने की आशा है। वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को संकटग्रस्त औद्योगिक एककों के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया था। उनके लिए इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उक्त कारपोरेशन ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

केरल में स्थापित किये गये औद्योगिक और तकनीकी सलाहकार संगठन से प्राप्त अनुभव से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य की अन्य राजाधानियों में भी इसी प्रकार के केन्द्र खोलने का विचार कर रही है।

विकास बैंक के कार्य से प्राप्त अनुभव से अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। संशोधन प्रत्यक्ष वित्तीय क्षेत्र का विस्तार होगा।

राज्य वित्तीय निगमों, अनुसूचित बैंकों और सहकारी समितियों और ग्राहकों को रख-रखाव, मंरमत और मशीनों का परीक्षण करने सम्बन्धी सुविधाएं देने वाली औद्योगिक कम्पनियों को सीधी वित्तीय सहायता देने के लिए 'औद्योगिक कम्पनी' की परिभाषण को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है।

निर्यात के क्षेत्र में विकास बैंक इस समय राज्य वित्तीय निगमों, औद्योगिक वित्त निगम, वाणिज्यक बैंकों और सहकारी बैंक समितियों द्वारा औद्योगिक कम्पनियों को दिये गये ऋणों को पुनर्वित कर रहा है।

विकास बैंक द्वारा भारत में निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली कम्पनियों को सुविधाएं दी जायेंगी। हमने हाल ही में बैंक आफ भूटान के विकास में सहायता दी थी।

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक और औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक में यह उपबन्ध शामिल करने का प्रस्ताव है कि एक औद्योगिक कम्पनी को सम्बन्द्ध निगमों से तब तक सहायता लेने से वंचित रखा जाये अब तक सम्बन्द्ध निगम का निदेशक औद्योगिक कम्पनी के लाभ में खची लेता है। इस संशोधन विधेयक में उसी प्रकार का उपबन्ध है।

औद्योगिक कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने के मामले में विकास बैंक का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

केवल यही एक ऐसा संस्थान है जो बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में सीधा ऋण देती हैं।

अतः इस अधिनियम में प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्तावित उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है कि विकास बैंक के सन्तुष्ट होने तथा रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से विकास बैंक द्वारा निर्धारित सब शर्तों को पूरा करने पर ही ऋण दिया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी ऋण के बारे में उधार लेने वाले व्यक्ति के दायित्व के बारे में उपबन्धों को और उदार बनाने का प्रस्ताव है। विकास बैंक ने अभी तक विदेशी मुद्रा में कोई ऋण नहीं लिया है लेकिन ऐसी सम्भावना है कि वह भविष्य में ऐसा करेगा।

चूंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के उपबन्ध इस बारे में समान है अत: इस अधिनियम में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की भांति उचित संशोधन किया जा रहा है। अन्य मामूली से संशोधन हैं लेकिन मैं उनका उल्लेख करके सभा का और समय नहीं लूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

SHRI R. V. BADE (Khargone): While I support the Industrial Development Bank of India (Amendment) Bill, I wish to say that the new provision is likely to be misused It will result in favouritism and other malpractices and it may also cause delay in the recovery of loans. Therefore, this provision cannot be supported.

There is Industrial Development Corporation in every State. Besides this we have the Industrial Finance Corporation of India and also the Industrial Development Bank of India. There is no coordination amongst all these agencies. The Committee on Public Undertakings has also recommended that the Industrial Finance Corporation and the Industrial Development Bank of India should be merged in the interest of better coordination of policies and elimination of delays. The Government should have implemented the recommendations of the Committee.

The Industrial Development Bank of India should have a branch in every State and credit facilities should be expanded. It will be very beneficial if it opens its branches in the underdeveloped States and backward areas. The Government has not paid any attention in this matter. I, therefore, partially support the Bill.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुबनेश्बर) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में किये जाने वाले संशोधन स्वागत योग्य हैं। उन संशोधनों की आवश्यक्ता थी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 1971–72 में गैर सरकारी क्षेत्र में स्थित उद्योग कम्पनियों को कुल दी जाने वाली 96.14 करोड़ रुपये की सहायता में से 79.70

करोड़ रुपये की सहायता दी। इस बात पर कोई आपति नहीं करता कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन क्या गैर–सरकारी उद्योगों को स्वयं अपनी पंजी जुटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए ? क्या सरकार की यहीं नीती है कि देश में सब गैर–सरकारी उद्योग किसी अवधि विशेष के लिए उधार देने वाली संस्थाओं की पूंजी पर निर्भर रहें ? वे कम्पनियां अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सहायता देते समय उस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे राज्यों को जहां उद्यमकर्ता अत्यधिक निर्धन हैं तथा जहां लगभग सभी जिले पिछड़े हुए है, सब से अधिक सहायता दी जाये।

गत वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये गये 68 करोड़ रुपयों से महाराष्ट्र राज्य को 167.76 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये जबकि उड़ीसा राज्य को केवल 12.72 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये।

सरकार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय पिहड़ापन दूर करना है। क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसके लिए कार्य कर रही है ?

गत दो वर्षों के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने महाराष्ट्र राज्य को 965 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे जबकि उड़ीसा राज्य को केवल 17 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों को अधिक सहायता दी जाये।

यह भारतीय सीमाओं के बाहर भूटान तथा अन्य विकासशील देशों तक पहुंचा है। यह अच्छी बात है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक पृथक और पूर्णरूपण स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। इस पहलू की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके पास पर्याप्त पूंजी है।

मंत्री महोदय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों में सर्वेक्षण किये गये है। मुझे आशा है कि इन संभाव्यता अध्यनों की इस प्रकार व्यवस्था की जायेगी कि जो पिछड़े क्षेत्र है उन्हें एक-दो वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अधिक पूंजी मिले।

यह अच्छी बात है कि इस विधेयक में एक उपबन्ध किया गया है कि बड़े व्यापारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से साथ अपने सम्बन्धों से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, उस पर रोक लगाई गई है।

इस देश में औद्योगिक क्षमता का काफी कम उपयोग किया जा रहा है। देश में उपभोक्ता वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों का जितना ज्यादा विकास होगा––जिनमें विदेशी पूंजी भी लगी हो और यदि औद्योगिक विकास बैंक भी उन्हें ऋण देना आरंभ कर दे तो देश का यह मिथ्या औद्योगीकरण होगा।

बोलानी ओरेस लिमिटेड को औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपये दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उसके पास पर्याप्त पूंजी और संसाधन है।

इंजीनियरिंग माल के उद्योग में भी क्षमता का कम उपयोग किया जाता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नवीनतम प्रतिवेदन में कहा गया है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन

में 38 प्रतिशत की कमी हुई है। क्या औद्योगिक विकास बैंक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह देश की पूंजीगत वस्तुओं वाले उद्योगों की काफी सहायता करे? सरकार को देश के औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता देनी चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए प्रायामिक निर्धारित करनी चाहिए।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ): औद्योगिक विकास बैंक ने लाल फीताशाही की आदत को छोड़ दिया है और उसने स्वयं को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बना लिया है। इस कार्य को और आगे बढाया जाना चाहिए तथा उन नई परियोंजनाओं और उद्यमियों की असुविधाओं को दूर करना चाहिए जो पहले से ही इस क्षेत्र में आये हुए हैं।

वित्तीय संस्थानों के साथ लोगों की एक कठिनाई यह है कि यदि एक वित्तीय संस्थान सभी मांगो को पूरा नहीं कर सकता तो लोगों को अनेक तथा विभिन्न प्रकार के संस्थानों के पास जाना पड़ता है। प्रत्येक संस्थान का अपना अलग दृष्टिकोण और मानदंड होता है। अतः इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय मानदंड होना चाहिए। इसके लिये एक केन्द्रीय मूल्यांकन एजेन्सी होनी चाहिए। उन्हें एक समान नीति निर्धारित करनी चाहिए। ताकि मूल्यांकन का मानदंट एक जैसा हो। इसे शीघ्र किया जाना चाहिए।

वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे हमारी अर्थव्यवस्था के 'महत्वपूर्ण' और 'कम-महत्व-पूर्ण' क्षेत्रों में भेद समझे। 'महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

औद्योगिक विकास बैंक को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रीय असमानता न रहे।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकरण को बढ़ाने से देश को लाभ होगा।

***श्री बालदन्डायुतम** (कोयम्बटूर): मैं "औद्योगिक संस्था" की परिभाषा की विस्तार करने के उपबन्ध का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे कई श्रेणियों की संस्थाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई रियायती सुविधाएं मिल सकेंगी।

खंड 3 और 4 में, मूल अधिनियम की धारा 9 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके माध्यम से विकास बैंक के कार्य क्षेत्र का अनेक मामलों में विस्तार करना अपेक्षित है। जुलाई, 1970 में इस बैंक ने देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछले क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को प्रदान की जाने वाली रियायती वित्तीय सुविधाओं के बारे में कुछ निर्णय किये परन्तु उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कोई सार्थक योजनाएं नहीं बनाई गई है। बैंक का एक रचनात्मक प्रस्ताव यह था कि प्रत्येक राज्य में अनुभव के आधार पर तकनीकी परामर्शदात्री सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। बैंक का यह निर्णय अच्छा नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पहले ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए न कि उनके तदर्थ रूप में कुछ राज्यों में स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए।

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

इस विधेयक के उपबंधों में निर्मित पूंजीगत माल के निर्यात करने के लिये किसी एजेन्सी को और विदेशों में 'टर्न-की' परियोजनाओं का चालू करने वाले भारत में रहने वाले लोगों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। ऋणों के भुगतान की अवधि को भी कम करने का प्रयास किया गया है। यदि पूंजीगत माल के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता दी जाये तो कोई बात नहीं है परन्तु देश के अन्दर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों, का नुकसान करके यह सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

खंड 4 में बैंक को किसी ऐसी औद्योगिक संस्था को सहायता से देने से सेका गया है जिसमें बैंक के किसी निदेशक को लाभ हो। परन्तु ऐसे मामलों में नर्मी करने का प्रयास किया गया है कि जहां विकास बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी औद्योगिक संस्था को सहायता देना लोकहित में आवश्यक है। मुझे इस नर्मी पर घोर आपत्ति है और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस परूतुक को इस खंड से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्थानों, जिनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी शामिल है, के विरुद्ध जो आरोप लगाये गए है उनमें मुख्य आरोप ये हैं कि इन संस्थानों ने बड़े व्यावसायिक गृहों के नियंत्रण के अधीन बड़े-बड़े निगमों की वृद्धि की है। इन संस्थानों द्वारा दिमीय सहायता का भारी अंत बडे व्यावसायिक गृहों को दिया गया है। लघु उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को इनसे लाभ नहीं मिला है।

मैं अपने विरोध के समर्थन में औद्योगिक लाइसेंस जांच समिति के प्रतिवेदन का अंश उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि तीन बड़े वितीय संस्थानों द्वारा विभिन्न भेणियों के लिये मंजूर तथा वितरित की गई कुल वित्तीय सहायता का एक बहुत बड़ा भाग बड़े औद्योगिक क्षेत्र को मिला है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी कुल सहायता का 41 प्रतिशत भाग इन व्यावसयिक गृहों का दिया है। समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन से लेकर अब तक स्थिति में कोई परिवहन नहीं हुआ है।

मेरे पास वर्ष 1970–71 के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन है जिसमें खण्ड वार दी गई सीधी सहायता का ब्यौरा है परन्तु इस प्रतिवेदन के आंकड़े देखने से पता चलता है कि सरकार किस वर्ग के प्रति उदार है। वह एकाधिकार गृहों के प्रति उदार है अतः यदि वह छोटे लोगों को संरक्षण देगी उदार है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

पिछड़े **क्षेमों** में लघु उद्योगों के औद्योगिक विकास के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस विधेयक में संशोधन में कोई रुचि नहीं है। 'औद्योगिक संस्थान' परिभाषा का विस्तार किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण कल जारों रख सकते है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: WORKING OF THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारतीय राजकीय व्यापार निगम के कार्यकरण पर विशेषतया ऊनी चिघड़ों के आयात की नीति के सन्दर्भ में विचार करती है।"

राज्य व्यापार निगम स्वस्थ व्यापार प्रक्रियाओं तथा स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए आयात–निर्यात व्यापार के बारे में एक महत्वपूर्ण और सशक्त आर्थिक साधन है। इसे गैर–सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार गृहों द्वारा किये जा रहे शोषन को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। दुर्भाग्य से यह इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में बुरी तरह से असफल रहा है।

इस निगम में पिछले छः महीनों से भी अधिक समय से अध्यक्ष तथा दो कार्यकारी निदेशकों के पद रिक्त पड़े हैं और इस निगम में उच्च पद रिक्त पड़े रहने के कारण काफी काम एकत्र हो गया है। लगभग 70 से 80 मदें काफी समय से बिना निपटाये पड़ी हुई हैं। हाल ही में प्रबन्ध समिति ने इन मदों में से 20 अथवा 25 मदें निपटाई है। निर्णय करने में विलम्ब के फलस्वरूप अंतिम उत्पादों (एन्ड–प्रोडक्शन) के मूल्यों में वृद्धि होती है। उचित निर्णय जानबूझ कर नहीं किये जाते हैं।

राज्य व्यापार निगम के प्रत्येक निदेशक पर 6,000 रुपये प्रतिमास औसत व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें हर वर्ष 3,000 रूपये मनोरंजन भत्ता दिया जाता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है और वह राशि आयकर से मुक्त होती है। निदेशकों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये बोनस, रहने के लिए निशुल्क निवास स्थान, एक आयातित कार और दो स्टाफ कारें दी जाती हैं। कर्मचारियों को उनके द्वारा मांग किये जाने पर भी बोनस नहीं दिया जाता है। स्टाफ कारों का प्रयोग निदेशक गण अपने निजी कामों के लिए करते हैं। कर्मचारियों को कार्यालय के काम के लिए स्टाफ कार नहीं दी जाती।

जहां तक निगम की भर्ती तथा पदोन्नति नीति का सम्बन्ध है, पिछले दो वर्षों से 'मार्केटिंग मैनेजर' (विपणन प्रबन्धक) तथा ऊंचे पदों पर राज्यपालों, मंत्रियों तथा अन्य बड़े–बड़े व्यक्तियों के लड़कों, दामादों और नजदीकी रिश्तेदारों को भर्ती किया जा रहा है। पदोन्नति और बिना बारी के पदोन्नति भी उन्हें दी जा रही है, इससे निगम के कर्मचारियों में असंतोष और हतोत्साह पैदा हो गया है।

कार्यकारी निदेशकों के दो पदों को नहीं भरा गया है। इन्हें भरने हेतु वे हां में हां मिलाने वाले व्यक्तियों की तलाश में हैं।

राज्य व्यापार निगम का एक लक्ष्य नये–नये देशों को गैर–परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं तो सकी है। वर्ष 1970-71 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गए निर्यात में अधिकतर परम्परागत वस्तुएं शामिल थीं। एक गुजराती दैनिक 'संदेश' के अनुसार बल्गारिया, रुमानिया और पोलैंड जैसे देशों ने भारत तथा इन देशों के बीच हुए करारों के अनुसार परम्परागत और गैर–परम्परागत वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

ऐसा करने में उन देशों का दोष नहीं है क्योंकि सरकार उन करारों को कार्यान्वित करने में असफल रही है। सरकार ने उन करारों से अधिक परम्परागत वस्तुओं को आयात करने दिया। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। राज्य व्यापार निगम के पास देश की आवश्यक्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि हम उन देशों के साथ ऐसे करार कर रहे हैं। जिनके द्वारा वे परम्परागत वस्तुएं और कच्चे माल का आयात कर सकें जिनका हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

चिथड़ों का आयात करने की अनुमति 1968 में दी गई थी जब 'होजियरी' उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही थी। कदाचार को रोकने के लिए सारा आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना था परन्तु सरकार ने इस निगम से यह कार्य इस तर्क पर वापस ले लिया था कि यह कच्चे माल का आयात करने में देर करता है। इसके बाद एक प्रक्रिया बनाई गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रयोक्ता को चिथड़ों का आयात करने के लिए अधिकार–पत्र दिया जायेगा। इसी ने सब कदाचारों को जन्म दिया है। सत्तारुढ़ दल को भारी धनराशि दिलाने के लिए ऐसा जानबूझ कर किया गया। इस बड़े खंड पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्षों को सरकार द्वारा बताया जाना चाहिए।

मेरा यह सीधा-सा प्रश्न है कि क्या वह ऐसा करने को तैयार है। भारतीय खाद्य निगम की जांच के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई। इस सभा को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

एक बात और, 1966 में कपड़ा उद्योग के लिए छः साइजिंग मशीन जापान से आयात की गई थीं उसमें गोलमाल हुआ था। उस मामले को दबाने का प्रयत्न किया गया। इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय को कुछ पत्र–व्यवहार दिखाया था पर उन्होंने उस सम्बन्ध में अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। ये मशीनें 1966 में आयात की गई थीं पर मंगाने वाले व्यक्ति द्वारा उन्हे, न छुड़ाने के कारण थे। छः साल तक राज्य व्यापार निगम के गोदामों में पड़ी रहीं। इसमें 41 से 42 लाख रुपये लगे थे। उनकी कीमत बढ़कर 93 लाख हो गई। इस अन्तर का गोलमाल करने के लिए अपने–अपने लोगों की लाइसेंस देने के नियम बनाए गए। और उनसे उन्होंने 25 लाख रुपये बनाए। राज्य व्यापार निगम अपने उद्देश्य से हट कर पैसा कमाने का एक साधन बन गया है।

SHRI SATPAL KAPUR (Patiala): It is a common feeling among some persons that unless and until some blames are put, they cannot get publicity.

[श्री के० एन० तिबारी पीठासीन हुए]

SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*

I am quite unable to say as to what Shri P. M. Mehta wanted to say about the case he has referred.

So far as the rag scandal is concerned, I was the first person who draw the attention of the Government towards this. I led a deputation to the Prime Minister and informed

her about the facts. She at once made an inquiry about it. Government never tried to hush up this case. As soon as Government came to know about it, raids were made at Delhi and Ludhiana.

I want only this assurance from the Government that they will arrest the persons responsible for this rag scandal and will give them proper punishment. This import of rags should be stopped and the manufacturers should be given something else.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह चिथड़ा घोटाला भ्रष्टाचार की एक अपनी मिसाल है। इसके पीछे बडे–बड़े दिमाग हैं तथा हमारे विदेश व्यापार मंत्री इनमें प्रमुख है तथा इसका सारा लाभ सत्तारूढ़ दल को जा रहा है। यह सारा आयात राज्य व्यापार निगम की मार्फत हुआ है। उसने ही ठेके आदि को स्वीकार किया है। तटकर अधिकारियों ने बाकायदा इसकी जांच की है। सब कुछ खुले आम हुआ है। इस चिथड़ा घोटाले की आड़ में जनता को और छोटे उद्यमियों को धोखा दिया गया है। विदेश व्यापार मंत्री वित्त मंत्रालय को तटकर अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए पत्र लिखते है, और यह धोखे के अलावा और कुछ नहीं है।

आज इस के कारण पंजाब में एक लाख लोग बेकार हो गये है। उनका एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से मिला पर कुछ नहीं हुआ।

जबसे चिथड़ों का आयात राज्य व्यापार निगम की मार्फत होना शुरु हुआ है, तबसे 9.60 करोड़ रुपये के चिथड़े आयात किए गये है। इनका आयात वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं के लिए किया गया था। वास्तव में 500 लाख किलो ग्राम चिथड़े यहां आए और इन पर 6000–7000 लाख रुपये का लाभ कमाया गया। पर होज़री का निर्यात करने वालों को केवल 8 करोड़ रुपये का लाइसेंस दिया गया। अब सभी स्वर्य इसका पता लगाए कि यह किस कारण किया गया।

मेरे एक पत्र का उत्तर राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष ने नहीं दिया क्योंकि उसमें दुविधा में डालने वाले प्रश्न किए गये थे। आखिर उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया। उन्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है।

सरकार पर जब समाचार पत्रों द्वारा दबाव डाला गया तो उन्होंने 4 करोड़ रुपये का माल पकड़ा। अभी भी 1.37 करोड़ रुपये का माल रास्ते में हे। 2 करोड़ रुपये का साल तटकर अधिकारियों द्वारा छोड़े जाने के लिए पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या मंत्रालय अथवा राज्य व्यापार निगम ने शोडी उद्योग की चिथड़े सम्बन्धी आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है। मेरा कहना है कि यह अनुमान कभी नहीं लगाया गया। ऐसा राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं किया गया (**व्यावधन**)। चुनावों से पहले आयात के लिए बड़े लाइसेंस दिए गये क्योंकि उनसे पैसा लेना था।

सैनिकों को भी इन लोगों के हथकण्डों का शिकार होना पड़ा। श्री कृष्ण बूलन मिल को 1,50,000 कम्बल साप्लाई करने का आर्डर दिया गया, पर उसने 4 पौण्ड के बजाय 2 पौण्ड के कम्बल साप्लाई किए और परिणाम स्वरूप बहुत से सैनिक नमूनियां से बीमार पड़े।

ये सब छापे एक दिखावा है। जहां छापे मारे गये, इन्हें पहले ही बता दिया गया क्योंकि सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस प्रकार ये लोग होजरी उद्योग पर संकट ला रहे हैं अपने परिणाम स्वरूप लाखों मजदूर बेकार हो गये हैं और 6 करोड़ का घाटा हुआ है।

श्री आर० के० सोनी नामक एक सज्जन ने माल की डिलीवरी लेने के लिए 50 लाख रुपये देने का प्रयत्न किया। आयातक तटकर देने को भी तैयार था। परन्तु इसका हल यह नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इसे गरीब लोगों के लिए लागत मूल्य पर बेचे।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। वे उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, जो अपने बचाव के लिए यहां उपस्थित नहीं है। नियम 353 में साफ लिखा है कि पूर्व सूचना के बिना कोई सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकता अतः वे अन्य व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। मैं उसका सख्त विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : आपने केवल नियमानुसार सूचना दी है और अध्यक्ष ने उसे सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप नाम न लें।

श्री राज बहादुर : उन्होंने केवल नाम लिखा है आरोप के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : अभी-अभी सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने कहा था कि प्रस्तावक को किसी व्यक्ति ने स्थिति से अवगत कराया है। पर आपने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। फिर एक ऐसी बात कहने पर जिसकी सूचना दे दी गई थी, यह एतराज क्यों? (**व्यवधान**) क्या पहली बात अधिक अपमानजनक नहीं थी।

विदेश-व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मुझे लोक सभा सचिवालय से श्री ज्योतिर्मय बसु के पत्र के साथ एक पत्र मिला था और वह समय पर मिल गया था। पर मात्र नाम दे देना पर्याप्त नहीं है। उसमें आरोप का कोई जिक्र नहीं था, जिसकी मैं जांच कर सकता।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : ऐसे मामलों में जहां सभा को आरोपों का पता होना चाहिए वहां उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि उनकी जांच की जाए। अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप श्री ज्योतिर्मय बसु से तथ्यों को प्रकट करने को कहें और सरकार उनके आधार पर जांच करे। तथ्यों को ढकने का प्रयत्न न करे। आरोपों की जांच होनी ही चाहिए।

श्री राज बहादुर : किसी मामले पर पर्दा डालने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। प्रश्न नियम के पालन करने का है। बिना पूर्व सूचना के मंत्री महोदय असमंजस में पड़ जायेंगे। (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सभी आरोप जग विदित हैं। सदस्य कोई नया आरोप नहीं लगा रहे हैं। अतः मंत्री महोदय को इसके लिए तैयार रहना चाहिए यदि कुछ नए आरोप भी हों, तो मंत्री महोदय को वह चुनौती स्वीकार कर उसका उत्तर देना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बसु मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप नाम ने लें।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए और आरोपों का उत्तर दिया जाना चाहिए। हमें मामले की तह में जाना पड़ेगा।

सभापति महोदय : मेरी दिक्कत यह कि वे प्रमाण नहीं दे रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे विशेषाधिकार समिति के सम्मुख ले जाया जाये और मैं इसका स्पष्टीकरण करने को तैयार हूं। राज्य सभा के एक सदस्य को प्रधान मंत्री के दूत के नाते लुधियाना भेजा गया और उन्होंने श्री ओस्वाल से 7 लाख रुपया लिया। मंत्री महोदय का स्वयं यह रुपया लेने जाना खतरनाक समझा गया।

फिर अन्य मामला राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्ची ऊन आयात करने का है। देश में गोयन्का वूल कोम्बर फर्म का वूल कोम्बर्स में एकाधिकार है। उन का आयात प्रति-वर्ष बढ़ रहा है पर उसकी कोम्बिंग की क्षमता उतनी बनी हुई है, इसका क्या कारण है? यह फर्म प्रतिदिन $1\frac{1}{4}$ लाख रुपये का लाभ कमा रही है जिसमें से 80,000 रुपये कालाधन के रूप में है।

लाखों रुपया विभिन्न लोगों की मार्फत इकट्ठा किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गईं। तटकर विभाग में भी ऐसी ही बातें हुई हैं। गांठों के नम्बर तट-कर अधिकारियों को बता दिये गये और उन्होंने उन्हें $1\frac{1}{2}$ फिट गहरे तक काटा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यहां वित्त मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं यहां बैठा हूं। ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाने चाहिएं। मुझे पहले नाम नहीं दिया गया। वह ड्रेनेज इन्सपैक्टर नहीं हो सकता..... **(व्यवधान)**।

सभापति महोदय : वह एक अधिकारी का नाम ले रहे हैं। मुझे इस संबंध में नियमों का अध्ययन तथा अध्यक्ष महोदय से परामर्श करना पड़ेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह माना हुआ सत्य है कि ये चीजें सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच के बिना दी जा रही थीं।

श्री राजबहादुर : तो उन्हें इस संबंध में पहले ही नाम देने की हिम्मत दिखानी चाहिये थी जो कि उन्होंने नहीं दिखाई।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। वह नियम 353 के अधीन किसी पत्र का उल्लेख कर रहे हैं परन्तु उन्होंने

नाम के साथ-साथ आरोप का वर्णन नहीं किया है जिसकी कि सूचना दी जानी चाहिये थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक शब्द कहे। क्या आप उन्हें रिकार्ड में जाने की अनुमति देंगे। उनके पास उक्त आरोप सिद्ध करने के लिये कोई दस्तावेज नहीं है....

श्री ज्योतिर्मय बसु: ये रहे। ये रहे रिकार्ड.....

सभापति महोदय: मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूँ क्या इस सारे मामले के बारे में मुझे कुछ सन्देह हैं। उन्होंने एक नाम लिया है.....जब तक मैं नियमों का अध्ययन न कर लू मैं इस पर चर्चा नहीं होने दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: वह प्रमाण चाहते थे। यह चिथड़ा प्रमाण है और यह दूसरा है और अन्य भी हैं। यह आयातित चिथड़ा है। दो वर्षों की यह धांधली तथा डकैती चल रहीं है। यहीं सीमाशुल्क विभाग के सामने वे लोग इन्हें बेच रहे हैं। फिर भी जब मैं केन्द्रीय सीमाशुल्क तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी का नाम लेता हूँ तो श्री गणेश चिढ़ जाते हैं। बड़े शर्म की बात है। ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ सांठ-गांठ किये हुए हैं। इन सब बातों को सरकार पूरी तरह जानती है। प्रधान मंत्री हम दायित्व से बच नहीं सकते। इसके लिये एक संसदीय आयोग गठित किया ही जाना चाहिये। वहां मैं प्रमाण रखूंगा तथा देश को बताऊंगा कि जनता के धन का गबन करने में सरकार भ्रष्टाचारियों तथा ठगों के साथ सांठ-गांठ किये हुए हैं।

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi): This matter is being made a political stunt and the opposition has been trying to put one or the other allegation against the Government since last elections. It is very sad that they have mentioned names of even those persons who have already died.

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैंने उनका नाम नहीं लिया भगवान करे मृत व्यक्ति की आत्मा की शान्ति मिले।

SHRI SHASHI BHUSHAN: The Hon. Member criticised the late Secretary who served the country for years together. It has never been the decorum of this august House.

I clearly see the unholy bondage of left and right extremists when I find the C.P.M. and the Congress (O) speaking from the same mouth and we develop many doubts.

As regards rags since long India had been importing lots of wool tops and spending a lot of foreign exchange on it. But sometimes the blackmarketeers have their way and exploit the situations about which the opposition has not said even a word, because they have sympathy with the profiteers. They only want to make it a political stunt against the Government. We ourselves had taken adoptation to the Home Minister and asked him to probe into the whole matter. And now the C.B.I. is investigating into the whole matter. There have been raids and these may go on further, if need be. I know the people of the country are agitated against this misdeed, and we are aware. It is being checked forthwith. The opposition should have not brought in political motives in this rag-scandal. We should keep some decorum in the House. We say that a left extremists party has received crores of rupees from China. Let not Mr. Basu get jittered. What has he to do with China. China herself connotes him a reactionary. But I do feel pity on him whom I find him joining hands with rightists. People are well aware of their political collusion and political stunts.

We are apprehending the blackmarketeers and we hope the opposition would extend their cooperation in this work. Let them not raise political stunt merely out of disappointment and frustration.

SHRI SARJOO PANDEY (Ghazipur): It is a pity that certain persons have become the champions of the interests of the poor people although their own history is very dirty.

श्री मुहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद): व्यवस्था के प्रश्न पर श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने स्थान से कुछ वस्तुयें दिखाई हैं। जिनको वह प्रमाण रूप में चिथडों से निर्मित बता रहे हैं। नियमानुसार उन्हें वे वस्तुयें यहां सभा पटल पर रखनी चाहिए।

सभापति महोदय: यह मामला अब सभा के विचाराधीन नहीं है, अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य अपना भाषण नहीं दे रहे हैं बल्कि कोई अन्य माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

SHRI SARJOO PANDEY: Shri Shashi Bhushan is right when he says that these parties have become totally isolated and discarded by the public and they are trying to raise their heads again through various questions in Parliament. But I also want that the ruling party should not protect corruption in anyway.

As regards S.T.C., I wish the whole import and export trade should be in the hands of the Government. The persons responsible for these scandals have close contacts with these parties particularly the Jan Sangh whose President, Shri Vajpayee pleaded for non-seizure of these goods. So my first suggestion is that the total import and export trade should be through the State Trading Corporation.

It is very surprising that although the STC are having their own publicity department yet they get themselves advertised through Advertising and Sales Promotion Co., New Delhi. a State concern. Why is it so? They have got their own Director of Advertising whom they pay Rs. 4,000 a month; why three crores of rupees are being paid to an outsider advertising company?

Then 40,000 tons of cashew nut are imported by C.C.I. but the shipment is carried by the ships of foreign companies, thereby spending lot of foreign exchange. I don't understand why our own ships are not used in this work then, mills are not being supplied cashew nut as a result of which several factories have been wound up and 25,000 workers are going to be jobless. Will the Hon. Minister look into it and ensure better conduct and character of the S.T.C.officials?

Everybody admits that there has been a scandal in rags, thereby closing down several factories at Ludhiana etc. This too has got to be rectified. Let the capsized lots be distributed among poor folk who are shivering with cold. But on the other hand, you are searching for godowns to store them. Let them be sold at cost price either.

I hope the hon. Minister would look into the points raised by me and give a clarification thereto.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): राज्य व्यापार निगम के सुन्दर कार्य करण के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। इस निगम का व्यापार 8 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़ तक पहुंचा है।

श्री पी० एन० मेहता ने 250 रुपये मासिक अथवा 3000 रुपये वार्षिक भत्ते की आलोचना की है। यह देश का एक बहुत बड़ा निगम हैं तथा व्यापार में वृद्धि करने के

लिये विदेशी-क्रयकर्त्ताओं से संबंध बनाने ही पड़ते हैं। ऐसी आलोचना से विशेषज्ञ क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को छोड़कर गैर सरकारी क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और हमें सरकारी उपक्रमों के लिये अध्यक्ष तथा अन्य विशेषज्ञ नहीं मिलते।

आज की वास्तविक चर्चा "रैग्ज़" (चिथड़ों) के बारे में है जिसका अर्थ है "पुराने कपड़े"। कुछ माननीय सदस्य इन्हें फटे कपड़े समझते हैं। वस्तुतः ये कपड़े धनिक देशों से आयात होते हैं। तथा वहां के गिरजाघर उन्हें निर्यात करते हैं। इटली, ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा तथा जापान से आये ये कपड़े भारत में चिथड़े नहीं माने जाते। पहली बात तो यह ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात यह है कि एक विशिष्ट श्रेणियों के निर्माताओं को उक्त कपड़े आयात करने के लायसेंस दिये जाते हैं।

विश्व भर में ऊन के मूल्य तिगुने-चौगुने बढ़ गये हैं। 60 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 200 पैसे प्रति किलोग्राम हो गये हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि आयातकर्ता रोप्स तथा रैग्ज़ का आयात करेंगे यार्न का नहीं।

भारत में आने के बाद वास्तविक उपभोक्ताओं तथा लायसेंस प्राप्त एककों के पास उनके कारखानों में टैटरिंग मशीनें नहीं हैं, वे इन चिथड़ों को फाड़ते हैं तथा इन्हें कारखाने के लिये कच्चेमाल में परिवर्तित करते हैं।

उस मामले को राजनैतिक मामला बनाया गया है परन्तु इस संबंध में उचित कारण तथा ठोस दलीलें थीं दी गई हैं। इस चर्चा के बहाने राजनैतिक मामलों, पार्टी फन्डों आदि के प्रश्न उठा लिये जाते हैं। इस से विपक्ष को केवल झल्लाहट होती है। इस घोटाले से वस्तुतः तो गरीब मजदूरों को हानि होती है जो कि लुधियाना तथा अमृतसर में 1,50,000 की संख्या में हैं। वे बेकार हो गये हैं। विपक्ष उनकी ओर ध्यान नहीं देता वरना ये लोग इस प्रश्न को दो मास पूर्व उठाते तथा सर्व प्रथम तो इस माल को छोड़े देने का अनुरोध करते ताकि मज़दूरों को काम मिलता। मैं चाहता हूँ कि यह मामला जांचार्थ केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये।

दूसरे नम्बर पर यार्न का उपयोग करने वाले छोटे पैमाने के एकक इस धांधली का शिकार हुए हैं। उनके पास बड़े बड़े क्रयादेश हैं परन्तु वे उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उधर विदेशी क्रयकर्त्ता अपने आदेशों की पूर्ति के लिये शोर मचा रहे हैं जिनको हड़ताल आदि के बहाने बताकर किसी प्रकार चुप किया जा रहा है। हमें इन तथ्यों पर सहृदयता से विचार करना चाहिये। 1,50,000 मज़दूर प्रतीक्षा में हैं कि उन्हें काम मिलेगा तथा छोटे पैमाने के एकक कच्चे माल की बाट जोह रहे हैं।

तीसरे, राष्ट्रीयकृत बैंकों की हानि हो रही है। सारी पूंजी राष्ट्रीकृत बैंकों की दी हुई है जोकि इस समय पत्तनों पर गाठों के रूप में रुकी पड़ी है। अतः पहला कदम तो यह ही कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो या सीमाशुल्क अधिकारी नमूने के लिये गांठें रखकर शेष वास्तविक उपभोक्ताओं को दे दें ताकि देश को विदेशी मुद्रा का अर्जन हो, मज़दूरों को काम मिले तथा छोटे पैमाने के निर्माताओं का व्यापार चले। यह मामले को राजनैतिक मामला बनाकर ही बहस मत करते रहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : विदेश व्यापार मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा राज्य व्यापार निगम वस्तुतः शासक दल का खजाना है और शायद इसी मंत्रालय के द्वारा सरकार देश में समाजवाद लाना चाहती है ..... **(व्यवधान)** क्योंकि इसी मंत्रालय के माध्यम से सरकार को उपकर आदि तुरन्त मिल जाते हैं।

विदेश मंत्री श्री एल० एन० मिश्र के भूतपूर्व निजी सहायक श्री ए० के० मिश्र के बारे में लुधियाना के "न्यूज़, क्रोनिकल" ने एक स्थानीय समाचार पत्र के हवाले से बताया है कि उन्होंने अकस्मात् ही अपने पद से त्याग पत्र देकर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में एक फिल्म-वितरण संस्था खोली जिसमें लाखों रुपये लगाये गये। यह आरोप लगाया गया है कि अपने सेवाकाल में श्री ए० के० मिश्र के 50 लाख रुपये का लेन-देन किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके विरुद्ध अनेक प्रमाण एकत्रित किये कि उन्होंने अपने सेवाकाल में काफ़ी धन एकत्रित किया और श्री एल० एन० मिश्र को भी श्री ए० के० मिश्र की गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिये।

परन्तु श्री एल० एन० मिश्र ने इस कहानी का खण्डन नहीं किया।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने यह कहानी नहीं पढ़ी है।

श्री जी० विश्वनाथन : पत्र ने यह भी कहा कि अपने सेवाकाल के दौरान श्री ए० के० मिश्र ने 'पाक़ीज़ा' फिल्म के वितरण-अधिकार 16 लाख रुपये में प्राप्त करने के लिए बातचीत की इस संबंध में यह कई बार सरकार से भत्ते लेकर बम्बई गये।

वस्तुतः यह निजी सहायक ही सारे मंत्रालय का नियंत्रण करते थे। श्री एल० एन० मिश्र जी तो निर्भीक और निष्पक्ष व्यक्ति हैं तथा सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं।

श्री एल० एन० मिश्र के अधीन कार्य कर रहा राज्य व्यापार निगम देश का सबसे बड़ा व्यापार-संस्थान है जिसको वर्ष 1971–72 में 355 करोड़ रुपये की आय हुई। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस समय देश का 36 प्रतिशत आयात सरकारी उपक्रमों के माध्यम से होता है तथा दो वर्ष के भीतर ही यह प्रतिशतता 95 हो जायेगी। उन्होंने लाभ कमाने की बात भी कही है। यह लाभ कहां से आता है? यह लाभ आयात व्यापार से होता है और इसी लिये वे कहते हैं कि समूचे आयात का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये परन्तु जब से राज्य व्यापार निगम ने उक्त आयात व्यापार को हाथ में लिया है तब से गत तीन वर्षों में विदेश व्यापार में 419 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। साथ ही इंजीनियरिंग जैसे ग़ैर-पारम्परिक जिन्सों के निर्यात में भी वस्तुतः गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम से संबंधित अनेक धांधलियों को आप याद कर लीजिये। और अब यह चिथड़ों का घोटाला है। इन चिथड़ों के माध्यम से ही अनेक लोग धनवान बन गये हैं। इसमें अधिकारियों, व्यापारियों सभी की सांठ-गांठ है तथा केवल विपक्ष ने ही नहीं बल्कि शासक दल के भी अनेक सदस्यों के इस संबंध में अपनी चिन्ता प्रकट की है तथा उस सांठ-गांठ को स्वीकार लिया है। 16 नवम्बर को जब यह बात इस सभा में कही गई थी, तब मंत्री महोदय भी चुप रहे और उत्तर नहीं दिया।

गत वर्ष क्या हुआ? यह मामला लुधियाना से संबंधित है। एक बैंकर के माध्यम से 25 लाख रुपये के एक मामले में लुधियाना में अनधिकृत शक्तिचालित करघों को अधिकृत किया गया जिसमें स्वयं बैंकर भी दो लाख रुपये खा गया। इसी प्रकार बम्बई

कलकत्ता के बड़े ऊन मालिकों ने लुधियाना के लघु होज़री उद्योग के निर्यात को रुकवा कर 1,00,000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया तथा वहां कानून और शांति की समस्या पैदा कर दी।

अब यह कहकर आड़ ली जा रही है कि इस मामले की जांच कराई जायेगी। परन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो में क्या कर पायेगा जबकि इस घोटाले में बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है। हम यहां मांग करते हैं कि इसकी जांच के लिये एक संसदीय समिति गठित की जाये और वह पिछले दो-तीन वर्षों की स्थिति पर प्रकाश डाले। राज्य व्यापार निगम में गत छ: मास से कोई अध्यक्ष भी नहीं है तथा 6 में से केवल दो निदेशक ही कार्य कर रहे हैं। क्या सरकार अनिर्णय की प्रवृत्ति का शिकार है अथवा इन पदों पर हारे हुए कांग्रेसियों को नियुक्त करना चाहती है?

हम चाहते हैं कि सारे मामले की जांच के लिये एक संसदीय समिति गठित दी जाये।

SHRI VIDYADHAR BAJPAYEE (Amethi): I expected to hear some words of praise for the S.T.C. as per the details and figure put forth. But on the other hand Shri P. M. Mehta, on the contrary declared that the S.T.C. was a money collecting pipe line of the Minister, whereas the truth is that this organisation, has been lending great service to the nation for her prosperity. It has helped the jute mills and handloom house. It has been a big source of earning foreign exchange for the country.

It is a pity that although the question was of rags but the opposition attacked the hon. Minister. They could have complained of mistakes, and sought improvements, but should have not tried to exploit the situation for political gains.

If we go into the history of the S.T.C. we would see that the S.T.C. has made wonderful progress during the tenure of the present hon. Minister and its income has gone up substantially. At present this organisation is having trade deals throughout world and earning applause abroad.

However I would certainly insist on penalising those who are found guilty of mistakes or corruption. Let them be brought to book quite severely. With these words I appeal that the matter should be withdrawn.

DR. LAXMI NARAIN PANDEY (Mandsour): I don't want to repeat what has been said here about the rags scandal, however, it is very true that the S.T.C. is also one of the big sources for collecting money by the Government. And in that very content we have to see whether the functioning and pattern of working of the S.T.C. is in order or not.

The work of the S.T.C. to bring about balance between import and export trade and prove helpful in the country's economic and industrial growth. But when the hon. Minister says "we are not interested in exports; we are interested mainly in imports because the imports are more profitable than exports:

श्री एल० एन० मिश्र: मैं ऐसा कभी नहीं कहा।

DR. LAXMI NARAIN PANDEY: You have got the right to reply but reply a little later. And if that is not so, why then do we find such wide gap of crores of rupees in the imports and exports?

Please examine your report and find out if our contention that you are not interested in exports is correct.

MR. CHAIRMAN: Please state only factual position.

DR. LAXMI NARAIN PANDEY: I am letting the facts. The export of engineering goods has declined.

श्री ए० सी० जार्ज : इसमें 12 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

DR. LAXMI NARAIN PANDEY : What are the reasons for decline in exports? Our export policy needs to be changed. A 7-man committee was formed to give suggestions in this regard. How far you have accepted the suggestions of that committee?

MR. CHAIRMAN: He has made it a dispute for imports and exports.

DR. LAXMI NARAIN PANDEYA: This job is being done by S.T.C. The publicity work of S.T.C. is being undertaken by outside agencies, whereas a large Government Department exists for the purpose. S.T.C. spends a lot of money every year on advertisements. It pays 10 per cent commissions for that.

In S.T.C. a bonus of Rs. 1,800 per year is paid to those drawing Rs. 1,600 per month and Rs. 2,080 to those drawing Rs. 1,601 per month whereas under bonus rules bonus to employees drawing more than Rs. 750 per month shall be calculated as if his salary or wage were Rs. 750 per mensem. It is not understood as to under what rules this bonus of Rs. 1,800 or 2,080 is being paid.

In Gariaghat the Scheduled Caste and Scheduled Tribes were not recruited for appointment. Certain jobs like that of handling agents, procurement and strange of soya-bean etc. which can be undertaken departmentally are being done through outside agencies. The working of S.T.C. should be overhauled.

The hon. Minister may please look into all those matters.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगुसराल) : कभी कभी मेरे नाम को श्री एल० एन० मिश्र के नाम के साथ भ्रम सा पैदा हो जाता है। आयात के लिए अधिकार पत्र जारी करने की प्रथा क्यों आरम्भ की गई। पहले की प्रथा में कदाचारों को ध्यान में रखते हुए इसका आरम्भ हुआ था। उक्त प्रथा में परिवर्तन किए जाने की व्याख्या स्पष्ट की जानी चाहिये।

यदि आवंटिति वास्तविक प्रयोक्ता होते, तो वे निर्यात के लिए माल तैयार करते।

राज्य व्यापार निगम ने ही विदेशी मंडियों में अंतर्राष्ट्रीय ऊन संघ के माध्यम से आर्डर दिये। पिछले एक वर्ष से देश के बाजारों में ऊनी माल की बाढ सी आ गई।

व्यापारियों ने इस माल को 'सहायता सामग्री' के नाम से उल्लेख करना शुरु कर दिया। यह स्पष्ट रूप से धोखा था। परन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष में कार्यवाही नहीं की है। उसका क्या कारण है? मंत्री महोदय के राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि उस घाटाले में कई विभाग अन्तर्गस्त हैं।

क्या तुमाई के कार्य (कोचिंज) को जानबूझकर प्रतिबंधित रखकर श्री आर० पी० गोयन्का को लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है?

मंत्री महोदय सभी बातों का स्पष्टीकरण करे।

SHRI TULMOHAN RAM (Araria): The grand alliance came out with slogan 'Indian Hatao'. They could not succeed in that objective. Now these people have changed their tactics.

During 1948-46 our foreign trade was 5-6 crores whereas it has risen to 96 crores of rupees. The opposition parties should not play such a role. But the people are disappointing these parties everywhere. This Department and the various other Departments of the Government have functioned honestly.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस (संगठन) के विरुद्ध जांच करने के लिये एक और समिति गठित की गई।

मंत्रालय ने भारी विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

ऊनी उद्योग जो पंजाब और महाराष्ट्र तक समिति था, आज यह उद्योग सारे भारत में फैल गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : जब यह विवाद उठाया गया था तो मैंने समझा था कि राज्य व्यापार निगम की उपलब्धियों की चर्चा की जायेगी।

आज सभा में जितने भी आरोप लगाये गये हैं, मैं उनसे इन्कार करता हूं।

मंत्रालय द्वारा किये गये सभी कार्यों का मैं प्रशंसक हूं। मैं समझता हूं कि ठीक निर्णय लिये गये हैं। जून, 1970 के बाद लिये गये निर्णयों के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूं। मेरे बारे में कहा गया है: "सारा घोटाला दो वर्ष में उस आदमी ने किया है!" मैं कहना चाहता हूं कि विगत दो वर्ष विदेश व्यापार के क्षेत्र में उपलब्धियों के वर्ष रहे हैं।

यह सच है कि मेरे मंत्रालय ने अनधिकृत पावर लूमों को नियमित करने के लिये दो योजनाएं बनायी थीं। परन्तु यह कार्य वर्ष 1960 और 1966 में हुआ था। उस वर्ष में हजारों पावर लूमों को निर्मित किया गया। 1968 में नियमित किये गये पावर लूमों को आयातित ऊन के कोटे दिये गये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उन्हें उनक राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य का स्मरण कराना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : ऊनी धागे की तकलियों को नियमित किये जाने का प्रश्न उठाया गया है। इस प्रश्न पर संसद की प्राक्कलन समिति ने अपने 87 वे प्रतिवेदन में विचार किया था। समिति ने और बातों के साथ सुझाव दिया था कि दो विभागों में निकट समन्वय होना चाहिए। ताकि ऐसी परिस्थिति दुबारा सामने न आए। अनियमित तकलों

को नियमित करने का निर्णय 1969 में लिया गया था। विधि मंत्रलाय से परामर्श करने एवं उनकी सहमति के पश्चात ही यह निर्णय लिया गया था। अधिकार–पत्र जारी किये जाने का निर्णय 1967 में लिया गया था। श्री श्याम गया नन्दत मिश्र अयात व्यापार नियंत्रण 1972–73 के पृष्ठ 70 को पढ़े, उसमें पूरी स्थिति स्पष्ट दी गई है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह समग्र कार्य राज्य व्यापार निगम के माध्यम से हुआ है। परिवर्तन कब हुआ और आपने पुरानी पद्धति को क्यों लागू किया।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने मूल आदेश को संशेधित नहीं किया। वर्ष 1966–67 की विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह परिवर्तन किये गये थे। उसमें एक शर्त है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : परन्तु उसका पालन नहीं किया गया।

श्री एल० एन० मिश्र : तब यह उसका उल्लधन है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सारा व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता था। कुछ समय पूर्व ही उन्होंने उसमें फेर बदल की है।

श्री एल० एन० मिश्र : व्यापार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने तथा अधिकार-पत्र जारी करने का निर्णय 24–11–67 को लिया गया था। उस समय माननीय सदस्य शासक दल में थे।

एक यह आरोप लगाया गया है कि मैंने अतिरिक्त तुमाई (कोम्बिगन) क्षमता को पैदा होने से रोका है। यह गलत है। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने 230 लाख पौंड की क्षमता के आदाय पत्र जारी किये थे।

गोयन्का के लिये कोई विशेष कोटा स्वीकृत नहीं किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता।

श्री एल० एन० मिश्र : यह मेरा दुर्भाग्य है। आप लुधियाना की यात्रा करके वस्तुस्थिति जान सकते हैं।

श्री सत माल कपुर :*

श्री ज्योतिर्मय बसु :*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य की बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मेरे पास ठोस साक्ष्य है। मंत्री महोदय सभा को गुमारह कर रहे हैं .....

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं सभा को गुमाराह नहीं कर रहा हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऊनी माल के पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति का स्पष्ट अर्थ है कि किसी निर्यातक को कच्ची ऊन, चिथडों आदि के लिए सीधा कोई भी आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा परन्तु राज्य व्यापार निगम को वह माल छुडाने के लिए कहेगा। यह भी स्पष्ट कहा गया है कि मान्यता-प्राप्त ऊन कातने वाले को माल मंगाने सम्बन्धी आदेशक प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित किया जाएगा। मान्यता-प्राप्त कातने वाले कौन है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं सरकारी कागज़ों से उद्धरण दे रहा हूँ। यदि मैं गलत आंकड़े दूं तो मैं क्षमा मांग लूंगा।

इसके बाद मैं वास्तविक प्रयोक्ता के प्रश्न पर आता हूँ। यह कहना गलत है कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार होजरी निर्यातक वास्तविक प्रयोक्ता नहीं है। वे सभी व्यक्ति जिन्हें चिथड़ों के आयात के लिए लाइसेंस (माल मंगाने सम्बन्धी आदेश अथवा अधिकार पत्र) ज़ारी किये गए हैं। आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता हैं।

आयात लाइसेंस पर लगाई गई वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अनुसरण में होज़री निर्यातकों को चाहिए कि वे चिथड़ों का आयात करें और उनका धागा बना कर उस धागे को अपने कारखानों में प्रयोग करें। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया है कि होजरी निर्यातक वास्तविक प्रयोक्ता नहीं है क्योंकि उन की रद्दी कातने वाले भिन्न नाम से चिथड़ों के आयात लाइसेंस ले लेते हैं।

DR. LAXMINARAIN PANDEYA: Is it not a fact that actual goods are being replaced by rags. Whether the weight of bales at the time of their loading will be taken into consideration or their present weight?

SHRI L. N. MISHRA: The case of rags has been handed over to C.B.I. * * *

SHRI PHOOL CHAND VERMA (Ujjain): Has it been ensured out that the weight of the seized goods is the same as it was at the time of its seizure?

SHRI L. N. MISHRA: The C.B.I. can find out whether the weight is reduced or the goods have been stolen. The policy regarding rags is as old as before 1962. In 1968 this policy was made effective so that poor people can buy clothes at cheap rates.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 1968 से चिथड़ों का आयात नहीं किया गया है। यह बात तो पिछले एक डेढ़ वर्ष की है।

श्री एल० एन० मिश्र : यह सही नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या अन्तराष्ट्रीय बाजार में राज्य व्यापार निगम ने आर्डर नहीं दिये थे, यदि दिये थे तो फिर ऐसे चिथडों के लिए क्यों दिये थे जो पूरी तरह से पहनने लायक कपड़े थे।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं चिथडों के बारे में अपने मूल वक्तव्य में बता चुका हूं कि राज्य व्यापार निगम प्रयोक्ताओं द्वारा चुने गये विशिष्ट विवरण के आधार पर चिथडें के क्रय के लिए विश्वव्यापी टेंडर मांगता है और फिर आर्डर दिये जाते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इससे स्पष्ट है कि उनकी और सरकार की मिलीभगत है।

श्री एल० एन० मिश्र : केन्द्रीय जांच ब्यौरो का प्रतिवेदन आने दें। मैं उनके साथ इस पर चर्चा करने को तैयार हूं परन्तु सभा में नहीं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता ने निदेशक के रिक्त पद का प्रश्न उठाया। निदेशक बोर्ड में सभी पद भर दिये गये हैं। श्री पो० सहाय, जो उपकरण परियोजना निगम के अध्यक्ष हैं, को राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है।

निदेशकों को कुल मिलाकर 2675 रुपये का भुगतान किया जाता है। वेतन के 40 प्रतिशत भाग तक एक मकान किराये पर लिया जा सकता है। अनुगृहपूर्वक बोनस अथवा प्रतिपूर्ति भत्ता प्रतिवर्ष 3830 रुपये तक दिया जाता है।

वे 500 किलोमीटर तक आयातित कारों का प्रयोग कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें प्रति मास 100 रुपये देने होते हैं।

श्री ए० के० मिश्र के नाम का उल्लेख किया गया है। उन्होंने राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण त्याग–पत्र दिया है। वह राज्य सभा में आना चाहते थे। जहां तक उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का प्रश्न है, ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं है।

जहां तक राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण का सम्बन्ध है, गत 16 वर्षों में इसने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं और यह भारत का प्रमुख व्यापार गृह बन गया है। अब इसका कारोबार 33 करोड़ रुपये का हो गया है। इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों में 31 कार्यालय स्थापित किये हैं।

वर्ष 1967–68 में राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात 24.8 करोड़ रुपये का था। 1971–72 में यह बढ़कर 98 करोड़ रुपये हो गया और 1972–73 में इसके 123 करोड़ रुपये तक बढ़ने की आशा है। यह निगम गैर–परम्परागत वस्तुओं के व्यापार की ओर भी बहुत ध्यान दे रहा है। कुल निर्यात का 60 प्रतिशत निर्यात गैर–परम्परागत वस्तुओं का है।

वर्ष 1971–72 के राज्य व्यापार निगम के निर्यात में लघु उद्योग की वस्तुएं 46 करोड़ रुपये की थीं जिससे मालूम होता है कि लघु उद्योग का इस निगम के निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है।

कच्चे माल के वितरण की एक नई पद्धति है जिससे लघु उद्योग एककों को सुविधायें मिलेंगी। अभी कुछ समय पहले तक लघु उद्योग एकक बड़े उद्योगों के एककों की तुलना में कठिन स्थिति में थे अब उन्हें बड़े उद्योगों के बराबर लाने का निर्णय किया गया है।

यह कहा गया है कि पांच बड़ी फर्मों को जूतों के निर्यात की अनुमति दे देने से लघु एककों से निर्यात ले लिया गया है। शायद माननीय सदस्यों ने वह अधिसूचना नहीं देखी है जो सरकार ने जूतों के निर्यात के सम्बन्ध में जारी की है। उसके अधीन कोई भी गैर–सरकारी एकक जूते अथवा चमड़े का निर्यात नहीं कर सकता।

संगठनात्मक समर्थन के रुप में राज्य व्यापार निगम ने अनेक राज्य लघु उद्योग निगमों की इक्विटी पूंजी में निवेश करना आरम्भ कर दिया है।

किसी ने कहा है कि हम केवल आयात पर ही जोर दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि आयात बाजार मिलना कठिन नहीं है अतः हम आयात व्यापार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, इसमें कहीं प्रतियोगिता है। हम चाहते हैं कि गैर–सरकारी क्षेत्र भी बना रहे। निर्यात के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम एक पूरक भूमिका निभायेगा। निर्यात व्यापार को प्रगतिशील तरीके से हाथ में लिया जायेगा। जहां तक आयात व्यापार को हाथ में लेने का सम्बन्ध है, आगामी तीन या चार वर्षों में हम 90 से 95 प्रतिशत तक आयात अपने हाथ में ले लेंगे।

आरोप लगाये गए हैं कि राज्य व्यापार निगम तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के संगठन उपभोक्ता अथवा लघु उद्योगों को हानि पहुंचा कर अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं।

एकाधिकारिता मूल्य नीतियों, जिनके कारण अनुचित ढ़ंग से लाभ कमाया जाता है, अपनाने के कारण राज्य व्यापार निगम की आलोचना की गई है। यह बात सही नहीं है। राज्य व्यापार निगम ने 1971–72 में कर लगाने से पहले कुल बिक्री का 5.1 प्रतिशत लाभ कमाया। विदेश व्यापार मंत्रालय की एक समिति आयातित कच्चे माल के मूल्य और वितरण के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करती है।

समिति ने मूल्य निर्धारण नीति के प्रति एक तीन–सूत्री दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि राज्य व्यापार निगम कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब दूसरे 10 प्रतिशत लाभ कमा रहे थे, तो राज्य व्यापार निगम 5 प्रतिशत लाभ कमा रहा था। राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित समूचे लाभ को देश के और विकास के लिए राजकोष में डाल दिया जाता है।

एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जहां सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है, वहां गैर-सरकारी क्षेत्र से उपलब्ध निदेश योग्य अतिरिक्त धन तेजी से कम होगा। सुनियोजित अर्थव्यवस्था के मूल ढ़ांचे का यह अंग है कि निवेश योग्य धन सरकारी क्षेत्र के लाभों के माध्यम से प्राप्त हो। अतः लाभ कमाने वाली मूल्य सम्बन्धी नीति के माध्यम से संसाधनों को विकास की ओर लगाया जाना चाहिए।

श्री पी० एम० मेहता : मंत्री महोदय ने जिस व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया है कि उसे राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है, परन्तु वह कार्यवाहक अध्यक्ष है।

मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि निदेशकों को बोनस के रुप में कितनी राशि का भुगतान किया गया।

मकान और मनोरंजन के लिए जो राशी दी जाती है, जो आयकर मुक्त है और न ही जिसका हिसाब रखा जाता है, उसका भी मंत्री महोदय ने उल्लेख नहीं किया है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने बताया 3800 रुपये है। मैंने यह नहीं कहा कि राशि आयकर से मुक्त थी।

श्री पी० एम० मेहता : निदेशक इस बात के लिए किसी नियम के अन्तर्गत बाध्य नहीं है कि वे मनोरंजन पर हुए खर्च के सम्बन्ध में कोई अतिथि सूची अथवा वाउचर प्रस्तुत करे।

इस कांड में समाचार–पत्रों में प्रकाशित होने को 1.5 वर्ष से अधिक समय हो गया है और अधिकारियों ने एक परिपत्र जारी किया कि इस प्रकार कि जालसाजी की जा रही है परन्तु इस मंत्रालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

SHRI L. N. MISHRA: Action was taken in May, 1971. The Marketing Manager of the S.T.C. wrote a letter.

श्री पी० एम० मेहता : मैंने कहा कि मई, 1971 में एक सरकारी परिपत्र सभी पत्तनों के सीमा–शुल्क कलैक्टरों को भेजा गया परन्तु इतना होते हुए भी मंत्रालय ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

क्या कभी इस मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि चिथड़ों के रूप में सिल–सिलाये कपड़ों को आयात करने के लिए इतनी अधिक विदेशी मुद्रा जारी कैसे की गई? मंत्रालय की जानकारी और सहयोग से ऐसा हुआ है। अतः एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए जो राज्य व्यापार निगम के इस कांड की जांच करे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1972/14 अग्रहायण 1894: (शक) के ग्यारह बजे 'म०पू०' तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday the 12th December, 1972/14th Agrahayana 1894 (Saka).

MGIPCBE—S7—3 LSS/ND/72—23-4-73—490.